Union Bank of India has won 6 IBA (Indian Bank's Association) Banking Technology Awards

WINNER

Best Payment Initiatives

RUNNER UP

• Best Technology Bank of the year • Best Risk Management & Security

• Best use of Mobility Technology • Best Internet Bank

• Best Use of Technology in Training and Learning Initiative

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2013-14 की प्रमुख बातें	14
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक	16
सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	25
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	29
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	47
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	72
तुलन-पत्र	74
लाभ एवं हानि लेखा	75
अनुसूचियां 1 से 18	76
नकदी प्रवाह विवरण	104
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	106
समेकित तुलन-पत्र	108
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	109
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	110
नकदी प्रवाह विवरण	130
जोखिम प्रबंधन	132
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2013-14	133

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2013-14	15
Key Financial Indicators	144
Notice	146
Directors' Report	152
Management Discussion and Analysis	156
Corporate Governance Report	170
Independent Auditors Report	194
Balance Sheet	196
Profit & Loss Account	197
Schedules 1 to 18	198
Cash Flow Statement	224
Independent Auditors Report	226
Consolidated Balance Sheet	228
Consolidated Profit & Loss Account	229
Consolidated Schedules 1 to 18	230
Consolidated Cash Flow Statement	248
Risk Management	250
Business Responsibility Report 2013-14	251

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते एसजीसीओ एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अरुण तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Arun Tiwari
Chairman &
Managing Director

श्री अरुण तिवारी ने 26 दिसंबर,2013 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला. श्री तिवारी का जन्म 1 जुलाई,1957 को हुआ था. उन्होंने एमएससी (रसायनशास्त्र) के साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी किया है.

श्री अरुण तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की थी. उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय में विभिन्न क्षमताओं में बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में तथा कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक - एमएसएमई तथा संपदा प्रबंधन, होलसेल बैंकिंग के रूप में कार्य किया है.अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न केन्द्रों तथा कुआलालम्पूर तथा सिंगापुर में संबन्धित क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य किया.महाप्रबंधक के रूप में श्री तिवारी बैंक ऑफ बड़ौदा के महानगरीय मुंबई अंचल के प्रमुख भी रहे.

कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने पर,श्री तिवारी ने 18.06.2012 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया तथा ऋण, ऋण अनुश्रवण, एचआर, आईटी, जोखिम प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, निरीक्षण, सतर्कता एवं शाखा विस्तार तथा सहायक सेवाएँ संविभाग का कार्य संभाला.

विश्व बैंक के तत्वावधान में श्री तिवारी ने भारत में निर्यातोन्मुखी लघु उद्योगों के लिए यूएसए तथा यूरोप में एक अध्ययन कार्य किया. उन्होंने आर्थर डी' लिटिल, बोस्टन, यूएसए, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट,नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, एनआईबीएम, पुणे, बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मुंबई आदि प्रतिष्ठित संस्थानों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों में भाग लिया है.

वह ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक थे. वर्तमान में वह जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया(जीआईसी आरई) के निदेशक मण्डल में एक निदेशक हैं.

Shri Arun Tiwari assumed the Office of the Chairman and Managing Director of the Bank on 26th December, 2013. Born on 1st July, 1957, Shri Tiwari is an M.Sc (Chemistry) and has also done a course in Computer Programming.

Shri Arun Tiwari started his career in Bank of Baroda as Probationary Officer in 1979. He has worked in almost all key segments of Banking, in various capacities – at Branches, Zonal Office, and at Corporate Office as General Manager – MSME & Wealth Management, Whole sale Banking. His tenure in the Bank spanned various geographies of the country and overseas centers at Kuala Lumpur and Singapore, as Chief Executive of the respective territories. Shri Tiwari also headed Greater Mumbai Zone of Bank of Baroda, in the rank of General Manager.

On his elevation as Executive Director, Shri Tiwari assumed the Office of Executive Director at Allahabad Bank from 18.06.2012 and handled the portfolios of CREDIT, Credit Monitoring, HR, IT, Risk Management, Finance & Accounts, Inspection, Vigilance and Branch Expansion & Support Services.

Under aegis of World Bank Shri Tiwari did a Study Assignment in USA and Europe for export oriented Small Scale Industries in India. He has undergone many trainings and courses at various prestigious institutes, like Arthur D'Little, Boston, USA, Kellog School of Management, Northwestern University, Chicago, Indian School of Business, Hyderabad, NIBM, Pune, Bankers' Training College, Mumbai, Indian Institute of Technology, Mumbai, etc.

He was a Director on the board of All Bank Finance Ltd. Presently he is one of the Directors on the Board of General Insurance Corporation of India (GIC Re).

श्री सुरेश कुमार जैन
कार्यपालक निदेशक

Shri Suresh Kumar Jain
Executive Director

श्री सुरेश कुमार जैन ने 1 सितम्बर,2011 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है. वह कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में बी.एससी. (ऑनर्स) तथा एम.ए.(अर्थशास्त्र)सहित गोल्ड मेडलिस्ट हैं. श्री जैन 33 वर्षों से अधिक समय से पेशेवर बैंकर हैं तथा उन्हें ऋण एवं विदेशी विनिमय में विशेषज्ञता के साथ देश विदेश में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का अनुभव है.बैंक में कार्यग्रहण करने से पूर्व श्री जैन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे. श्री एस.के. जैन को देशी तथा विदेशी बैंकिग का पर्याप्त अनुभव है एवं उन्होंने लंदन तथा हांगकांग में कार्य किया है. वह बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव वाले अनुभवी बैंकर हैं.

Shri Suresh Kumar Jain has assumed charge as the Executive Director of Union Bank of India on 1st September 2011. He is a Gold Medalist in College and University with B.Sc(Hons.) & M.A.(Economics). Shri Jain has been a Professional Banker for over 33 years, having worked in various capacities across the country and abroad with specialization in Credit and Foreign Exchange. Prior to joining the Bank, Shri Jain was General Manager, Bank of India. Mr. S.K. Jain has rich experience in both domestic as well as international banking having worked in London and Hong Kong. He is a seasoned banker with varied experience in all areas of banking.

श्री के. सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक

Shri K. Subrahmanyam
Executive Director

श्री के. सुब्रह्मण्यम ने 21 जनवरी,2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है. श्री सुब्रह्मण्यम का जन्म 15 जुलाई,1955 को हुआ था. वह वाणिज्य में स्नातक तथा बेहरामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा से गोल्ड मेडलिस्ट हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक में अपने तीन दशक से अधिक के करियर में, उन्होंने देश-विदेश में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला. उनकी अंतिम पदस्थी एमएसएमई विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक के रुप में थी. श्री सुब्रह्मण्यम ने 1975 में इंडियन ओवरसीज बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रुप में कार्यभार ग्रहण किया. उन्होंने हैदराबाद, अहमदाबाद तथा मुम्बई में बैंक की प्रमुख शाखाओं के शाखा प्रमुख के रुप में कार्य किया. 2006 से 2008 के मध्य वह कोलकाता एवं विजयवाड़ा क्षेत्रों के क्षेत्र प्रमुख रहे.सितम्बर,2008 से अगस्त,2010 के मध्य वे बैंक के सिंगापुर संचालन के मुख्य कार्यपालक रहे. श्री सुब्रह्मण्यम एक लगनशील पाठक तथा कर्नाटक संगीत के बड़े प्रशंसक हैं.

Shri K. Subrahmanyam has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 21-Jan-2013. Born on 15th July 1955, Shri Subrahmanyam is Graduate in Commerce and a Gold Medalist from Berhampur University, Orissa. In his Banking career, in Indian Overseas Bank, spanning of over three decades, he held various positions across the country as well as overseas. His last posting was as General Manager in charge of Bank's MSME portfolio. Shri Subrahmanyam joined Indian Overseas Bank as Probationary Officer in 1975. He served as Branch Head at Bank's major branches in Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai. He was the Regional Head of Kolkata and Vijayawada region between 2006 and 2008. He was posted overseas as Chief Executive of Bank's Singapore Operations between September 2008 and August 2010. Shri Subrahmanyam is an avid reader and an ardent admirer of Carnatic music.

श्री राकेश सेठी
कार्यपालक निदेशक

Shri Rakesh Sethi
Executive Director

श्री राकेश सेठी का जन्म 28.06.1956 को हुआ था.वह बी.काम.,एलएलबी तथा पर्सनल मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा धारक हैं. वे इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ बैंकिंग एवं फाइनेन्स के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं. उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का 35 वर्षों का व्यापक अनुभव है.

वह बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी/असाधारण रुप से बड़ी एवं विदेशी शाखाओं के शाखा प्रमुख रह चुके हैं तथा उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय/अंचलीय कार्यालय में ऋण विभाग में व्यापक रुप से कार्य किया है.वे चंडीगढ़ अंचल के अंचलीय प्रबंधक भी रहे, जिसमें हिमाचल प्रदेश,हरियाणा तथा चंडीगढ की शाखायें शामिल हैं.

महाप्रबंधक के रुप में, वे नेशनल बैंकिंग-दक्षिण के प्रमुख रहे, जिसमें सम्पूर्ण दक्षिण भारत के सभी छह अंचल शामिल हैं जिनमें कुल शाखाओं की संख्या 565 है. प्रधान कार्यालय में वह खुदरा बैंकिंग प्रभाग तथा विपणन विभाग के प्रमुख भी थे तथा बैंक की ALCO, CORM,निवेश समिति सहित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं.

श्री सेठी ने फरीदाबाद ,करनाल,चंडीगढ़,पटियाला, इंदौर, जबलपुर,नई दिल्ली, मुम्बई, गोवा तथा चेन्नई सहित विभिन्न केन्द्रों पर कार्य किया है.

घरेलू बैंकिंग अनुभवों के अतिरिक्त, जर्सी-चैनल द्वीप,जाम्बिया तथा अंत में महाप्रबंधक एवं बैंक ऑफ इंडिया के यूरोपीय संचालनों के मुख्य कार्यकारी के रुप में तीन विदेशी पदस्थियां विशेष उल्लेखनीय हैं.

बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र खुदरा/एमएसएमई तथा ग्राहक वालेट में बैंक की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देते हुए अन्तर्राट्रीय बैंकिंग रहा है. भारत तथा विदेशों में प्रकृति के बहुत निकट सम्पर्क की यात्रायें करना उनकी हाबी है.

उन्हें 5 अगस्त,2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा तब से वह अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों में ट्रेजरी संचालनों,खुदरा बैंकिंग एवं विपणन, संव्यवहार बैंकिंग तथा तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण,वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन, संपर्क पर विशेष बल सहित सरकारी कारोबार तथा ग्राहक सेवा, उत्पाद तथा कार्पोरेट छवि संवर्धन के लिए -कार्पोरेट संप्रेषण,नियंत्रण पहलू पर विशेष जोर सहित केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण,ऋण,अग्रिमों,खुदरा,सम्पार्श्विक आदि सहित नीति निर्धारण का कार्य संभाल रहे हैं.

Mr Rakesh Sethi, born on 28.06.1956, is a B.com, LLB and Diploma holder in Personnel Management. He is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. He has vast experience of 35 years in various facets of banking with Bank of India.

He has been a branch head of very large/exceptionally large and foreign branches of Bank of India and has worked extensively in the Credit Department at Regional office / Zonal office of the bank. He was also the Zonal manager, Chandigarh zone covering branches of Himachal Pradesh, Haryana and Chandigarh.

As a General Manager, he headed the National Banking - South comprising all the six zones of entire Southern India having 565 branches. He also headed the Retail Banking division and Marketing Department at Head office and has been a member of various committees including ALCO, CORM, Investment Committee of the Bank.

Mr Sethi has worked at different centres in India including Faridabad, Karnal, Chandigarh, Patiala, Indore, Jabalpur, New Delhi, Mumbai, Goa and Chennai.

Over and above his domestic banking experience, Mr Sethi has had three foreign postings to his credit at Jersey - Channel Islands, Zambia and lastly as General Manager and Chief Executive of European operations of Bank of India.

During his tenure in Bank of India his core areas have been Retail/MSME and International Banking with a focus on increasing the bank's share in the customer wallet. Touring different places very close to nature in India and abroad is his hobby.

He was elevated to the position of Executive Director of Union Bank of India on 5th August 2013 and since then he has been overseeing operations in Treasury both domestic and forex, Retail Banking & Marketing, Transaction Banking & Third Party Products Distribution; Personal Banking & Operations; Government Business with emphasis on outreach and customer service, Corporate Communications - to promote both product and corporate image, Central Audit & Inspection Dept. with focus on control aspects, Policy formulation relating to credit loans, retail, collateral, etc.

श्री मोहम्मद मुस्तफा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

Mr. Mohammad Mustafa
Govt. Nominee Director

श्री मोहम्मद मुस्तफा दिनांक 30 सितम्बर, 2013 से बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किये गये हैं. मोहम्मद मुस्तफा ने वर्ष 1995 में आईएएस के रुप में सेवा ग्रहण की. वह उत्तर प्रदेश कैडर से हैं तथा उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है.

कई जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा मुख्य विकास अधिकारी के रुप में कार्य करने के अतिरिक्त उन्होंने कानपुर,प्रतापगढ, रामपुर,फतेहपुर तथा बलरामपुर जिलों के कलेक्टर तथा जिलाधिकारी के रुप में भी कार्य किया है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, आवास एवं शहरी विकास,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं टेक्नालाजी,मनोरंजन कर,वाणिज्य कर आदि विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है. उन्होंने सितम्बर,2012 में वित्तीय सेवायें विभाग में निदेशक के रुप में कार्यग्रहण किया.

यूनियन बैंक में नामांकन से पूर्व वह आंध्रा बैंक में सरकार द्वारा नामित निदेशक थे.

Mr. Mohammad Mustafa has been appointed as Govt. Nominee Director of the Board of the Bank w.e.f.30th September, 2013. Mr. Mohammad Mustafa joined IAS in year 1995. He belongs to Uttar Pradesh Cadre. He did Masters in Philosophy.

Besides Serving as Joint Magistrate and Chief Development Officer in many districts, he has served as Collector and District Magistrate of Kanpur, Pratapgarh, Rampur, Fatehpur and Balrampur. He has also served in various capacities in the Department of secondary Education, Higher Education, Social Welfare, Minorities Welfare, Housing & Urban Development, Health & Family Welfare, Science & Technology, Entertainment Tax, Commercial Tax, etc. He joined Department of Financial Services as Director in September, 2012.

Prior to his nomination in the Union Bank, he had been a Govt. nominee Director in Andhra Bank

---

श्री दीपक सिंघल
भारिबैं नामित निदेशक

Shri Deepak Singhal
RBI Nominee Director

श्री दीपक सिंघल भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक हैं. इस उत्तरदायित्व से पूर्व,वह मुम्बई में भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे. देश के केन्द्रीय बैंकर के रुप में कार्य का उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है. इससे पूर्व वह केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग तथा मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख रह चुके हैं.

श्री सिंघल ने बैंकों के पर्यवेक्षण पर बासल समिति, बीआईएस तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य समूहों/समितियों में कार्य किया है.

उन्होंने 1977 में इलाहाबाद से स्नातक किया. उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 1979 में अपनी एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की तथा बैंक में अपने करियर के दौरान सीएआईआईबी भी किया.

Shri Deepak Singhal is the Regional Director of New Delhi office of the Reserve Bank of India. Prior to the current assignment, he was Chief General Manager Incharge looking after Department of Banking Operations and Development of the RBI at Mumbai. He has vast experience as a central banker of the country. He has earlier headed the Premises Department and Human Resource Development Department at Central Office.

Shri Singhal has served on several important working groups/committees of the Basel Committee on Bank Supervision, BIS and Reserve Bank of India.

He graduated from Allahabad University in 1977. He also acquired his MBA from the same University in 1979 as also CAIIB during the course of his career in the Bank.

श्री जग मोहन शर्मा
सनदी लेखाकार निदेशक

Shri Jag Mohan Sharma
C.A. Director

दिल्ली निवासी 64 वर्षीय श्री जगमोहन शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.काम.(आनर्स)किया है. उन्हें 33 वर्ष से अधिक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है तथा विशेष रुप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये कार्य करते रहे हैं.

पिछले 33 वर्षों में उन्होंने बैंकों की शाखाओं की नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षा,संगामी लेखापरीक्षा,सांविधिक लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा करने के साथ ही मूल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बड़े कारपोरेट देशीय उधारकर्ताओं की समुचित सावधानी एवं अनुश्रवण कार्य किया है. उन्हें भारिबैं के सीडीआर कक्ष के अन्तर्गत अनुश्रवण संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीडीआर तंत्र के अधीन बड़े उधारकर्ताओं का संगामी लेखापरीक्षक भी नियुक्त किया गया था.

श्री शर्मा ग्रामीण तथा निचले तबके के लोगों के कल्याण के प्रति सतत समर्पित रहे हैं.इस संबंध में उन्होंने पीएनबी फार्मर्स वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक योजना बनाकर इसे कार्यान्वित किया, जिसके तहत बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी ट्रैक्टरों के लिए व्यापक बीमा कवर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया तथा इससे बचाये गये धन का उपयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में किया गया. इसका उद्देश्य कृषि तकनीक, प्रौढ शिक्षा, किसानों के बच्चों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा में सुधार, किसानों के परिवार की महिला सदस्यों को सिलाई मशीन प्रदान कराना था. वह इसके प्रारंभ से पांच वर्षों तक सांविधिक लेखापरीक्षक रहे.

उपरोक्त के अलावा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बैंक के मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लाईज वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की.इसके अतिरिक्त उन्होंने बिना किसी लाभ के उद्देश्य के /या किसी धार्मिक समुदाय या जाति को बिना किसी लाभ के पंजाब नेशनल बैंक के सदस्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक सेन्टेनरी वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना भी की. उन्होंने भारत तथा विश्व का व्यापक भ्रमण किया है.

Shri Jag Mohan Sharma from New Delhi aged 64 years and has done B.Com (Hons) from Delhi University and is a practicing Chartered Accountant with more than 33 years of experience and has been exclusively working for the Public sector Banks.

In the last 33 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal inspection, Concurrent audit, Statutory audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution, Punjab National Bank under CDR cell of RBI.

Shri Sharma has a deep commitment for the welfare of the rural people and the down trodden. In this regard he formulated and implemented a scheme under the name of PNB farmer welfare Trust under which requirement of comprehensive insurance policy was waived for all the tractors financed by the Bank and money saved from this has been utillzed in setting off the training centers in various parts of the country. It also aimed at improvement of farming technology, adult education, computer education for the wards of the farmers, provision of sewing machines to the female members of the farmers families and remained statutory auditor for five years since its inception.

Besides above he created Punjab National Bank Employees Welfare Trust for the welfare of existing as well as retired employees under the Corporate Social responsibility. He has also created Punjab National Bank Centenary welfare Trust for purpose of the welfare of the members of Punjab National Bank without there being any profit motive and/or benefits to any particular religious community or caste. He has widely travelled in India and abroad.

डॉ अतुल अग्रवाल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Dr. Atul Agarwal
Part Time Non-Off. Director

केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उप खंड (1) के साथ पढ़े गये बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970/1980 की धारा 9 की उप धारा 3 (एच) तथा (3-ए) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए डॉ. अतुल अग्रवाल को,अधिसूचना जारी होने अर्थात दिनांक 22.09.2011 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले निर्देशों, दोनों में जो पहले हो, तक के लिए अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित किया है. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डॉ.अग्रवाल, बी.काम.एलएलबी,एफसीए,आईएसए (आईसीएआई) तथा वाणिज्य में पी.एचडी हैं. डॉ. अग्रवाल 1984 से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के संस्थापक भागीदार हैं. डॉ. अग्रवाल ने विश्व की व्यापक यात्रा की है तथा उन्हें कारपोरेट कन्सल्टिंग, रणनीतिक सोच, कारोबारी पुनर्निर्धारण एवं विकास तथा लेखांकन प्रणाली को लागू करने के क्षेत्र में दो दशक से अधिक का विशाल अनुभव है.वह बैंक ऑफ बड़ौदा, डिपाजिट इन्श्योरेन्स एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, नार्दर्न कोल फील्ड लि. तथा यूपी स्टॉक एक्सचेंज एसोशिएसन लि.में निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं. उन्हें क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति के सदस्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) के सेन्ट्रल काउन्सिल मेम्बर, आईसीडब्ल्यूएआई की विभिन्न उप समितियों के सदस्य, एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति के सदस्य, यूपी स्टॉक एक्सचेंज की चूक एवं पंचाट समिति के सदस्य, "पेशेवर आचार नीति" पर अध्ययन समूह के सदस्य तथा आईसीडब्ल्यूएआई द्वारा "कारपोरेट गवर्नेन्स" पर गठित समिति के सदस्य के रुप में व्यापक अनुभव है.

Dr. Atul Agarwal has been nominated by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section 3 (h) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, as part-time non-official Director on the Board of Directors of Union Bank of India, for a period of three years from the date of notification of his appointment i.e. 22.09.2011 or until further orders, whichever is earlier. Dr. Agarwal, a Chartered Accountant, is qualified as B.Com., LLB, FCA, ISA(ICAI) and PhD in Commerce. Dr. Agarwal has been a practicing Chartered Accountant since 1984 and is a founder

Partner of M/s Agarwal & Saxena, Chartered Accountants. Dr. Agarwal has widely traveled all over the World with rich experience of more than two decade in the field of corporate consulting, strategic thinking, business reengineering and development and implementation of accounting systems. He has also held positions of Director in Bank of Baroda, Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation, Northern Coal Fields Ltd. and UP Stock Exchange Association Ltd. His vast arena of expertise include being Member of Regional Direct Taxes Advisory Committee, Central Council Member of The Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI), Member of various sub committees of ICWAI, Member of Direct Taxes Committee of ASSOCHAM, Member of the Defaults and Arbitration Committee of UP Stock Exchange, Member of study group on "Professional Ethics" and on "Corporate Governance" constituted by ICAI.

श्री श्रीकांत मिश्र
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Shri Kant Misra
Part Time Non-Off. Director

श्री श्रीकांत मिश्र का जन्म 8 मार्च,1955 को हुआ था.वह 1978 से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं.वर्तमान में वह मेसर्स एस के एन एसोशिएट्स के संचालक हैं जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है. श्री मिश्र वर्ष 1982 से दिसम्बर, 2012 तक मेसर्स चतुर्वेदी एंड कम्पनी के भागीदार भी थे.

35 वर्ष से अधिक के अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने अनेक सांविधिक लेखापरीक्षा (विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा कम्पनियों के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा सहित), बडे कारोबारी समूहों जैसे बलरामपुर चीनी, टाइम्स ऑफ इंडिया,शॉ वालेस, एड्वान्स ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज, विकास टेलीकाम आदि, का आन्तरिक/प्रबंधन लेखापरीक्षा, परियोजना वित्तपोषण, प्रबंधन परामर्श, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा कम्पनियों के लिए लेखांकन मैन्यूअल तैयार करना, कम्पनी कानून एवं आयकर के मामलों में विशेषज्ञ राय देने का कार्य,वित्तीय समुचित सावधानी, अवधारणा की स्थापना तथा परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विलय एवं अधिग्रहण का कार्य किया है. अपने ज्ञान को बढ़ाने एवं क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने विश्व का व्यापक भ्रमण किया है. उन्होंने स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा परियोजनाओं की वित्तीय आयोजना में विशेषज्ञता हासिल की है.

श्री मिश्र पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास एसोशिएसन के मानद सचिव भी रहे. वह सनातन धर्म महामंडल की कार्य समिति के सदस्य हैं.

Shri S.K.Misra born on March 8, 1955, is a practicing Chartered Accountant since 1978. At present he is the proprietor of M/s S K N & Associates, having its head office at New Delhi. Mr. Misra was also a partner in M/s Chaturvedi & Co from the year 1982 till December, 2012.

During his professional career of more than 35 years, he has handled various assignments of Statutory Audit (including Central Statutory Audit of various Nationalized Banks and Life Insurance Companies), Internal/Management Audit of various big business groups like Balrampur Chini, Times of India, Shaw Wallace, Advance Group of Industries, Vikas Telecom etc., Project Financing, Management Consultancy, preparation of accounting manuals for electronic media and real estate and hospitality companies, Expert opinion in Company Law and Income Tax matters, Financial due diligence, Idea Validation & Project feasibility reports and mergers and acquisitions. He has travelled around the globe to acquire and strengthen his knowledge and capabilities. He has gained specialization in financial planning of real estate and hospitality projects.

Mr. Misra was also Honorary Secretary of Backward Area Industries Development Association. He is a member of Working Committee of Sanatan Dharam Mahamandal.

सुश्री अनुसूया शर्मा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Sushri Anusuiya Sharma
Part Time Non-Off. Director

सुश्री अनुसूया शर्मा को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 06 मई, 2013 के द्वारा तीन वर्ष के लिये अथवा अगले निर्देशों तक बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है.

सुश्री शर्मा का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था. वह समाज शास्त्र में परा स्नातक तथा बी.एड एवं एलएलबी डिग्री धारक हैं.वह सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं. वह एआईसीसी, पीपीसी,यूपीसीसी आदि की सदस्य रही हैं.वह यू.पी.महिला कांग्रेस की प्रभारी भी हैं.

वह सक्रिय रुप से ट्रेड यूनियन गतिविधियों से भी जुडी रही हैं तथा विभिन्न ट्रेड यूनियन समितियों/यूनियनों की सदस्य, महासचिव, प्रेसिडेन्ट आदि रही हैं.

वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेमिनारों में भाग लेने के अलावा विभिन्न सरकारी समितियों की सदस्य भी रही हैं.

Sushsri Anusuiya Sharma has been appointed as part-time Non-Official Director on the Bank's Board vide MOF notification dated 06th May, 2013 for a period of three years or until further orders.

Sushri Sharma, born in a freedom fighter family, has done her M.A in Sociology besides having degrees of B. Ed. and L.L.B. She has an active political background and has been a member of AICC, PCC, UPCC. etc. She is also in charge of the U.P. Women's Congress Committee.

She is also having an active Trade Union background and is holding various posts like Member, General Secretary, President, etc. of various Trade Union Committees/Unions.

She has also been a member of various Government Committees besides having participated in seminars, both National and International.

डॉ. रवीन्द्रराय ढोलकिया
शेयरधारक निदेशक

Dr. Ravindrarai H. Dholakia
Shareholder Director

61 वर्षीय डॉ.ढोलकिया अहमदाबाद के निवासी हैं तथा आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं तथा उन्हें 37 वर्षों का अनुभव है.वह मास्टर ऑफ आर्ट्स(गोल्ड मेडलिस्ट), अर्थशास्त्र(एमएसयू, बड़ौदा) में पीएच.डी तथा पोस्ट-डाक्टोरल फेलो(यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो)हैं.

वह एयर इंडिया,अडानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं.

वह छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार तथा गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रुप में कार्य किया है. उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीतियों के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं

Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 61 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 37 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Uni. Of Toronto).

He is a Director on the Boards of Air India, Adani Enterprises Limited and State Trading Corporation of India Limited.

He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of economic development and policies.

श्री गोपाल कृष्ण लाठ
शेयरधारक निदेशक

Shri Gopal Krishan Lath
Shareholder Director

लखनऊ निवासी 61 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल सहित वाणिज्य स्नातक हैं तथा उन्हें 35वर्षों से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है. वह मेसर्स ए.सचदेव एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,लखनऊ के पिछले 25 वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधक भागीदार हैं.

श्री लाठ आईसीएआई द्वारा " समकक्ष समीक्षक" के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनियमों के अनुरुप विभिन्न सीए फर्मों की समकक्ष समीक्षा की है. बैंकिंग उद्योग के लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त,उन्होंने कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों,बीमा कम्पनियों,स्थानीय निकायों,केन्द्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा एवं अन्य कार्य किया है.

श्री लाठ "श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार" द्वारा "स्थायी त्रिपक्षीय समिति" तथा "न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड" के भी सदस्य हैं.

उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उ.प्र.में निजी इंजिनियरिंग कालेजों में फीस निर्धारण" के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी नामित किया गया था .

Shri Lath from Lucknow aged 61 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 35 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since the last 25 years.

Shri Lath is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects.

Shri Lath is also a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labour and Employment, Government of India".

He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for fixation of fees of private engineering colleges in U.P.

श्री दीपांकर चटर्जी
शेयरधारक निदेशक
Shri Dipankar Chatterji
Shareholder Director

कोलकाता के 65 वर्षीय श्री चटर्जी एक वाणिज्य स्नातक हैं तथा लेखापरीक्षा एवं कन्सल्टेन्सी में 42 वर्षों के अनुभव के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करते हैं.वह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में रहे हैं तथा हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि.,पियरलेस फाइनेन्शियल सर्विसेज लि., टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लि.,वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.,टीआरएफ के बोर्ड में भी हैं. श्री चटर्जी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. के अध्यक्ष हैं तथा वर्तमान में देश के 10 शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक के उपाध्यक्ष हैं. वह भारिबैं/आईबीए/विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा गठित अनेक समितियों के भी सदस्य रहे हैं. वह आईसीएआई के सेन्ट्रल काउंसिल सदस्य रहे हैं तथा आईसीएआई की ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज कमेटी के अध्यक्ष थे. आईसीएआई की ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के भी अध्यक्ष थे. वह सीआईआई की नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं तथा सीआईआई की नेशनल कमेटी ऑन एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड्स के अध्यक्ष भी हैं.

Shri Chatterji from Kolkata aged 65 years is a Commerce graduate and a practicing Chartered Accountant with around 42 years of experience in auditing and consultancy. He has been on the Board of other Public Sector Banks and is also on the Boards of a number of companies including Hindustan National Glass & Industries Limited, Peerless Financial Services Ltd., Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd., West Bengal Industrial Development Corporation Limited, TRF Limited. Shri Chatterjee is the Chairman of The Calcutta Stock Exchange Ltd and is currently the Vice President of one of the top 10 Business schools in the Country. He has been member on various Committees set up by RBI/IBA/various Government authorities. He had been a Central Council member of ICAI and was the Chairman of Auditing Practices Committee of ICAI. He was also the Chairman of Eastern India Regional Council of the ICAI. He is a member of National Council of CII and also Chairman of National Committee on Accounting Standards of CII.

श्री बैद्य नाथ भट्टाचार्जी
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
SHRI BAIDYA NATH BHATTACHARJEE
Officer Employee Director

केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 9 के उप खंड (1) एवं (2) के साथ पढ़े गये बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970/1980 की धारा 9 की उप धारा (3)के खंड (f) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री बी.एन.भट्टाचार्जी को दिनांक 4 मई,2011 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रुप में नामित किया है.

श्री भट्टाचार्जी एक सक्रिय एवं उत्साही ट्रेड यूनियन नेता हैं तथा अधिकारी कर्मचारियों के हित के लिये अपने करियर तथा व्यक्तिगत लाभ का परित्याग किया है. लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने कानून का अध्ययन भी किया है.वह 1989 से AIUBOF में सक्रिय हुए तथा 1991 में केन्द्रीय समिति के सदस्य बने. 1997 में वह अखिल भारतीय यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गये तथा आज तक इस पद पर बने हुए हैं. वर्तमान में वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोशियेसन ,पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम इकाइयों के महामंत्री, AIBOC और AINBOF की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं. वह AINBOF के संस्थापक कार्यकर्ताओं में से एक हैं. अनुशासनिक कार्यवाहियों में उनकी गहरी रुचि है तथा उप महाप्रबंधक सहित अधिकारियों के कई मामलों में सफलतापूर्वक सहायता की है. श्री भट्टाचार्जी को फोटोग्राफी,अंकशास्त्र ,हिन्दुस्तानी एवं लोक संगीत में गहरी रुचि है. सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के समकालीन मामलों पर वह सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं. देश में बैंकिंग गतिविधियों के प्रति उनकी व्यापक योग्यता तथा रुचि के साथ वह AIUBOF की गृह पत्रिका यूनियन विजन के उप-सम्पादक के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करते हैं. टेक्नालाजी के प्रति रुझान वाले व्यक्ति होने के नाते वह AIUBOF की वेबसाइट का कार्य भी देखते हैं.

Central Government after consultation with Reserve Bank of India nominated Shri B. N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub- section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980 w.e.f. May 4, 2011.

Shri Bhattacharjee is an active trade-unionist with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Shri Bhattacharjee, a graduate from Lucknow University had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became Central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is General Secretary of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bengal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Shri Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy person, he is administrator of website of the AIUBOF as well.

श्री एन. शंकर
कर्मचारी निदेशक

Shri N. Shankar
Workmen Employee Director

सरकार ने बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9 की उप धारा (3)के खंड (e) के तहत श्री एन.शंकर को निदेशक के रुप में नामित किया. वर्ष 1979 से बैंक के कर्मचारी श्री एन. शंकर वर्तमान में एम.एस.मार्ग शाखा, मुंबई में विशेष सहायक हैं. वर्तमान में वह बैंक में मान्यता प्राप्त बहुमत वाली यूनियन एआईयूबीईए के महामंत्री हैं. वह महाराष्ट्र स्टेट बैंक इम्प्लाईज फेडरेशन की कार्य समिति के सदस्य तथा राष्ट्रीय संगठन एआईबीईए की केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं.वह विभिन्न स्तरों पर एआईबीईए आन्दोलन से जुड़ी हुई कई समितियों के भी सदस्य हैं.वह विज्ञान में स्नातक हैं तथा इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं.

वह पिछले दस वर्षों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भविष्यिनिधि न्यास में कर्मचारी प्रतिनिधि हैं. यूनियन परिवार के माध्यम से विभाग में विभिन्न सुधारों एवं इसको व्यवस्थित करने में उनका प्रमुख योगदान है जिसके फलस्वरुप भविष्यि निधि ऋणों एवं सेवानिवृत्ति देयों के संवितरण में तेजी आयी है.

वह नवी मुम्बई में सहकारी समिति आन्दोलन से भी जुड़े हैं तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका एवं नागरिकों द्वारा गठित नगर निगम कर आदि लागू करने की कार्रवाई समिति के प्रमुख सदस्य थे.

Government nominated Director under clause(e) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. A Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M.S. Marg branch ,Mumbai. Currently, he is the General Secretary of AIUBEA, the majority recognized Union in the Bank. He is also the working committee member of Maharashtra State Bank Employees Federation and the Central Committee Member of AIBEA the national Organisation. He is also a member of many Committess at various levels that take up updating AIBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Work Accountants of India.

An employee representative of the PF trustee in the Union Bank of India employee PF Trust for the last ten years he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF loans and Retirement dues.

He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and was the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1.	श्री एस के संगर	Shri S K Sangar
2.	श्री पी के बंसल	Shri P K Bansal
3.	श्री वी जे म्हात्रे	Shri V J Mhatre
4.	श्री टी आर साहनी	Shri T R Sahni
5.	श्री ओ पी दुआ	Shri O P Dua
6.	श्री ए के ठाकुर	Shri A K Thakur
7.	श्री हृषिकेश बेहरा	Shri Hrishikesh Behera
8.	श्री अजीत कुमार रथ	Shri Ajit Kumar Rath
9.	श्री आर सी लोढ़ा	Shri R C Lodha
10.	श्री आर एस पांडे	Shri R S Pandey
11.	श्री बी पी डिमरी	Shri B P Dimri
12.	श्री आर महेश्वरन	Shri R Maheshwaran
13.	श्रीमती एम आर प्रभु	Smt M R Prabhu
14.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	Shri Ashok Kumar Gupta
15.	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
16.	श्री मयंक के मेहता	Shri Mayank K Mehta
17.	श्री देबज्योति गुप्ता	Shri Debajyoti Gupta
18.	श्रीमती रेखा पी नायक	Smt Rekha P Nayak
19.	श्री के एन रघुनाथन	Shri K N Reghunathan
20.	श्री के चंद्रशेखर	Shri K Chandrashekar
21.	सुनीत के गुप्ता	Shri Suneet K Gupta
22.	शैलेन्द्र के सिंह	Shri Shailendra K Singh
23.	श्री वी के जैन	Shri V K Jain
24.	श्री रणबीर सिंह	Shri Ranbir Singh
25.	श्री अतुल कमार (सी.वी.ओ.)	Shri Atul Kumar (C.V.O.)
26.	श्री डी वी गुप्ता	Shri D V Gupta
27.	श्री आर के चौधरी	Shri R K Chaudhary
28.	श्री जी आर पडालकर	Shri G R Padalkar
29.	श्री आर पी मिश्रा	Shri R P Mishra

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1.	श्री एम वी आरेकर	Shri M V Arekar
2.	श्री के सी चरमन्ना	Shri K C Charamana
3.	श्री बी बी खट्टर	Shri B B Khattar
4.	श्री के के तिवारी	Shri K K Tiwari
5.	श्री सी एस पी राव	Shri C S P Rao
6.	श्री के ए सुब्बा राव	Shri K A Subba Rao
7.	श्री रवि कुमार गुप्ता	Shri Ravi Kumar Gupta
8.	श्री एस सी चितकारा	Shri S C Chitkara
9.	श्री ए के आचार्य	Shri A K Acharya
10.	श्री टी एन घोष	Shri T N Ghosh
11.	श्री आर कंडासामी	Shri R Kandasamy
12.	श्रीमती आभा आनंद	Smt Abha Anand
13.	श्री तरुण कोच्छड़	Shri Tarun Kochhar
14.	श्री ए के मित्तल	Shri A K Mittal
15.	श्री अनुपम साहा	Shri Anupam Saha
16.	श्री जी एस रावत	Shri G S Rawat
17.	श्री पी सी पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi
18.	श्री टी सी जॉन	Shri T C John
19.	श्री एस के गुप्ता	Shri S K Gupta
20.	श्री पी बी वायकर	Shri P B Waikar
21.	श्री जी त्रिनाथ	Shri G Trinath
22.	श्री ए के जैन	Shri A K Jain
23.	श्री ए के दुग्गल	Shri A K Duggal
24.	श्री वी के चावला	Shri V K Chawla
25.	श्री एस एच कंथारिया	Shri S H Kantharia
26.	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt Monika Kalia
27.	श्री पी आर राजगोपाल	Shri P R Rajagopal
28.	श्री एच पी एस गुगलानी	Shri H P S Guglani
29.	श्री एल डी रेवतकर	Shri L D Rewatkar
30.	श्री वी के गाबा	Shri V K Gaba
31.	श्री बी बी जोशी	Shri B B Joshi
32.	श्री वी राजेन्द्रन	Shri V Rajendran
33.	श्री एन के गुप्ता	Shri N K Gupta
34.	कैप्टन आर राजाराम	Capt. R Rajaram
35.	श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril
36.	श्री एस बी जोशी	Shri S B Joshi
37.	श्री एच एल रावल	Shri H L Rawal
38.	श्री वी एच कामत	Shri V H Kamath
39.	श्री पी राजेन्द्र प्रसाद	Shri P Rajendra Prasad
40.	श्री ए के दीक्षित	Shri A K Dixit
41.	श्री एस के भाटिया	Shri S K Bhatia
42.	श्री सतीश कुमार जैन	Shri Satish Kumar Jain
43.	श्री यू ए खांडेकर	Shri U A Khandekar
44.	श्री डी डी मिस्त्री	Shri D D Mistry
45.	श्रीमती हेमलता राजन	Smt Hemlatha Rajan
46.	श्री वी एम काथवटे	Shri V M Kathavate
47.	श्री एम के डोंगरे	Shri M K Dongre
48.	श्री एम के जयदेवन	Shri M K Jayadevan
49.	श्री ए के भट्टाचार्जी	Shri A K Bhattacharjee
50.	श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma
51.	श्री आर नेलियप्पन	Shri R Nellaiappan
52.	श्रीमती एल एम पै	Smt L M Pai
53.	श्री पी के साहा	Shri P K Saha
54.	श्री एस के परीडा	Shri S K Parida
55.	श्री डी शिवगुरु	Shri D Sivaguru
56.	श्री जे डी इलियास	Shri J D Elias
57.	श्री पी एस अनंतनारायणन	Shri P S Ananthanarayanan
58.	श्री एच एन सक्सेना	Shri H N Saxena
59.	श्री टी एस स्वामी	Shri T S Swamy
60.	श्री आर आर मोहंती	Shri R R Mohanty
61.	श्री एस एस बिम्भ	Shri S S Bimbh
62.	श्री एस एस खोत	Shri S S Khot
63.	श्री वी के एन जैन	Shri V K N Jain
64.	श्री ए के श्रीवास्तव	Shri A K Srivastava
65.	श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan
66.	श्री केशव बैजल	Shri Keshav Baijal
67.	श्री वी के जैन	Shri V K Jain
68.	श्री जे के गोयल	Shri J K Goyal
69.	श्री आर पी बेरी	Shri R P Berry
70.	श्री आर पी वायकुल	Shri R P Waykul
71.	श्री वी पी उसारिया	Shri V P Usharia
72.	श्री एस एम नेरकर	Shri S M Nerkar
73.	श्री बी एस नागेन्द्र नाथ	Shri B S Nagendranath
74.	श्री वी वी शेनॉय	Shri V V Shenoy
75.	श्री एस एन कौशिक	Shri S N Kaushik
76.	श्री डी के सूद	Shri D K Sood
77.	श्री एस के डे	Shri S K De
78.	श्री सी आर पात्रा	Shri C R Patra
79.	श्री आई ए खान	Shri I A Khan
80.	श्री के पी आचार्य	Shri K P Acharya
81.	श्री ए कृष्णास्वामी	Shri A Krishnaswamy
82.	श्री एस के महापात्रा	Shri S K Mohapatra
83.	श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma
84.	श्री डी ए कामत	Shri D A Kamath
85.	श्री ए के सिंह	Shri A K Singh
86.	श्री के एल राजू	Shri K L Raju
87.	श्री डी सी चौहान	Shri D C Chauhan
88.	श्री आर के कश्यप	Shri R K Kashyap
89.	श्री आर रामनाथन	Shri R Ramanathan

वर्ष 2013-14 की प्रमुख बातें

- 31मार्च 2014 को बैंक का कुल कारोबार 11.84 % वृद्धि के साथ ₹ 532007 करोड़.
- 31मार्च 2014 को बैंक की कुल जमाराशियां 12.86 % वृद्धि के साथ ₹ 297675 करोड़.
- 31 मार्च 2014 को बैंक के कुल अग्रिम 10.58% की वृद्धि के साथ ₹ 234332 करोड़.
- मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये परिचालन लाभ ₹ 5218 करोड़.
- कोर फीस आय ₹1421 करोड़ से बढ़कर ₹1635 करोड़.
- शुद्ध ब्याज आय ₹ 7543 करोड़ से बढ़कर ₹ 7879 करोड़.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (अर्जक आस्तियों पर) 2.56%.
- 31 मार्च 2014 को बासल - II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9.0% की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 11.89%.
- 31 मार्च 2014 को बासल - III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9.0% की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 10.80%.
- 31 मार्च,2014 को प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹ 269.37.
- प्रस्तावित लाभांश 40%.
- 31 मार्च 2014 को संपूर्ण भारत में 3871 शाखाओं एवं 6429 एटीएम का नेटवर्क.

Highlights of 2013-14

- Total Business of ₹ 5,32,007 crore as on 31st March, 2014, an increase of 11.84%.
- Total Deposits of ₹ 2,97,675 crore as on 31st March, 2014, an increase of 12.86%.
- Total Advances of ₹ 2,34,332 crore as on 31st March, 2014, an increase of 10.58%.
- Operating Profit for the year ended March-2014 stands at ₹ 5,218 crore.
- Core Fee Income increased from ₹ 1,421 crore to ₹ 1,635 crore.
- Net Interest Income increased from ₹ 7,543 crore to ₹ 7,879 crore.
- Net Interest Margin (on Earning Assets) at 2.56%.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under BASEL II at 11.89%, as on 31st March, 2014 against the regulatory requirement of 9.0%.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under BASEL III at 10.80%, as on 31st March, 2014 against the regulatory requirement of 9.0%.
- Book Value Per share as on 31st March, 2014 stands at ₹ 269.37.
- Proposed Dividend at 40%.
- Pan India Reach – Network of 3,871 branches and 6,429 ATMs as on 31st March, 2014.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67
6	लागत आय अनुपात	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99
10	वर्षांत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53
13	जमाराशियों की लागत	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39
15	ऋण जमा अनुपात	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89
	टियर -I	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13
	टियर - II	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	कर्मचारी (संख्या)	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806
2	शाखाएं (संख्या)	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ) : कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां : कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम : कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार : औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश : कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ : कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय : कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ : परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात : परिचालन व्यय/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ : सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ : शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ : शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल : शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ : शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
आग्रिमों पर आय : आग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत : जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात : कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात : कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)
जमाराशि अनुपात : कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार : औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ : सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ : शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार : औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ : सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ : शुद्ध लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय : शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर केपिटल से भाग करें
प्रति शेयर बही मूल्य : नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग करें

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, 27 जून, 2014 को प्रात: 11.00 बजे रामा वाटुमल आडिटोरियम,के.सी.कॉलेज, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट,मुंबई-400020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कारोबार

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा एवं लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

विशेष कारोबार

मद क्र. 3

वरीयता के आधार आबंटन के माध्यम से भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करना.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर, संशोधनों सहित या संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रुप में पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया(शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998, समय समय पर यथासंशोधित (विनियमन) भारतीय रिजर्व बैंक,भारत सरकार, सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और/या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों,सहमति,मंजूरी,यदि कोई, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन देने के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों ,निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम तथा आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) के अध्यधीन तथा भारिबैं एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयर धारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे बोर्ड कहा जायेगा जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदान की गयी शक्ति सहित इसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिय बोर्ड द्वारा गठित की गयी/की जाने वाली समिति शामिल है)को प्रदान की जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया

ए) ₹10/- प्रत्येक के 11.10 करोड पीएनसीपीएस(स्थाई गैर-संचयी अधिमानित शेयर) सृजन,प्रस्ताव,निर्गम और आवंटन के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुरुप तथा ₹111 करोड (रुपये एक सौ ग्यारह करोड मात्र) तक ₹192.83 प्रीमियम सहित ₹202.83 के कनवर्जन मूल्य पर ₹10/- प्रत्येक के 5472563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) इक्विटी शेयर अधिमानता के आधार पर भारत सरकार को आवंटित किये जायं.

संकल्प किया कि अधिमानित निर्गम मूल्य की संबंधित तिथि 28 मई,2014 है.

संकल्प किया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया/स्टॉक एक्सचेंज,जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम,आबंटन एंव सूचीयन अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास विहित होगा.

संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे तथा घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश,यदि कोई, के लिये पात्र होंगे.

संकल्प किया कि इस संकल्प को लागू करने के लिये बोर्ड को ऐसे सभी कार्य करने ,जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक,उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयर को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने तथा आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना सभी दस्तावेज एवं कागजात,जिन्हें वह आवश्यक समझे, निष्पादित करने के लिये शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त एवं इसके लिये अधिकृत माना जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया .

संकल्प किया कि इस संकल्प को लागू करने के लिये बोर्ड को इसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या किसी भी कार्यपालक निदेशक अथवा बैंक द्वारा जिस अधिकारी को उचित समझा जाय, को प्रत्यायोजित करने के लिये अधिकृत किया जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया.

मद क्र.4

योग्य संस्थागत निवेश के द्वारा इक्विटी शेयर जारी करना.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर, संशोधनों सहित या संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रुप में पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 (अधिनियम), बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949(बैंकिंग अधिनियम),यूनियन बैंक (शेयर एवं बैठकें)विनियमन,1998 (बैंक का विनियमन),विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999(फेमा), सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(पूंजी का निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियमन,2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अन्तरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किये गये लागू नियमों,विनियमों,दिशानिर्देशों,परिपत्रों एवं स्पष्टीकरण के द्वारा यथासंशोधित और किसी अन्य लागू कानून,नियम एवं विनियम(तात्कालिक रुप से संशोधित या पुन: बनाये गये)के अध्यधीन, स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक के सूचीयन करार,सेबी और/या केन्द्रीय सरकारऔर/या भारिबैं या भारत अथवा बाहर की अन्य संबंधित संस्थाओं की किसी अनुमोदन,सहमति,अनुमति,या मंजूरी जैसा कि अनुमोदन,सहमति,अनुमति,या मंजूरी देते समय उनके द्वारा निर्धारित

शर्तों,निबंधनों एवं संशोधनों के माध्यम से बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे बोर्ड कहा जायगा जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदान की गयी शक्ति सहित इसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिये बोर्ड द्वारा गठित की गयी/की जाने वाली समिति शामिल है) को आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित किये गये अनुसार पाह्य संस्थागत क्रेताओं को आवश्यक संख्या में इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव,निर्गम एवं आबंटन के माध्यम से चाहे वे बैंक के शेयरधारक हों या नहीं, जैसा भी बोर्ड द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय लिया जाय तथा लागू कानून एवं विनियमों के तहत ₹1386/- करोड (रुपये एक हजार तीन सौ छियासी करोड मात्र) उस समय प्रीमियम सहित ऐसे मूल्य पर ऐसे तरीके एवं ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा अपने विवेक से उस समय अन्य श्रेणी के निवेशकों को छोडकर जिस निवेशक को प्रस्ताव,निर्गम,आबंटन किया जाना उपयुक्त समझा जाय, बाजार की प्रचलित दशाओं एवं अन्य संबंधित घटकों तथा जहां आवश्यक हो, लीड मैनेजरों/ अभिगोपकों और/या अन्य परामर्शदाताओं से बोर्ड के विवेकानुसार परामर्श करके प्रदान करने की सहमति दी जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया.

संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे तथा घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश,यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे.

आगे संकल्प किया कि

ए) इक्विटी शेयर या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि बैठक की वह तिथि होगी जिस पर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित इक्विटी शेयर का निर्गम खोलने का निर्णय किया जाता हैया वह समय जो समय-समय पर आईसीडीआर विनियमों के अधीन अनुमत किया जाता है.

बी) आईसीडीआर विनियम के विनियम 85(1)के अनुक्रम में बैंक उक्त आधार मूल्य से अधिकतम पांच प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने के लिये अधिकृत है.

सी) इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर प्रस्तावित निर्गम को अनुमोदन देकर या समय समय पर आईसीडीआर विनियमों के अधीन प्राप्त अनुमति के अनुसार इक्विटी शेयरों का आबंटन कार्य पूरा कर लिया जायेगा.

संकल्प किया कि उक्त विनियमन को प्रभावी करने के लिये बोर्ड को ऐसे सभी कार्य मामले,जिसमें जिस निवेशक को शेयर जारी करके आबंटित किया जाना है,आबंटित किये जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, उसकी श्रेणी भी शामिल है, अंतिम दस्तावेज का फार्म प्रारुप का अनुमोदन सहित,निर्गम मूल्य आगम का जैसा उपयोग अपने विवेकानुसार आवश्यक,उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयर को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने तथा आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना सभी दस्तावेज एवं कागजात,जिन्हें वह आवश्यक समझे, निष्पादित करने के लिये शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त एवं इसके लिये अधिकृत माना जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया गया.

आगे संकल्प किया कि बोर्ड को, जैसा वह आवश्यक समझे,इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव के लिये लीड मैनेजर,विधिक सलाहकार,अभिगोपक,बैंकर्स, परामर्शदाता नियुक्त करने तथा ऐसी एजेन्सी के साथ कमीशन,दलाली, शुल्क या इसी प्रकार और ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करार, ज्ञापन, दस्तावेज इत्यादि को निष्पादित करने तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, ऐसी इक्विटी के सूचीयन के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया.

आगे संकल्प किया कि बोर्ड के निदेशकों की एक समिति गठित करने या अपने सभी अथवा किसी अधिकार को किसी निदेशक(कों)या निदेशकों की समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/कार्यपालक निदेशकों/कम्पनी सचिव/बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त संकल्प को प्रभावी करने तथा ऐसे सभी उपाय करने, इस मामले में उचित संशोधनों या परिवर्तनों को स्वीकार करने तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम तथा आबंटन में किसी भी प्रश्न या कठिनाई का समाधान करने एवं चीजों को स्वीकार के लिए अधिकृत किया जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया गया किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं:

ए) आवश्यकतानुसार प्रारुप/अन्तिम आफर दस्तावेज का अनुमोदन तथा किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों के पास प्रस्तुत करना;

बी) निर्गम मूल्य,आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आवंटन का आधार एवं इक्विटी शेयरों के आवंटन का अनुमोदन;

सी) इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सभी संविदाओं,करारों एवं सभी अन्य दस्तावेजों,विलेखों एवं लिखतों,जैसा भी आवश्यक हो, की सुपुर्दगी एवं निष्पादन का प्रबंध करना;

डी) इस आफर के लिये आवश्यक बैंक खाता खोलना;

ई) लेनदेन के उद्देश्य से अपने विवेकाधिकार में आवश्यक या वांछित ऐसे सभी कार्य,मामले एवं दस्तावेज निष्पादित करना तथा शुल्क का भुगतान करना;

एफ) समुचित प्राधिकारी के साथ ऐसे सभी आवश्यक आवेदन करना तथा इस संबंध में आवश्यक विनियम बनाना;

जी) जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उसमें बैंक के इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध करवाने के लिये आवश्यक आवेदन करना;

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिवारी

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 28 मई, 2014

नोट :

1) **व्याख्यात्मक वृतान्त**

बैठक के विशेष कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृतान्त इसके साथ संलग्न है.

2) **परोक्षी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् शनिवार, 21 जून, 2014 की कार्य-समाप्ति अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् **शनिवार, 21 जून, 2014** की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 2.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

यदि ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परोक्षी फार्म निष्पादित किया गया है तो यह उपरोक्त दस्तावेज के साथ **शनिवार, 21 जून, 2014** की कार्य-समाप्ति या उससे पूर्व उपरोक्त पते पर जमा करा दिये जाने पर ही लागू होगा.

कृपया नोट करें कि समय समय पर संशोधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं किया सकता.

4) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है, शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर परोक्षी या अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

5) **बुक क्लोजर**

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं लाभांश की पात्रता का पता लगाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 21 जून, 2014 से शुक्रवार दिनांक 27 जून, 2014 (दोनों दिन को मिलाकर) तक बंद रहेगा.

6) **लाभांश का भुगतान**

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रुप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 27 जून, 2014 को दर्ज है तथा डिमैट शेयरों के मामलों में, दिनांक 20 जून, 2014 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार हिताधिकारी स्वामित्व के आधार पर ही प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान 8 जुलाई, 2013 को किया जाएगा.

7) **अंतरण**

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अंतरण हेतु भेजा जाना चाहिए.

8) **लाभांश वारंटों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए बैंक खाते के ब्योरे**

बैंक, लाभांश राशि प्रत्यक्ष जमा के माध्यम से यथासंभव यूनियन बैंक खाते/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(एनईसीएस) सुविधा में शेयरधारकों के बैंक खातों में जमा करेगा, अतएव, शेयरधारक, जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में रखते हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपने पते में नवीनतम परिवर्तन और बैंक आधीदेश के ब्योरे (नए खाते, यदि कोई, बैंक का एमआइसीआर और आइएफएससी कोड नंबर सहित) तुरंत सूचित करें ताकि प्रत्यक्ष जमा के जरिए लाभांश राशि तत्काल उनके यूनियन बैंक खाते/एनईसीएस में जमा की जा सके.डीमेट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स से संपर्क करें.

शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रुप में रखते हैं, अपने बैंक आधिदेश के ब्योरे बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को पैरा (ix)में दिए गए पते पर 23 जून 2014 तक या उससे पूर्व प्रेषित करें.

बैंक केवल, इलेक्ट्रानिक रुप में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने की दशा में या भुगतान निदेश असफल हो जाने या बैंकर्स द्वारा निरस्त किए जाने पर ही लाभांश वारंट जारी करेगा. ऐसे मामलों में बैंक ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशक के बैंक खाते के ब्यौरे अनिवार्यत: मुद्रित करेगा.

बैंक ब्यौरे देने हेतु फार्मेट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है और बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

9) **अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है.**

ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने पिछली अवधियों के अपने लाभांश वारंट, यदि कोई हैं, का नकदीकरण नहीं कराया है या लाभांश प्राप्त नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंक शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें. संबंधित क्षतिपूर्ति बांड बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

बैंक कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970) की धारा 10बी के अनुसार 7 वर्ष की अवधि अप्रदत्त या अदावाकृत रहने वाली लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम 1956/2013 की धारा 205 सी/125 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है.

10) पता / बैंक ब्यौरा / बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन :

(क) जिनके पास भौतिक रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते और / या बैंक खाते में यदि कोई परिवर्तन हो तो वे इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन,मरोल
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093

(बी) जिनके पास डीमैट रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

डिमैट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते तथा बैंक मैनडेट / ब्यौरे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी(गियों) को दें.

(11) स्थिति में परिवर्तन की सूचना

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें.

ए. स्थायी निवास हेतु भारत वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि यदि पहले नहीं दिया गया हो.

(12) फोलियो का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों का एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.को प्रेषित करें.

(13) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

शेयरधारकों/ परोक्षीधारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण सभा में अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा नोटिस की प्रतियां साथ लाएं.

(14) लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक अपने लेखों पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार की जा सके. उत्तर केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.

(15) ई-वोटिंग

बैंक की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस में वर्णित प्रस्तावों पर बैंक के सभी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट देने की सुविधा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान करते हुए बैंक को प्रसन्नता हो रही है. सही एवं पारदर्शी रूप में ई-वोटिंग प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रह्मणियन, प्रैक्टिशिंग कम्पनी सचिव को अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री मालती कुमार, प्रैक्टिशिंग कम्पनी सचिव अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री अपर्णा गाडगिल, प्रैक्टिशिंग कम्पनी सचिव को स्क्रूटनाइजर के रूप में नियुक्त किया है. ई- वोटिंग वैकल्पिक है. शेयरधारकों/ लाभार्थियों के ई- वोटिंग अधिकार 23 मई, 2014 को उनके पास विद्यमान इक्विटी शेयरों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे. सदस्यों हेतु ई- वोटिंग के अनुदेश निम्नानुसार हैं.

(ए) शेयरधारकों को ई-मेल प्राप्त होने की स्थिति में

i. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तथा ई-वोटिंग की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-आन कर ईवीएसएन के लिए पहले किसी भी कंपनी का वोट दिया है, तो उस डीमैट खाते के लिए आपके वर्तमान आईडी और पासवर्ड ही प्रयोग होंगे.

ii. ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-आन करें.

iii. अब अपना वोट डालने हेत "शेयरहोल्डर्स" टैब पर क्लिक करें.

iv. अब ड्राप डाउन मेनू पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कंपनी नाम) के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग सेक्वेंश नम्बर "140526002" (ईवीएसएन) को सेलेक्ट करें और सब्मिट पर क्लिक करें.

v. अब संबंधित बाक्स में निम्नलिखित ब्यौरे भरें.

	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	**भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए**
यूजर - आईडी	एनएसडीएल के लिए:- 8 अंकों के डीपी आईडी के बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों का लाभार्थी का आईडी	कंपनी के पास पंजीकृत फोलियों संख्या
पैन नंबर*	ई-वोटिंग के समय सिस्टम द्वारा प्राम्प्ट किये जाने पर आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमरिक पैन नंबर दर्ज करें(डीमैट शेयरधारकों तथा भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू)	
जन्मतिथि #	अपने डीमैट खाते में दर्ज अथवा उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी के रिकार्ड अथवा फोलियो में दर्ज जन्म की तिथि dd/mm/yyyy रूप में दर्ज करें.	
लाभांश बैंक का ब्यौरा #	अपने डीमैट खाते में दर्ज अथवा उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी के रिकार्ड अथवा फोलियो में दर्ज लाभांश बैंक का ब्यौरा दर्ज करें.	

* जिन सदस्यों ने बैंक/ डीपी के पास अपना पैन नंबर अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में डिफाल्ट नंबर: UNIONBK026 का प्रयोग करें.

\# कृपया लॉगिन करने हेतु कोई एक ब्यौरा दर्ज करें.

vi. ये ब्यौरे सही ढंग से भरने के बाद "सब्मिट" को क्लिक करें.

vii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे ईवीएसएन स्क्रीन पर पहुंचेंगे. तथापि डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य "पासवर्ड क्रियेशन" मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड अनिवार्यत: बदलना होगा. नया पासवर्ड न्यूनतम 8 अंकों का होगा, जिसमें एक अपर केस (A-Z), एक लोवर केस (a-z), एक न्यूमरिक वैल्यू (0-9) तथा एक स्पेसल कैरेक्टर (@ # $ %& *) होगा. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारक द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों पर वोट देने, जिनमें वोट देने हेतु उनकी पात्रता है, के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिये ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है. यह स्पष्ट सलाह है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु पूर्ण सावधानी बरतें.

viii. संबंधित ईवीएसएन, जिसपर आप वोट देना चाहते हैं, का चयन करें.

ix. वोटिंग पेज पर आपको प्रस्ताव का ब्यौरा तथा उस ब्यौरे के सापेक्ष हॉ/ नहीं में वोट देने का विकल्प प्राप्त होगा. इच्छानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें. विकल्प हां का अर्थ है कि आप प्रस्ताव पर सहमत हैं तथा नहीं का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं.

x. यदि आप पूरे प्रस्ताव का अवलोकन करना चाहते हैं तो प्रस्ताव फाइल लिंक पर क्लिक करें.

xi. प्रस्ताव, जिस पर आपने वोट देने का निर्णय लिया है, के चयन के बाद सब्मिट बटन को क्लिक करें. इसके बाद एक कंफर्मेशन बाक्स दिखाई देगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं, तो कैंसिल पर क्लिक कर तदनुसार अपने वोट में परिवर्तन करें.

xii. प्रस्ताव पर अपना वोट एक बार कंफर्म कर देने के बाद उसमें किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी.

बी) यदि सदस्यों को वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस भौतिक रूप में प्राप्त होती है [उन सदस्यों के लिए, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डीपी के यहां पंजीकृत नहीं हैं या जो भौतिक प्रति की मांग किये हों.]

वोट करने हेतु कृपया उपर्युक्त क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii) तक सभी निर्देशों का पालन करें.

सी. संस्थागत सदस्य (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोडकर) से अनुरोध है कि https://www.evotingindia.co.in पर लॉग इन करें तथा अपने को पंजीकृत करें; अपने खाते, जिस पर वोट करना चाहते हैं, को उससे लिंक करें तथा अपना वोट डालें. स्क्रूटनाइजर द्वारा वोट के सत्यापन हेतु बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति पीडीएफ में अपलोड करें.

डी. वोट करने की अवधि शनिवार दिनांक 21.06.2014 को प्रात: 10.00 बजे प्रारम्भ होकर सोमवार दिनांक 23.06.2014 को शाम 5.00 बजे तक होगी. कट ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) दिनांक 23.05.2014 को बैंक के शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में रखने वाले सभी शेयरधारक इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग कर सकते हैं. इसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोट करने हेतु ई-वोटिंग मॉड्यल बंद कर दिया जायेगा. शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट एक बार डाल दिये जाने के बाद उसमें किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं होगी.

ई. ई-वोटिंग के विषय में किसी प्रकार की पूछताछ या जानकारी के लिए आप "फ्रेक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स" का अवलोकन कर सकते हैं और www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं या फिर helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करें.

एफ. ई-वोटिंग का लिंक बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी है.

16) बैठक के समय मतदान

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष द्वारा दोनों ही मदों के संबंध में मतदान करने के आदेश दिये जायेंगे. मतदान का संचालन तथा पर्यवेक्षण इस हेतु बैंक द्वारा नियुक्त किये गये स्क्रूटनाइजर द्वारा किया जायेगा. मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष द्वारा बैठक के समापन की घोषणा की जा सकती है. ई-वोटिंग के परिणामों सहित इस मतदान के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर घोषित किये जायेंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किये जायेंगे.

स्पष्टीकरण विवरण

मद सं. 3

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2009 के तहत स्पष्टीकरण विवरण एवं प्रकटन ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है.

ए) अधिमान निर्गम का उद्देश्य

₹111 करोड़ के पीएनसीपीसी को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने हेतु शेयरधारकों की अनुमति दिनांक 14.12.2013 को सम्पन्न शेयरधारकों की असाधारण बैठक में प्राप्त कर ली गई थी. लेकिन इस मामले में सरकार के अंतिम अनुमोदन की अपेक्षा के कारण इसे अभी तक परिवर्तित नहीं किया जा सका है. दिनांक 14.12.2013 को हुई असाधारण बैठक में प्राप्त अनुमोदन के बाद काफी समय बीत जाने के कारण मूल्यों में हुए परिवर्तन को देखते हुए कोर इक्विटी टीयर-1 पूंजी की और सुदृढ़ता हेतु पीएनसीपीसी को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने के लिए शेयरधारकों का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाता है.

₹111 करोड़ की सम्पूर्ण प्रस्तावित इक्विटी पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने हेतु किया जायेगा. यह ₹111 करोड़ का पूरा अधिमान निर्गम भारत सरकार द्वारा लिया जायेगा. निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर अधिनियम के नियम 76(1) के अनुसार किया जायेगा. 28 मई, 2014 को मूल्य निर्धारण की तिथि मानते हुए इस प्रकार निर्धारित मूल्य ₹202.83 है.

बी) निर्गम के पूर्व एवं उसके बाद शेयरधारिता पैटर्न

क्र.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	आवंटित किये जाने वाले शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
ए	प्रवर्तकों की धारिता				
1	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	378971753	60.13	384444316	60.47
	विदेशी प्रवर्तक				
2	कंसर्ट में कार्यरत व्यक्ति				
	उप योग	**378971753**	**60.13**	**384444316**	**60.47**
बी	गैर- प्रवर्तक शेयरधारिता				
3	संस्थागत निवेशक				
ए	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	34500269	5.47	34500269	5.43
बी	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केन्द्र/ राज्य सरकार की संस्थाएं/ गैर सरकारी संस्थाएं)	68953213	10.94	68953213	10.85
सी	एफआईआई	60989670	9.68	60989670	9.59
	उप योग	**164443152**	**26.09**	**164443152**	**25.87**
4	अन्य				
ए	निजी कार्पोरेट निकाय	32568992	5.17	32568992	5.12
बी	भारतीय नागरिक	53666177	8.51	53666177	8.44
सी	एनआरआई/ ओसीबी	656199	0.10	656199	0.10
डी	अन्य कोई				
	उप योग	**86891368**	**13.78**	**86891368**	**13.66**
	सकल योग	**630306273**	**100.00**	**635778836**	**100.00**

सी. सेबी आईसीडीआर अधिनियम में वर्णित नियत समय सीमा के अंदर है निर्गम प्रक्रिया पूरी करने हेतु बैंक प्रयासरत.

डी. चूंकि पूरा अधिमान निर्गम बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक एवं प्रवर्तक, भारत सरकार को जारी किया जाना है. अत: नियंत्रण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा.

ई. अधिमान आधार पर शेयरों के आवंटन के संबंध में भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गम से पूर्व तथा निर्गम पश्चात निम्नानुसार होगी :

	भारत सरकार	
	शेयरों की संख्या	**पूंजी का अनुपात**
निर्गम पूर्व	378971753	60.13
निर्गम पश्चात	384444316	60.47

एफ. बैंक के शेयर 6 माह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर अधिनियम के नियम 76(3) एवं 78(5) तथा सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम 2009 के नियम 73(1)(एफ) एवं (जी) के तहत प्रकटन के प्रावधान लागू नहीं हैं.

जी. भारत सरकार को जारी एवं आवंटित किये जाने वाले सभी शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 वर्ष के लिए लॉक कर दिये जायेंगे.

एच. भारत सरकार की सम्पूर्ण पूर्व अधिमान शेयरधारिता स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिये ट्रेडिंग अनुमोदन बाद एक नियत तिथि से अगले 6 माह के लिए लॉक कर दिये जायेंगे.

आई. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र, कि यह निर्गम इन अधिनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, साधारण बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा.

जे. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डीमैट रूप में हैं तथा जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए लिस्टिंग एग्रीमेंट में वर्णित इक्विटी शेयरों की सतत लिस्टिंग की शर्तों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जा रहा है.

के. भारत सरकार द्वारा संबंधित तिथि के पूर्व से 6 माह के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर का विक्रय नहीं किया गया है.

एल. भारत के विभिन्न स्टॉक एक्चेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ निष्पादित लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लाज 23 में साथ ही यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा अतिरिक्त शेयरों के आवंटन द्वारा बैंक की निर्गम पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव किया जायेगा, तो ये शेयर अभिदान हेतु सबसे पहले विद्यमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में प्रस्तावित किये जायेंगे, जब तक कि शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा साधारण बैठक में अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को उनके शेयरधारिता अनुपात से इतर बैंक के पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर आवंटित करने का प्रस्ताव है, अत: यह प्रस्ताव पारित किया जाना अपेक्षित है. इसके अतिरिक्त सेबी-आईसीडीआर अधिनियम 2009 के नियम 72 के तहत भी यह आवश्यक है.

एम. बैंक यह वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहां कहीं भी अपेक्षित होगा, बैंक द्वारा इक्विटी शेयरों के मूल्य का पुन: निर्धारण किया जायेगा.

एन. बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुनर्निर्धारण के बाद देय रकम का भुगतान नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूति की लॉकिंग अवधि तब तक जारी रहेगी, जब तक कि आवंटीती द्वारा इसका भुगतान नहीं कर दिया जाता है.

आपके निदेशक इस कार्यसूची की नोटिस में वर्णित विशेष प्रस्ताव को पारित किये जाने की अनुशंसा करते हैं..

बैठक की इस कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है.

मद क्रमांक 4

ए) पात्र संस्थागत निवेश का उद्देश्य

₹ 1,386 करोड़ (रूपये एक हजार तीन सौ छियासी करोड़ मात्र) के क्यूआईपी जारी करने हेतु शेयरधारकों की अनुमति दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न शेयरधारकों की असाधारण बैठक में प्राप्त कर ली गई थी. लेकिन विपरीत बाजारी स्थितियों के कारण इसे अब तक जारी नहीं किया जा सका था. इसकी वर्तमान वैधता अवधि 13 दिसम्बर, 2014 से बढ़ाकर 26 जून, 2015 तक करने के उद्देश्य से शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है.

संसाधनों की प्राप्ति तथा बैंक के भावी विस्तार के लिए पूंजी के सतत प्रवाह की आवश्यकता होती है. तदनुसार पात्र संस्थागत क्रेताओं को पात्र संस्थागत निवेश के जरिये शेयर जारी करने का बैंक का विचार है. यह निर्गम सेबी आईसीडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा.

यह प्रस्ताव है कि पात्र संस्थागत निवेश के जरिये पात्र संस्थागत क्रेताओं से ₹ 1,386 करोड़ (रूपये एक हजार तीन सौ छियासी करोड़ मात्र) प्राप्त किये जाएं. यह प्रस्ताव बैंक को यह अनुमति देता है कि इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर ऐसे समय (समयों) एवं ट्रैंच पर पूंजी की उगाही करे जो बैंक के हित में हो. इस प्रकार प्राप्त पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्ता अनुपात में सुधार तथा बैंक की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जायेगा.

इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाय, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा. इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देने से है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख वहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को जारी करे.

आपके निदेशक इस कार्यसूची की नोटिस में वर्णित विशेष प्रस्ताव को पारित किये जाने की अनुशंसा करते हैं..

बैठक की इस कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है.

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(अरूण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 28 मई, 2014

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2013-14 का "लेखापरीक्षित तुलनपत्र", "लाभ एवं हानि खाता", "नकद प्रवाह विवरण" और "प्रबंधकीय चर्चा व विश्लेषण" पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 95वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एवं कारोबारी दायित्व रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 का एक भाग है.

1. कारोबार

1.1. ग्राहक सेवा बढ़ाने एवं नेटवर्क विस्तारण की ओर ध्यान केन्द्रित करने से आपके बैंक को कुल कारोबार ₹ 5,00,000 करोड़ से भी अधिक करने में सहायता मिली. 11.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए यह मार्च 31, 2014 को ₹ 56,334 करोड़ बढ़कर ₹ 5,32,007 करोड़ हो गया.

1.2. 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ कुल जमा विगत वर्ष की राशि ₹ 2,63,762 करोड़ की तुलना में मार्च 31, 2014 को ₹ 2,97,675 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान, बैंक का फोकस उच्च लागत वाली जमाओं पर नियंत्रण के साथ कम लागत वाले चालू एवं बचत खातों (कासा) को बढ़ाने की ओर रहा. मार्च31,2014 को कुल जमा में कासा का हिस्सा 29.5 प्रतिशत रहा. ऋण संभाग में 10.6 प्रतिशत की दर से वृध्दि के साथ मार्च 31,2013 के ₹ 2,11,911 करोड़ से मार्च 31,2014 को बढ़कर ₹ 2,34,332 करोड़ हो गया. ऋण की प्रगति में प्रमुख रूप से खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों का योगदान रहा. इससे बैंक को एडजेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के 40.4 प्रतिशत के बराबर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिली जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 40.0 प्रतिशत का निर्धारित बेंचमार्क है.

2. राजस्व एवं व्यय

2.1. आपके बैंक की कुल आय 16.2 प्रतिशत दर से विगत वर्ष की ₹ 27,677 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 32,171 करोड़ रही. ब्याज आय 16.8 प्रतिशत बढ़कर ₹ 29,349 करोड़ रही. बैंक की अन्य आय 10.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 2,822 करोड़ रही. अन्य आय के अन्तर्गत, वित्त वर्ष के दौरान कोर फीस आधारित 15.0 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹ 1,635 करोड़ रही.

2.2. ब्याज व्यय 22.1 प्रतिशत बढ़कर विगत वर्ष के ₹ 17,582 करोड़ से मार्च 31,2014 में 21,470 करोड़ हो गये. परिचालन व्यय 21.5 प्रतिशत बढ़े, इस प्रकार कुल व्यय ₹ 26,953 करोड़ रहा.

2.3. वर्ष 2013-14 के लिए आपके बैंक का आय विवरण निम्नानुसार है :

तालिका -1: आय विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	2013-14	2012-13	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
ब्याज आय	29349	25125	4224	16.8
ब्याज व्यय	21470	17582	3888	22.1
शुद्ध ब्याज आय	7879	7543	336	4.5
अन्य आय	2822	2552	270	10.6
जिसमें कोर फीस आधारित आय	1635	1421	214	15.0
कुल आय	32171	27677	4494	16.2
परिचालन व्यय	5483	4512	971	21.5
जिसमें स्थापना व्यय	3308	2755	553	20.1
परिचालन लाभ	5218	5583	-365	-6.5
प्रावधान	3522	3425	97	2.8
शुद्ध लाभ	1696	2158	-462	-21.4
प्रति शेयर आय (₹)	28	39	-11	-28.0

3. स्प्रेड

3.1. मुद्रा स्फीति का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संकुचित मौद्रिक नीति के कारण वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकिंग उद्योग ब्याज के दृढ़ीकरण का गवाह रहा है. दृढ़ तरल परिस्थितियों के साथ बढ़ते हुए ब्याज नीति के परिप्रेक्ष्य में, सावधि ब्याज दर बराबर ऊंची रही है. तथापि, संसाधनों के विवेकपूर्ण आयोजन से, आपका बैंक विगत वर्ष की तरह जमा लागत को 7.4 प्रतिशत पर रोक सका. अग्रिमों पर आय 10.5 प्रतिशत रही. 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्त वर्ष 2013-14 में शुद्ध ब्याज आय ₹ 7,879 करोड़ रही.

3.2. निवेश पर आय वित्त वर्ष 2012-13 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में 7.5 प्रतिशत रहा. बैंक की निधियों पर आय वित्त वर्ष 2012-13 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में 9.0 प्रतिशत रहा.

तालिक -2: स्प्रेड

(प्रतिशत)

मद	2013-14	2012-13
अग्रिम पर आय	10.5	11.1
जमा लागत	7.4	7.4
निधियों पर आय	9.0	9.2
निधियों की लागत	6.5	6.4
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.6	3.0

4. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

4.1. प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के लिए आबंटन वित्त वर्ष 2012-13 के ₹ 3,425 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 3,522 करोड़ किया गया.

4.2. गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान विगत वर्ष के ₹ 1556 करोड़ की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 2,106 करोड़ रहा. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत वर्ष के ₹ 222 करोड़ की तुलना में ₹ 310 करोड़ रहा. नियामक निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान किया गया.

5. लाभप्रदता एवं अनुपात

5.1. बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2013-14 में ₹ 5,218 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2013-14 के लिए शुद्ध लाभ ₹ 1,696 करोड़ रहा.

5.2. इक्विटी पर प्रतिलाभ मार्च 31,2014 में 10.0 प्रतिशत रहा. बैंक की निवल सम्पत्ति विगत वर्ष के ₹15,777 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 16,979 हो गयी. इस प्रकार, प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य वित्त वर्ष 2012-13 के ₹ 264.4 से बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 269.4 हो गया. प्रति शेयर आय विगत वर्ष के ₹ 39 की तुलना में मार्च 31,2014 में ₹28 रहा.

5.3. मार्च 31,2014 को आपके बैंक के मुख्य उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं :

तालिका 3: उत्पादकता अनुपात

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	वार्षिक वृद्धि
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़)	13.8	12.2	13.3%
प्रति शाखा औसत कारोबार(₹ करोड़)	120.2	110.1	9.2%
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख)	5.0	6.8	-26.1%
प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ लाख)	43.8	61.5	-28.7%

6. लाभांश

6.1. बैंक के कुल कार्यनिष्पादन के परिप्रेक्ष्य में और शेयरधारकों को नकद लाभांश से पुरस्कृत करने के उद्देश्य से, भावी प्रगति हेतु स्वस्थ्य पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाये रखने के लिए पूँजी रखते हुए, निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान घोषित 27 प्रतिशत के अन्तरित लाभांश के अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के लिए 13 प्रतिशत का अन्तिम लाभांश की संस्तुति की है. इस प्रकार वर्ष के लिए कुल लाभांश 40 प्रतिशत अर्थात विगत वर्ष में घोषित 80 प्रतिशत इक्विटी शेयर की तुलना में ₹ 4 प्रति इक्विटी शेयर होगा. लाभांश भुगतान अनुपात (लाभांश कर को छोड़कर) विगत वर्ष के 22.1 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत रहेगा.

7. रेटिंग एवं पूँजी संवर्धन

7.1. बैंक की टियर I एवं टियर II पूँजी इंस्ट्रूमेंटस् अंकों के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा समय से वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के संबंध में सुरक्षा के लिए उच्चतम डिग्री पर रेटिंग दी गयी है और इन इंस्ट्रूमेंटस् से ऋण जोखिम न्यूनतम होगी.

तालिका 4: रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	शाश्वत बांड	उच्चतर टियर II बांड	न्यूनतम टियर II बांड	टियर II (बेसल III के अनुक्रम में)
क्रिसिल	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
इकारा	ICRA AA	-	ICRA AA+	-
केयर	CARE AA+	CARE AAA	CARE AAA	-
फिच	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)	-
ब्रिकवर्क	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA	-

7.2. **जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग :** अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बैंक के दीर्घ कालिक क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता पुन: स्थापित किया है, जो देश की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग ग्रेड के बराबर है. एस एण्ड पी की रेटिंग 'BBB-' है जबकि मूडीज़ द्वारा बैंक की रेटिंग 'Baa3' है. इन रेटिंग से यह ज्ञात होता है कि बैंक के पास अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी है.

7.3. **वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूँजी दिया जाना :** आपके बैंक ने प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार को 3,35,12,064 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रति शेयर ₹ 139.20 प्रीमियम पर आबंटित किये हैं. परिणामस्वरूप, बैंक में सरकार की शेयर धारिता 57.9 प्रतिशत से बढ़कर 60.1 प्रति हो गयी है. प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार को किये गये इस निर्गम के कारण, बैंक की इक्विटी पूँजी ₹ 500 करोड़ से बढ़ गयी है. इसी के साथ, बैंक की चुकता पूँजी भी ₹ 597 करोड़ से ₹ 630 करोड़ पहुंच गयी है जबकि ₹ 466.5 करोड़ शेयर प्रीमियम रिजर्व में शामिल किया गया है.

7.4. **बेसल III के अनुक्रम में टियर 2 बांड :** नवम्बर 22, 2013 को, बैंक ने ₹ 2,000 करोड़ के बेसल III के अनुक्रम में असुरक्षित शोधित अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉंड जारी कर पूँजी बढ़ाई. ये बांड 10 वर्ष की अवधि के लिए हैं जिनकी क्रिसिल द्वारा 'AAA/Stable' रेटिंग दी गयी है और 9.8 प्रतिशत का कूपन है.

8. पूँजी पर्याप्तता अनुपात :

8.1. बेसल III मानदंडों के अनुसार, मार्च 31,2014 में पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.8 प्रतिशत रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) पूँजी मार्च 31,2014 को नियामक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक 7.2 प्रतिशत रही. टियर - I, 7.5 प्रतिशत एवं टियर - II, 3.3 प्रतिशत रही .भारत में बेसल III के मानदंड अप्रैल 1, 2013 से प्रभावी हैं और, इसलिए, ये संख्या विगत वर्ष से तुलनायोग्य नही है .

तालिका 5: पूँजी पर्याप्तता अनुपात

	बेसल III
पैरामीटर	**वित्त वर्ष 2013-14**
कुल जोखिम भारित आस्तियां	229207
पूँजी निधि	24751
टियर -I पूँजी	17272
सीएआर-बेसल-III	10.8%
सीईटी I	7.2%
टियर -I	7.5%
टियर -2	3.3%

9. पुरस्कार एवं उपाधियां

9.1. वर्ष के दौरान, आपके बैंक का कार्यनिष्पादन एवं विभिन्न कार्यक्षेत्रों में की गयी पहल के लिए बड़ा सम्मान हुआ एवं विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए.

9.2. चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईसेज द्वारा आपके बैंक को "एमएसएमई बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड -2013" प्रदान किया गया. आपके बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीबीआरटी) के अन्तर्गत विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ. वित्तीय समावेशन परियोजना में नवोन्मेष तकनीक प्रारम्भ करने के लिए आईटी एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ.

9.3. दिल्ली में स्कोच कंस्टलटेंसी द्वारा 33वीं स्कोच समिति के आयोजन के दौरान वित्तीय समावेशन में पहल श्रेणी के अन्तर्गत स्कोच ग्रुप का "आर्डर ऑप मेरिट" पुरस्कार बैंक को प्राप्त हुआ.

9.4. वित्तीय समावेशन एवं भुगतान प्रणाली पर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में आपके बैंक को "फाईनेंनसियल इन्क्लूशन टेक्नोलॉजी इनीशिएटिव" पुरस्कार भी प्राप्त हुआ. बैंक को यह पुरस्कार बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड सिस्टम, एफआई गेटवे एंड सेंट्रलाईज्ड बायोमैट्रिक अथंटिकेशन सिस्टम, आधार आधारित भुगतान सिस्टम, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम, कियोस्क बैंकिंग, आधार धारकों का डेमोग्राफिक वैरीफिकेशन, आधार सीडिंग एवं प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के क्षेत्र में किये गये कार्यों के कारण प्राप्त हुआ है.

9.5. बैंक को "बेस्ट पेमेंट इनीशिएटिव" श्रेणी के अन्तर्गत इंडियन बैंक एसोसियेशन (आईबीए) का टेक्नोलॉजी अवार्ड प्राप्त हुआ. बैंक "बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ दि इयर", "यूज ऑफ मोबाईल टेक्नोलॉजी" एवं "इंटरनेट बैंकिंग " की श्रेणी में इंडियन बैंक एसोसियेशन (आईबीए) के टेक्नोलॉजी अवार्ड का उप-विजेता रहा.

9.6. आपके बैंक ने अपने बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर) पहल जो ग्राहक सेवा में सुधार एवं परिचालन लागत कम करते हुए ग्राहक अनुभव में वृध्दि करती हैं, के लिए ग्रीन आईटी इनीशिएटिव श्रेणी के अन्तर्गत "ई-इंडिया" पुरस्कार भी प्राप्त किया.

10. निदेशक

10.1. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

10.1.1. श्री अरुण तिवारी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (ए) के अन्तर्गत 26 दिसम्बर,2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नामित किया गया जिन्होंने श्री डी. सरकार का स्थान लिया जो 30 नवम्बर,2013 को अपना कार्यकाल समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो गये थे.

10.1.2. श्री राकेश सेठी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (ए) के अन्तर्गत 5 अगस्त 2013 को कार्यपालक निदेशक नामित किया गया.

10.1.3. श्री मोहम्मद मुस्तफा, वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (बी) के अन्तर्गत 30 सितम्बर,2013 को, डॉ अचिंतन भट्टाचार्य के स्थान पर, जो अपनी कार्यवधि पूरी कर 30 सितम्बर, 2013 को सेवानिवृत्त हो गये थे, नान-होलटाईम निदेशक नामित किया गया .

10.1.4. श्री दीपक सिंघल, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर को, श्री चंदन सिन्हा के स्थान पर, भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (सी) के अन्तर्गत 31 मई,2013 से भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया.

10.1.5. श्री जगमोहन शर्मा, श्री बी एम शर्मा के स्थान पर, जिनका कार्यकाल अप्रैल 15,2013 को समाप्त हो गया, को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(जी) के अन्तर्गत दिसम्बर 5, 2013 से सनदी लेखाकार संवर्ग में अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक नामित किया गया..

10.1.6. श्री एस. के. मिश्रा एवं सुश्री अनुसूया शर्मा को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) के अन्तर्गत अप्रैल 11, 2013 एवं मई 06, 2013 क्रमश: से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया.

10.1.7. 31 मार्च,2014 के बाद, श्री बी.एन. भट्टाचार्जी ने मई 03,2014 को अधिकारी नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. साथ ही, श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक, का त्यागपत्र भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांकित अप्रैल 30, 2014 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.

10.1.8. नये निदेशकों का स्वागत करते समय, बोर्ड ने श्री डी. सरकार, डॉ. अचिंतन भट्टाचार्या, श्री चंदन सिंहा, श्री बी.एम. शर्मा, श्री बी.एन. भट्टाचार्जी एवं श्री एन. शंकर द्वारा दी गयी मूल्यवान सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया.

11. निदेशकों का उत्तदायित्व कथन

11.1. मार्च 31,2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाये जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की जाती है :

11.1.1. लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नही किया गया है.

11.1.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति बराबर पालन किया गया.

11.1.3. तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के क्रिया कलापों एवं मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक लाभ के लिए सही व उचित रहें..

11.1.4. भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव में उचित पर्याप्त सावधानी रखी गयी, और

11.1.5.निरन्तर चल रही प्रक्रिया के अनुसार खाते तैयार किये गये हैं.

12. कार्पोरेट गवर्नेंस :

12.1. बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. वर्ष 2013-14 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा की कोई अभ्युक्ति शेष नही है.

13. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

13.1. आपके बैंक ने सुविधाओं की पहुंच से दूर अथवा वंचित रह कर सामाजिक - आर्थिक वंचना का सामना कर रहे लोगों के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कई कदम उठाए हैं.

13.2. बैंक ने पूरे देश में 202 कृषि ज्ञान केन्द्र (वीकेसी) स्थापित किए हैं. विभिन्न विकास एजेंसी/सरकारी विभागों से समन्वय कर प्रत्येक वीकेसी गांव के सम्पूर्ण विकास में सहयोग करती है एवं किसानों को कृषि की नवीनतम विकसित पद्धति, तकनीक, खाद एवं कीटनाशक आदि के उचित उपयोग की जानकारी प्रदान करता है.

13.3. "आदर्श ग्राम योजना" एक यूनिक नवोन्मेष परियोजना हैं जिसके अन्तर्गत बैंक ने पूरे देश में 210 ग्रामों को अंगीकृत किया है. इन अंगीकृत ग्रामों में स्वच्छ पेय जल, सफाई एवं सोलार लेम्प उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती हैं.

13.4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अर्थात 8 मार्च,2014 को बैंक के 14 अग्रणी जिलों में 210 लड़कियों को XII कक्षा तक उनकी शिक्षा पूरी कराने में सहायता के लिए अंगीकृत किया गया एवं महत्वपूर्ण स्थानो पर 994 पेड़ लगाये गये.

13.5. आपके बैंक ने पूरे देश में 14 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संथान (आर-सेटी) एवं 24 वित्तीय साक्षरता व ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) स्थापित किये हैं.इन सुविधाओं के माध्यम से वर्ष के दौरान 1,406 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 38,975 लोग प्रशिक्षित हुए एवं 25,593 लाभार्थियों ने रोजगार स्थापित किया.

13.6. वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने दान के माध्यम से कुल ₹ 17.8 करोड़ व्यय किये. इसमें आपदा प्रभावित राज्यों उत्तराखंड एवं उड़ीसा के मुख्य मंत्री राहत कोष में दिये गये ₹ 2 करोड़ शामिल हैं. बैंक द्वारा स्थापित यूनियन बैंक सोशल फाऊडेंशन, सीएसआर गतिविधियों में प्रसार कर रहा है. ट्रस्ट के माध्यम से, बैंक विभिन्न विकास गतिविधियों के द्वारा लोगों के सशक्तीकरण में लगा हुआ है. वर्ष के दौरान ट्रस्ट को इसकी गतिविधियों के लिएं ₹ 15 करोड़ आबंटित किए गए.

14. आभार

14.1. निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है. बोर्ड अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से,

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 19.05.2014

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ऋण एवं राजस्व घाटा के स्तर में सुधार हेतु उठाये गये कदमों के कारण रोजगारोन्मुखी विकास के अनुकूल संकेत मिलने से वैश्विक गतिविधियों में सुधार हो रहा है. वर्ष 2013 की शुरुआत में वैश्विक प्रगति में तेजी के जो संकेत मिले थे, वे धीरे -धीरे व्यापक होते गये. बैंक एवं वित्तीय संस्थान क्रमश: सुदृढ़ हो रहे हैं, यद्यपि कि तुलन पत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव अभी भी परिलक्षित नही है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों की स्थिरता एवं राजस्व की सुदृढ़ता के कारण निवेशक अब ऋण की निरंतरता के प्रति कम चिंतित हैं. यद्यपि पूर्णत: सुधार में अभी भी एक या दो वर्ष का समय लग सकता है, तथापि प्रमुख केन्द्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को सामान्य करने हेतु अभी से उपाय करने प्रारंभ कर दिये हैं.

1.2. उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, वित्त एवं विश्वास के द्वारा वैश्विक संबद्धता का प्रभाव परिलक्षित होता है. वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में मई 2013 में सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व ने मासिक बांड की खरीद में कमी के संभावित संकेत दे दिये थे, जिसे प्रोत्साहन में "धीमापन" के रुप में जाना जाता है. जोखिम समायोजित प्रतिलाभ के क्षीण हो जाने के कारण उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी के पलायन की स्थिति का सामना करना पड़ा. 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी पेपर पर प्रतिफल में मई, 2013 तथा जुलाई, 2013 की शुरुआत के मध्य 70-100 बेसिस अंकों की वृद्धि हुई. ईएमडीई आस्तियों पर प्रतिलाभ के सापेक्ष यूएस ट्रेजरी पेपर पर प्रतिलाभ का अंतर कम होने से एफआईआई इन बाजारों में शुद्ध विक्रेता की स्थिति में हो गये. उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर जिनका चालू खाता घाटा तथा राजस्व घाटा, दोनों ही अधिक था, को विनिमय दर में तीव्र ह्रास का सामना करना पडा, जिसके कारण नीति निर्माताओं से गैर असहज प्रत्युत्तर मिला. तथापि, फेडरल रिजर्व द्वारा सितम्बर, 2013 में कटौती की प्रक्रिया स्थगित करने से ईएमडीई को भविष्य के संभावित "धीमापन" के प्रति तैयारी करने का कुछ समय मिल गया. जब फेडरल रिजर्व ने दिसम्बर, 2013 में मासिक बांड खरीद की अपनी नीति में वास्तव में कमी की, तो ईएमडीई ने अपने घरेलू मैक्रो में सुधार से उत्साहजनक उपलब्धि हासिल की तथा "धीमेपन" की प्रक्रिया को बाजार द्वारा सकारात्मक रुप में स्वीकार किया गया. इसके अतिरिक्त "धीमापन" की इस प्रक्रिया ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी निरंतर वृद्धि के संकेत दिये. फलस्वरुप, ईएमडीई द्वारा निर्यात की मांग में वृद्धि महसूस की गया. तथापि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति में 2014-15 में जब तक सामान्य स्थिति आयेगी, वित्तीय परिवेश चुनौतीपूर्ण बने रहने की संभावना है.

1.3. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2014-15 में सुधार की वजह से वैश्विक गतिविधियों में और सुधार की आशा है. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक के अपने अप्रैल, 2014 के अंक में वैश्विक उत्पादन में मामूली वृद्धि अर्थात 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है. संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2013 के 1.9 प्रतिशत के स्थान पर 2014 में 2.8 प्रतिशत तथा 2015 में 3 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है. यूरो क्षेत्र मंदीकाल से उबरने की प्रक्रिया में है. वर्ष 2014 में 1.2 प्रतिशत तथा 2015 में 1.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, किन्तु सुधार असंतुलित रहने की संभावना है. वर्ष 2013 के दूसरे भाग में चीन में तीव्र गति से प्रगति हुई है, जो कि प्रमुख रुप से निवेश में तेजी के कारण हुई है. साख की वृद्धि को धीमा करने तथा पूंजी की लागत में वृद्धि करने के नीतिगत उपायों के लक्ष्य के कारण आंशिक रुप से यह प्रवाह अस्थायी रहने की संभावना है. इस प्रकार 2014-15 में चीन में वृद्धि सामान्य रुप से 7.5 प्रतिशत के आस- पास रहने की संभावना है.

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1. वित्तीय वर्ष 2013-14 भारत में प्रगति के लिये एक सामान्य संभावना वाला वर्ष था. केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में दर्ज किये गये 4.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में भारत का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. कृषि एवं सहायक गतिविधि, उद्योग (निर्माण सहित) तथा सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 में दर्ज की गई क्रमश: 1.4 प्रतिशत,1.0 प्रतिशत तथा 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4.6 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत वृद्धि रही. वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी प्रगति का वाहक सेवा क्षेत्र ही बना रहा. सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार क्षेत्र सबसे अधिक मंदी से प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं (पिछले वर्ष की 5.1 प्रतिवर्ष की वृद्धि के मुकाबले 3.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ). वित्तीयन, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा कारोबारी सेवा

एवं समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवा जैसे क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2012-13 के 10.9 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 11.2 प्रतिशत तथा 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी.

चार्ट-1: सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार योगदान

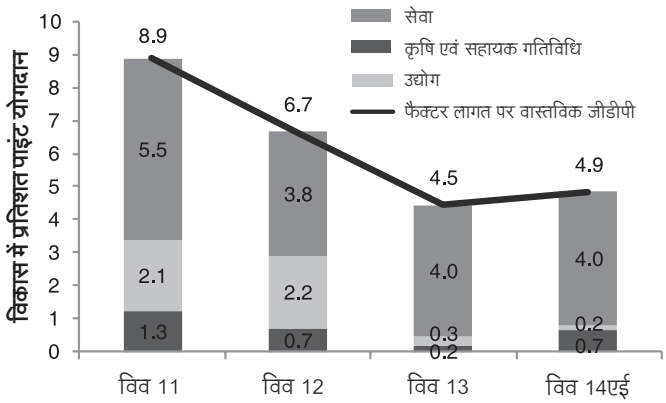

2.2. व्यय आधारित अनुमानों में उपभोग क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में कमी आयी तथा वर्ष 2013-14 में यह कम होकर 4.4 प्रतिशत हो गया. उपभोग में, निजी व्यय एवं सरकारी व्यय में वित्तीय वर्ष 2012-13 के 5.0 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2013-14 में क्रमश: 4.1 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी.इस बीच, निवेश स्थिर रहा. स्वर्ण निर्यात को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों से मूल्यवान क्षेत्रों में संकुचन दिखाई दिया (घटकर 3.6 प्रतिशत हुआ). तथापि, इस अवधि में शुद्ध निर्यात में संकुचन के कारण वाह्य क्षेत्र में वृद्धि हुई.

2.3. मुद्रा स्फीति: अर्थव्यवस्था में कमजोर मांग दशाओं, स्थिर होती मुद्रा, खाद्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में धीमी वृद्धि तथा सामान्य मानसून वर्ष में बेहतर फसल के कारण अर्थव्यवस्था में अवस्फीति विषयक दबाव आया. वित्तीय वर्ष 2013-14 में थोक मूल्य सूचकांक आधरित मुद्रास्फीति की दर 5.7 प्रतिशत थी. तथापि, मूल मुद्रास्फीति की सुदृढता से अर्थव्यवस्था में लागत वृद्धि युक्त कठिन जोखिम की आशंका है. इसी बीच वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गयी खुदरा स्तर की मुद्रास्फीति लगभग 10 प्रतिशत पर टिकी हुई है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में यह 8.4 प्रतिशत के औसत स्तर पर नियंत्रित रही.

चार्ट-2: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में योगदान

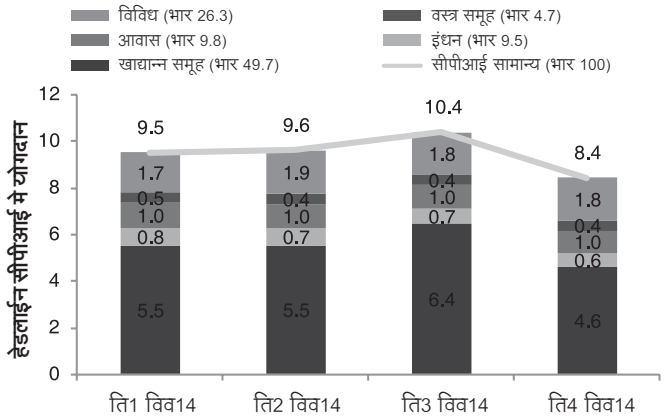

2.4. तरलता की स्थिति: जुलाई-सितम्बर, 2013 में बाजार के परिभ्रमण को छोड़कर, जिसमें रुपये पर सटोरिया आक्रमण को रोकने के लिये भारिबैं द्वारा तरलता को कड़ा करना आवश्यक था, तरलता स्थिति भारिबैं के दृष्टिकोण से घाटे के स्वीकार्य स्तर पर कायम रही. विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा योजना के साथ मीयादी रेपो सुविधा से ऋणों की वृद्धिमान मांग के मुकाबले बैंकों से संसाधन संग्रहण को सुदृढ करने में सहायता मिली. यद्यपि,तरलता की सख्ती से रेपो रेट पर काल रेट स्प्रेड का प्रवाह सकारात्मक रहा, तथापि ओवर नाइट मुद्रा बाजार दरें लक्ष्य सीमा अर्थात् रेपो दर पर +/-1 प्रतिशत स्प्रेड के बीच रहीं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2013-14 की दूसरी छमाही में मीयादी रेपो लागू किये जाने तथा खुले बाजार की क्रियाओं के कारण तरलता का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सका.

चार्ट -3: रेपो दर पर मांग दर स्प्रेड

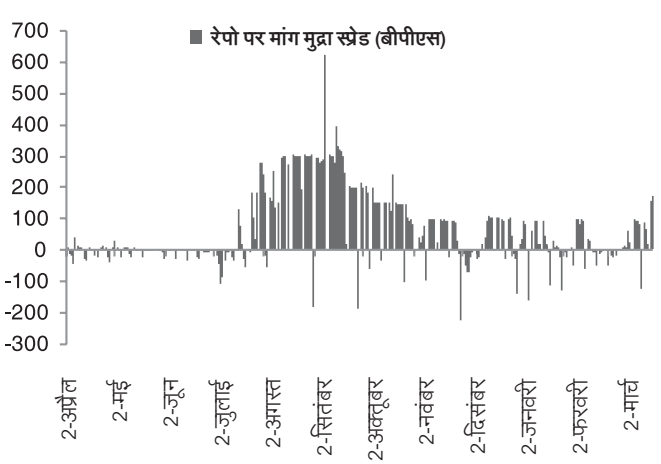

2.5. बैंकिंग समग्र

2.5.1. यथास्थिति 21 मार्च, 2014 को, एम-3 में वार्षिक वृद्धि 13.5 प्रतिशत नोट की गयी. इसी बीच, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा एवं अग्रिमों में क्रमश: 14.6 प्रतिशत तथा 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में 10.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि नोट की गयी. 30 नवम्बर, 2013 तक सीमित भारिबैं की स्वॉप सुविधा से एफसीएनआर जमाराशियों में तीव्र वृद्धि परिलक्षित होती है.

2.5.2. बैंक का गैर-खाद्य ऋण मार्च, 2013 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में यथास्थिति 31 मार्च,2014 को बढकर 14.3 प्रतिशत हो गया. मार्च, 2014 में कृषि एवं सहायक गतिविधियों को ऋण में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उद्योग ऋण में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई. खनन एवं खदान उद्योग,टेक्सटाइल,लकडी एवं लकडी उत्पाद,पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद, रसायन एवं रसायन उत्पाद, ग्लास तथा ग्लासवेयर,सीमेन्ट एवं सीमेन्ट उत्पाद,आधारभूत धातु,इंजिनियरिंग,रत्न एवं आभूषण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऋण वृद्धि में कमी आयी.मार्च-2014 में सेवा क्षेत्र को ऋण में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई. मार्च,2014 में व्यक्तिगत ऋणों में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

चार्ट-4: बैंकिंग समग्र - वार्षिक वृद्धि

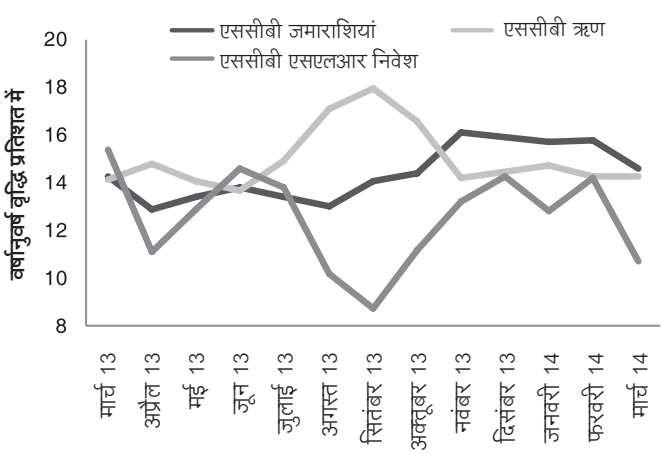

2.6. बाह्य क्षेत्र

2.6.1. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पण्य निर्यात 312.4 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 4.0 प्रतिशत अधिक रहा. इस बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले आयात 8.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ 450.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहा. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तेल का आयात 167.6 बिलियन अमेरिकी डालर रहा, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है.सरकार द्वारा किये गये नीतिगत उपायों के कारण स्वर्ण एवं रजत का आयात 33.4 बिलियन अमेरिकी डालर रहा जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्तर से 22.4 बिलियन अमेरिकन डालर कम था. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये व्यापार घाटा 138.6 बिलियन अमेरिकी डालर था जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के व्यापार घाटे 190.3 बिलियन अमेरिकी डालर से कम था.

चार्ट-5: व्यापार वृद्धि

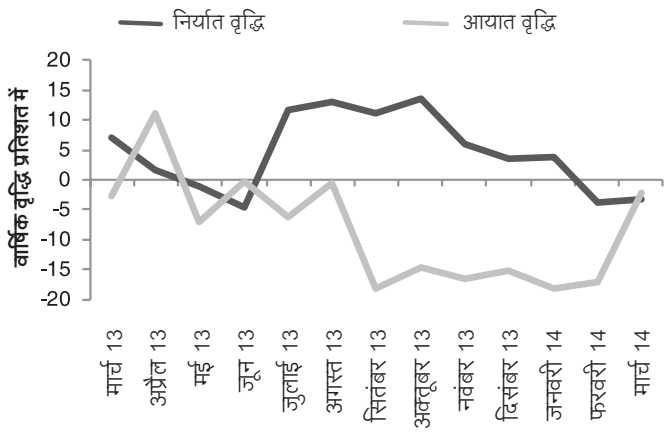

2.6.2. भारत के 8 माह तक बढते आयात के फॉरेक्स कवर तथा एक वर्ष पूर्व देखे गये सीएडी के आधे स्तर के अनुसार, भारतीय मुद्रा अधिक स्थिर तथा पूर्वानुमान योग्य हो गयी है. अमरीकी डालर के सापेक्ष रुपया 28 अगस्त, 2013 को 10.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹ 68.85 प्रति अमरीकी डालर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर रहा जो सुधरकर 31 मार्च, 2014 को ₹ 60.10 प्रति अमरीकी डालर था.

2.7. बाजार

2.7.1. आम चुनाव 2014 के स्पष्ट और स्थिर राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए निवेशकों के आत्मविश्वास में हुई वृद्धि के कारण बाजार मे तेजी आयी है. विदेशी और राजकोषीय शेष में हुए सुधार के कारण बैंक के बारे में लोगों के विचार अच्छे हुए हैं. वित्त वर्ष 2013- 14 के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमश: 18.8 प्रतिशत और 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. क्षेत्रवार इंडेक्स और बैंक इंडेक्स पिछले वर्ष के स्तर से 3.8 प्रतिशत अधिक रहा. तथापि वित्त वर्ष 2013-14 में कमोडिटी बेंचमार्क और एमसीएक्स कमोडिटी इंडेक्स में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. यद्यपि घरेलू वसूली धीमी और क्रमिक रही तथापि सुदृढ़ वैश्विक स्थिति

के कारण भारतीय बाजार को लाभ हुआ. दो माह की अवधि में यथा फरवरी- मार्च 2014 में बाजार में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस बीच बैंकिंग क्षेत्र के स्टाक में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 5.4 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है.

चार्ट - 6 : बाजार का कार्यनिष्पादन

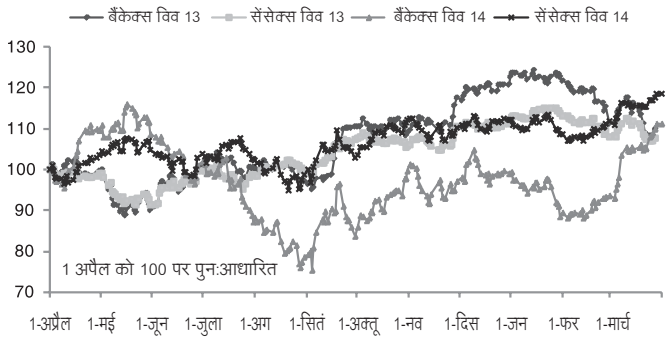

बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण

3. **नई पहल** : आपके बैंक ने ग्राहक सेवा उत्कृष्टता में अग्रणी रिटेल बैंक के रूप में उभरने का लक्ष्य रखा है. वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक वरीयता को ध्यान में रखते हुए विविध पहलें की हैं.

3.1 संपूर्ण परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आपके बैंक ने यूनियन परिवार योजना प्रारंभ की है. इसमें खातों के समूहीकरण से ग्राहकों को व्यक्तिगत उत्पाद चुनने और बैंक के साथ गहरे संबंध रखने का लाभ प्राप्त होगा.

3.2 मार्च 2014 में माइक्रो उद्यमियों के लिए यूनियन प्रोग्रेस नाम का एक नया उत्पाद प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्राहक को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है. उत्पाद के मार्जिन की थ्रेशहोल्ड सीमा 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की रेंज में है. इस योजना के तहत सभी पात्र मामले सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत अनिवार्यत: कवर किये जाते है. इस गारंटी योजना के तहत हमारा जो उधारकर्ता कवर है, उससे संबंधित सीजीटीएमएसई को देय पूरी गारंटी फी (1 प्रतिशत) बैंक वहन करता है. ₹10 लाख तक की ऋण सीमा पर कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं लगाया जाता है, तथापि ₹ 10 लाख से अधिक की ऋण सीमा हेतु नाममात्र ₹1000 प्रोसेसिंग फी देय है.

3.3 वर्ष के दौरान, बैंक ने केन्द्र सरकार के सभी पेंशनों का संवितरण केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्रों के तहत किया. टेलिकॉम, रेलवे और पोस्टल पेंशन का संवितरण केन्द्रीकृत किया गया है. संवितरण की केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत अब बैंक के पास 90,000 पेंशन खाते हैं.

3.4 बैंकिंग रहित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने हेतु बैंक ने मोबाईल वैन बैंकिंग की संकल्पना प्रारंभ की है. विविध राज्यों में 20 मोबाईल वैन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सुदूर गांवों के लोग अपने दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकें.

3.5 आपके बैंक ने विविध स्थानों पर किऑस्क बैंकिंग प्रारंभ करने हेतु सीएससी ई- गवर्नेंस इंडिया लि. के साथ करार किया है. इस योजना के तहत यह किऑस्क जो पहले राज्य/ केन्द्र सरकार की सेवाएं जैसे- बिजली बिल भुगतान, संपत्ति कर भुगतान, जन्म / मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना, भूमि/ राजस्व रिकार्ड उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं गांवो में प्रदान कर रहा है, वह खाता खोलने, खातों में जमा / निकासी और अन्य मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं भी मुहैया कराएगा. प्रायोगिक आधार पर यह योजना आंध्र प्रदेश और केरल में प्रारंभ की गयी है और शीघ्र ही अन्य केन्दों पर प्रारंभ की जाएगी.

3.6 ग्राहकों की शिकायतों का केन्द्रित तरीके से निवारण करने हेतु बैंक ने आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की है. इस पद का सृजन करने का उद्देश्य शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना और शिकायतों को बैंकिंग ओम्बडसमैन तक जाने से रोकना है. आंतरिक ओम्बडसमैन का कार्य अगस्त 2013 से प्रारंभ हो गया है.

3.7 आपके बैंक ने मे.एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायता से ओरॅकल के फायनानशियल सर्विसेस एनेलिटिकल एप्लिकेशन (ओएफएसएए) के निधि अंतरण प्राइजिंग और लाभप्रदता प्रबंधन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. भारत में ओएफएसएए के ओरॅकल 5.6 वर्जन का यह पहला क्रियान्वयन है. अप्रैल 2013 से बैंक ने वर्तमान ग्रॉस बेसिक अवधारणा से मैच्ड निधि अंतरण प्राइजिंग प्रणाली नामक अधिक मजबूत और वैज्ञानिक अंतरण प्राइजिंग प्रणाली अपनायी है, जिसमें सभी आस्तियों के लिए एक रेट निर्धारित किया गया है और सभी देयताओं के लिए दूसरा रेट निर्धारित किया गया है. इस नई प्रणाली से अवधि, पुन: प्राइजिंग और नकदी प्रवाह लक्षण के आधार पर सभी आस्तियों और देयताओं की खातावार अंतरण प्राइजिंग में सहायता मिलेगी तथा केन्द्रीय निधियन इकाई स्तर पर ब्याज दर जोखिम का केन्द्रीकरण संभव होगा. मैच्ड निधि

अंतरण प्राइजिंग प्रणाली ब्याज दर जोखिम और मार्जिन के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगी.

4. **संसाधनों का प्रबंधन :** बैंक की वैश्विक जमाराशि 31 मार्च, 2013 के ₹ 2,63,762 करोड की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2014 को ₹ 2,97,675 करोड हो गई. इस प्रकार यह वृद्धि ₹ 33,913 करोड रही. कासा संविभाग 31 मार्च, 2013 के ₹ 81,635 करोड की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2014 को ₹ 87,801 करोड रहा, जो रू. 6166 करोड़ अधिक है. कुल जमाराशि में कासा का शेयर 29.5 प्रतिशत रहा.

सारिणी - 6 : संसाधन संग्रहण

(₹ करोड)

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
सकल जमाराशियां	297675	263762	33913	12.9
कासा जमाराशियां	87801	81635	6166	7.6
मियादी जमाराशियां	209874	182127	27747	15.2

5. **ऋण प्रबंधन** : बैंक का सकल अग्रिम, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 10.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 को ₹ 2,34,332 करोड तक बढ गया. आरएएम(खुदरा, कृषि और एमएसएमई) क्षेत्रों में बैंक ने अपना ध्यान केन्द्रित किया, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में स्थिर और निरंतर वृद्धि के साथ साथ रोजगार, निर्यात और समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है. 31 मार्च,2014 को घरेलू अग्रिम में इन क्षेत्रों का योगदान 44.3 प्रतिशत रहा जो 31 मार्च, 2013 के 37.4 प्रतिशत से अधिक रहा.

सारिणी - 7 : अग्रिम

(₹ करोड)

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
सकल अग्रिम	234332	211911	22421	10.6
खुदरा अग्रिम	24931	19560	5371	27.5
कृषि अग्रिम	25614	20224	5390	26.7
एमएसएमई अग्रिम	45372	34699	10673	30.8
मिड लार्ज कार्पोरेट अग्रिम	113976	110002	3974	3.6

6. **खुदरा अग्रिम**

6.1 बैंक का खुदरा अग्रिम 27.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2013 के ₹ 19,560 करोड से बढकर 31 मार्च,2014 को ₹ 24,931 करोड हो गया. घरेलू अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा 31 मार्च, 2013 के 9.8 प्रतिशत से बढकर 31 मार्च, 2014 को 11.5 प्रतिशत हो गया.

सारिणी - 8 : रिटेल अग्रिम

(₹ करोड)

योजनाएं	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
गृह निर्माण ऋण	15424	12366	3058	24.7
आटो ऋण	2199	1704	495	29.0
शिक्षा ऋण	2219	2046	173	8.5
बंधक ऋण	3732	2335	1397	59.8
अन्य	1357	1109	248	22.4
कुल खुदरा ऋण	24931	19560	5371	27.5

6.2 बैंक की यूनियन पर्सनल (वैयक्तिक ऋण) और यूनियन मॉर्टगेज (प्रॉपर्टी के पेटे ऋण) योजनाओं के मूल्य निर्धारण सहित प्रमुख पैरामीटरों में आशोधन किया गया है. यूनियन होम योजना के तहत मूल्य निर्धारण के ढांचे में भी संशोधन किया गया है. वर्तमान में प्रत्येक योजना के तहत आकर्षक निबंधनों और शर्तों पर ऋण उपलब्ध है. बैंक ने इलाहाबाद, आगरा, हलद्वानी और तिरुपति में 4 नये यूनियन लोन पॉइंट, विशेष खुदरा ऋण वाली शाखाएं खोली हैं. अब देश में कुल 61 यूएलपी हो गये हैं.

7. **कृषि**

7.1 बैंक के लिए कृषि ऋण एक प्रमुख क्षेत्र रहा है. बैंक ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे पोल्ट्री, गन्ना, तंबाकू उत्पादकों, ग्रीन हाऊस आदि के तहत वित्तपोषण करने हेतु क्षेत्र विशेष के लिए योजनाएं तैयार की हैं. साथ ही यूनियन कृषि सेवा योजना, कृषि मशीनरी औजार के डीलरों को वित्तपोषण हेतु योजना, कपास ओटने वालों (गिन्नर) के लिए, ग्रामीण गोदाम निर्माण जैसी मूल्य वर्धित योजनाएं पुन: प्रारंभ की हैं. कृषि अग्रिमों में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,390 करोड की वृद्धि हुई. 31 मार्च, 2014 को बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 25,614 करोड रहा जिसके तहत 18.1 लाख उधारकर्ताओं को कवर किया गया. कृषि अग्रिमों में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम का शेयर प्रमुख रहा, प्रत्यक्ष

कृषि अग्रिमों में 29.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक में 2.5 लाख नए किसान जुडे और रु. 2,636 करोड़ की ऋण सुविधा के साथ 1.9 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गये. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के तहत कुल ₹ 16,548 करोड का संवितरण किया गया जो वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में 12.0 प्रतिशत अधिक है.

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

8.1 एमएसएमई निरन्तर हमारा फोकस क्षेत्र रहा है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने एमएसएमई के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए तैयार किए गये उत्पादों के लिए इस क्षेत्र के ग्राहकों को निर्धारित समय में, बिना परेशानी के, उचित दर पर ऋण प्रदान किया. एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक का देशभर में बडा नेटवर्क है, इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए आपके बैंक के पास एमएसएमई ऋण प्रदान करने हेतु 700 समर्पित कारोबार बैकिंग शाखाएं हैं और एमएसएमई ऋणों के शीघ्र मूल्यांकन और मंजूरी हेतु 20 सरल (केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र) हैं. ये कारोबार बैकिंग शाखाएं और सरल देश के एमएसएमई कारोबार की दृष्टि से संभावना वाले केन्द्रों में स्थापित किए गये हैं, ताकि एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों में तेजी आए और ऋणों की मंजूरी पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके, जो एमएसएमई की वृद्धि के लिए आवश्यक है. बेहतर ऋण मूल्यांकन, कम से कम समय में निपटान सुनिश्चित करने और सूक्ष्म तथा लघु अग्रिमों (एमएसएमई) के प्रमुख सेगमेंट पर फोकस करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने कारोबार बैंकिंग शाखाओं की संख्या 350 से बढ़ाकर 700 और सरल की संख्या 19 से 20 कर दी है. परिणामस्वरूप बैंक का एमएसएमई संविभाग वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर 30.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 45,372 करोड तक बढ गया. बैंक के घरेलू अग्रिम में एमएसएमई का हिस्सा 20.9 प्रतिशत रहा.

8.2 **सूक्ष्म और लघु उद्यम** : कुल एमएमएमई संविभाग का 72 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यम का है. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने एमएसई अग्रिमों की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट तक कमी की गई है. आपके बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, सूक्ष्म उद्यमों के खातों को कैनवास करने हेतु देश की सभी शाखाओं में बडे ऋण अभियानों का भी आयोजन किया. सीजीटीएमएसई के तहत एमएसई ऋणों के कवरेज पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना में 14,000 से अधिक एमएसई ऋणों को कवर किया. युनाईटेड नेशन औद्योगिक विकास संगठन और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पहचान किए गये 388 एसएमई समूह में आपके बैंक की उपस्थिति 387 समूह में है. बीमार इकाइयों की समय पर पहचान और अनुश्रवण करने तथा बीमार परंतु व्यवहार्य इकाइयों का आवश्यक पुनर्वास करने हेतु बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एमएसई पुनर्वास कक्ष की स्थापना की गयी है. इसके अलावा रु.100 करोड़ से 500 करोड़ तक के कार्पोरेट से नया कारोबार प्राप्त करने के लिए देश के बड़े केन्द्रों पर 21 नई मिड कार्पोरेट शाखाएं 31 मार्च, 2014 तक खोली गई हैं. एमएसई संविभाग 31 मार्च, 2014 को 33.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 32622 करोड़ हो गया.

9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

9.1 मई 15,2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संवर्ग के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष कृषि के भाग के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में कमी के कारण नाबार्ड में स्थित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) एवं कुछ अन्य निधियों में रखी जमा को बकाया जमा राशि में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है. विगत 31 मार्च को नाबार्ड की उक्त निधि के अन्तर्गत बकाया जमाराशि एडजेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का भाग होगी. ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2014 से प्रभावी हैं. इस प्रकार यहां दिखाई दे रही संख्या को तदनुसार समायोजित किया गया है.

9.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 40.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 को ₹ 79,869 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 40.4 प्रतिशत है.

तालिका 9 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

(₹ करोड़)

योजनाएं	2013-14	2012-13	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
एडजेस्टेट नेट बैंक * क्रेडिट	197646	163636	34010	20.8
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *	79869	56809	23060	40.6
एएनबीसी से %	40.4	34.7	569 बीपीएस	
कृषि *	28769	20224	8545	42.3
एएनबीसी से %	14.6	12.4	220 बीपीएस	
प्रत्यक्ष कृषि	19875	15395	4480	29.1
एएनबीसी से %	10.1	9.4	65 bps	

*नोट: *2013-14 के अंकों में मई 15,2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार, आरआईडीएफ एवं अन्य निधियों के तहत पात्र बकाया जमाराशि सम्मिलित हैं. इस प्रकार ये अंक 2012-13 से बिल्कुल भी तुलनायोग्य नही हैं.*

9.3 **कमजोर वर्ग:** कमजोर वर्ग को बैंक वित्त में वृद्धि के साथ यह ₹ 15,023 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,334 करोड़ हो गया. यह 35.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए एएनबीसी के 10 प्रतिशत बेंचमार्क के पेटे 10.3 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है.

9.4 **महिला लाभार्थी :** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए, बैंक महिलाओं को ऋण प्रदान कर रहा है. बैंक ने 7.7 लाख महिला लाभार्थियों को वित्तीयन किया है एवं महिला लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 9,053 करोड़ से बढ़ कर ₹ 11,657 करोड़ हो गया, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी के 5 के प्रतिशत के बेंचमार्क के सापेक्ष 5.9 है.

9.5 **अल्पसंख्यक समुदाय :** अल्प संख्यकों के कल्याण के भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक अल्प संख्यक समुदाय को वित्तपोषण कर रहा है. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान , बैंक ने 86,118 अल्प संख्यक समुदाय के ऋणियों को ₹ 2,991 करोड़ का वित्तीयन किया है. 56.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए अल्प संख्यक समुदाय हेतु कुल बकाया ₹ 8,280 करोड़ रहा .

10. कार्पोरेट ऋण

10.1 बैंक के मध्यम एवं लार्ज कारर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो में अच्छा विविधीकरण है. कार्पोरेट पूरे भारत में शाखाओं से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, बैंक की 9 समर्पित आईएफबी (औद्योगित वित्त शाखाएं) महत्वपूर्ण केन्द्रों जैसे मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे एवं बैंगलोर में हैं. 9 आईएफबी का अग्रिम पोर्टफोलियो बैंक के कुल मध्यम एवं लार्ज कार्पोरेट ऋणों का 60 प्रतिशत है. यह आईएफबी केन्द्रीय कार्यालय के लार्ज कारर्पोरेट वर्टिकल को सीधे रिपोर्ट करती हैं. कार्पोरेट ग्राहकों के प्रस्तावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने, उद्योग विशेष के अनुसार विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने एवं कारपोरेट रिलेशनशिप मैनेजर (सीआरएम) मॉडल प्रारम्भ करने के लिए लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल का प्रारंभ किया गया था. ऋण प्रस्तावों को लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल के संबंधित उद्योग डेस्क पर प्रोसेस किया जाता है, उद्योग/क्षेत्र के अवसरों को लेने/अवसरों को बढ़ाने हेतु शाखाओं को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न सेक्टरों पर उद्योग रिपोर्ट तैयार की जाती है.

तालिका 10: मध्यम एवं लार्ज कार्पोरेट अग्रिम

(₹ करोड)

विवरण	2013-14	2012-13	वृद्धि	
			वास्तविक	%
मध्यम एवं लार्ज कार्पोरेट अग्रिम	113976	110002	3974	3.6
जिसमें 9 आईएफबी अग्रिम	73496	71121	2375	3.3

11. ट्रेज़री

11.1 ट्रेज़री अनुभाग में घरेलू ट्रेज़री कार्य, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य, स्थायी आय, डेरीवेटिव उत्पाद, इक्विटी एवं अन्य प्रकार की वैकल्पिक सम्पत्ति संबंधी कार्य होते हैं. नवीनतम डीलिंग रूम के साथ सुसज्जित ट्रेज़री पूरे भारत में फैले हुए अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की ट्रेज़री सुविधाएं देती है.

11.2 बैंक का सकल निवेश पोर्टफोलियो 16.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर मार्च,2013 के ₹ 81,189 करोड़ के सापेक्ष मार्च, 2014 को ₹ 94,169 करोड़ रहा. निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गये निवेश,राज्य विकास ऋण और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं इक्विटी शेयर, कार्पोरेट डिबेंचर, पीएसयू बॉड, वाणिज्यिक पेपर्स, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश का समावेशन है.

11.3 निवेश पर औसत आय मार्च,2013 के 7.4 प्रतिशत के पेटे मार्च, 2014 में 7.5 प्रतिशत थी. प्रतिभूतियों के ब्याज से औसत आय विगत वर्ष के 7.7 प्रतिशत के सापेक्ष मार्च, 2014 को 7.9 प्रतिशत थी. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, निवेश के विक्रय एवं विनिमय की आय पर ट्रेजरी का लाभ क्रमश: ₹ 486 करोड़ एवं ₹ 461 करोड़ रहा.

12. घरेलू विदेशी कारोबार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग

12.1 **घरेलू कारोबार :** निर्यात ऋण 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2013 के ₹ 8917 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2014 को ₹ 10041 करोड़ रहे. वर्ष के दौरान बैंक ने व्यापार वित्त एवं अधिकाधिक ग्राहकों को स्थानीय तौर पर विदेशी मुद्रा

सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 शाखाओं को अधिकृत विक्रेता शाखाओं में वर्गीकृत किया. वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्त सोलह शाखाएं वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है. ओवरसीज केन्द्रों पर एनआरआई ग्राहकों के खाते तेजी से खोलने के लिए गल्फ कोआपरेशन कौंसिल (जीसीसी) देशों में ओवरसीज रिलेशनशिप मैनेजर (सीआरएम) द्वारा लाए गये एनआरआई खातों को खोलने के लिए एक एनआरआई बैक-अप कार्यालय स्थापित किया गया है. अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर ग्लोबल ट्रवेल कार्ड जारी किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक की एनआरआई जमाराशि 66.2 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2013 के ₹ 9,564 करोड़ से बढकर 31 मार्च,2014को ₹ 15,899 करोड़ रही. विदेशी मुद्रा कारोबार में गैर ब्याज आय 32 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर वित्त वर्ष 2012-13 के ₹ 172 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 227 करोड़ रही.

12.2 **ओवरसीज कारोबार** : बैंक के विदेशों में चल रहे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर(डीआईएफसी), दुबई एवं हांगकांग शाखाओं का कुल कारोबार पूरे वर्ष में 28.9 प्रतिशत बढ़ा जो 31 मार्च, 2014 को 3,746 मिलियन यूएसडी रहा.

तालिका 11: ओवरसीज परिचालन

(राशि यूएसडी मिलियन में)

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	प्रतिशत
ओवरसीज जमाराशि	812	509	303	59.5
ओवरसीज अग्रिम	2935	2398	537	22.4
कुल ओवरसीज कारोबार	3746	2907	839	28.9

12.3 डीआईएफसी, दुबई में बैंक की दूसरी विदेशी शाखा ने अपने पहले वर्ष के परिचालन में ब्रेकइवेन प्राप्त किया. वित्त वर्ष 2014-15 में विदेश में अपनी उपस्थिति आगे मजबूत करने के लिए बैंक ने सिडनी (आस्ट्रेलिया) एवं एन्टवर्प (बेल्जियम) में दो शाखाएं एवं लंदन में एक ओवरसीज सहायक कम्पनी का परिचालन किया जाना प्रस्तावित किया है. शंघाई (चीन), आबू धाबी (यूएई), बीजिंग (चीन), सिडनी (आस्ट्रेलिया) एवं लंदन (यूके) में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय पहले से ही स्थित हैं.

13. वित्तीय समावेशन

13.1 वित्तीय सेवाओं की कमी से देश के लोगों की स्थिति एवं देश के आर्थिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. वित्तीय अपवंचन बड़े पैमाने में गरीबी का लक्षण एवं कारण है. बैंक रहित क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों के लिए बचत करना एवं भावी वित्तीय योजना बनाना अत्यन्त कठिन है. बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्र बचत एवं ऋण की अल्पावधि व दीर्घकालिक दोनो सुविधाओं से भी बुरी तरह कटा रहता है. आपका बैंक समाज के आर्थिक रूप से सुविधाहीन वर्ग, असुरक्षित समूह जैसे कमजोर वर्ग एवं कम आय वाले समूहों को वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठाने में अग्रणी है. आपके बैंक ने तीन वर्ष की वित्तीय समावेशन योजना 2013-16 तैयार की है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, जिसका विज़न है निरंतर प्रक्रिया के आधार पर वहनीय लागत पर वंचित स्थानों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना जिससे उन लोगों का जीवन संवर सके जो अभी तक औपचारिक वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं.

13.2 बैंक ने बैंकिंग सुविधाओं रहित/ कम बैंकिंग सुविधाओं वाले 33055 गांवों में कारोबारी संपर्की मॉडल (बीसीएम)के माध्यम से 10076 बीसी नियुक्त कर बेसिक बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अपनी पहुंच बनाई है. बीसीएम के अन्तर्गत बायो मैट्रिक कार्ड से 131 लाख से अधिक वित्तीय समावेशन (एफआई) ग्राहकों के खाते प्राप्त किये गये एवं ₹ 231 करोड़ की जमाराशि संग्रहित की गयी. बैंक ग्रामीण एवं शहरी लोग जिनके साधन सीमित हैं के बीच आर्थिक गतिविधियां बढाने हेतु आपातकालीन ऋण के रूप में सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराता है. आपका बैंक नाममात्र के प्रीमियम पर सूक्ष्म बीमा भी उपलब्ध कराता है. महिलाओं द्वारा गठित संयुक्त देयता समूहों के लिए बायोमैट्रिक कार्ड पर विशेष रूप से प्रारम्भ किया गया सूक्ष्म ऋण उत्पाद प्रगति द्वारा बैंक ने 33,330 महिला लाभार्थियों को ₹ 217 करोड़ संवितरित किये. 31 मार्च,2014 को योजना के अन्तर्गत कुल बकाया राशि ₹122 करोड़ रही.

13.3 **धनप्रेषण :** प्रवासियों के लिए बायोमैट्रिक कार्ड के उपयोग से दी जा रही सूक्ष्म धनप्रेषण सुविधा, अब एनईएफटी प्लेटफार्म के माध्यम से अन्तर बैंक लेनदेन सुविधा हेतु भी उपलब्ध करायी जा रही है. वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 214 करोड़ के 15.6 लाख धनप्रेषण किये. इस योजना के अन्तर्गत कारोबार को बढ़ाने के लिए रियल टाईम आधारित आकर्षक विशेषताओं के साथ नया धनप्रेषण उत्पाद प्रारम्भ किया जा रहा है. आपके बैंक का मोबाईल तकनीक आधारित यूनियन बैंक मनी धनप्रेषण उत्पाद भी है जो विशेष रूप से शहरी प्रवासी मजदूरों के लिए उनके गांवों में रिश्तेदारों को धनप्रेषण के लिए बनाया गया है.

13.4 **वित्तीय साक्षरता :** विभिन्न वित्तीय समावेशन की गतिविधियों को करते समय, बैंक महसूस करता है कि इन सेवाओं को पहुंचाये जाने से अधिक आवश्यक है कि बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सेवाओं के उपयोग/लाभ के बारे में जागरूकता लायी जाए. इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वर्ष के दौरान 8 वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) खोले हैं तथा आपके बैंक के कुल 24 एफएलसीसी हो गये हैं. ये केन्द्र वंचित ग्राहकों को बेसिक वित्तीय ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी सम्पत्ति के विनियोजन के सही निर्णय ले सकें और स्थानीय साहूकारों के चंगुल में न पड़ें. आपके बैंक के 202 ग्राम ज्ञान केन्द्र हैं जो कृषि के क्षेत्र में विकास के अलावा बैंकिंग ज्ञान फैला रहे हैं.

13.5 **यूनियन आदर्श ग्राम :** राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में, बैंक ने अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना के अन्तर्गत यूनियन आदर्श ग्राम योजना प्रारम्भ की है जिसमें इस वर्ष पूरे देश में 60 गांवों को उनके पूरे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अंगीकृत किया गया है, इसके साथ यूएजीवाई के अन्तर्गत कुल 210 गांव हो गये हैं. इस योजना का उद्देश्य हमारी ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं के कमांड एरिया में आने वाले पिछड़े गांवों को अंगीकृत करना एवं इन गांवों का समेकित रूप से विकास कर जिले में मॉडल गांव बनाना है बैंक की सहभागिता के माध्यम से केन्द्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारी निकायों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियां योजना का कार्यक्षेत्र हैं. योजना के अन्तर्गत होनहार लड़कियों को अंगीकृत किया जाता है व XII कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की जाती है. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे वॉटर फिल्टर, बेंच, पंखे एवं सोलर बत्तियां प्रदान की जाती हैं. यूनियन आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गांवों को पूरी तरह से आत्म निर्भर एवं सशक्त बनाने का बैंक का प्रयास होता है. 2014-15 से सभी ग्रामीण शाखाओं को यूएजीवाई के अन्तर्गत एक गांव को अंगीकृत करने की सलाह दी गयी है.

13.6 **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** प्रथम चरण के तहत 43 जिलों में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू किया गया है, तथा दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2013 से इसे 78 अतिरिक्त जिलों में बढ़ाया गया है. इनमें से 113 जिलों में आपके बैंक की उपस्थिति है. वर्ष 2013-14 के दौरान, प्रायोजक बैंक के रूप में आपके बैंक ने 18,185 खातों में ₹273 लाख प्रेषित किया है. निर्दिष्ट बैंक के रूप में, आपके बैंक ने विभिन्न शाखाओं के 21,74,880 लाभार्थी खातों में जमा करने के लिए ₹14,276 लाख प्राप्त किया.

13.6.1 **एल.पी.जी. के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):** भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 289 जिलों में एल.पी.जी. लाभार्थियों के खातों में अनुदान की राशि सीधे जमा करना लागू किया जा रहा है. यह योजना हमारे अग्रिणी जिलों - केरल के एर्णाकुलम तथा इडुक्की में दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से तथा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 01 जनवरी, 2014 से लागू की गई है. उपर्युक्त तीन जिलों में दिनांक 31 मार्च, 2014 को इस योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

तालिका 12: अग्रणी जिलों में डी.बी.टी.एल. की प्रगति

डीबीटीएल II	एर्णाकुलम	इडुक्की	रीवा
एल.पी.जी.कनेक्शन धारकों की संख्या	914034	234513	137288
तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या	1441	शून्य	शून्य
इनमें से सीडिंग पूर्ण	1441	शून्य	शून्य
सीडिंग का प्रतिशत	100	शून्य	शून्य
सभी बैंकों द्वारा सीडिंग के लिए सीधे प्राप्त आवेदन	624886	152205	30532
इनमें से सीडिंग पूर्ण	624886	152205	30532
सीडिंग का प्रतिशत	100	100	100
कुल एल.पी.जी. लाभार्थियों का सीडिंग प्रतिशत	68.4	64.9	22.2

13.7 **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी):** गरीबों को उनकी गरीबी से ऊपर उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म वित्त की योजना एक प्रभावी साधन रही है. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा करीब 42,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 35,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण संबद्ध किया गया है. 31 मार्च, 2014 को, स्वयं सहायता समूहों की बकाया राशि ₹1250 करोड़ थी. महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा उनको वित्त प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, महिला सशक्तीकरण के लिए, बैंक द्वारा देश के 4 जिलों - रीवा, सीधी, चंदौली तथा जौनपुर में महिला स्वयं सहायता समूह योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है. ग्रामीणों के लिए लाभकारी रोजगार तथा आय के लिए स्वयं सहायता समूह मूलत: कृषि तथा इससे संबंद्ध विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान,

35,273 स्वयं सहायता समूहों को ₹402 करोड़ संवितरित किये गये हैं, जिनमें वर्तमान बकाया ₹ 595 करोड़ है. वर्तमान में इस परियोजना को बेलगाम, बेंगलूर, मंगलूर तथा कोझिकोड़ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है.

13.8 **अग्रणी बैंक योजना:** बैंक पर, 4 राज्यों में फैले 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका के निर्वहन की जिम्मेदारी है. इन अग्रणी जिलों में बैंक की 602 शाखाएं हैं. वित्तीय वर्ष 2013-14 में अग्रणी जिलों में पिछले वर्ष की जमा ₹ 24,515 करोड. तथा अग्रिम ₹ 7,568 करोड़ से बढ़कर क्रमश: ₹25,976 तथा ₹ 8,942 हो गयी है.

तालिका 13 : अग्रणी जिले	
आजमगढ़, संत रविदास नगर (भदोही), चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
खगड़िया, समस्तीपुर	बिहार
रीवा, सीधी एवं सिंगरौली	मध्य प्रदेश
एर्णाकुलम, इडुक्की	केरल

13.9 **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के निदान के उद्देश्य से बैंक ने उन 14 जिलों में आरसेटी की स्थापना की है, जहां बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. 31 मार्च, 2014 तक इन आरसेटीज ने 1406 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 38,975 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है. इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 25,593 व्यक्ति लाभकारी कारोबार कर रहे हैं. इस प्रकार व्यवस्थापन दर 66 प्रतिशत है. इनमें से पेरम्बवूर आरसेटी को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा एए ग्रेड प्रदान किये जाने पर सम्मानित किया गया है.

13.10 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी):** वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक(केजीएसजीबी) वाराणसी प्रायोजित किया जा रहा है. इसकी 414 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर (भदोही) तथा अंबेडकर नगर को कवर करता है. केजीएसजीबी का कुल कारोबार ₹ 9,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया है तथा 31 मार्च, 2014 को 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 9,042 करोड़ रहा है. जमाराशियां ₹ 6932 करोड़ रहीं जिसमें 63 प्रतिशत कासा है. अग्रिम ₹ 2,110 करोड़ रहा, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का अंशदान 72 प्रतिशत रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का अंशदान 43 प्रतिशत है. उपर्युक्त के अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी केजीएसजीबी निरंतर प्रगति कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, 22 नए ए.टी.एम. लगाये गये हैं, बोलते एक ए.टी.एम. को मिलाकर कुल 23 ए.टी.एम.हो गये हैं, इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इतिहास में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है. केजीएसजीबी ने किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोग की सुविधा वाले ए.टी.एम. प्रारम्भ किये हैं. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. सेवा तथा डिजिटल अथारिटी चेक प्रणाली प्रारम्भ की गई है. केजीएसजीबी जल्द ही मोबाइल बैंकिंग भी प्रारम्भ करने जा रहा है. बैक द्वारा वर्तमान में नियमित संव्यवहारों के लिए एस.एम.एस. चेतावनी तथा एस.एम.एस.बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है.

14. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

14.1 31 मार्च, 2014 को बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां, सकल अग्रिम की 4.1 प्रतिशत रही, जोकि 31 मार्च, 2013 को 3.0 प्रतिशत थी. 31 मार्च, 2014 को बैंक की निवल गैर निष्पादित आस्तियां, सकल अग्रिम की 2.3 प्रतिशत रही हैं जोकि 31 मार्च, 2013 को 1.6 प्रतिशत थी. 31 मार्च, 2014 को कवरेज प्रावधान अनुपान 59.9 प्रतिशत रहा है जोकि 31 मार्च, 2013 को 65.2 प्रतिशत था.

14.2 वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है. गैर निष्पादित आस्तियों की वृद्धि का कारण विद्युत, ऊर्जा, स्थावर सम्पदा, लोहा एवं इस्पात, सेवाएं तथा अन्य क्षेत्रों में गिरावट है.

तालिका-14: गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

(₹ करोड. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14
सकल गैर निष्पादक आस्तियां (प्रारम्भिक)	6314
जुडे	5478
घटाएं, कमी	2228
(I) उन्नयन	551
(II) वसूली	765
(III) बट्टे खाते में डाले	912
सकल गैर निष्पादक आस्तियां (अन्तिम)	9564
निवल गैर निष्पादक आस्तियां	
– प्रारम्भिक	3353
– अन्तिम	5340

14.3 क्षेत्रवार गैर निष्पादक आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-15: क्षेत्रवार अग्रिम में क्षेत्रवार गैर निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत		
क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	6.2	7.3
उद्योग	4.8	3.2
खुदरा	2.0	2.9
सेवाएं	1.2	1.8

14.4 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने सरफेसिया (SARFAESIA), 2002 के अंतर्गत ₹ 1,604 करोड़ के बकाया वाले 2,822 चूककर्ता ऋणियों को नोटिस जारी किया है. एक बारगी समझौते(ओटीएस) के तहत 628 मामलों को अनुमोदित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 108 करोड़ की वसूली हुई. इनके अलावा, 651 मामलों में ₹ 780 करोड़ की आस्तियों को जब्त किया गया तथा सम्पत्तियों की बिक्री के द्वारा बैंक नें ₹152 करोड़ वसूल किये हैं.

14.5 उच्च मूल्य वाली गैर निष्पादक आस्तियों पर विशेष ध्यान देने के लिए, देश में बैक की 10 आस्ति वसूली शाखाएं कार्यरत हैं. इन आस्ति वसूली शाखाओं द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 100 करोड़ की राशि वसूली गई है. गैर निष्पादक आस्तियों वाले संवर्ग के बड़े ऋण खातों की, विभिन्न स्तरों पर नियंत्रक कार्यालयों द्वारा नियमित अंतराल में समीक्षा की जाती है. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड द्वारा भी तिमाही आधार पर की जाती है. वसूली बढ़ाने के साथ ही साथ गैर निष्पादक आस्तियों को रोकने के लिए, एक ठोस वसूली क्षमता का विकास किया जा रहा है. स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा गैर निष्पादक आस्तियों को नियंत्रित करने के लिए, वर्ष के दौरान बेंगलूर तथा चेन्नै अंचलों में वसूली संपर्क केन्द्रों की सेवाएं ली गई हैं.

15. खातों का पुनर्गठन

15.1 मानक पुनर्गठित अग्रिमों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2014 को बकाया राशि ₹ 12,353 करोड़ थी, जो बैंक के अग्रिम का 5.3 प्रतिशत है. पुनर्गठित अग्रिमों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2014 को गैर निष्पादक आस्तियों की बकाया राशि ₹ 3,080 करोड़ थी.

16. चैनलों का विकल्प

16.1 आपके बैंक द्वारा ग्राहकों को वैकल्पिक चैनल के चुनाव की सुविधा दी जाती है. इनमें पारम्परिक शाखा नेटवर्क, ए.टी.एम. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के साथ ही साथ काल सेंटर शामिल हैं.

16.2 आपके बैंक की शाखाओं का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है. वर्ष के दौरान 360 नई शाखाओं को बढ़ाकर देश में शाखाओं की कुल संख्या 3,869 हो गई है. वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत शाखाएं ऐसे केन्द्रों में खोली गई हैं जहां पहले किसी बैंक शाखा नहीं थी, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत से काफी अधिक है. इसके अलावा, नई खुली शाखाओं में 90 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं. आपके बैंक ने मणिपुर राज्य के इम्फाल में अपनी पहली शाखा खोली है, इस प्रकार भारत के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति बना ली है. वर्तमान में आपके बैंक की दो शाखाएं विदेश में- दुबई तथा हांगकांग में हैं.

16.3 वर्ष के दौरान 1826 अतिरिक्त ए.टी.एम.खोले गये हैं, इस प्रकार पिछले वर्ष का ए.टी.एम. नेटवर्क 4603 से बढ़कर, 31 मार्च, 2014 को 6429 हो गया है. ए.टी.एम.-शाखा का अनुपात 31 मार्च, 2014 को बढ़कर 1.66 हो गया है जोकि 31 मार्च, 2013 को 1.31 था. पिछले वर्ष प्रारम्भ किये गये बोलते ए.टी.एम.की संख्या मार्च 2014 के अन्त तक 1000 से अधिक हो गई है.

तालिका 16: नेटवर्क		
	मार्च-2014	मार्च-2013
कुल शाखाएं	3871	3511
-विदेश स्थित शाखाएं	2	2
ए.टी.एम.	6429	4603
-बोलते ए.टी.एम.	1066	100
ए.टी.एम. शाखा अनुपात	1.66	1.31

16.4 ग्राहकों में वैकल्पिक चैनलों की ओर प्राथमिकता बढ़ रही है जो बढ़ते इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के संव्यवहारों से पता चलता है. इलैक्ट्रॉनिक संव्यवहार मार्च 2013 के 60 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 62 प्रतिशत हो गये हैं.

16.5 **ए.टी.एम. तथा कार्ड :** पूरे देश में 31 मार्च, 2014 को आपके बैंक के 6429 ए.टी.एम. का विशाल नेटवर्क तथा 135 लाख डेबिट कार्ड हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने एन.ई.एफ.टी., आई.एम.पी.एस., ए.टी.एम.द्वारा कार्ड से कार्ड को अंतरण जैसे कई प्रेषण उत्पादों को प्रारम्भ किया है. बैंक ने अपने वर्तमान वीसा क्रेडिट कार्ड के लिए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किया है तथा डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम लागू किया है. ग्राहक, बिक्री केन्द्र व ई-कामर्स केन्द्रों में बैंक के डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर, अपने सभी संव्यवहारों में रिवार्ड अंक जीतने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं. आपका बैंक

पंजाब सरकार के खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा तैयार किये गये भुगतान इकोसिस्टम में जारीकर्ता बैंक के रूप में शामिल हुआ और भुगतान संग्रह के लिए रुपे आधारित कार्ड जारी किया.

चार्ट आधार एवं कार्ड के माध्यम से लेन देन

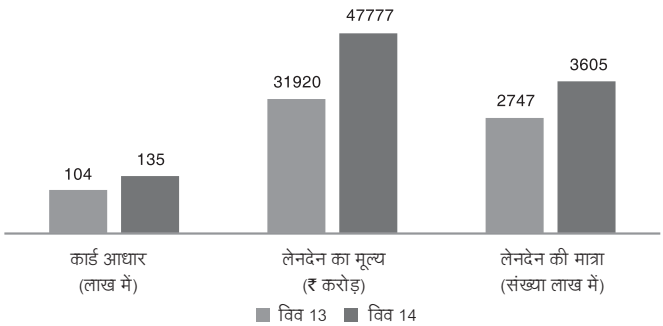

16.6 **इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग :** पिछले वर्ष बैंक के इलेक्ट्रानिक चैनल की सुरक्षा बढ़ाना प्रमुख मुद्दा रहा. बैंक ने आईफोन/ आईपैड प्रयोक्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग अप्लीकेशन की शुरूआत की. आईएमपीएस सेवा, जो ग्राहकों को तत्काल आधार पर मोबाइल के जरिये अंतर्बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, अब सभी तीनों चैनलों यथा एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध है. आईएमपीएस पी 2 ए (व्यक्ति से खात में) अंतरण, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन, दोनों से ही अब सुलभ है. इसके अतिरिक्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क जमा करने के लिए बैंक ने भुगतान गेटवे साल्यूशन भी उपलब्ध कराया है.

चार्ट 8- वैकल्पिक चैनल का यूजर आधार

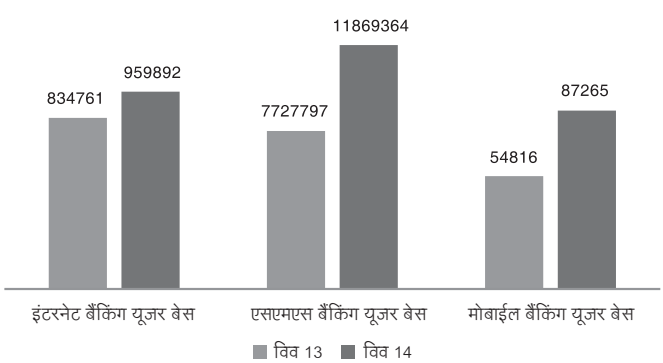

16.7 इंलेक्ट्रानिक लेनदेनों में वृद्धि की तरह ही आपके बैंक ने वैकल्पिक चैनेल से आय में भी निरंतर वृद्धि की है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

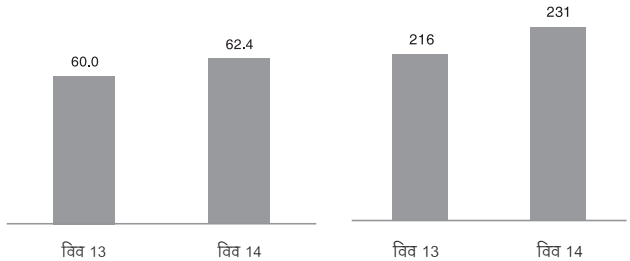

17. संव्यवहार बैंकिंग :

17.1 **करेंसी चेस्ट :** इस समय बैंक के पास 64 करेंसी चेस्ट हैं तथा आगरा और शिर्डी में दो करेंसी चेस्ट खोलने की प्रक्रिया चल रही है. आपके बैंक ने औसतन प्रतिदिन 50 लाख एवं अधिक की नकदी प्राप्ति वाली 1226 शाखाओं में नोट सार्टिंग मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. बैंक ने देश भर में विभिन्न शाखाओं में 50 क्वायन वेंडिंग मशीनें (सीवीएम)स्थापित की हैं.

17.2 **नकदी प्रबंधन सेवाएं(सीएमएस) :** नकद प्राप्ति एवं भुगतान के तहत आपका बैंक न्यूनतम लागत पर त्वरित गति तथा कस्टमाइज्ड एमआईएस की सहायता से ग्राहकों की विशिष्ट कार्पोरेट अपेक्षाओं का पूरा कर रहा है. सीएमएस विभाग ने विभिन्न सीएमएस उत्पादों के तहत 104 नये कनेक्शन प्राप्त किये हैं और वर्ष 2013-14 के दौरान रु.56066 करोड़ टर्नओवर के साथ कुल रु.21 करोड की आय प्राप्त की है. सीएमएस भुगतान हब के अंतर्गत प्रतिमाह रु.540 करोड़ के 3 लाख भुगतान किये जा रहे हैं, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के वेतन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) भुगतान एवं जीवन निर्वाह मजदूरी अध्यादेश(एलडब्ल्यूओ) के भुगतान शामिल हैं. पूरे महाराष्ट्र में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग(ईआरपी) के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) के सभी भुगतान सीएमस द्वारा किये जाते हैं तथा अन्य राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु आदि के बीएसएनएल भुगतान प्रक्रियाधीन हैं, जो कार्यान्वित होने पर पर्याप्त नकदी एवं शुल्क उपलब्ध कराएंगे. आवक एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्चुअल खाता सेवाओं की टेंस्टिंग हो चुकी है तथा लायंस क्लब इंटरनेशनल, दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए), केरल बिल्डिंग एंड कन्सट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (केबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) आदि के लिए शुरु होने वाली है, जिससे बैंक को पर्याप्त कासा जमाराशियों की प्राप्ति होगी. आपका बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के लिए प्रायोजक बैंक के रुप में सीएमसी संग्रहण के तहत नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस(एनएसीएस) भी शुरु करने वाला है.

17.3 **मर्चेंट बैंकिंग :** बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पब्लिक इश्यू में आवेदन करने के लिए असबा(अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड एमाउंट) सुविधा भी उपलब्ध करायी है तथा आवेदक एवं उसके ब्यौरे के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है. बैंक ने वाणिज्यिक बैंकर तथा निर्गम गतिविधियों के लिए बैंकर के रूप में स्थायी पंजीकरण प्राप्त किया है तथा कार्पोरेट ग्राहकों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के भुगतान एवं वसूली कार्यों को अंजाम दे रहा है.

18. तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण :

18.1 आपका बैंक अपने खुदरा उत्पादों के अंतर्गत तृतीय पक्ष उत्पादों की श्रृंखला भी उपलब्ध कराता है. बैंक अपने संयुक्त उपक्रम स्टार यूनियन दायची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा उत्पादों को अपने ग्राहकों को सुलभ कराता है. गैर बीमा उत्पादों के लिए बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. के साथ समझौता किया है. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ मिलकर स्वास्थ्य बीमा उत्पाद शुरू किये हैं. बैंक अपनी सहायक कंपनी, यूनियन केबीसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लि. के एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड उत्पाद भी उपलब्ध करा रहा है. बीमा एवं म्यूचुअल फंड उत्पादों के विक्रय से बैंक को 31 मार्च, 2014 को रू.42.2 करोड़ की कमीशन आय प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष से 26 प्रतिशत अधिक है.

19. सूचना प्रौद्योगिकी :

19.1 बैंकिंग उद्योग में अनेक परिवर्तन आये हैं और सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के कारण इस उद्योग की संरचना में भी निरंतर प्रगति हो रही है. ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शाखा नेटवर्क, एटीएम, इटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और कॉल सेंटर सेवाओं की सुलभता हेतु आपके बैंक ने सक्रियता से नयी तकनीक और प्रणाली को अंगीकार किया है.

19.2 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत की गई पहलों के साथ-साथ बैंक ने अन्य सपोर्टिंग सिस्टम, भी शुरू किये हैं, जैसे वित्तीय समावेशन ग्राहकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एजेंट के जरिये बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कियोस्क बैंकिंग अप्लीकेशन की शुरूआत. ई-केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने के फार्म अपग्रेड किये गये हैं. इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सुरक्षित लेनदेनों के लिए मोबाइल ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) लागू करके टू फैक्टर अथेंटिकेशन की शुरूआत की गई है. इसके अतिरिक्त शाखाओं में होने वाले लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने बायो-मेट्रिक अथेंटिकेशन साल्युशन को कार्यान्वित किया है.

19.3 वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग में आईएमपीएस पी 2 ए सेवा, इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ऑनलाइन पीपीएफ, यूरो पे, ग्राहकों को जारी मास्टर कार्ड एवं वीसा (ईएमवी) कार्ड, खाते की शेष राशि की पूछताछ के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक) के लिए एसएमएस बैंकिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है. हमारा बैंक अंतर बैंक कार्ड टू कार्ड धन अंतरण सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक है. प्रधान मंत्री राहत कोष तथा अन्य विभिन्न धार्मिक संगठनों के लिए दान भेजने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. ग्राहकों को ऋण की बकाया किश्तों, जमाराशियों की परिपक्वता, जन्म दिन की शुभ कामना आदि के विषय में संदेश के लिए आपके बैंक ने एसएमएस एलर्ट की सेवा शुरू की है. विभिन्न माध्यमों (एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, कार्पोरेट वेबसाइट तथा एसएमएस) आदि के माध्यम से आधार कार्ड अनुरोध प्राप्त करने तथा यूआईडीएआई से जन सांख्यिकीय सत्यापन के बाद सीबीएस में उसे डालने की सुविधा भी शुरू की गई है. टर्न अराउंड टाइम को कम करने हेतु वर्कफ्लो की शुरूआत कर खाता खोलने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है. कारोबार निरंतरता योजना तथा आपदा सुरक्षा प्रबंधन रणनीति के भाग के रूप में बैंक ने नाजुक अप्लीकेशनों के लिए जीवंत स्वीच ओवर और स्वीच बैक की ड्रिल को सफलतापूर्वक पूरा किया है. इस प्रकार आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में बैंक की क्षमता बढ़ी है.

20. जोखिम प्रबंधन

20.1 जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक का सक्रिय दृष्टिकोण है. इसके जोखिम दर्शन में जोखिम प्रवृत्तियों तथा विनियामक ढांचे दायरे के अंतर्गत एक स्वस्थ संविभाग बनाना एवं उसका रखरखाव करना शामिल है. बैंक निरंतर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कारोबारी कार्य तथा जोखिम प्रबंधन कार्य के संयोजन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो तथा उपलब्ध पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके.

20.2 बैंक, समुचित नीतियों, संगठनात्मक ठांचे, जोखिम मापन तकनीकों, पर्याप्त पद्धतियों, प्रणालियों, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र के जरिये ऋण, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक

जोखिम का निस्तारण करता है. बैंक में एक सुस्पष्ट जोखिम नीति विद्यमान है तथा स्वतंत्र जोखिम कार्य यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत कार्य करे.

20.3 बैंक में जोखिम प्रबंधन शीर्ष स्तर पर जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति के जरिये बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है, जो विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तरीय समितियों द्वारा समर्थित है. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र समुचित ढांचा, नीतियां तथा समीक्षा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं.

20.4 ऋण जोखिम :

20.4.1 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बैंक में ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करती है. ऋण जोखिम नीतियां, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न साधन है.

20.4.2 बैंक में सभी अग्रिमों हेतु मानकीकृत एवं सुस्पष्ट अनुमोदन प्रक्रियाएं विद्यमान हैं. बैंक ऋण मंजूरी हेतु समिति अवधारणा अपनाता है तथा इस हेतु विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां विद्यमान हैं. खुदरा ऋणों हेतु आंतरिक रेटिंग मॉडल एवं स्कोरिंग मॉडल उपलब्ध हैं. बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यधीन है. बैंक के पास 10 वर्ष से अधिक के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन एवं चूक संभाव्यता के आंकड़े उपलब्ध हैं.

20.4.3 यह उधारकर्ता, समूह, क्षेत्र, रिटेल योजनाओं, उद्योग एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि संकेंद्रणों का निरंतर अनुश्रवण करता है और ऋण की गुणवत्ता सुधारने और ऐसी जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार रहता है जो उधारकर्ता उत्पादों, उद्योगों के प्रकार और भौगोलिक क्षेत्र के मामलों में विविधीकृत हो.

20.5 बाजार जोखिम:

20.5.1 आस्ति देयता प्रबंधन नीति एवं ट्रेजरी नीति बैंकिंग और व्यापार जगत में व्याप्त बाजार जोखिम का प्रबंधन करने में सहायक है. बाजार जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है. समिति की नियमित बैठकें होती हैं , जिनमें विभिन्न आस्तियों और देयताओं की मात्रा, संमिश्र अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. यह मुख्यत: बाजार जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और तरलता व ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है. बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबाव परिदृश्य परिकल्पित करता है तथा आकस्मिक तरलता योजना रखता है. इसका मूल उद्देश्य आय परिदृश्य तथा आर्थिक मूल्य परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यवर्द्धन करना है. बैंक के पास एक स्वतंत मिड आफिस कार्यरत है जो ट्रेजरी में स्थित है तथा जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. यह ऑफिस एक्सपोजर विश्लेषण, निर्धारित ऋण सीमाओं तथा जोखिम संवेदशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, पीवी01 अवधि, विफलीकरण अवधि इत्यादि का अनुपालन एवं उनका विश्लेषण सुनिश्चित करता है.

20.6 परिचालनात्मक जोखिम:

20.6.1 परिचालन जोखिम के प्रबंधन के रुप में परिपूर्ण प्रणाली और प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा का प्रयोग किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक/बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. विद्यमान उत्पादों तथा आउटसोर्सिंग गतिविधियों में परिवर्तन की भी समीक्षा की जाती है. बैंक ने गत आठ वर्षों के दौरान हुई परिचालनात्मक हानियों के आंकड़े समेकित किये हैं तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि ऐसी हानियों से बचा जा सके.

20.6.2 बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रुप में प्रकटन नीति बनायी है. कारोबार बाधा एवं सिस्टम विफलता के प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कारोबार निरंतरता योजना(बीसीपी) के महत्व को समझते हुए बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता योजना(बीसीपी) कार्यान्वित की गयी है, जिसमें व्यवधानयुक्त वातावरण में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विस्तृत खाका तैयार किया गया है.

20.7 बासल II की प्रगति

20.7.1 बासल II के अधीन बैंक ने मार्च 2009 से नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. जबकि शुरुआत के तौर पर बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानक प्रणाली, बाजार जोखिम के लिए मानक ड्यूरेशन विधि और परिचालन जोखिम के लिए आरंभिक संकेतक प्रणाली को अपनाया है, इस दिशा में अब तक किये गये कार्य, बासल II समझौते में निर्धारित पूंजीमापन के उन्नत एप्रोच

मानकों के पालन की दिशा में हैं. बैंक द्वारा उन्नत एप्रोच मानक अपनाए जाने में सहायता एवं संबंधित तैयारी के मूल्यांकन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गयी.

20.7.2 ऋण जोखिम के संबंध में बैंक ने ए) जोखिम नीति बनाने बी) ऋण जोखिम रणनीतियों एवं तत्संबंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सी) ऋणों की क्रेडिट रेटिंग एवं स्कोरिंग डी) पोर्टफोलियों प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग ई) औद्योगिक अनुसंधान एफ) ऋण जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग आदि क्षेत्रों में पहले से ही उन्नत एप्रोच अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है. जोखिम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर गठित बैंक की ऋण मंजूरी समितियों में सदस्य बनाया गया है.

20.7.3 बैंक ने आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) माड्यूल कार्यान्वित किया है जो उन्नत एप्रोच के लिए द्विआयामी आब्लीगर और अपेक्षित ऋण सुविधा मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है तथा सभी खाते अब केवल इसी सिस्टम के माध्यम से ही मूल्यांकित किये जाते हैं. बैंक के कार्पोरेट ग्राहकों की रेटिंग की गुणवत्ता में सुधार, सख्त रेटिंग आंकड़े प्राप्त करने और रेटिंग मॉडल के बेहतर प्रशासन के लिए एक केन्द्रीकृत रेटिंग पूल की भी स्थापना की है. ऋण जोखिम घटकों यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि वाली चूक(एलजीडी), चूक में एक्सपोजर(ईएडी) और परिपक्वता (एम) की गणना करने के लिए बैंक ने आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और यह डाटा के समेकन की प्रक्रिया में है.

20.7.4 परिचालन जोखिम के क्षेत्र में, बैंक ने जोखिम और नियंत्रण स्व निर्धारण की रूपरेखा की प्रक्रिया प्रारम्भ की है तथा मुख्य जोखिम सूचकों के विस्तार के लिए भी मूल कार्य आरम्भ कर दिये गये है. उच्च प्रणाली में रूपांतरण हेतु वर्तमान प्रणाली तथा व्यवहार में सुधार के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है. परिचालन जोखिम के लिए मानक अवधारणा में रूपांतरण हेतु बैंक नें भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है.

20.7.5 बाजार जोखिम के क्षेत्र में, सभी व्यापारिक संविभागों के लिए जोखिम मूल्य की गणना करता है, जो बैंक अग्रिमों में निहित जोखिम की बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करता है. बाजार जोखिम के लिए, आंतरिक दृष्टिकोण स्वरूपों में रूपांतरण हेतु, बैंक नें भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है.

20.7.6 बैंक ने पिलर-2 जोखिम की मात्रा के निर्धारण के लिए एक रूपरेखा को भी विकसित किया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरूप एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा लागू की गई है, जिसे बाहरी एजेंसियों द्वारा विधिमान्य किया जा रहा है.

20.7.7 अपनी निष्पादन निर्धारण प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के बीच हमारा बैंक अग्रणी है. बैंक ने एक सुदृढ़ और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य प्रणाली अर्थात मैच्ड फंड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लागू किया है और लाभप्रदता प्रबंधन मापदंड को लागू किया जा रहा है, जिससे विभिन्न आयामों के तहत लाभप्रदता का पता लगाने में मदद मिलेगी.

20.8 बासल-III का कार्यान्वयन

20.8.1 बासल-III मानकों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक निर्धारण, तरलता तथा लिवरेज अनुपातों को बैंक द्वारा सक्रियता से संचालित किया जा रहा है. वर्ष 2010 से बासल-III दिशानिदेशों के प्रभावों को जानने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये जा रहे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन में बैंक की प्रतिभागिता रही है. बासल -III के तहत प्रकटन मानदंडों का पालन किया जा रहा है. बैंक की पूंजी, बासल-III अपेक्षाओं के अनुरूप है जो न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है. बासल-III दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपनाई जाती है तथा पूंजी बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन तथा योजना बनायी गयी है. बैंक आशा करता है कि बासल-III मानकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाएगा.

20.9 अपने ग्राहक को जाने(केवाईसी) धन शोधन निवारण(एएमएल)

20.9.1 बैंक द्वारा, अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी)- धन शोधन निवारण(एएमएल)- अनुपालन को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं. बैंक ने ग्राहक प्रोफाइल संबंधी अतिरिक्त विशेषताओं के साथ, खाता खोलने के फार्म में आशोधन किया है तथा अपने ग्राहक को जानें हेतु जांच बिन्दु बनाये हैं. अतिरिक्त सूचनाओं को शामिल करने के लिए साक्षात्कार तथा ड्यू डिलिजेंस फार्म में आशोधन किया गया है. सभी खातों में ग्राहक प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. अपने ग्राहक को जानें सूची में विवरणों को भरना अनिवार्य किया गया है. अपने ग्राहक को जानें विवरण अद्यतन करने हेतु आधार शाखा में सम्पर्क करने के लिए स्थानीय भाषा में स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों के द्वारा खातादारों से अनुरोध किया जा रहा है. केवाईसी- एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण

सत्र एवं कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं तथा पूरे देश में सभी स्टाफ सदस्यों को केवाईसी- एएमएल के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र रखा जा रहा है. जाली नोटों की पहचान तथा समय से रिपोर्टिंग हेतु सभी शाखाओं/ करेंसी चेस्ट को पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं. संदिग्ध लेनदेनों की पहचान हेतु एलर्ट जारी करने तथा वित्तीय आसूचना इकाई, भारत (एफआईयू-इंडिया) को इलेक्ट्रानिक रूप में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), गैर लाभार्जक संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), जाली नोट रिपोर्ट (सीसीआर) और नकद लेन देन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत करने हेतु बैंक ने धनशोधन साफ्टवेयर (एएमलॉक) प्राप्त किया है. केवाईसी-एएमएल के अनुपालन में सुधार हेतु बैंक द्वारा निरंतर जोर दिया जा रहा है.

21. अनुपालन कार्य

21.1 बैंक में एक मजबूत अनुपालन नीति विद्यमान है तथा इसकी दस्तावेजीकृत सुस्पष्ट अनुपालन नीति में बैंक के अनुपालन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है. अनुपालन कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बैंक में विनियम अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, स्व-नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित/प्रस्तावित उचित व्यवहार संहिता एवं अन्य संहिताओं संबंधी अनुपालन, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धन शोधन तथा अवैध गतिविधियों के निधिकरण पर रोक संबंधी अनुपालन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

21.2 अनुपालन नीति की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर पर अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका एवं जिम्मेदारी का सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है. विनियामक और सांविधिक अनुपालन विषयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वप्रमाणन प्रक्रिया, जिसमें शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, विद्यमान है. स्वप्रमाणन की यही प्रणाली केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी वर्टिकलों के लिए भी है. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को मासिक / त्रैमासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय/सेबी से प्राप्त प्रमुख आदेशों एवं उनकी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है. बैंक के लिए विभिन्न अनुपालन विषयों पर एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया जा रहा है.

22 मानव संसाधन प्रबंधन

22.1 **जनबल :** 31 मार्च 2014 को बैंक का कुल जनबल 33806 रहा, जिसका संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है.

सारिणी 17 : कर्मचारियों के संवर्ग

संवर्ग	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ	कुल
कुल कर्मचारी	18158	9325	6323	33806
अनुसूचित जाति (एससी)	3175	1885	2413	7473
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1253	545	552	2350
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	3649	2145	1507	7301
अपंग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	185	152	88	425
पूर्व सैनिक	159	616	801	1576
महिलायें	3620	2564	836	7020

22.2. **भर्ती** : वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 3,736 कर्मचारियों, जिसमें 1,561 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 497 विशेषीकृत अधिकारी, 1,612 लिपिक स्टाफ तथा 67 अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं, की भर्ती की है.

22.3 **आरक्षण नीति:** बैंक विभिन्न एससी/ एसटी एवं ओबीसी कल्याणकारी संगठनों से नियमित विचारविमर्श करता है और नीतिगत मामलों से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न आरक्षित श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस मंच का पूरा उपयोग किया जाता है. विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण, छूट एवं रियायतें प्रदान की जाती हैं.

22.4 **प्रशिक्षण** : बैंक स्वयं द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार द्वारा स्थाई उच्चतम वृद्धि को पाने के लिये अपने मानव संसाधन को पोषित करने को बचनबद्ध है. कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा संस्था एवं व्यक्तियों, दोनों ही की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती तथा उत्तराधिकार आयोजना आदि के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेक्षित होते हैं. स्टाफ कालेज और सात प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 777 कैलेंडर कार्यक्रमों, 52 कार्यशालाओं, 229 स्थानिक कार्यक्रमों में 27,654 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया.

22.5 **कार्य-निष्पादन प्रबंधन :** कारोबारी मोर्चे पर उत्कृष्टता की प्राप्ति को जारी रखने के उद्देश्य से बैंक ने अपने मानव संसाधन की संवृद्धि एवं विकास के लिये सतुलित दृष्टिकोण को अपनाया है.

इसे अधिक पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ बनाने के लिये परफार्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) का नये कलेवर में प्रस्तुत किया गया है. इस सिस्टम को सामयिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 2014-15 में व्यवस्थित किया जायेगा. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यावेदन के लिये ऑन-लाइन क्रियाविधि को उपलब्ध कराया गया है. पीएमएस 2012-13 के लिये प्राप्त अभ्यावेदनों का केंद्रीय कार्यालय में एवं विभिन्न क्षेत्रों में 3 सदस्यों की समिति द्वारा निराकरण किया गया है.

23. **औद्योगिक संबंध :** प्रमुख श्रम संघों के साथ निरंतर संवाद तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण ढंग से तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से निपटाये गये हैं.

24. **राजभाषा** : वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक प्रयास किये जैसे हिन्दी पुस्तक एनपीए प्रबंधन - विविध आयाम तथा ग्राहक सेवा पर हिन्दी में कार्टून पुस्तक बंदा हाजिर है का प्रकाशन,; राजभाषा एवं बैंकिंग विषयो पर कार्यपालकों एवं स्टाफ सदस्यों के लिये आन लाइन हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि, ताकि दिन प्रति दिन के कार्यों में राजभाषा के प्रयोग हेतु उन्हें प्रोसहित किया जा सके. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बैंकिंग जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक हिन्दी एनिमेटेड फिल्म जिन्नी ऑर चार दोस्त तथा कार्टून पुस्तक सुरक्षित भविष्य व खुशहाली को तैयार किया गया है. बैंक ने नये भर्ती राजभाषा अधिकारियों के लिये पुनश्चर्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया. बैंक में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु बैंक को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का वर्ष 2011-12 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड 2011-12 का भाषिक क्षेत्र ख में प्रथम, क में तृतीय तथा ग में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ.

25. **सुरक्षा :** आलोच्य वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने सुरक्षा की मूलभूत संरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु व्यापक सुरक्षा निरीक्षण करके बैंक में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं. सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1324 शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए 792 और शाखाओं में क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम स्थापित किये गये, और 611 अतिरिक्त शाखाओं में एन्टी बर्गलरी अलार्म सिस्टम को स्थापित किया गया है. स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा एवं आग-सुरक्षा पर जोर दिया गया और इस हेतु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1029 शाखाओं में सुरक्षा एवं आग से बचाव पर लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. 887 आर्म्ड गार्ड्स ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें वास्तविक फायरिंग अभ्यास भी कराया गया.

26 **आंतरिक लेखा परीक्षा :**

26.1 वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुसार आपके बैंक ने 2013-14 के लिये सुसंगत आंतरिक लेखा परीक्षा नीति एवं समवर्ती लेखा परीक्षा नीति लागू की है. आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को संशोधित किया गया और 2014-15 के लिये बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नई प्रबंधन लेखा परीक्षा नीति को भी तैयार किया गया है.

26.2. वर्ष के दौरान 3285 शाखाओं की ऑडिट की गई. इसके अतिरिक्त 91 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली शाखाओं, 47 सेवा शाखाओं और 128 करेंसी चेस्टों की ऑडिट तथा 61 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 10 क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 12 विभागों तथा 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मैनेजमेंट ऑडिट भी की गई. मार्च 2013 के अंत में रहे ₹ 4.7 करोड़ के आय क्षरण के सापेक्ष मार्च 2014 के अंत में ₹ 2.3 करोड़ का आयक्षरण रहा. वर्ष 2012-13 में उच्च जोखिम नियंत्रण वाली 144 शाखाओं के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में यह संख्या घटकर केवल 15 रह गई. लम्बित विशेष रिपार्टों की संख्या में भी काफी कमी आई है.

26.3. वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें हुईं. इसके द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अवलोकन किया गया और परिचालन दक्षता में सुधार करने और सिस्टम तथा नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने पर सुझाव दिये गये.

26.4. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा द्वारा बैंक के 70 प्रतिशत जमाराशियों और अग्रिमों को कवर करना है. मार्च 2014 के अंत तक आपके बैंक की 65 प्रतिशत जमाराशियों और 81 प्रतिशत अग्रिमों अर्थात बैंक के कुल 72 प्रतिशत कारोबार की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई.

26.5. बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर तकनीक को अपनाया गया है और हमारी कारोबारी रणनीति / लक्ष्यों के लिये कई सूचनाओं को अपलोड किया गया है. संवेदनशील सूचना प्रणाली की विभिन्न खतरों से सुरक्षा के लिये सभी सूचना प्रणालियों की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की आईएस ऑडिट टीम

के साथ आऊटसोर्स वेंडर द्वारा किया गया. आंकडों की सत्यता और विश्वसनीयता तथा उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के प्रणाली की सुलभता सुनिश्चित करने के लिये बैंक द्वारा लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन किया जाता है. बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंक की विभिन्न शाखाओं की आईएस लेखा परीक्षा की गई.

26.6. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने 2 टियर ऑफ साइट अनुश्रवण (ओएमसी) अर्थात केंद्रीय ऑफ साइट अनुश्रवण कक्ष और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय अनुश्रवण कक्ष की स्थापना की है. ओएमसी शाखाओं में लेनदेन के समय किसी चूक, विचलन और कमी पर तत्काल चेतावनी देगी. तदनुसार संदिग्ध/ अनियमित लेनदेनों का पता लगाने के लिये चेतावनियों का दैनिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है तथा समय से इनके परिशोघन के लिये शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है.

27 सतर्कता :

27.1 संस्था में उत्कृष्टता लाने के लिये सतर्कता एक आवश्यक साधन है, क्योंकि यह अनुशासन और परिचालन सुरक्षा के साथ नैतिक वातावरण के सृजन में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है. परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुसंरचित सतर्कता प्रणाली लागू है. बैंक का जोर निरोधक सतर्कता पर है, क्योंकि यह हमें धोखाधड़ी की रोकथाम, विकास एवं लाभ प्राप्त करने में मदद करती है. क्षेत्र कर्मियों में आवश्यक जागरूकता पैदा करने और उनके कौशल को तेज करने, सिस्टम और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी जानकारी के स्तर को बढ़ाने और छिपी हुई दिक्कतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कई विचारमंथन सत्र आयोजित किये गए. वर्ष 2011 - 2012 के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे 499 निरोधक सतर्कता निरीक्षण किए गए. निवारक सतर्कता निराक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के बारे में क्षेत्र महाप्रबंधकों एवं क्षेत्र प्रमुखों से चर्चा और विचारविमर्श किया गया ताकि उनको अपने क्षेत्र की शाखाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण में सहायता मिल सके. प्रभाविता बढ़ाने और संभावित कमियों के निराकरण के लिये सिस्टम और कार्यविधि में सुधार के उपाय सुझाये गये. निरोधक सतर्कता जागरूकता को सतत सुदढ़ बनाने के लिये स्टाफ कॉलेज, बेंगलुरू और स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में निरोधक सतर्कता पर प्रत्येक प्रशिक्षण के प्रारंभ में विशेषरूप से एक सत्र प्रारंभ किया गया है. इसके अतिरिक्त शाखाओं/ कार्यालयों पर लागू प्रक्रियाओं के गैर अनुपालन या असावधानी की रोकथाम के लिये जागरूकता लाने हेतु एक निरोधक सतर्कता समिति (पीवीसी) की व्यवस्था की गई है. व्हिसल ब्लोअर नीति में प्रोत्साहन तत्व को भी शामिल किया गया है तथा उनकी पहचान को प्रकट किये बिना पदोन्नति और तैनाती के समय सही सूचना देने वालों को वरीयता प्रदान की जाती है. धोखाधड़ी इत्यादि की रोकथाम के लिये व्हिसल ब्लोइंग कार्रवाई को एक साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिये बैंक में संशोधित नीति को लोकप्रिय बनाया जा रहा है.

27.2 किसी भी संभावित कमी को दूर करने तथा जागरूकता लाने के लिये कार्य प्रणालियों में सुधार हेतु नियमित रूप से सुझाव प्राप्त होते हैं, जैसे अग्रिम सतर्कता उपाय, हम बैंक में तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में संभावित नई प्रकार की धोखाधड़ियों को रोका जा सके.

28 परिदृश्य

28.1 वर्तमान वित्त वर्ष में चालू कारोबारी चक्र के पुनरूत्थान की ओर मुड़ने की संभावनायें हैं. वित्त वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि की संभावनायें हैं. खुदरा एवं थोक दोनों ही स्तरों पर मुद्रा स्फीति पिछले वर्ष की तेजी से कम रहेगी. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खाद्य एवं ईंधन मदों को छोड़कर अर्थात कोर मुद्रास्फीति, थोक स्तर पर पिछले वर्ष संतोषजनक रही और खुदरा स्तर पर भी इसमें क्रमिक गिरावट की स्थिति परिलक्षित होती है. यह इस वर्ष ब्याज दर के संदर्भ में अनुकुल स्थिति का द्योतक है. वर्ष 2014 के आम चुनाव के निर्णायक जनमत ने इस दृष्टिकोण को और भी सबल बनाया है. राजकोषीय एवं चालू खाता, दोनों ही प्रकार के घाटों को कम करने में भारत की सफलता, विकास के प्रति बेहतर एवं अनुकूल स्थिति को दर्शाती है.

28.2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लाभप्रदता की पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया है. बैंक का आस्तियों पर मौजूदा प्रतिलाभ (आरओए) इसकी विद्यमान क्षमता पर आधारित संभावनाओं का लगभग आधा है. यह कमी कुछ हद तक सामयिक है तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसे पूरा कर लिया जायेगा. आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिमों पर प्रतिलाभ को बढ़ाने, समर्पित विपणन दल के द्वारा शुल्क आधारित आय को प्रोत्साहित करने, नेटवर्क और उत्पादों एवं सेवाओं के सामंजस्य से (61 प्रतिशत ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं के विविधतापूर्ण नेटवर्क के साथ), जमा संग्रहण लागत कम करने तथा आस्ति गुणवत्ता पर जोर के माध्यम से क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित होगा. दक्षता, गुणवत्तापूर्ण विकास, लाभप्रदता और पूंजी सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर वर्ष 2014-15 के दौरान बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु बैंक कटिबद्ध है.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण),1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 पूर्णकालिक निदेशक यथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त 11 अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती हैं. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त सम्बंधित कार्यवृत्त पुस्तिका में रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ;
- अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 19 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं :

23 अप्रैल, 2013	31 अक्टूबर, 2013
8 मई, 2013	16 नवंबर, 2013
9 मई, 2013	29 नवंबर, 2013
5 जून, 2013	8 जनवरी, 2014
8 जुलाई, 2013	30 जनवरी, 2014
31 जुलाई, 2013	31 जनवरी, 2014
1 अगस्त, 2013	8 मार्च, 2014
3 सितम्बर, 2013	8 मार्च, 2014 (रणनीति बैठक)
28 सितंबर, 2013	27 मार्च, 2014
30 अक्टूबर, 2013	

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों / निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशकों एवं वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-तिथि / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री अरुण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) $	01.07.57, 57 वर्ष	एम.एस.सी.(केमिस्ट्री)	6	6	सीएसी-I, एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डीपीसी (वी) एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी एचआर, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	1
श्री डी सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) #	03.11.1953 60वर्ष	एम काम, एफसीए, सीएआईआईबी	13	13	सीएसी-I, एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डीपीसी (वी) एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी एचआर, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	3
श्री एस. के. जैन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	05.05.54 59 वर्ष	बीएससी(आनर्स), एमए(अर्थ), सीएआईआईबी	19	19	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर, एंड एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	1
श्री के. सुब्रह्मण्यम कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	15.07.55 58 वर्ष	बी काम (आनर्स), सीएआईआईबी(I)	19	19	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर एंड एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	2
श्री राकेश सेठी कर्यपालक निदेशक (कार्यपालक) $	28.06.56 58 वर्ष	बी काम, एलएलबी, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट	11	10	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर एंड एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	शून्य
श्री मोहम्मद मुस्तफा सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक) $	15.08.68 45 वर्ष	परास्नातक, एमए (दर्शन शास्त्र), आईएएस	10	5	एसीबी एंड एमसीएम	शून्य	शून्य
डा. ए. भट्टाचार्या सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक) #	30.09.53 60 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम फिल, एलएलबी	9	7	एसीबी, एससीआर और एएलएम, डीपीसी, डीपीसी(वी), एससीएमएफ , एनसीबी, आरसीबी, एचआर, आरएमसी	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल भारिबैं नामिती (गैर कार्यपालक) $	21.01.59 55 वर्ष	एमबीए, सीएआईआईबी	16	14	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी(वी), आरसीबी	शून्य	शून्य
श्री चंदन सिन्हा भारिबैं नामिती (गैर-कार्यपालक) #	15.08.57 56 वर्ष	एमएससी, एमबीए, सीएआईआईबी	3	3	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी(वी), आरसीबी	शून्य	शून्य
श्री जगमोहन शर्मा सनदी लेखाकार, निदेशक (गैर-कार्यपालक) $	29.10.49 64वर्ष	बीकाम(आनर्स), एफसीए	6	6	एमसीएम, एसीबी	शून्य	शून्य
श्री बी. एम.शर्मा सनदी लेखाकार, निदेशक (गैर-कार्यपालक)#	15.07.56 57वर्ष	एफसीए	-	-	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एंड एएलएम, एसटीसीबी, एनसीबी, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी	शून्य	शून्य
श्री बी एन भट्टाचार्जी अधिकारी कर्मचारी (गैर कार्यपालक)	31.05.54 59 वर्ष	बीए, एलएलबी-I	19	19	एमसीएम, सीएससीबी, एससीआर एंड एएलएम, एसटीसीबी,	19	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-तिथि / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	20.05.58 55 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	19	19	एमसीएम, सीएससीबी एसआईजीसी,	शून्य	शून्य
डा. अतुल अग्रवाल अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक) @	02.08.60 53 वर्ष	बी काम, एलएलबी, एफसीए., आईएसए (आईसीएआई), पीएचडी	19	15	एमसीएम, एससीबी, एसआईजीसी, सीएससीबी, आईटी, आरसीबी, एनसीबी , पीएसबी द्वारा ईएसवी	300	शून्य
श्री श्रीकांत मिश्र अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक) $	8.03.55 59 वर्ष	बी कॉम.सीए	19	15	एनसीबी, एससीआर, एंड एएलएम, एमसीएम	शून्य	शून्य
सुश्री अनुसूया शर्मा अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)$	15.06.48 65 वर्ष	एमए, बीएड, एलएलबी	18	15	एमसीएम, एसआईजीसी,	शून्य	शून्य
डॉ. आर. एच. ढोलकिया शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	02.04.53 61 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी	19	12	एमसीएम, एचआर, सीएससीबी,	200	3
श्री जी. के. लाठ शेयर धारक (गैर कार्यपालक) $	20.08.52 61वर्ष	बी.काम., एफसीए	19	15	एमसीएम, सीएससीबी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, एसीबी	100	शून्य
श्री डी. चटर्जी शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	23.08.48 65 वर्ष	बी.काम.(आनर्स), सीए	19	15	एमसीएम, आरसीबी, एससीआर एवं एएलएम, आईटी रणनीति	200	10

$ शामिल नये निदेशक

श्री अरुण तिवारी को भारत सरकार द्वारा 26.12.2013 से श्री डी.सरकार,जिनका कार्यकाल 30.11.2013 को समाप्त हो गया, के स्थान पर बोर्ड में नामांकित किया गया.

श्री जगमोहन शर्मा को भारत सरकार द्वारा 05.12.2013 से श्री बी.एम.शर्मा, जिनका कार्यकाल 15.04.2013 को समाप्त हो गया, के स्थान पर बोर्ड में सनदी लेखाकर -निदेशक के रुप में नामांकित किया गया.

श्री मोहम्मद मुस्तफा को भारत सरकार द्वारा 30.09.2013 से डा. ए.भट्टाचार्या, जिनका कार्यकाल 30.09.2013 को समाप्त हो गया, के स्थान पर बोर्ड में नामांकित किया गया.

श्री राकेश सेठी को भारत सरकार द्वारा 05.08.2013 से कार्यपालक निदेशक के रुप में बोर्ड में नामांकित किया गया.

श्री दीपक सिंघल को भारत सरकार द्वारा 31.05.2013 से श्री चंदन सिन्हा, जिनका कार्यकाल 31.05.2013 को समाप्त हो गया, के स्थान पर बोर्ड में नामांकित किया गया.

श्री श्रीकांत मिश्रा को भारत सरकार द्वारा 11.04.2013 से अंश कालिक गैर सरकारी गैर -कार्यपालक निदेशक के रुप में बोर्ड में नामांकित किया गया.

सुश्री अनुसूया शर्मा को भारत सरकार द्वारा 06.05.2013 से अंश कालिक गैर सरकारी गैर -कार्यपालक निदेशक के रुप में बोर्ड में नामांकित किया गया

@ एसीबी के अध्यक्ष

ऐसे निदेशक, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया

सीएसी	-	साख अनुमोदन समिति
एमसीएम	-	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति
एसीबी	-	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआईजीसी	-	निदेशक मंडल की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता
एसटीसीबी	-	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	-	₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	-	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	-	बोर्ड की नामांकन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन मुद्दों के लिए बोर्ड की उपसमिति
आईटी	-	बोर्ड की आइटी रणनीति समिति
आरएमसी	-	वसूली प्रबंधन हेतु बोर्ड की समिति
पीएसबी द्वारा ईएसवी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयर धारकों का चुनाव

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री एस.के. जैन, कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समितियों या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

यूनियन केबीसी एएमसी प्रा.लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री के.सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति/निवेशक शिकायत समिति के सदस्य/अध्यक्ष हैं:

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री डी.चटर्जी, निदेशक बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशक शिकायत समिति की सदस्य/अध्यक्ष हैं:

1. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इन्डस्ट्रीज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
2. वेस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
3. पियरलेस फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.- अध्यक्ष,लेखापरीक्षा समिति
4. टीआरएफ .लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
5. टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
6. दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

डॉ. आर. एच.ढोलकिया,निदेशक, बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशक शिकायत समिति के सदस्य/अध्यक्ष हैं:

1. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
2. अडानी इन्टरप्राइजेज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

31 मार्च 2013 के उपरांत बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों की प्रोफाइल

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	57 वर्ष	श्री अरुण तिवारी ने 26 दिसंबर,2013 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला. श्री तिवारी का जन्म 1 जुलाई,1957 को हुआ था. उन्होंने एमएससी (रसायनशास्त्र) के साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी किया है. श्री अरुण तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की थी. उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय में विभिन्न क्षमताओं में बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में तथा कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक - एमएसएमई तथा संपत्ति, होलसेल बैंकिंग के रूप में कार्य किया है.अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न केन्द्रों तथा कुआलालम्पूर तथा सिंगापुर में संबन्धित क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य किया.महाप्रबंधक के रूप में श्री तिवारी बैंक ऑफ बड़ौदा के महानगरीय मुंबई अंचल के प्रमुख भी रहे. कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने पर,श्री तिवारी ने 18.06.2012 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया तथा ऋण, ऋण अनुश्रवण, एचआर, आईटी, जोखिम प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, निरीक्षण, सतर्कता एवं शाखा विस्तार तथा सहायक सेवाएँ संविभाग का कार्य संभाला. विश्व बैंक के तत्वावधान में श्री तिवारी ने भारत में निर्यातोन्मुखी लघु स्तर उद्योगों के लिए यूएसए तथा यूरोप में एक अध्ययन कार्य किया. उन्होंने आर्थर डी' लिटिल, बोस्टन, यूएसए, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट,नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, एनआईबीएम, पुणे, बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मुंबई आदि प्रतिष्ठित संस्थानों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों में भाग लिया है. वह ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक थे. वर्तमान में वह जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया(जीआईसी आरई) के निदेशक मण्डल में एक निदेशक हैं.	26.12.2013	30.06.2017 या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	1
श्री राकेश सेठी कार्यपालक निदेशक	58 वर्ष	श्री राकेश सेठी का जन्म 28.06.1956 को हुआ था.वह बी.काम., एलएलबी तथा पर्सनल मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा धारक हैं. वे इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ बैंकिंग एवं फाइनेन्स के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं. उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का 35 वर्षों का व्यापक अनुभव है.वह बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी/असाधारण रुप से बड़ी एवं विदेशी शाखाओं के शाखा प्रमुख रह चुके हैं तथा उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय/अंचलीय कार्यालय में ऋण विभाग में व्यापक रुप से कार्य किया है.वे चंडीगढ़ अंचल के अंचलीय प्रबंधक भी रहे, जिसमें हिमाचल प्रदेश,हरियाणा तथा चंडीगढ की शाखायें शामिल हैं. महाप्रबंधक के रुप में, वे नेशनल बैंकिंग-दक्षिण के प्रमुख रहे, जिसमें सम्पूर्ण दक्षिण भारत के सभी छह अंचल शामिल हैं जिनमें कुल शाखाओं की संख्या 565 है. प्रधान कार्यालय में वह खुदरा बैंकिंग प्रभाग तथा विपणन विभाग के प्रमुख भी थे तथा बैंक की ALCO, CORM, निवेश समिति सहित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं. श्री सेठी ने फरीदाबाद, करनाल,चंडीगढ़,पटियाला, इंदौर, जबलपुर,नई दिल्ली, मुम्बई, गोवा तथा चेन्नई सहित विभिन्न केन्द्रों पर कार्य किया है.	05.08.2013	30.06.2016 अर्थात् सेवानिवृति की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो.	

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
		घरेलू बैंकिंग अनुभवों के अतिरिक्त, जर्सी-चैनल द्वीप,जाम्बिया तथा अंत में महाप्रबंधक एवं बैंक ऑफ इंडिया के यूरोपीय संचालनों के मुख्य कार्यकारी के रुप में तीन विदेशी पदस्थियां विशेष उल्लेखनीय हैं. बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र खुदरा/एमएसएमई तथा समग्र ग्राहक संपदा में बैंक की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देते हुए अन्तर्राट्रीय बैंकिंग रहा है. भारत तथा विदेशों में प्रकृति के बहुत निकट सम्पर्क की यात्रायें करना उनकी हाबी है. उन्हें 5 अगस्त, 2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा तब से वह अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों में ट्रेजरी संचालनों,खुदरा बैंकिंग एवं विपणन, संव्यवहार बैंकिंग तथा तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण,वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन, संपर्क पर विशेष बल सहित सरकारी कारोबार तथा ग्राहक सेवा, उत्पाद तथा कार्पोरेट छवि संवर्धन के लिए -कार्पोरेट संप्रेषण,नियंत्रण पहलू पर विशेष जोर सहित केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण,ऋण,अग्रिमों,खुदरा,सम्पार्श्विक आदि सहित नीति निर्धारण का कार्य संभाल रहे हैं.			
श्री मोहम्मद मुस्तफा, सरकारी नामित निदेशक	45 वर्ष	श्री मोहम्मद मुस्तफा दिनांक 30 सितम्बर, 2013 से बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किये गये हैं. मोहम्मद मुस्तफा ने वर्ष 1995 में आईएएस के रुप में सेवा ग्रहण की. वह उत्तर प्रदेश कैडर से हैं तथा उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है. कई जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा मुख्य विकास अधिकारी के रुप में कार्य करने के अतिरिक्त उन्होंने कानपुर,प्रतापगढ, रामपुर,फतेहपुर तथा बलरामपुर जिलों के कलेक्टर तथा जिलाधिकारी के रुप में भी कार्य किया है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा,समाज कल्याण,अल्प संख्यक कल्याण, आवास एवं शहरी विकास,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं टेक्नालाजी,मनोरंजन कर,वाणिज्य कर आदि विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है. उन्होंने सितम्बर,2012 में वित्तीय सेवायें विभाग में निदेशक के रुप में कार्यग्रहण किया. यूनियन बैंक में नामांकन से पूर्व वह आंध्रा बैंक में सरकार द्वारा नामित निदेशक थे.	30.09.2013	अगले आदेशों तक	शून्य
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामिती	55 वर्ष	श्री दीपक सिंघल भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक हैं. इस उत्तरदायित्व से पूर्व,वह मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे. देश के केन्द्रीय बैंकर के रुप में कार्य का उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है. इससे पूर्व वह केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग तथा मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख रह चुके हैं. श्री सिंघल ने बैंकों के पर्यवेक्षण पर बासल समिति, बीआईएस तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य समूहों/समितियों में कार्य किया है. उन्होंने 1977 में इलाहाबाद से स्नातक किया. उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 1979 में अपनी एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की तथा बैंक में अपने करियर के दौरान सीएआईआईबी भी किया.	31.05.2013	अगले आदेशों तक	शून्य
श्री जग मोहन शर्मा, सनदी लेखाकार संवर्ग	64 वर्ष	दिल्ली निवासी श्री जगमोहन शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.काम.(आनर्स)किया है तथा उन्हें 33 वर्ष से अधिक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है. पिछले 33 वर्षों में उन्होंने बैंकों की शाखाओं की विभिन्न लेखापरीक्षाएं की हैं. उन्हें भारिबैं के सीडीआर कक्ष के अर्न्तगत अनुश्रवण संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीडीआर तंत्र के अधीन बड़े उधारकर्ताओं का संगामी लेखापरीक्षक भी नियुक्त किया गया था. उपरोक्त के अलावा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बैंक के मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लाईज वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की. उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के सदस्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक सेन्टेनरी वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना भी की. उन्होंने भारत तथा विश्व का व्यापक भ्रमण किया है.	05.12.2013	नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों तक अथवा अगले आदेशों तक ,दोनों में जो पहले हो	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री श्रीकांत मिश्र, अंश कालिक गैर-कार्यपालक निदेशक	59 वर्ष	श्री श्रीकांत मिश्र का जन्म 8 मार्च,1955 को हुआ था.वह 1978 से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं.वर्तमान में वह मेसर्स एस के एन एसोशिएट्स के संचालक हैं जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है. श्री मिश्र वर्ष 1982 से दिसम्बर,2012 तक मेसर्स चतुर्वेदी एंड कम्पनी के भागीदार भी थे. 35 वर्ष से अधिक के अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने अनेक सांविधिक लेखापरीक्षा (विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा कम्पनियों के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा सहित), बडे कारोबारी समूहों जैसे बलरामपुर चीनी, टाइम्स ऑफ इंडिया,शॉ वालेस, एड्वान्स ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज, विकास टेलीकाम आदि, का आन्तरिक/प्रबंधन लेखापरीक्षा, परियोजना वित्तपोषण, प्रबंधन परामर्श, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा कम्पनियों के लिए लेखांकन मैन्यूअल तैयार करना, कम्पनी कानून एवं आयकर के मामलों में विशेषज्ञ राय देने का कार्य,वित्तीय समुचित सावधानी, अवधारणा की स्थापना तथा परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विलय एवं अधिग्रहण का कार्य किया है. अपने ज्ञान को बढ़ाने एवं क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने विश्व का व्यापक भ्रमण किया है. उन्होंने स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा परियोजनाओं की वित्तीय आयोजना में विशेषज्ञता हासिल की है. श्री मिश्र पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास एसोशिएसन के मानद सचिव भी रहे. वह सनातन धर्म महामंडल की कार्य समिति के सदस्य हैं.	11.04.2013	10.04.2016 तक अथवा अगले आदेशों तक ,दोनों में जो पहले हो	शून्य
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक	65 वर्ष	सुश्री अनुसूया शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है. वह एमए, बी.एड तथा एलएलबी हैं. स्वतंत्रता सेनानी परिवार मे जन्मी सुश्री शर्मा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं तथा एआईसीसी, पीपीसी, यूपीसीसी आदि की सदस्य रही हैं. वह सक्रिय रुप से ट्रेड यूनियन पृष्ठभूमि से भी जुड़ी हैं तथा विभिन्न ट्रेड यूनियन समितियों/यूनियनों की सदस्य, महासचिव, प्रेसिडेन्ट आदि रही हैं. वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेमिनारों में भाग लेने के अलावा विभिन्न सरकारी समितियों की सदस्य भी रही हैं.	06.05.2013	नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों तक अथवा अगले आदेशों तक ,दोनों में जो पहले हो	शून्य

3.11 वार्षिक साधारण बैठक:

शेयर धारकों की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 26 जून , 2013 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1. श्री डी.सरकार - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस.के.जैन - कार्यपालक निदेशक
3. श्री के.सुब्रह्मण्यम - कार्यपालक निदेशक
4. श्री बी. एन. भट्टाचार्जी - अधिकारी प्रतिनिधि निदेशक
5. डॉ. अतुल अग्रवाल - अंशकालिक गैर -कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष,लेखापरीक्षा समिति एवं अध्यक्ष शेयर धारक/निवेशक,शिकायत समिति
6. श्री गोपाल कृष्ण लाठ - शेयरधारक निदेशक
7. श्री आर.एच.ढोलकिया - शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें 7 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 2 गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार डॉ.अतुल अग्रवाल,स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक और सनदी लेखाकार है, "जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते है."

4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10.11.2010 को जारी केलैंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन,परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी बैंक के आंतरिक निरीक्षण /लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली,गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है:
   - अंतर शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति.
   - धोखाधड़ी.
   - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी भारिबैं के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारियों से छमाही रिपोर्ट और लिस्टिंग तथा अन्य सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित पार्टी लेनदेनो, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष गुप्त सूचना (विसिल ब्लोअर) हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.
7. बैंक की सभी वित्तीय नीतियों की समीक्षा.
8. प्रबंधन के फैसले की कार्रवाई के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा
9. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में अर्हता यदि कोई हो तो
10. लेखा मानकों के कारण लेखा परीक्षा, अनुपालन से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजन
11. भावी मुद्दों का अनुमान.
12. जमाकर्ताओं, शेयरधारकों (लाभांश) और लेनदारों को भुगतान में चूक (जहां भुगतान में विलंब हुआ है).

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

2013-14 में समिति की **10** बैठकें हुईं जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. अतुल अग्रवाल - एसीबी के अध्यक्ष	10	10
श्री एस.के.जैन, का.नि.	10	10
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	10	10
श्री राकेश सेठी, का.नि.	7	6
श्री मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित	6	2
डॉ. ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित	4	3
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित	8	8
श्री चंदन सिन्हा, भारिबै नामित	2	1
श्री जगमोहन शर्मा,निदेशक,(सीए संवर्ग)	4	4
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदशक	7	7

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1 संघटन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2007 और उसके बाद 29 जून, 2007 तक किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/कों,रिजर्व बैंक के नामित निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित एक चार्टर्ड एकाउटेंट, जो समिति के नियमित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा धारा 9(3)(ई),(एफ),(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छ:माह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2 कार्य

निदेशक मंडल ने प्रबधंन समिति का गठन वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी,ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों,राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का अनुमोदन,परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रबंधन समिति की **26** बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही : -

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अ.एवं प्र.नि.	9	9
श्री डी.सरकार, अ.एवं प्र.नि.	15	15
श्री एस. के. जैन, का.नि.	26	25
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	26	25
श्री राकेश सेठी, का.नि.	19	17
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामिती	23	18
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं के नामिती	3	2
श्री जगमोहन शर्मा (सीए संवर्ग)	11	11
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	13	13
श्री बी.एन.भट्टाचार्जी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	12	11
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	6	6
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	3	1
श्री जी.के.लाठ ,शेयर धारक निदेशक	9	6
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	14	12
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	11	10
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	10	9

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम):

4.3.1. संघटन

इस समिति में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित सदस्य तथा तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

4.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अ.एवं प्र.नि.	2	2
श्री डी.सरकार, अ.एवं प्र.नि.	2	2
श्री एस.के.जैन, का. नि	4	3
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	3	3
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	--
डॉ ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
डॉ अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	3
श्री बी.एन.भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	4	4
श्री डी.चॅटर्जी, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	3	3

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति (एसआईजीसी) :

4.4.1 संघटन :

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति में कार्यपालक निदेशक और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष डा. अतुल अग्रवाल, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

4.4.2 कार्य :

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड द्वारा बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी) का गठन किया गया है. यह समिति शेयरों के अंतरण, वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि प्राप्त न होने संबंधी शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है.

4.4.3 एसआईजीसी में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा. अतुल अग्रवाल, (अध्यक्ष, एसआईजीसी)	4	4
श्री एस.के.जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	3	3
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	4	4
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	3	3

31.3.2013 और 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :

		31.03.2014 को समाप्त वि. वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वि. वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1377	1027
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1377	1027
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

सुश्री नेहा अग्रवाल, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक (एमडीओ) और मुख्य विधि अधिकारी शामिल हैं.

4.5.2 कार्य

बैंक ने शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 35 बैठकें आयोजित की गयीं.

4.6 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाऊसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

4.6.1 संघटन:

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य.

4.6.2 कार्य:

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके,
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके,
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई यदि कोई है तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके,
- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी.सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	2	2
श्री एस. के. जैन का.नि.	3	3
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	3	3
श्री राकेश सेठी, का.नि.	2	2
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. ए.भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री जी.के.लाठ ,शेयर धारक निदेशक	3	3

4.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन :

समिति में दस सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
- ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक - स्थायी सदस्य
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्य:

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफ़ारिशों के अनुपालन सहित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री डी.सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
श्री एस. के. जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	3	3
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	-
डॉ. ए.भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	4	4
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	4	4
डॉ. अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	4
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री जी.के.लाठ, शेयर धारक निदेशक	4	4

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक समिति(आरसीबी) :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ.I दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है जिसे "पारिश्रमिक समिति" कहा गया है.

4.8.1 संघटन :

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य :

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. ए.भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित (अध्यक्ष, आरसीबी)	1	1
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	1	1
डॉ. अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
श्री डी.चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	1

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3एए) एवं (3एबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट "योग्य एवं उपयुक्त" मानदंड निर्धारित किए

हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए "योग्य एवं उपयुक्त" मानदंडों पर परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया है.

4.9.1 संघटन :

- तीन गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

4.9.2 कार्य :

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की "योग्य एवं उपयुक्त" स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) क्षेत्र एवं विशेषज्ञता का अनुभव (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2013-14 के दौरान एक बैठक संपन्न हुईं, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक, (अध्यक्ष-,एनसीबी)	1	1
श्री श्रीकांत मिश्रा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. अतुल अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. द्वारा नामित निदेशक

4.10.2 कार्य :

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 में समिति की एक बार बैठक हुई जिसमें उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
डॉ. ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक, (अध्यक्ष-,एनसीबी)	1	1
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं द्वारा नामित	1	1

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य :

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2013-14 के दौरान 4 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
मोहम्मद मुस्तफा , भारत सरकार नामिती	2	1
डॉ. ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं. नामिती	4	4

4.12 निदेशकों की एचआर समिति

4.12.1 संघटन

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/या कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं.

4.12.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण और समीक्षा:

1. बैंक की संपूर्ण रणनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास :
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को सुव्यवस्थित करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण /पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

4.12.3 एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2013-14 में समिति की 3 बैठकें हुईं जिनमे उपस्थिति इस प्रकार थी:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री एस. के. जैन, का.नि	3	2
श्री के. सुब्रह्मण्यम, का.नि	3	3
श्री राकेश सेठी, का.नि	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफा, भारत सरकार नामिती	2	1
डॉ. ए. भट्टाचार्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. आर.एच. ढोलकिया, शेयर धारक निदेशक	3	3

4.13 निदेशकों की आईटी रणनीति समिति

आईटी सुशासन उपायों के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की रणनीति से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है.

4.13.1. संघटन :

समिति में होंगे:

- कार्यपालक निदेशकगण
- दो स्वतंत्र निदेशक जिनमें एक समिति का अध्यक्ष होगा.
- बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी - (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख महा प्रबंधक)

4.13.2. कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहे और बजट स्वीकार करने योग्य हो.
- रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (जैसे जोखिम, फंडिंग या सोर्सिंग टास्क के बारे में)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आय से अधिकतम लाभ मिलता हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना

4.13.3 आईटी रणनीति बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

2013-2014 के दौरान समिति की 6 बैठकें की गईं और उनमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अतुल अग्रवाल, निदेशक (अध्यक्ष आईटी रणनीति)	6	6
श्री एस के जैन,कानि	6	6
श्री के. सुब्रमण्यम, कानि	6	6
श्री राकेश सेठी, कानि	3	3
श्री डी चटर्जी, अंशधारक निदेशक	6	4

4.14. अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान (पीएसबी द्वारा इएसवी)

भारत सरकार, जो प्रमुख अंशधारक है, चुनाव प्रक्रिया में भाग नही लेता है क्योंकि वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16/11/2012-BO-1 दिनांकित 03 अप्रैल,2012 द्वारा जारी नोटीफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है. अत: मंत्रालय ने बैंकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की समिति गठित करने की सलाह दी है जो विभिन्न प्रतिभागियों का सावधानीपूर्वक सभी घटकों जैसे शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि का अध्ययन करेगी एवं प्रतिभागियों के चुनाव में निर्णय लेगी. इसके साथ ही,पीएसबी के अंशधारक निदेशक के चुनाव के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा. आगे सूचित किया जाता है कि समिति में सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक नही रहेंगे.

4.14.1. संघटन :

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

4.14.2. कार्य :

संदर्भ की शर्तें:- शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार किया जाएगा एवं प्रतिभागियों के चुनाव में निर्णय लिया जाएगा.इसके साथ ही, पीएसबी के अंशधारक निदेशक के चुनाव के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

4.14.3. अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थिति सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान

आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही अत: वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नही हुई.

4.15. वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी)

27.11.2012 को भारत सरकार के उक्त विषयक पत्र क्रमांक F.No.7/112/2012-BOA दिनांकित 21 नवम्बर,2012 के अनुसार वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन किया गया.

यह भी सूचित किया गया कि नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन करना चाहिए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं भारत सरकार नामित निदेशक होंगे एवं यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

4.15.1 संघटन

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- भारत सरकार नामित निदेशक

4.15.2 कार्य

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना.

4.15.3 वसूली प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थिति :

2013-2014 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री डी सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
श्री एस.के.जैन, कानि	5	5
श्री के सुब्रमण्यम, कानि	5	4
श्री राकेश सेठी,कानि	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, भारत सरकार नामित निदेशक	3	3
डॉ. ए. भट्टाचार्या, भारत सरकार नामित निदेशक	2	2

4.16. ऋण अनुमोदन समिति - I (सीएसी)

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के गजट नोटीफिकेशन क्रमांक SO.2736(E) दिनांकित 5 दिसम्बर, 2011 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.01.2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया गया. सीएसी (ऋण अनुमोदन समिति - I) का परिचालन अप्रैल, 2012 से प्रभावी हुआ.

4.16.1. संगठन :

सीएसी का संगठन निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अनिवार्य रुप से)
- कार्यपालक निदेशकगण (अनिवार्य रूप से कम से कम एक)
- महाप्रबंधक - ऋण

- महाप्रबंधक वित्तीय आयोजना एवं निवेशक संबंध (सीएफओ)
- महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन (अनिवार्य रूप से)

4.16.2 कार्य :

निधि आधारित/गैर निधि आधारित ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करना

ऋण समझौता/अपलिखित प्रस्ताव

4.16.3. ऋण अनुमोदन समिति - I की बैठक में उपस्थिति

2013-2014 के दौरान समिति की 35 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10
श्री डी सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25	25
श्री एस.के.जैन, कानि	35	34
श्री के सुब्रमण्यम, कानि	35	31
श्री राकेश सेठी, कानि	23	19
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	35	35
महाप्रबंधक सीएफओ	35	31
महाप्रबंधक (ऋण)	35	34

5. साधारण सभा की बैठकें :

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 जून, 2011 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	20 मार्च,2012, प्रात: 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	26 जून,2012, प्रात: 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून,2012 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	16मार्च, 2013 प्रात:10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
11वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून,2012 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	14 दिसम्बर, 2013 प्रात:10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

5.1 20 मार्च 2012 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

अ) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,43,11,631 (एक करोड़ तैंतालिस लाख ग्यारह हजार छै सौ इक्तीस) इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 355 करोड़ (₹ तीन सौ पचपन करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का विशेष संकल्प.

ब) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(4) के अनुसार रु.10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 2,62,16,620 (दो करोड़ बासठ लाख सोलह हजार छै सौ बीस) इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 650.30 करोड़ (₹ छह सौ पचास करोड़ तीस लाख)नकद के बदले वरीयता आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की विभिन्न योजनाओं को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का विशेष संकल्प. इस संकल्प के क्रम में बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम से केवल आवेदन राशि प्राप्त हुई और 30 मार्च,2012 को भारतीय जीवन बीमा निगम को 2,62,16,620 शेयर आबंटित किये गये.

उक्त संकल्प के अनुक्रम में बैंक को केवल भारतीय जीवन बीमा निगम से आवेदन राशि प्राप्त हुई थी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 30 मार्च, 2012 को 2,62,16,620 शेयर आबंटित कर दिये गये.

5.2 16 मार्च 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

विशेष संकल्प:

1) भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 4,62,45,174 (चार करोड़ बासठ लाख पैंतालीस हजार एक सौ चौहत्तर) इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 240.89 की दर से कुल मिलाकर ₹1,114 करोड़ (एक हजार एक सौ चौदह करोड़)नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

2) पात्र संस्थागत निवेश (क्यू आईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत पात्र संस्थागत निवेश के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में पात्र संस्थागत क्रेताओं के रूप में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव,

जारी करना तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹1386 करोड (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और /या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 4,62,45,174 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 मार्च, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया.

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू. आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए ऐसे समय एवं रुप मे पूंजी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया, जो बैंक के हित में हैं. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

5.3 14 दिसम्बर, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

विशेष संकल्प :

1. भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

ए) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 3,35,12,064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ) इक्विटी शेयर प्रीमियम ₹139.20 के साथ ₹149.20 पर कुल मिलाकर ₹500 करोड़ (₹ पांच सौ करोड़) नकदी के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

बी) ₹10/- प्रत्येक वाले 74,39,678 (चौहत्तर लाख उनतालीस हजार छै: सौ अठहत्तर) शेयर ₹139.20 प्रीमियम के साथ ₹149.20 परिवर्तन मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार परिवर्तन के द्वारा कुल ₹111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड) के 11.10 करोड पी.एन.सी.पी.शेयर्स को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

2) पात्र संस्थागत निवेश के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत पात्र संस्थागत निवेश के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में पात्र संस्थागत क्रेताओं के रूप में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹1386 करोड (रु.एक हजार तीन सौ छियासी करोड) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो, लीड प्रबंधकों और /या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 3,35,12,064 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया.

पी.एन.सी.पी.शेयर्स के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से बैंक को अभी तक अनुमोदन नहीं मिला है तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी.

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू. आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए ऐसे समय एवं रुप मे पूंजी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया जो बैंक के हित में हो. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

6. प्रकटन :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

i. निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार किया जाता है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

ii महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते

हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

बैंक में यह स्थापित प्रथा रही है कि जब मामला निदेशकों या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कम्पनियों से संबंधित चर्चा का हो, तब संबंधित निदेशक, बोर्ड के विचार-विमर्श और बोर्ड की अन्य उप समितियों में भाग नहीं लेते हैं.

iii सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

आलोच्य वर्ष में बैंक ने भारत सरकार को वरीयता के आधार पर ₹10/- मूल्य के 3,35,12,064 इक्विटी शेयर आवंटित कर अपनी इक्विटी पूंजी में बढ़ोत्तरी की है.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टायर I एवं टायर II पूंजी)की प्रकृति के अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं. इससे संबंधित सूचना रिपोर्ट के पैरा 8.2 में दी गयी है.

निधियां एकत्रित करने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये पूंजी बढ़ाना तथा बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को सुधारना था और उनका उपयोग इसी के लिये किया गया है,

iv दंड एवं आक्षेप :

गत 3 वर्ष के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

v) गुप्त सूचना नीति (विसिल ब्लोवर पॉलिसी)

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

vi) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम फाइनेन्शियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 31 मार्च 2014 को देश के विभिन्न भागों में बैंक की 3,871 (दो ओवरसीज़ शाखाओं सहित) शाखाओं का नेटवर्क था.

8.2 बैंक का शेयर मुम्बई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं तथा उनके स्टॉक स्क्रिप कोड निम्न प्रकार हैं :-

शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई)	532477
राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30 अप्रैल, 2014 से पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमीसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2014 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्रति.वर्ष.)	आईएसआईएन नं.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09126
XI -लोअर टियर II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12 .04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI - द्वितीय खंड	200	12.12.2007	स्थाई	10 वर्ष तक 9.90 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	10 वर्ष तक 11.15% 10 वर्ष के उपरांत 11.65, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159

श्रृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्रति.वर्ष.)	आईएसआईएन नं.
XII लोअर टीयर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टीयर II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टीयर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 9.10 10 वर्ष के उपरांत 9.60, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV- ए स्थाई	200	16.06.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 8.85, 10 वर्ष के उपरांत 9.35, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV-बी अपर टियर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.15, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टियर II	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55 10 वर्ष तक , 10 वर्ष के उपरांत 9.05, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो.	आईएनई 692A09225
XV-ए अपर टीयर II	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	10 वर्ष तक 8.48% 11वें वर्ष से 8.98%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
XV-बी लोअर टीयर II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	आईएनई 692A09241
XVII-ए	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80 वार्षिक	आईएनई 692A09266
कुल	**8540**				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान 30 अप्रैल, 2014 से पूर्व कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 8 जनवरी, 2014 को आयोजित बैठक में 27% तदर्थ लाभांश की घोषणा की है, इसके अलावा बैंक के निदेशक मंडल ने 8 मई, 2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल 40% अर्थात् रु. 4/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	8 मई, 2014
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.27 जून, 2014 को प्रात: 11.00 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी.कॉलेज, दिन्शा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	31 मई 2014 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	21 जून, 2014 से 27 जून, 2014
लाभांश के भुगतान की तिथि	8 जुलाई, 2014

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2014 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	25 जुलाई, 2014
30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	28 अक्तूबर, 2014
31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	27 जनवरी, 2015
31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	8 मई, 2015

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण, विधिवत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

शेयर अंतरण और निवेशकों संबंधी अन्य समस्त गतिविधियों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. मुंबई के कार्यालय में संपादित की जाती हैं. शेयरधारक अपने अंतरण विलेख और अन्य दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com है.

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.
प्लॉट नं बी-5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी,मरोल
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093.
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 28213404
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दो पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. अदत्त लाभांशों का दावा करने और बैंक विवरण / लाभांश मेंडेट फॉर्म को अद्यतन करने पर.

III. कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

8.6 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमैट रूप में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE 692 A01016** है. अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगी. 31.03.2014 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है ::

	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	63,330	1,41,04,916	2.24
डीमैट			
एनएसडीएल	1,06,532	21,99,64,990	34.90
सीडीएसएल	69,096	39,62,36,367	62.86
कुल	**2,38,958**	**63,03,06,273**	**100.00**

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान होता है.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उन स्थानों पर नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) के जरिये लाभांश के वितरण के लिए डिपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के ब्यौरों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जहां ईसीएस सेवा उपलब्ध हो. नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस उपलब्ध न होने पर, बैंक निवेशकों को लाभांश वितरण का भुगतान लिखतों के माध्यम से करेगा एवं उपलब्ध होने पर बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित करेगा.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका भी अपनाया है :

ऐसे शेयरधारकों, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं, के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना.

लाभांश मैंडेट फार्म हमारी वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.

लाभांश की राशि उनके खातों में आसानी से जमा करने के लिए, अंशधारकों से निवेदन है कि सही तथा पूरा खाता नंबर, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट या डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) जैसा भी मामला हो, के पास अद्यतन करवा लें. सही और पूरा खाता नंबर उपलब्ध न होने की दशा में, अंशधारक द्वारा उपलब्ध करवाए गये खाता क्रमांक को प्रिंट कर भौतिक लाभांश वारंट जारी करना होता है.

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई		
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)
अप्रैल '13	247.8	204.75	3546025	247.90	204.50	29771918
मई '13	255.00	216.65	4456714	255.00	216.50	38073109
जून '13	224.10	176.40	5202022	224.00	176.25	26112167
जुलाई '13	193.5	118.35	7575725	193.00	118.55	53427093
अगस्त '13	134.00	97.10	11678476	134.15	97.00	74689058
सितम्बर '13	142.4	100.15	15738148	142.30	100.00	93729666
अक्तुबर '13	125.00	108.25	15893144	125.00	108.05	89893490
नवम्बर '13	142.70	115.25	19818439	142.70	115.10	111223732
दिसम्बर '13	134.15	114.50	13282220	134.40	114.35	90793077
जनवरी '14	136.00	103.35	12793504	136.00	103.05	76281147
फरवरी '14	109.00	100.60	6760549	109.05	100.50	43983569
मार्च '14	138.50	101.55	10966868	138.60	101.30	81793764
31/3/2014 को अन्तिम मूल्य	₹ 137.20			₹ 137.40		
बाजार पूंजीकरण	₹ 8647.80 करोड़			₹ 8660.41 करोड़		

यूनियन बैंक बनाम बी एस ई सेंसेक्स

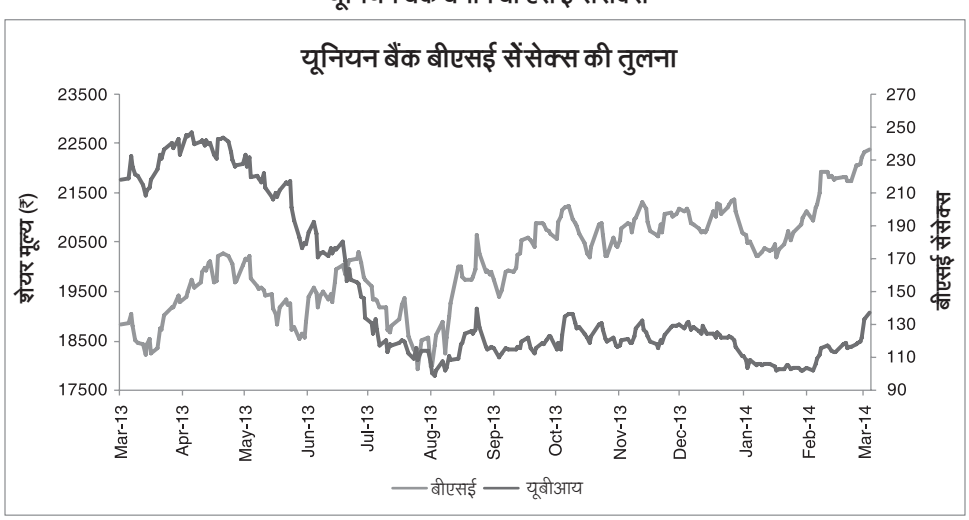

8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 37.90 करोड़ शेयरों की है, जो ₹.630.31 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹.378.97 करोड़ है. दिनांक 31.3.2013 तथा 31.3.2014 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :-

	यथा 31/03/2013				यथा 31/3/2014			
शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
500 तक	188821	90.05	27141516	4.55	213156	89.20	30611515	4.86
501 से 1000	16320	7.78	10699065	1.79	18899	7.91	12771381	2.03
1001 से 2000	3018	1.44	4121551	0.69	4296	1.80	6052568	0.96
2001 से 3000	580	0.28	1420883	0.24	1015	0.42	2545714	0.40
3001 से 4000	184	0.09	645785	0.11	387	0.17	1373764	0.22
4001 से 5000	105	0.05	488479	0.08	246	0.10	1145975	0.18
5001 से 10000	220	0.10	1590924	0.27	415	0.17	2946654	0.47
10001 से अधिक	443	0.21	550686006	92.27	544	0.23	572858702	90.88
कुल	**209691**	**100.00**	**596794209**	**100.00**	**238958**	**100.00**	**630306273**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है. बैंक ने भारत सरकार को ₹111.00 करोड़ के सर्वकालिक गैर संचयी वरीयता शेयर जारी किये हैं.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2013 तथा 31.03.2014 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :-

	यथा 31/3/2013		यथा 31/3/2014	
शेयरधारक की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	34,54,59,689	57.89	37,89,71,753	60.13
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	6,36,03,403	10.66	5,41,30,826	8.59
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	7,01,52,974	11.75	7,02,67,222	11.15
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	3,74,83,056	6.28	3,45,05,926	5.47
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	3,24,21,665	5.43	3,31,54,868	5.26
निवासी व्यक्ति	4,76,73,422	7.99	5,92,75,678	9.40
कुल	**59,67,94,209**	**100.00**	**63,03,06,273**	**100.00**

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2014 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं :

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	378971753	60.13
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	47134525	7.48
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	14928590	2.37
4	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	6547690	1.04
5.	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6403064	1.02
6.	मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट्स, एसपाना एस.ए.एस.वी.	5655288	0.90
7.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि-एचडीएफसी मिडकैप अपारचुनिटीस फंड	5500000	0.87
8.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि-एचडीएफसी सर्वोच्च-200 फंड	4977000	0.79
9.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	4650577	0.73
10.	आई सी आई सी आई प्रूडेन्शियल डिस्कवरी फंड	4623227	0.73
	कुल	**479391714**	**76.06**

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	दावा करने की अंतिम तिथि
अंतिम लाभांश 2006-07	20%	27.07.2014
लाभांश 2007-08	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10	55%	09.08.2017
लाभांश 2010-11	80%	08.08.2018
लाभांश 2011-12	80%	06.08.2019
लाभांश 2012-13	80%	29.07.2020
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	11.02.2021

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट **(www.unionbankofindia.co.in)** पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर:

ए. डीमेट रूप में :

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा न किए गए हों, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2013 को शेष	235	29130
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	2	349
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	2	349
31.03.2014 को डीमैट उचंत खाते में शेष	233	28781

ऊपर बताए गए 28781 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए II जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय जारी शेयर, जिनके बारे में अभी तक दावा नहीं किया गया है, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2013 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	लागू नहीं	लागू नहीं
31.03.2014 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

9. **सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति:**

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1[ए]	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अत: यह खंड **लागू नहीं होता** है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
1[बी]	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के अंतर्गत चुने गये निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष है और उनको 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है. किंतु ऐसा कोई निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक नहीं रहेगा जबकि इस खंड में अनुमत अवधि 9 वर्ष है. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
2	**पारिश्रमिक समिति**	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र क्र. एफ सं.20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09 मार्च, 2007 के अनुसार बैंक द्वारा एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है; जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करती है. इस समिति में सभी चारों गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
3	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	**अनुपालन किया गया है.**
4	**लेखापरीक्षा में कमियां** कंपनी को बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
5	**बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण**	बैंक बोर्ड के सदस्यों को नवीनतम प्रगति से अवगत कराने हेतु विभिन्न आंतरिक प्रस्तुतियों के जरिये नवीनतम जानकारी दे रहा है. 2013-14 के दौरान बैंक ने अपने निदेशकों को **सेंटर फॉर एडवांस फिनांशियल रिसर्च एंड लर्निंग एंड एक्सीलेंट एनेबलर्स** द्वारा आयोजित वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक मंडलों के गैर सरकारी निदेशकों के लिये आयोजित कांफ्रेंस में नामित किया . अत: इस अपेक्षा को **पूरा किया गया है**.
6	**बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन की पद्धति**	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अत: यह खंड **लागू नही होता** है.
7	**गुप्त सूचना नीति** (Whistle Blower Policy)	बैंक में जानकारी गुप्त रूप से दिये जाने की नीति लागू है तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.

10. **आचार संहिता की घोषणा**

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08.05.2014

प्रति

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ :- लिस्टिंग- करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2013-14) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नही है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया हैं.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों, और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मयंक मेहता)
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 8 मई 2014

यूनियन बैक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी कथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता या प्रभावशीलता के विषय में कोई आश्वासन है.

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 002783एस

(एस. रामास्वामी)
पार्टनर (एम.संख्या 025918)

कृते एसजीसीओ एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 112081डब्ल्यू

(के.वी.एस. श्याम सुंदर)
पार्टनर (एम.संख्या 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 000844एन

(अखिल जिंदल)
पार्टनर (एम.संख्या.090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 109574डब्ल्यू

(विपुल के. चोक्सी)
पार्टनर (एम.संख्या.037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
पार्टनर (एम.संख्या 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

(एच. के. दत्ता)
पार्टनर (एम.संख्या.012208)

स्थान: मुम्बई
तारीख : 8 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया("बैंक") के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 19 शाखाओं, 1 ट्रेजरी शाखा और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2 विदेशी शाखाओं सहित 1575 शाखाओं, 46 सेवा शाखाओं के विवरण शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षण हेतु शाखाएं एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण हेतु शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में उन 2277 शाखाओं और 109 कार्यालयों/केंद्रों के विवरणों का भी समावेश है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी है. लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 8.08%, जमाराशियां बैंक की जमाराशियों की 31.14%, कुल ब्याज आय 5.24% और कुल ब्याज व्यय 27.37% हैं.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंकिंग विनियम अधिनियम,1949 के प्रावधानों एवं इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों सहित मान्य लेखा नीतियों एवं विधियों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है. इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपना लेखा परीक्षण, इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है.

4. किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनो के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर, न कि बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करने के उद्देश्य से, विचार करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य , हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है .

सम्मति

6. हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार :

   (i) तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2014 कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिये उचित प्रकार से बनाया गया है.

   (ii) लाभ हानि खाते और उसके नोट जिस वर्ष के खाते हैं, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए उस वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है.

जोर देने वाले मामले

7. अपने मत को किसी प्रकार हलका किये बिना, हम अनुसूची 18 के " खातों पर नोट्स" के निम्न नोट पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

   ए) एएस 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 के आधार पर ₹338 करोड़ (विगत वर्ष ₹676 करोड़) तक बैंक के पेंशन दायित्व को आस्थगन करने के संबंध में नोट संख्या 5.13.1.

बी) एएस 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 के आधार पर ₹ 65करोड़ (विगत वर्ष ₹ 130 करोड़) तक बैंक के अतिरिक्त ग्रेच्युटी दायित्व को आस्थगन करने के संबंध में नोट संख्या 5.13.2.

सी) नोट क्रमांक 4.6.3 जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक . DBOD.BP.BC/77/21.04.018/2013-14 दिनांकित 20 दिसम्बर, 2013 के आधार पर, आय कर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत 31 मार्च,2013 को विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर दायित्व के निर्माण हेतु व्यय के लेखे के प्रकार का वर्णन करता है.

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमश: 'ए' और 'बी' फार्मों में तैयार किए गए हैं .

9. ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि ::

(ए) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

(बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं.

(सी) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 002783एस

(एस. रामास्वामी)
भागीदार (एम.संख्या 025918)

कृते एसजीसीओ एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 112081डब्ल्यू

(के.वी.एस. श्याम सुंदर)
भागीदार (एम.संख्या 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार (एम.संख्या.090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 109574डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार (एम.संख्या.037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार (एम.संख्या 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

स्थान: मुम्बई
तारीख : 8 मई, 2014

31 मार्च 2014 का तुलन पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	7,41,30,63	7,07,79,42
आरक्षित और अधिशेष	2	1,77,34,05,16	1,65,88,39,45
जमाराशियां	3	29,76,75,63,97	26,37,61,57,30
उधार	4	2,93,16,61,77	2,37,97,27,45
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	83,13,28,70	72,78,73,14
जोड़		**35,37,80,90,23**	**31,21,33,76,76**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष	6	1,84,19,67,74	1,07,62,91,77
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	7	46,53,19,47	54,47,47,14
निवेश	8	9,37,23,18,39	8,08,30,44,56
अग्रिम	9	22,91,04,42,66	20,81,02,18,60
अचल आस्तियां	10	26,08,46,85	24,79,00,71
अन्य आस्तियां	11	52,71,95,12	45,11,73,98
जोड़		**35,37,80,90,23**	**31,21,33,76,76**
आकस्मिक देयताएं	12	19,55,24,16,41	32,45,95,23,68
संग्रहण के लिये बिल		1,24,75,70,66	62,52,24,23
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर नोट्स	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक | **(मयंक मेहता)** महाप्रबंधक | **(राकेश सेठी)** कार्यपालक निदेशक | **(के. सुब्रह्मण्यम)** कार्यपालक निदेशक | **(एस के जैन)** कार्यपालक निदेशक | **(अरुण तिवारी)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक | **(दीपक सिंघल)** निदेशक | **(जगमोहन शर्मा)** निदेशक | **(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक | **(एस के मिश्रा)** निदेशक

(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक | **(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक | **(जी के लाठ)** निदेशक | **(डी. चटर्जी)** निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)
मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

		अनुसूची	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.3.2013 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	2,93,49,39,42	2,51,24,70,07
	अन्य आय	14	28,21,54,04	25,52,02,69
	जोड़		**3,21,70,93,46**	**2,76,76,72,76**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	2,14,70,06,91	1,75,81,86,36
	परिचालन व्यय	16	54,82,76,05	45,12,16,46
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		35,21,90,17	34,24,77,11
	जोड़		**3,04,74,73,13**	**2,55,18,79,93**
III.	**वर्ष का शुद्ध लाभ**		16,96,20,33	21,57,92,83
	जोडें : आगे लाया गया लाभ		40,74	61,28
	जोड़		**16,96,61,07**	**21,58,54,11**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित को अंतरण		5,08,86,10	6,48,00,00
	पूंजी आरक्षित को अंतरण		17,18,09	54,23,20
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		6,85,50,00	7,04,00,00
	प्रस्तावित लाभांश		2,52,12,26	4,77,43,54
	पीएनसीपीएस पर लाभांश हेतु प्रावधान		9,99,00	9,43,50
	लाभांश कर		44,54,60	82,74,36
	विदेशी मुद्रा परिवर्तन कोष में अंतरण		0	28,77
	विशेष आरक्षित में अंतरण [Sec36(I)(viii)]		1,78,00,00	1,82,00,00
	लाभ व हानि लेखों में शेष		41,02	40,74
	जोड़		**16,96,61,07**	**21,58,54,11**
	प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डायल्यूटेड)		27.99	38.93

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग है.

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक
(मयंक मेहता) महाप्रबंधक
(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक
(के. सुब्रह्मण्यम) कार्यपालक निदेशक
(एस के जैन) कार्यपालक निदेशक
(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक
(दीपक सिंघल) निदेशक
(जगमोहन शर्मा) निदेशक
(डा. अतुल अग्रवाल) निदेशक
(एस के मिश्रा) निदेशक

(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक
(डा. आर एच ढोलकिया) निदेशक
(जी के लाठ) निदेशक
(डी. चटर्जी) निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस
(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू
(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन
(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू
(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी
(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई
(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 1 -पूंजी :		
I. प्राधिकृत :		
₹ 10/- प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	**30,00,00,00**	**30,00,00,00**
II. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :		
i. प्रति शेयर ₹ 10/- मूल्य के 37,89,71,753 इक्विटी शेयर केंद्रीय सरकार द्वारा धारित (गत वर्ष 34,54,59,689 इक्विटी शेयर)	3,78,97,18	3,45,45,97
ii. प्रति शेयर ₹ 10/- मूल्य के 25,13,34,520 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (गत वर्ष 25,13,34,520 इक्विटी शेयर)	2,51,33,45	2,51,33,45
III. शाश्वत असंचयी वरियता शेयर	1,11,00,00	1,11,00,00
जोड़	**7,41,30,63**	**7,07,79,42**
अनुसूची 2 - आरक्षति एवं अधिशेष :		
I. सांविधिक आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	50,83,00,00	44,35,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	50,88,610	6,48,00,00
	55,91,86,10	50,83,00,00
II पूंजी आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7,59,07,31	7,04,84,10
वर्ष के दौरान वृद्धि	17,18,09	54,23,20
	7,76,25,40	7,59,07,30
III. शेयर प्रीमियम :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	28,85,86,87	18,19,22,79
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,65,83,63	10,66,64,08
	33,51,70,50	28,85,86,87
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,95,75,77	15,33,82,71
वर्ष के दौरान घटाया	36,42,04	38,06,94
	14,59,33,73	14,95,75,77
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां:		
i) राजस्व और अन्य आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	42,44,00,00	35,40,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,85,50,00	7,04,00,00
वर्ष के दौरान घटाया	7,20,59,00	-
जोड़	42,08,91,00	42,44,00,00
ii) विशेष आरक्षित Sec 36(1)(viii)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	21,20,00,00	19,38,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,78,00,00	1,82,00,00
	22,98,00,00	21,20,00,00
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	28,77	28,77
वर्ष के दौरान वृद्धि	47,28,64	-
	47,57,41	28,77
VI. लाभ हानि लेखा में शेष		
लाभ हानि लेखा में शेष	41,02	40,74
जोड़	**1,77,34,05,16**	**1,65,88,39,45**

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
I. मांग जमा		
i) बैंकों से	7,89,93,59	9,32,84,45
ii) अन्य से	2,19,12,90,72	2,32,05,44,49
	2,27,02,84,31	2,41,38,28,94
II. बचत बैंक जमाराशियां	6,50,97,70,53	5,74,96,65,37
	6,50,97,70,53	5,74,96,65,37
III. मियादी जमा राशियां		
i) बैंकों से	1,12,40,93,11	1,08,76,55,93
ii) अन्य से	19,86,34,16,02	17,12,50,07,06
	20,98,75,09,13	18,21,26,62,99
जोड़	29,76,75,63,97	26,37,61,57,30
भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां	29,28,11,73,73	26,09,98,34,11
भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां	48,63,90,24	27,63,23,19
जोड़	**29,76,75,63,97**	**26,37,61,57,30**
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
I. शाश्वत बांड	10,40,00,00	10,40,00,00
II. अपर टायर II पूंजी	22,50,00,00	22,50,00,00
III. लोअर टायर II पूंजी	52,50,00,00	35,00,00,00
बी) भारत में उधारी		
I. भारतीय रिजर्व बैंक	15,25,00,00	21,25,27,00
II. अन्य बैंक	-	2,00,00,00
III. अन्य संस्थान एवं अभिकरण	12,92,91,41	1,46,13,94
सी) भारत से बाहर उधार	1,79,58,70,36	1,45,35,86,51
जोड़	**2,93,16,61,77**	**2,37,97,27,45**
उपरोक्त I व II में प्रतिभूत उधारी सम्मिलित हैं	1,33,66,22	1,33,91,21
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	13,56,01,38	12,22,72,41
II. उपचित ब्याज	8,84,53,91	8,39,01,48
III. आस्थगित कर देयताएं	6,79,33,51	31,68,51
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	53,93,39,90	51,85,30,74
जोड़	**83,13,28,70**	**72,78,73,14**
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष :		
I. नकदी धारिता		
(विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	7,84,65,44	7,75,27,87
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चालू खाते में जमाशेष		
	1,76,35,02,30	99,87,63,90
जोड़	**1,84,19,67,74**	**1,07,62,91,77**

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर धन :		
I. भारत में बैंकों के पास जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	44,15,82	1,19,85,25
बी) अन्य जमा खातों में	8,82,94,51	12,19,44,05
ii) मांग और अल्प सूचना पर धन	-	-
जोड़	9,27,10,33	13,39,29,30
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	6,87,47,89	6,00,36,97
ii) अन्य जमा खातों में	30,38,61,25	35,07,80,87
जोड़	37,26,09,14	41,08,17,84
जोड़	**46,53,19,47**	**54,47,47,14**
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	6,97,47,18,65	6,17,64,47,87
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
iii) शेयर	9,75,35,04	9,84,52,85
iv) ऋणपत्र एवं बांड	1,15,65,47,76	62,58,80,64
v) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	3,74,71,26	1,29,43,76
vi) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	2,07,57,28	11,92,19,44
- जमा प्रमाणपत्र	4,15,08,98	30,19,92,75
- म्युचूअल फंड	9,83,20,77	9,02,43,90
- आर आई डी एफ	90,99,40,86	64,74,13,71
- एआरसीएल द्वारा प्रतिभूति रसीद	1,49,71,73	36,09,45
जोड़	9,35,17,72,33	8,07,62,04,37
II. भारत के बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्रधिकारियों द्वारा जारी सहित)	-	57,14,91
ii) शेयर	40,32	40,32
iii) अन्य निवेश (बांड)	2,05,05,74	10,84,96
जोड़	2,05,46,06	68,40,19
जोड़	**9,37,23,18,39**	**8,08,30,44,56**
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	9,39,63,70,76	8,11,20,17,55
मूल्यह्रास के लिये प्रावधान	4,45,98,43	3,58,13,18
शुद्ध मूल्य	9,35,17,72,33	8,07,62,04,37
ii) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य / शुद्ध मूल्य	2,05,46,06	68,40,19
मूल्यह्रास के लिये प्रावधान	-	-
	2,05,46,06	**68,40,19**
जोड़	**9,37,23,18,39**	**8,08,30,44,56**

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

		यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 9 - अग्रिम			
I. i)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	53,24,84,83	65,82,54,82
ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	11,08,32,52,73	10,48,46,31,55
iii)	मीयादी ऋण	11,29,47,05,10	9,66,73,32,23
	जोड़	**22,91,04,42,66**	**20,81,02,18,60**
II. i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के पेटे अग्रिमों सहित)	19,21,66,12,17	16,57,03,18,72
ii)	बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा कव्हर्ड	1,14,99,70,46	1,27,17,50,62
iii)	अप्रतिभूत	2,54,38,60,03	2,96,81,49,26
	जोड़	**22,91,04,42,66**	**20,81,02,18,60**
ए.	भारत में अग्रिम		
i)	प्राथमिकता क्षेत्र	6,96,54,20,70	5,53,60,36,00
ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	1,52,83,77,83	2,02,31,43,91
iii)	बैंक	54,96,29,30	61,81,37,34
iv)	अन्य	12,12,95,44,14	11,34,01,21,12
	जोड़	**21,17,29,71,97**	**19,51,74,38,37**
बी.	भारत से बाहर अग्रिम		
i)	बैंकों से देय	52,81,53,83	61,17,02,92
ii)	अन्य से देय		
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	6,04,65,84	3,24,50,49
	बी) सिंडिकेटेड ऋण	90,69,87,64	50,37,64,82
	सी) अन्य	24,18,63,38	14,48,62,00
	जोड़	**1,73,74,70,69**	**1,29,27,80,23**
	जोड़	**22,91,04,42,66**	**20,81,02,18,60**
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां			
ए.	मूर्त आस्तियां		
I.	परिसर		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	23,22,51,75	22,00,67,22
	वर्ष के दौरान वृद्धि	42,70,21	1,21,84,53
		23,65,21,96	23,22,51,75
	घटाएं: उक्त तारीख को मूल्यह्रास	5,45,64,01	4,90,86,37
	जोड़	18,19,57,95	18,31,65,38
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	11,53,81	3,60,98
	वर्ष के दौरान वृद्धि	50,63,21	27,26,23
	वर्ष के दौरान घटाया	61,31,96	19,33,40
	जोड़	85,06	11,53,81
III.	भूमि		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	13,40,97	3,09,72
	वर्ष के दौरान वृद्धि	36,42,00	10,31,25
		49,82,97	13,40,97
	घटाएं: उक्त तिथि को मूल्यह्रास	2,45,32	2,33,85
	जोड़	47,37,65	11,07,12
IV.	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)		
	ए) पट्टे पर दी गईं आस्तियां		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52	26,53,52
	घटाएं: उक्त तिथि को मूल्यह्रास	26,53,52	26,53,52
	जोड़	-	-

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
बी) अन्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	16,26,23,28	14,65,54,62
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,60,09,46	1,87,00,86
वर्ष के दौरान घटाया	25,36,44	26,32,20
	18,60,96,30	16,26,23,28
घटाएं: उक्त तिथि को मूल्यह्रास	11,57,81,44	10,24,44,63
जोड़	7,03,14,86	6,01,78,65
बी. अमूर्त आस्तियां		
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,24,15,63	1,10,99,29
वर्ष के दौरान वृद्धि	39,88,97	13,16,34
	1,64,04,60	1,24,15,63
उक्त तिथि तक परिशोधन	1,26,53,27	1,01,19,88
जोड़	37,51,33	22,95,75
जोड़	**26,08,46,84**	**24,79,00,71**
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :		
I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	11,31,85,79	10,37,03,14
II. उपचित ब्याज	23,76,24,82	18,38,31,16
III. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	2,61,32	2,45,22
IV. दावों के समाधान से अधिगृहित गैर बैंककारी आस्तियां	3,89	3,89
V. अन्य	17,61,19,30	16,33,90,57
जोड़	**52,71,95,12**	**45,11,73,98**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
I. बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35,99,15,76	34,91,28,35
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिये देयताएं	59,20	59,20
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	14,82,33,21,11	28,44,07,74,59
IV. संघटकों की ओर से दी गईं गारंटियां		
i) भारत में	2,26,25,73,05	1,79,98,56,13
ii) भारत के बाहर	1,38,06,25	4,61,41,39
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	2,03,60,00,04	1,77,24,47,76
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है.		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	5,67,41,00	4,88,91,00
ii) अन्य	0	22,25,26
जोड़	**19,55,24,16,41**	**32,45,95,23,68**

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	2,17,40,35,58	1,91,40,46,20
II. निवेश पर आय	72,70,45,32	56,71,03,30
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमाशेषों और अन्य बैंक निधियों पर ब्याज	1,78,53,25	1,98,60,70
IV. अन्य	1,60,05,27	1,14,59,87
जोड़	**2,93,49,39,42**	**2,51,24,70,07**
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	4,46,99,42	3,64,04,63
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	4,85,72,00	4,77,26,87
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	2,57,53	-1,69,25
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	7,43,60,62	5,59,87,70
V. विविध आय	11,42,64,47	11,52,52,74
जोड़	**28,21,54,04**	**25,52,02,69**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	1,98,39,25,14	1,65,51,23,97
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य बैंक उधारियों पर ब्याज	5,31,32,90	2,74,23,79
III. अन्य	10,99,48,87	7,56,38,60
जोड़	**2,14,70,06,91**	**1,75,81,86,36**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं और प्रावधान	33,07,76,76	27,55,01,22
II. किराया, कर और प्रकाश	3,81,38,03	3,22,94,12
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	45,26,84	44,02,69
IV. विज्ञापन और प्रचार	55,29,08	71,63,35
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	1,93,77,95	1,50,91,74
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,51,34	1,21,44
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	56,71	59,63
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षको सहित)	32,91,96	21,18,85
IX. विधि प्रभार	16,08,87	14,94,57
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	70,91,43	60,77,85
XI. मरम्मत और रखरखाव	94,46,02	79,46,48
XII. बीमा	2,83,45,07	2,17,46,93
XIII. अन्य व्यय	9,99,35,99	7,71,97,59
जोड़	**54,82,76,05**	**45,12,16,46**

वर्ष 2013-2014 के लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. लेखा पद्धति

संलग्न वित्तीय विवरण बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्रयुक्त बैंक की लेखांकन तथा रिपोर्टिंग नीतियों में, जहाँ तक लागू हो, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरण की तिथि को (आकस्मिक देयताओं सहित) रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात/सारवान हैं.

3. राजस्व की पहचान:

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है. वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

iv) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी जाएगी.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन निरंतर प्राप्ति आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया जाएगा.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहीं लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई हैं.

4. नकद प्रवाह विवरण

नकद तथा नकदतुल्य में नकद शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियों को शामिल किया गया है.

5. निवेश :

i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

ए) i) परिपक्वता तक धारित में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड.	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है) .दोनों नहीं होने पर ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार
iv.	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	ऋण पत्र/बांडस	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
viii.	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो. यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो ₹1/- प्रति वीसीएफ
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसका पूरा प्रावधान किया गया है.
- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में

➢ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर

➢ यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है

सी) डेरिवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणीयों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) अग्रिमों में, हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय प्रावधान बफर, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि तथा सीजीएफटी/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधानो में किया गया है और यह तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमो में नहीं लिया गया है.

7. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो)समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है. इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसी आस्ति से भविष्य में लाभ होता है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया जाता है.

ii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया.

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
I	परिसर	5%
II	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू.पी.एस. उपकरण	33.33%
III	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर लागू दर

iii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है तथा इन्हें अमूर्त आस्तियों में जोड दिया जाता है. कम्प्यूटरों, इनके अनिवार्य सॉफ्टवेयरों तथा ए.टी.एम. पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानुसार मूल्यह्रास सीधी पद्धति से 33.33% की दर से लगया गया है.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर निर्धारित की गई हैं.

8. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, होती है. उपयोग मूल्य पता करने के लिए, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ जाती है या कम हो जाती है. लेकिन हानि कम होने के बाद, संवहन लागत उस लागत से अधिक नहीं होगी जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधान का उपयोग नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

10. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई माना गया है.

11. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि " में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) **राजस्व पहचान :** आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) **आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :** आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक हों, के अनुसार किए गए हैं.

iii) **अचल आस्तियां और मूल्यह्रास**

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

iv) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है.

v) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

vi) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि " में संचित रखा गया है.

12 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. भविष्य निधि अंशदान की राशि, अंशदान देय होने पर, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि को देय अंशदान के अतिरिक्त बैंक की कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है.

ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है.

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना नामक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस सीमित अंशदान तक होती है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है.

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

14. लीज संव्यवहार

बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ते संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत मे बकाया डायल्युटीव संभाव्य इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

16. कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, कि पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह समुचित निश्चितता न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में वास्तविक निश्चितता उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है.आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

18. शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स :

1. **बहियों का मिलान, अंतर शाखा / बैंक संव्यवहारों का समाधान:**

उचंत खातों, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर - शाखा / कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य निरंतर आधार पर जारी है.

इनका अंतिम समाधान यदि कोई लंबित है तो प्रबंधन के विचार से बहियों पर उसका कोई प्रभाव नही पडेगा.

2. **निवेश**

i) परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग की प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ की राशि ₹ 37.18 करोड को पहले लाभ-हानि खाते में लिया गया और उसके पश्चात ₹ 17.18 करोड की राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते मे अंतरित किया गया.

ii) परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति क 5 (ii)(ए) मे उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियो के अंकित मूल्य पर अर्जन लागत का आधिक्य ₹115.68 करोड रहा (पिछले वर्ष ₹ 86.27 करोड)

iii) शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्युचूअल फण्ड / वेंचर केपिटल फण्ड में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल ₹ 1251.84 करोड रहा (पिछले वर्ष ₹1282.50 करोड)

3. **भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इसप्रकार है.**

3.1 **ए. बासल - II के अनुसार पूंजी :**

(₹ करोड मे)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	सामान्य इक्विटी टायर-I पूंजी अनुपात (%)	शून्य	शून्य
ii)	टायर - I पूंजी अनुपात (%)	8.13	8.23
iii)	टायर - 2 पूंजी अनुपात (%)	3.76	3.22
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.89	11.45
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	60.13	57.89
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि (करोड में)	33.51	46.25
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टायर - I पूंजी की राशि (₹ करोड में)		
	इसमें से पीएनसीपीएस :	शून्य	शून्य
	पीडीआई :	शून्य	शून्य
Viii	उगाही गई टायर - 2 पूंजी की राशि (₹ करोड में)	2000	800
	इसमे से ऋण पूंजी लिखत: (₹करोड में)	2000	800
	प्रिफरेन्स शेयर केपिटल लिखत: [परपेचुअल संचयी प्रिफरेन्स शेयर (पीसीपीएस)/ रिडिमेबल गैर- संचयी प्रिफरेन्स शेयर (आरएनसीपीएस)/ रिडिमेबल संचयी प्रिफरेन्स शेयर (आरसीपीएस.		

भारिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंको से अपेक्षित है कि दिनांक 01.04.2013 से सीआरएआर की गणना बासल - III मानदण्ड के आधार पर करें.

बी. बासल - III के अनुसार पूंजी

अ.क्र.	विवरण	31.03.2014
i)	सामान्य इक्विटी टायर - I पूंजी अनुपात (%)	7.18
ii)	टायर - I पूंजी अनुपात (%)	7.54
iii)	टायर - 2 पूंजी अनुपात (%)	3.26
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	10.80
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	60.13
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड में)	33.51
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टायर - I पूंजी की राशि (₹ करोड में)	
	इसमें से पीएनसीपीएस :	शून्य
	पीडीआई :	शून्य
viii	उगाही गई टायर - 2 पूंजी की राशि (₹ करोड में)	2000
	इसमे से ऋण पूंजी लिखत : (₹ करोड में)	2000
	प्रिफरेन्स शेयर केपिटल लिखत: [परपेचुअल संचयी प्रिफरेन्स शेयर (पीसीपीएस)/ रिडिमेबल गैर- संचयी प्रिफरेन्स शेयर (आरएनसीपीएस)/ रिडिमेबल संचयी प्रिफरेन्स शेयर (आरसीपीएस.	

3.2 **निवेश**

(₹ करोड में)

	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	94,169.09	81,188.58
	(ए) भारत में	93,963.63	81,120.18
	(बी) भारत के बाहर	205.46	68.40
ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान	446.58	358.13
	(ए) भारत में	445.98	358.13
	(बी) भारत के बाहर	0.60	-
iii)	निवेशों का निवल मूल्य	93,722.11	80,830.45
	(ए) भारत में	93,517.25	80,762.05
	(बी) भारत के बाहर	204.86	68.40
2	निवेश पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानो का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	358.13	160.67
ii)	जोडा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	437.56	243.96
iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट - आफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	349.11	46.50
iv)	अंतिम शेष	446.58	358.13

3.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

(₹ करोड में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2014 को बकाया
ए	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	2,330.76	46.33	शून्य
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	4,127.43	356.34	शून्य
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.2.2 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर - एसएलआर निवेशो का जारीकर्ता संमिश्र

(₹ करोड मे)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर - निर्धारित प्रतिभूतियां	गैर सूची बद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पी एस यू	3,915.17	2,681.08	शून्य	0.58	0.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	12,622.42	10,133.17	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	बैंक	1,178.93	653.75	शून्य	शून्य	2.00
iv)	निजी कार्पोरेट	4,798.79	2,468.42	229.02	1.13	24.85
v)	सहायक कम्पनियां / संयुक्त उद्यम *	358.75	358.75	शून्य	शून्य	शून्य
vi)	अन्य	1,264.72	616.84	शून्य	14.52	14.52
vii)	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान	(383.79)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**23,754.99**	**16,912.01**	**229.02**	**16.23**	**41.95**

विवरण	31.03.2014
शेयर	975.35
ऋण पत्र व बाण्ड्स	11,565.48
सहायक कम्पनियां / संयुक्त उद्यम	358.75
अन्य	10,855.40
योग	**23,754.98**

*तुलन पत्र की अनुसूची 8 मे सहायक एवं संयुक्त उद्यम मे ₹15.96 करोड के निवेश मे क्षेत्रीय ग्रामींण बैंक के शेयरों मे किया गया बैंक निवेश शामिल है. जो कि एसएलआर निवेश है.

ii. गैर - निष्पादक गैर - एसएलआर निवेश

(₹ करोड मे)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आरंभिक शेष	47.63	77.08
वर्ष के दौरान वृद्धि	179.47	23.82
वर्ष के दौरान कमी	8.24	53.27
अंतिम शेष	218.86	47.63
कुल धारित प्रावधान	**74.04**	**44.33**

3.2.3 एचटीएम संवर्ग से / को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष के आरंभ मे एचटीएम श्रेणी मे धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमे अंतरण नही किया है. वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से/ को कुल ₹6226.45 करोड और ₹6244.78 करोड क्रमश: अंकित मूल्य और बही मूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है. भारिबैं के एचटीएम श्रेणी पर दिशानिर्देशों क्रमांक डीबीओडी बीपी/92/21.04.141/2012-13 दिनांक 15.05.2013 के अनुपालन मे, जिसके अनुसार एचटीएम श्रेणी मे निवेश की सीमा को डीटीएल के अधिकतम 25% रखा गया है उसे मार्च 2014 तक चरणबद्ध तरीके से 23% तक घटाया जाना है. 9 जुलाई 2013 को बैंक ने कुल ₹5297.00(अंकित मूल्य) और ₹5338.26 करोड (बही मूल्य) करोड की प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी मे अंतरित किया. इसीप्रकार भारिबैं के परिपत्र क्रमांक : भारिबैं / 2013-14/198/ डीबीओडी / बीपी/ बीसी/ क्रमांक 41/21.04.141/2013-14दिनाक 23 अगस्त 2013 के अनुसार बैंक ने 23 सितंबर 2013 को, दिनांक 15 जुलाई 2013 के मूल्य पर, कुल ₹7526.58 करोड (अंकित मूल्य) और ₹7668.72 करोड (बही मूल्य) की प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी मे अंतरित किया. बैंक ने भारिबैं को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी मे ₹1447.26 करोड बही मूल्य की प्रतिभूतियों का विक्रय किया.

भारिबैं के उक्त दिशानिर्देशो के अनुसार हांगकांग शाखा ने ₹11.98 करोड (अंकित मूल्य ₹11.98 करोड) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी मे अंतरित किए.

3.3 डेरीवेटिव्स

3.3.1 वायदा दर अनुबंध/ ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड मे)

अ. क्र.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	10,514.54	5,868.59
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	7.89	9.51
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का सकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)11.62	105.84

नोट:

I. टायर - II बाण्डस की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों मे ब्याज दर स्वैप को शामिल किया गया है.

II. बैक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित उपचय के आधार पर है.

IV. यूएसडी हेतु ब्याज दर स्वैप को बैक द्वारा चार श्रृंखलाओ मे एमटीएन वर्धन पर लिया गया है.

V. बैक द्वारा एमटीएन वर्धन हेतु क्रास करंसी स्वैप देय और प्राप्य है.

3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव :

(₹ करोड मे)

अ. क्र	विवरण	राशि (क्रय)	राशि (विक्रय)
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत - वार) ए) आयआरएफ	3,105.06	2,205.50
ii)	31 मार्च 2014 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत - वार)	शून्य	शून्य
iii)	(लिखत - वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य	शून्य
iv)	(लिखत - वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3.3 डेरीवेटिव्स मे जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए. गुणात्मक प्रकटन

ए) भारिबै के दिशानिर्देशों के अधीन बैक दो समूहो मे संव्यवहार करता है.

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह मे बैक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रास करंसी स्वैप और करंसी आप्शन मे संव्यवहार करता है.

एक्सचेज मे ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह मे बैक करंसी वायदा और ब्याज दर वायदा मे कारोबार करती है. बैक भारिबै की अनुमति से एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स - एसएक्स जैसे 3 करेंसी फ्यूचर एक्सचेंजो का ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैक ने इन बाजारों (एक्सचेंजो) मे वायदा मुद्रा मे स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग करता है. बैक ने फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस परिचालनो के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का भी गठन किया है. इन बाजारो (स्टाक एक्सचेंजो) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्क) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा किए गए दिशानिर्देशो के अनुरुप निपटाए जाते है.

बैक नेशनल स्टाक एक्सचेंज मे ब्याज दर वायदा मे ट्रेड करता है. बैक के पास फ्रंट, मिड और बैक आफिस परिचालनो के लिए आवश्यक संसाधन है. दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते है.

ट्रेडिग/ मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलन पत्र की हेजिंग और लागू विनियमों के अंतर्गत अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग / मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करैंसी वायदा और ब्याज दर वायदा मे की जाती है. जबकि डेरीवेटिव लिखतों मे गैर - ब्याज आय बढाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते है. किन्तु इससे बैक की जोखिम भी बढ जाती है. बैक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमो के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी है.

ट्रेजरी शाखा मे परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है, जिन्हे आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है.

I) फ्रंट आफिस - डीलिंग रुम, बैक की नीति और भारिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक आफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन .

मिड आफिस ट्रेडिंग बही मे लेनदेनो तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान मे लाता है. मिड आफिस एमटीएम के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक मे लेनदेनो के लिए वित्तीय जोखिमो को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्पोरेट ग्राहकों के साथ लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पालिसी मे निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते है तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते है. बैक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

बी) बैक की ट्रेजरी नीति मे वित्तीय डेरिवेटिव लिखत के प्रकार , प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ, अनुमोदित लिखतों मे ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज लिमिट और स्टाप लास लिमिट और प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी लिमिटो का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती है और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है. ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान मे रखकर तय की जाती है. जोखिम मानदण्डो यथा पीवी 01 , स्टाप लास, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिए है. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओ के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है. और उल्लंघन यदि कोई है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पी वी 01 पोजीशन बैक की नेटवर्थ के 0.25 % के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेनदेनो का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति मे एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनो को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है. और इन लेनदेनो पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित कल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है जिसमे परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह मे होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य मे शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है.

डी) हेज / अन हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है. हेज लेनदेनो की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते है. और आय विवरण मे परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है.

आप्शन कान्ट्रेक्ट के मामले मे आय की पहचान , प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय- समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंको और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक प्रतिपक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक / मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते है. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरिवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले मे समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते है और इनमे कोई बाजार जोखिम नही होती है.

बी. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड मे)

		31.03.2014	
क्र.	विवरण	करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
ए.	हेजिंग के लिए	2,074.73	6,689.80
बी.	ट्रेडिंग के लिए	148.56	1,750.00
ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)		
ए.	आस्तियां (+)	131.07	8.72
बी.	देयताएं (-)	(3.0472)	(21.55)
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	4.53	19.90
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		
ए.	हेजिंग डेरीवेटिव पर	शून्य	2.47
बी.	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	शून्य	3.63
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
1	अधिकतम		
ए.	हैजिंग पर	शून्य	7.03
बी.	ट्रेडिंग पर	शून्य	5.47
2	न्यूनतम		
ए.	हैजिंग पर	शून्य	1.73
बी.	ट्रेडिंग पर	शून्य	0.06

*ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर मे हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल है .

3.4 आस्ति गुणवत्ता:

3.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां:

(₹ करोड मे)

क्र.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	2.33	1.61
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) दिनांक 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	6,313.83	5,449.86
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	5,459.44	3,957.38
	(ग) वर्तमान एनपीए के शेष में वृध्दि	19.49	16.37
	उप - योग (क)	11,792.76	9,423.61
	(घ) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	551.01	734.07
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	765.44	1,246.87
	(iii) तकनीकी / प्रुडेंशियल राइट-ऑफ	841.72	1,053.80
	(iv) राइट-ऑफ	70.85	75.04
	उप - योग (ख)	2,229.02	3,109.78
	(ई) अंतिम शेष (क - ख)	9,563.74	6,313.83
iii)	एनपीए का संचरण (निवल)		
	(क) आरंभिक शेष	3,353.37	3,025.03
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	3,273.26	2,348.22
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,286.38	2,019.88
	(घ) अंतिम शेष	5,340.25	3,353.37
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण		
	(क) प्रारंभिक शेष	2,960.46	2,424.83
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2,205.67	1,625.53
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ / राइट बैक	942.64	1,089.90
	(घ) अंतिम शेष	4,223.49	2,960.46

इन प्रावधानो मे एसे पुनर्गठित अग्रिमो के उचित मूल्य ह्रास के प्रावधान को शामिल किया गया है.

एनपीए के लिए प्रावधानो का प्रारंभिक और अंतिम शेष मे दावाकृत खातो मे प्राप्त / वसूली इसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमश: ₹65.58 करोड (पिछले वर्ष ₹58.23 करोड) तथा ₹33.09 करोड (पिछले वर्ष ₹65.58 करोड) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

3.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण :

(₹ करोड मे)

क्र	पुनर्गठन का प्रकार		सी डी आर प्रक्रिया के अंतर्गत					एमएसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	योग
	ब्यौरा																					
1	01.04.2013 को पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकडे)	उधारकर्ताओं की संख्या	44	3	7	0	54	1203	301	9760	396	11660	16474	2031	31236	1393	51134	17721	2335	41003	1789	62848
		बकाया राशि	3146.25	51.06	298.07	0.00	3495.38	2025.67	283.28	220.93	6.71	2536.59	4575.07	425.78	564.91	27.98	5593.74	9746.99	760.12	1083.91	34.69	11625.71
		उस पर प्रावधान	585.34	10.78	39.63	0.00	635.75	62.79	9.14	6.68	0.50	79.11	174.67	5.96	29.43	0.79	210.85	822.80	25.88	75.74	1.29	925.71
2	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	15	0	0	0	15	25	0	0	0	25	58	2	0	0	60	94	4	0	0	98
		बकाया राशि	2564.44	0	0	0	2564.44	296.50	0	0	0	296.50	1931.40	345.02	0	0	2276.42	4688.54	448.82	0	0	5137.36
		उस पर प्रावधान	288.15	0	0	0	288.15	3.99	0	0	0	3.99	88.71	7.25	0	0	95.96	380.85	7.25	0	0	388.10
3	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्गठित मानक सॅवर्ग मे अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	2				2	51				51	609				609	662				662
		बकाया राशि	105.69				105.69	29.62				29.62	165.20				165.20	300.51				300.51
		उस पर प्रावधान	14.13				14.13	0.29				0.29	3.71				3.71	18.13				18.13
4	वित्त वर्ष 2013-14 के अंत मे पुनर्गठित मानक अग्रिम और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष की प्रारंभ मे पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप मे दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	16				16	55				55	239				239	310				310
		बकाया राशि	1544.16				1544.16	459.02				459.02	896.95				896.95	2878.20				2878.20
		उस पर प्रावधान	357.21				357.21	6.69				6.69	20.79				20.79	384.69				384.69
5	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्गठित खातो का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		8	2	0	7		93	113	3	209		1002	5	1	1007		1103	120	4	1227
		बकाया राशि		708.59	175.15	0	679.78		171.07	79.00	0.01	250.08		1147	0.24	0.01	1108.30		2026.90	254.39	0.02	2281.31
		उस पर प्रावधान		76.46	0	0	76.46		5.43	1.02	0	6.45		26	0.02	0	25.70		107.57	1.04	0	108.61
6	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्गठित खातो मे राइटआफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	3	0	3	0	0	1	0	1	0	0	3		3	0	0	7	0	7
		बकाया राशि	0	0	81.36	0	81.36	0	0	18.27	0	18.27	0	0	42.87		42.87	0	0	142.50	0	142.50
7	31.03.2014 को पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकडे)	उधारकर्ताओं की संख्या	22	7	2	0	31	88	103	8838	340	9369	575	757	28292	1341	30965	681	867	37132	1681	40361
		बकाया राशि	2631.49	635.01	39.79	0	3306.29	908.23	222.82	393.04	40.64	1564.73	8813.13	1071.16	651.63	25.76	10561.68	12352.85	1928.99	1084.46	66.40	15432.70
		उस पर प्रावधान	353.74	94.42	9.72	0	457.88	41.70	9.57	13.27	1.98	66.52	238.59	17.43	28.73	1.65	286.40	634.03	121.42	51.72	3.63	810.80

3.4.3 तकनीकी राइट - आफ

(₹ करोड मे)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	तकनीकी / प्रुडेन्शियल अपलिखित खातों का प्रारंभिक शेष	3,325.68	2,557.33
ii)	जोडा : वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेन्शियल राइट आफ	841.72	1,053.80
iii)	उप - योग (ए)	4,167.40	3,611.13
iv)	घटाया : वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेन्शियल अपलिखित खातों मे की गई वसूली	502.59	285.45
v)	अंतिम शेष (ए- बी)	3,664.81	3,325.68

3.4.4 आस्ति पुर्नगठन के लिए प्रतिभूतिकरण / पुर्नगठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड मे)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	खातों की संख्या	21	1
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर) ए) एनपीए खाता बी) अपलिखित खाता	 107.08 शून्य	 शून्य शून्य
iii)	कुल प्रतिफल ए) एनपीए खाता बी) अपलिखित खाता	 133.50 82.00	 17.00 शून्य
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / हानि ए) एनपीए खाता बी) अपलिखित खाता	 26.42 82.00	 17.00 शून्य

3.4.5 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड मे)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	क. इसमे से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातो की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड मे)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

3.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड मे)

विवरण	31.03.2014	31.3.2013
मानक आस्तियों पर प्रावधान	309.92	220.76

3.4.6.1 बैक द्वारा दिनांक 31.12.2013 तक के कुछ संवर्ग के मानक अग्रिमों पर (जैसे : उपभोक्ता ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण, और अन्य व्यक्तिगत ऋण) भारिबै द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशो के अतिरिक्त 2% कुल 75.18 करोड की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. बैक की संशोधित नीति के अनुसार , मानक अग्रिमो पर इस प्रकार के अतिरिक्त प्रावधान को 31.03.2014 तिमाही से समाप्त कर दिया गया है. बैक द्वारा अतिरिक्त प्रावधान की इस नीति को जारी रखा जाता है तो इस कारण 31.03.2014 को समाप्त तिमाही/ वर्ष का लाभ 2.43 करोड से कम होगा.

3.5 कारोबार अनुपात

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	8.95	9.19
ii)	कार्यकारी निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	0.86	0.93
iii)	कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	1.59	2.04
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.52	0.79
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड में)	13.76	12.15
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड में)	0.05	0.07

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

कुछ मदों में आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न यथा 31.03.2014

(₹ करोड मे)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	4,422.70	3,574.93	575.88	1,518.61	2,214.45	2,859.23
2-7 दिन	12,511.58	2174.00	671.12	1,012.75	430.51	1,138.54
8-14 दिन	3,554.37	2,427.83	325.04	3,183.47	384.37	3,386.21
15 to 28 दिन	4,853.29	9,606.22	644.74	2,557.37	2,952.45	3,110.56
29 दिन से 3 माह	28,471.88	25,077.87	1,188.88	2,529.14	9,425.43	3,975.83
3 माह सें अधिक 6 माह तक	18,630.60	13,965.30	530.26	6,114.87	8,821.84	7,465.00
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	34,476.62	43,415.89	4,816.82	2,238.85	2,306.56	4,671.26
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	60,539.79	82,746.74	16,971.24	2,577.84	3,853.48	5,289.63
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	21,755.62	26,127.42	22,269.23	1,463.73	468.47	924.45
5 वर्ष से अधिक	108,459.18	19,988.22	45,729.97	6,090.00	92.27	446.63
योग	**297,675.63**	**229,104.43**	**93,723.19**	**29,316.62**	**30949.83**	**33267.33**

3.7 एक्सपोजर्स

3.7.1 रीयल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र	संवर्ग	31.03.2014	31.03.2013
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा उधार पूर्णत: प्रतिभूत अथवा जो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में लिया जाएगा अथवा जो किराए पर हो; - इसमें से वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण प्राथमिकता क्षेत्र मे शामिल करने योग्य है.	20,492.14 11,689.98	16,319.53 10,809.14
ii)	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट - वाणिज्यिक रीयल इस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी परिवार आवासीय भवन, मल्टी किराए पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण आदि) निवेश में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हैं :	5,370.03	3,545.43
iii)	बंधक समर्थित / प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रीयल इस्टेट.	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	7,565.63	6,063.83
	रीयल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**33,427.80**	**25,928.79**

3.7.2 **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	772.49	794.03
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों मे निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	9.42	1.83
iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	1.98	8.03
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांड्स / परिवर्तनीय डिबेचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	60.11	126.69
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	580.01	727.55
vi)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रोमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	6.62	0.10
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	3.20
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीक्त एवं अपंजीक्त दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	479.35	488.47
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,909.98**	**2,149.90**

** 2012-13 के लिए 188.89 करोड़ व 2013-14 के लिए 144.02 करोड़ की वेंचर पूंजी अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं.

3.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2014	प्रावधान यथा 31.03.2014	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2013	प्रावधान यथा 31.03.2013
अपर्याप्त	5,264.53	शून्य	6,565.47	शून्य
अल्प	2,259.37	शून्य	1,685.26	शून्य
सामान्य	546.82	शून्य	399.63	शून्य
उच्च	7.31	शून्य	0.91	शून्य
अत्यधिक उच्च	203.14	शून्य	0.07	शून्य
सीमित	Nil	शून्य	शून्य	शून्य
आफ - क्रेडिट	Nil	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**8,281.17**	शून्य	**8,651.34**	शून्य

कन्ट्री जोखिम नीति के अनुसार, भारत मे ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैक द्वारा इसीजीसी वर्गीकरण का उपयोग किया गया है और हांगकांग तथा दुबई शाखाओं के लिए व भारत मे ट्रेड एक्सपोजर के अलावा एसएण्डपी रेटिंग का उपयोग किया गया है. इसीजीसी द्वारा जारी नवीनतम कन्ट्री जोखिम वर्गीकरण वर्ष 2013-14 हेतु लिमिट आवंटन का आधार है. तथापि गैर - ट्रेड और विदेशी शाखा से संबंधित संव्यवहारों के लिए मानक और कमजोर रेटिंग मानकर, जो कि इसीजीसी रेटिंग के विपरित है, इसके अंदर सब- लिमिट का निर्धारण भी किया गया है. मानक और कमजोर रेटिंग, इसीजीसी रेटिंग के विपरित होने पर सब-लिमिट को कुल लिमिट के 20% पर निर्धारित किया गया है.

विभिन्न देशो पर लिए गए एक्सपोजर बैक की पूंजी निधि के आधार पर निर्धारित सीमा के भीतर है. अत: कुल परिसम्पत्तियों के 1% के वर्तमान दिशानिर्देशो के अनुसार कन्ट्री जोखिम हेतु प्रावधान अपेक्षित नही है.

3.7.4 I) **बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता को दी गई सीमा से अधिक (एसबीएल) का बयौरा:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूजी निधि का % एक्सपोज़र	31.03.14 की स्थिति	पूजी निधि के % की स्थिति
शून्य						

- * व्यक्तिगत उधारकर्ता एक्सपोज़र की सीमा पूंजी निधि का 15% है, परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति एवं बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान किया गया है.
- व्यक्तिगत उधारकर्ता को आधारभूत प्रोजेक्ट हेतु (पूंजी निधि का 20%) 5% अतिरिक्त
- तेल कम्पनियों के व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, जिनके द्वारा तेल बाण्ड जारी किए गए है, (जिनका एसएलआर स्टेटस नही है) भारत सरकार द्वारा पूंजी निधि का 25% है.

ii) **समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का ब्यौरा,(जीबीएल) जहां बैंक द्वारा सीमा से अधिक दिया गया है :**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूजी निधि का % एक्सपोज़र	बोर्ड की मंजूरी का ब्यौरा	31.03.14 की स्थिति	पूजी निधि के % की स्थिति
शून्य							

समूह एक्सपोज़र की सीमा - 40%

आधारभूत सुविधाओं के लिए समूह एक्सपोज़र सीमा 50% है.

बोर्ड के अनुमति से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया जा सकता है.

3.7.5 **बेजमानती अग्रिम :** शून्य

भारिबैं के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र.83/08.12.014/2012-13, दिनांक 18 मार्च 2013 के अनुसार सडक/ महामार्ग प्रोजेक्ट और टोल संग्रहण का अधिकार बीओटी के अन्तर्गत वार्षिकी द्वारा बेक्ड अग्रिम को जमानती माना गया है.

3.8 **भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : 13.25 लाख**

4. **लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने "खाते के नोट" के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.**

4.1 **लेखा मानक -9 राजस्व पहचान**

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति क्रमांक 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर पहचान की गई है. तथापि इसप्रकार की आय को शामिल नही किया गया है.

4.2 **लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ** :

4.2.1 **परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना .**

4.2.1.1 बैंक ने कर्मचारियों के लाभ का समायोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार किया है. 31.03.2014 को समाप्त वर्ष की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रकटन इस प्रकार हैं :

	विवरण	2013-14		2012-13	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**				
	पिछली डिस्काउंट दर	8.50	8.50	8.50	9.00
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00	8.70	8.00	8.00
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00	4.00	4.00	4.00
	पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	चालू डिस्काउंट दर	9.33	9.27	8.50	8.50
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00	8.70	8.00	8.70
	चालू वेतन वृद्धि	5.00	5.00	4.00	4.00
	चालू एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

	विवरण	2013-14		2012-13	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,000.86	5,991.02	990.55	5,259.03
	ब्याज लागत	82.64	509.62	81.85	477.34
	चालू सेवा लागत	44.92	194.81	37.99	193.33
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	78.89	369.04	21.60	358.42
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,060.13	6,683.81	1,000.86	5,991.02
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,037.22	4,774.08	861.28	4,020.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	87.02	522.50	83.50	372.28
	अंशदान	124.17	1,422.06	248.00	782
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	1,081.23	6,104.73	1,037.22	4,774.08
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(98.90)	(602.28)	(46.02)	(461.51)
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	87.02	522.50	83.50	372.28
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	67.02	289.27	59.07	269.18
vi)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**				
	वर्तमान सेवा लागत	44.92	194.81	37.99	193.33
	ब्याज लागत	82.64	509.62	81.85	477.34
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(87.02)	(522.50)	(83.50)	(372.28)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	65.00	338.00	65.00	253.00
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	98.90	602.28	46.02	461.51
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
vii)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(166.36)	540.94	(65.73)	225.03
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(124.17)	(1,422.06)	(248.00)	(782.00)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(86.10)	241.08	(166.36)	455.94

	विवरण	2013-14		2012-13	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
viii)	**अन्य ब्यौरे :**				
	ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते अधिकतम राशि रु.10,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकीक अर्जन/ हानि की गणना की गई है				
	वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	33,945	23,163	31,783.00	24,739.00
	वेतन प्रति माह	126.03	98.59	109.22	92.37
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	शून्य	319.43	शून्य	299.28
ix)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	151.48	473.15	शून्य	शून्य
	कार्पोरेट बांड	337.99	1584.16	शून्य	शून्य
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार	357.44	2011.48	शून्य	शून्य
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	24.96	28.60	1,037.22	4,774.08
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	209.36	2007.33	शून्य	शून्य
	योग	**1,081.23**	**6,104.73**	**1,037.22**	**4,774.08**

योजना मे अधिशेष/ कमी	**ग्रैच्युटी योजना**				
तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
वर्ष के अंत मे देयताएं	1060.13	1000.86	990.55	894.93	518.27
वर्ष के अंत मे योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1081.23	1037.22	861.28	873.05	767.36
अंतर	21.10	36.36	(129.27)	(21.88)	249.09
पहचानी नही गई पूर्व सेवा लागत	65.00	130.00	195.00	260.00	शून्य
पहचानी नही गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	86.10	166.36	65.73	238.12	249.09

तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	**ग्रैच्युटी योजना**				
अनुभव समायोजन	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	123.74	21.60	95.09	145.69	(136.76)
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	(20.00)	(24.43)	(0.80)	(4.15)	(1.73)

योजना मे अधिशेष/कमी	**पेंशन**				
तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
वर्ष के अंत मे देयताएं	6,683.81	5,991.02	5,259.03	4,771.82	1,359.12
वर्ष के अंत मे योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	6,104.73	4,774.08	4,020.00	2,513.69	1,158.11
अंतर	(579.08)	(1,216.94)	(1,239.03)	(2,258.13)	(201.01)
पहचानी नही गई पूर्व सेवा लागत	338.00	761.00	1,014.17	1,352.17	Nil
पहचानी नही गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	(241.08)	(455.94)	(224.86)	(905.96)	(201.01)

तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	**पेंशन**				
अनुभव समायोजन	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	661.38	251.18	511.13	367.19	118.58
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	(233.23)	(103.10)	(145.15)	(15.87)	(11.52)

4.2.2 अंशदान योजना लागू करना :

बैक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है जो कि दिनांक 01.08.2010 से सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है. एनपीएस के लिए नेशनल सिक्यूरिटीस डीपाजटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रुप मे नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बैक द्वारा ₹ 28.55 करोड (पिछले वर्ष ₹16.53 करोड) का अंशदान किया गया.

4.2.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

4.3.2.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	2013-14	2012-13
1.	पेंशन	1122	1013
2.	अवकाश नकदीकरण	43	31
3.	अवकाश यात्रा रियायत	शून्य	शून्य
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	(37)

4.3 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

4.3.1 कारोबार क्षेत्र :

(₹ लाख में)

कारोबार क्षेत्र		स्टेण्डअलोन					समेकित	
		तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति		वर्ष समाप्ति	
		(अंकेक्षित)	(समेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		(अंकेक्षित)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व							
1	ट्रेज़री परिचालन	210557	217313	195765	851580	687271	851580	687271
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	270837	250243	323096	903475	918312	903475	918312
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	353872	349580	227406	1430105	1141110	1430105	1141110
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	9424	6212	8645	33130	32243	33130	32243
5	गैर निर्धारित	0	0	0	0	0	36333	35984
	योग	**844691**	**823348**	**754912**	**3218290**	**2778936**	**3254623**	**2814920**
	घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व	**200**	**331**	**4853**	**1196**	**11263**	**1196**	**11263**
	कुल राजस्व	**844491**	**823017**	**750059**	**3217093**	**2767673**	**3253427**	**2803657**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**							
1	ट्रेज़री परिचालन	32565	54816	33368	114560	92460	114560	92460
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	22080	33780	82703	84564	159864	84564	159864
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	-19299	-26390	-18286	-8549	36275	-8549	36275
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	4572	2917	5125	16309	17830	16309	17830
5	गैर निर्धारित	0	0	0	0	0	-2665	-2678
	कर पूर्व कुल लाभ	**39917**	**65123**	**102910**	**206883**	**306429**	**204218**	**303751**
(सी)	आयकर	-17971	30229	23972	37264	90636	37264	90636
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**57888**	**34894**	**78938**	**169620**	**215793**	**166955**	**213115**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**							
1	ट्रेज़री परिचालन	11844908	11553228	9949680	11844908	9949680	11844908	9949680
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	8759732	8284406	7177392	8759732	7177392	8759732	7177392
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	14442144	14228096	13755828	14442144	13755828	14442144	13755828

कारोबार क्षेत्र		स्टेण्डअलोन					समेकित	
		तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति		वर्ष समाप्ति	
		(अंकेक्षित)	(समेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		(अंकेक्षित)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0	0	0	0	0	0
5	गैर निर्धारित	328169	317655	303181	328169	303181	454662	408292
	योग	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501446**	**31291192**
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं							
1	ट्रेज़री परिचालन	11215487	10974693	9394235	11215487	9394235	11215487	9394235
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	8341491	7909435	6809684	8341491	6809684	8341491	6809684
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	13752591	13584100	13051096	13752591	13051096	13752591	13051096
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0	0	0	0	0	0
5	गैर निर्धारित	217849	138306	201447	217849	201447	317345	293159
6	पूंजी, निधियां एवंअधिशेष	1847536	1776851	1729619	1847536	1729619	1874532	1743019
	योग	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501445**	**31291192**

टिपण्णीयां

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कार्पोरेट /थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है . उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति , लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर , लेखामानक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है. अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.
3. जहा- कहीं आवश्यक है, विभिन्न अवधि के आंकडो को पुर्नवर्गीकृत/ पुर्नसमुहित किया गया है.

4.4 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन.

4.4.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए) समनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

यूनियन बैक आफ इंडिया (यूके) लिमि.

(बी) संयुक्त उद्यम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(सी) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक.

(डी) लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री डी. सरकार , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.11.2013 तक)

ii. श्री अरुण तिवारी , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (26.12.2013 से)

iii. श्री एस. के जैन, कार्यपालक निदेशक (01.09.2011 से)

iv. श्री के. सुब्रमण्यम, कार्यपालक निदेशक (21.01.2013से)

v. श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक (05.08.2013 से)

vi. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक (21.01.2013 तक)

4.4.1.1 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	अनुषंगी	एसोसिएट / संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	योग
उधारी	शून्य	400.00	शून्य	शून्य	400.00
जमाराशियां	16.45	3019.45	शून्य	शून्य	3035.90
जमाराशियां का प्लेसमेंट	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	शून्य	200.0	शून्य	शून्य	200.00
निवेश	245.28	28.20	शून्य	शून्य	273.408
गैर निधि वचन बद्धता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग की गई लीजिंग / एच पी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपलब्ध कराई गई लीजिंग / एच पी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्थाई परिसम्पत्तियों का विक्रय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	288.81	शून्य	शून्य	288.81
प्राप्त ब्याज	2.83	16.46	शून्य	शून्य	19.29
सेवाएं प्रदान करना	शून्य	22.91	शून्य	शून्य	22.91
सेवाएं प्राप्त करना	1.08	33.71	शून्य	शून्य	34.79
प्रबंधन संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.1.2 वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

एएस - 18 के पैरा 5 के अनुसार , बैकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारो, जिसमे प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और उनके रिश्तेदार भी शामिल है, को प्रकटित नही किया गया है

4.4.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड में)

विवरण	2013 - 14	2012-13
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.23	#0.22
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.50	#0.38
योग	**0.73**	**0.60**

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमश: 0.06 करोड व रु. 0.08 करोड की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

4.5 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

क्र	विवरण		31.03.2014	31.03.2013
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	27.99	38.93
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ	(₹ करोड़ में)	1,696.20	2,148.49
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत	(संख्या करोड़ में)	60.59	55.19
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य	₹	10.00	10.00

4.6 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

4.6.1 बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2014 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	276.42	237.10
2	कर्मचारी लाभ	325.83	261.54
3	पूर्व वर्षो मे दावित, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशो पर मूल्यह्रास	3.83	18.11
4	अवकाश नकदीकरण	34.82	19.47
5	अन्य प्रावधान	212.65	शून्य
	योग	**853.55**	**536.22**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशो के मूल्य मे ह्रास हेतु प्रावधान	52.06	81.92
2	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	32.28	28.88
3	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	667.46	457.11
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	781.09	शून्य
	योग	**1,532.89**	**567.91**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	शून्य	शून्य
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**679.34**	**31.69**

4.6.2 **वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर और वेल्थ टेक्स देयताओं सहित)	623.76	906.36

4.6.3 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी/बीपी/बीसी/77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अनुपालन मे बैंक द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत आस्थगित कर देयताओं पर विशेष रिजर्व किया गया है. भारिबैं के उक्त परिपत्र की अपेक्षानुसार ₹ 720.59 करोड की व्यय राशि दिनांक 31 मार्च 2013 को विशेष रिजर्व पर डीटीएल हेतु देय है, जिसे पूर्व मे लाभ-हानि खाते से प्रभारित नही किया गया था, उसे अब सीधे रिजर्व से समायोजित किया गया हैं. यदि इस राशि को सामान्य लेखा नियमो के अनुसार लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता तो वर्तमान वित्त वर्ष का लाभ ₹720.59 करोड से कम हो जाता था. इसीप्रकार इस वर्ष के लिए विशेष रिजर्व पर ₹ 60.50 करोड 31. मार्च 2014 को आरक्षित किए गए है.

4.7 लेखा मानक 28

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

4.8 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय / विवेचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

5. अतिरिक्त प्रकटन

5.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	2013-14	2012-13
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	87.85	197.46
एनपीए के लिए प्रावधान	2,106.17	1,555.52
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	308.87	220.76
आयकर के लिए प्रावधान/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	370.79	906.31
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	109.97	16.87
- अग्रिमों का पुनर्गठन	254.69	240.23
- अन्य	283.56	287.62
योग	**3,521.90**	**3,424.77**

5.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर / फ्लोटिंग प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	2013-14	2012-13
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष - 01.04.2013	763.00	763.00
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	251.79	शून्य
iv)	दिनांक 31.03.2014 को अंतिम शेष	**511.21**	**763.00**

भारिबैं की अनुमति से उनके द्वारा जारी परिपत्र क्र डीबीओडी/बीपी/95/21.04.048/2013-14 दिनांक 07 फरवरी 2014 के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर ₹ 251.79 करोड की राशि समायोजित की गई

5.3 आरक्षिती से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 31 .03. 1999 तक की असमायोजित जमा प्रविष्टियों के संबंध मे प्राप्त दावो का निपटान करने हेतु (भारिबैं द्वारा जारी परिपत्र क्र डीबीएस/ सीओ/ एसएमसी/8825/22.09.001/2005-06 दिनांक 20 दिसंबर 2005) ₹ 0.03 करोड आहरित किए गए,

5.4 शिकायतों का प्रकटन

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,478
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	121,546
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	122,246
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	778

बी. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध मे शिकायत

क्र	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	560
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	93,163
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	93,170
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**553**

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा जो अन्य बैंको से संबद्ध हैं:

क्र	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	389
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	62,839
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	62,894
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**334**

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	9
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	10
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**शून्य**

5.5. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षों में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट और 01.04.2013 को बकाया	3,815.51
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	12,890.41
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	12,627.92
दिनांक 31.03.2014 को बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	**4,078.00**

5.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

31.3.2014 को प्रावधान कवरेज अनुपात 59.98 % है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रावधान कवरेज अनुपात से अधिक किसी प्रावधान को काउंटरसायक्लीकल (प्रतिचक्रीय) प्रावधान बफर खाते में रखा जायेगा.

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार का प्रकटन

(₹करोड़ में)

क्र	आय का स्वरूप	राशि
	जीवन बीमा पालिसी बेचने से	29.37
	गैर -जीवन बीमा पालिसी बेचने से	7.29
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	**शून्य**

5.8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

5.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	40,722.39
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	13.68

5.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	20,379.68
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	8.69

5.8.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	56,738.15
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	24.19

5.8.4 एन पी ए का केन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	1159.49

5.9 सेक्टरवार एनपीए

(₹करोड़ में)

क्र	सेक्टर	उस सेक्टर मे कुल अग्रिमो से एनपीए का % 31.03.2014)
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	6.22
2	उद्योग (माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बड़े)	4.80
3	सेवाएं	1.23
4	वैयक्तिक ऋण	8.75

5.10 एन पी ए का संचरण

(₹करोड़ में)

1 अप्रैल 2013 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	6,313.83
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये)एनपीए	5,459.44
वर्तमान एनपीए मे वृद्धि	19.49
उप जोड़ (ए)	11,792.76
घटाएं:	
(i) उन्नयन	551.01
(ii)वसूली (उन्नत खातों में हुई वसूलियोंको छोड़कर)	765.44
(iii) अप लेखन	912.57
उप जोड़ (बी)	2,229.02
31 मार्च 2014 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	9,563.74

5.11 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14
कुल आस्तियां	22005.13
कुल एनपीए	421.68
कुल राजस्व	724.91

5.12 तुलनपत्र के अलावा एसपीवी :

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**अपतटीय**
शून्य	**शून्य**

5.13 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं :

5.13.1 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार द्वितीय विकल्प अपनाने वाले सेवारत कर्मियों की ₹ 338.00 करोड़ की अतिरिक्त पेंशन निधि देयता के पांचवे हिस्से को इस वर्ष 2013-14 के लाभ हानि खाते में लिया गया है और ₹ 338.00 करोड़ की राशि को अगले वर्ष हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जायी गयी है.

5.13.2 इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख होने के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई अतिरिक्त ग्रेच्युटी देयता के पांचवें हिस्से ₹ 65 करोड़ को इस वर्ष 2013-14 के लाभ हानि खाते में लिया गया है तथा शेष ₹ 65 करोड़ की राशि को अगले वर्ष में हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जाया गया है.

5.14 **पारिश्रमिक का प्रकटन : लागू नही**

5.15 **सिक्योरटाइजेशन से संबंधित प्रकटन :**

(₹ करोड़ में))

क्र	विवरण	संख्या/ राशि
	बैक द्वारा सिक्योरटाइजेशन हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य
	एसपीवी प्रायोजित की बहियों के अनुसार सिक्योरटाइज्ड परिलम्पत्तियों की कुल राशि	
	बैक द्वारा एमएमआर के अनुपालन मे तुलन पत्र के दिनांक को रखे गये एक्सपोजर की कुल राशि ए) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य बी) तुलन पत्र का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	
	एमआरआर के अलावा सिक्योरटाइजेशन संव्यवहारो को एक्सपोजर की राशि ए) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर i. स्वयं के सिक्योरटाइजेशन का एक्सपोजर प्रथम हानि हानि ii. तृतीय पक्ष के सिक्योरटाइजेशन का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य बी) तुलन पत्र पर एक्सपोजर i. स्वयं के सिक्योरटाइजेशन का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य ii. तृतीय पक्ष के सिक्योरटाइजेशन का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	

5.16 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप :

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नही किए गए है

6. अचल आस्तियां :

बैंक द्वारा धारित ₹49.35 करोड (पिछले वर्ष ₹11.34 करोड) की ह्रासित मूल्य की 9 अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध मे आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है. भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था , जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार ₹1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर आरोपित ₹ 10.22 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 38.07 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.

7. टायर I तथा टायर II पूंजी के रुप में अर्जित निधि :

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सेबी नियामक 76(1), 2009 (पूंजी जारी करना और प्रकटन) के प्रावधानो के अनुसार, शेयर धारकों की असामान्य बैठक मे किए गए अनुमोदन के आधार पर भारत सरकार को 10 /- अंकित मूल्य के 33512064 इक्विटी शेयर ₹149.20 की दर से वरीयता आधार पर आवंटित किये गए है. इस मद मे बैक को प्राप्त राशि ₹500 करोड है. परिणामस्वरुप भारत सरकार की अंशधारिता 57.89 % से बढकर 60.13 % हुई है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बासल - III के अनुपालन मे 2000 करोड की राशि अन सिक्योर्ड रीडीमेबल - नान कनवर्टेबल बाण्ड जारी कर टायर II पूंजी के रुप में उगाए है

8 वर्ष के दौरान नरेगा अन्तर्गत आंध्रप्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाले कमीशन की राशि ₹21.66 करोड को आय के रुप मे पहचान की गई है.,जो कि वसूली के आधार पर पहचान की गई है. इसीप्रकार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य आय इस राशि से अधिक है.

9 जहां - कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकडो को पुर्नसमुहित / पुर्न व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महाप्रबंधक	**(राकेश सेठी)** कार्यपालक निदेशक	**(के. सुब्रह्मण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस के जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(अरुण तिवारी)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक	**(दीपक सिंघल)** निदेशक	**(जगमोहन शर्मा)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक	**(एस के मिश्रा)** निदेशक	
(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक	**(डी. चटर्जी)** निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं. चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस	**कृते एस जी सी ओ एंड कं.** चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू	**कृते ज़िंदल एंड कं.** चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन
(एस रामास्वामी) भागीदार(एम न. 025918)	**(के. वी. एस. श्यामसुंदर)** भागीदार(एम न. 015747)	**(अखिल ज़िंदल)** भागीदार(एम न. 090515)
कृते शाह गुप्ता एंड कं. चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू	**कृते वी. रोहतगी एंड कं.** चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी	**कृते जे. गुप्ता एंड कं.** चार्टड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई
(विपुल कुमार चौकसी) भागीदार(एम न. 037606)	**(वंदना रस्तोगी)** भागीदार(एम न. 086956)	**(एच के दत्ता)** भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014	समाप्त वार्ष 31.03.2013
ए	**परिचालन कार्यो से नकदी प्रवाह :**		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	206889	306429
	के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियो पर मूल्य ह्रास	19378	15092
	निवेश आस्तियो पर मूल्य ह्रास	19783	21433
	गैर निष्पादित आस्तियो के लिए प्रावधान	236086	179575
	मानक आस्तियो के लिए प्रावधान	58114	53746
	अन्य प्रावधान	939	(2877)
	अचल आस्तियो की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	(258)	169
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	23587	6981
	उप कुल	**564518**	**580548**
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	3391407	4089262
	उधार में वृद्धि / (कमी)	34650	138104
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	38053	(46233)
	निवेश में वृद्धि / (कमी)	(1309057)	(1868121)
	अग्रिमो में वृद्धि / (कमी)	(2336311)	(3201585)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(76019)	(7637)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(75483)	(107051)
	परिचालन कार्यो से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**231757**	**(422713)**
बी	**निवेश कार्यो से नकदी प्रवाह :**		
	अचल आस्तियों की खरीद	(36869)	(34025)
	अचल आस्तियों की बिक्री	1126	636
	निवेश कार्यो से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(35743)**	**(33389)**
सी	**वित्तपोषण कार्यो से नकदी प्रवाह :**		
	इविवटी शेयर जारी करने से आगम	3352	4624
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम	46583	106664
	आईपीडीआई, गौण बांड और अपर टायर II बांड जारी करने से आगम	517283	450676
	लाभांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लाभांश कर सहित)	(76984)	(52337)
	वित्तपोषण कार्यो से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**490234**	**509627**
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**686248**	**53525**
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1621039**	**1567514**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**2307287**	**1621039**

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014	समाप्त वार्ष 31.03.2013
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1076292	1163356
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	544747	404158
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1621039**	**1567514**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1841968	1076292
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	465319	544747
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	**2307287**	**1621039**

(राकेश सेठी)	**(के. सुब्रमण्यम)**	**(एस.के.जैन)**	**(अरुण तिवारी)**
(कार्यपालक निदेशक)	(कार्यपालक निदेशक)	(कार्यपालक निदेशक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों ने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये बैक के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है.यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 8 मई,2014 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र आधारित और उसके अनुरुप है.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल :

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक), इसकी सहायक कम्पनी, एसोसियेट्स एवं संयुक्त उपक्रम (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस), जिसमें 31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन पत्र, एवं इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ एवं हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण, एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का लेखा परीक्षण किया है जिसमें शामिल है :

   (i) 6 (छः) संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक के लेखापरीक्षित लेखे ,

   (ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तीन सहायक कम्पनी, एक एसोसिएट और एक संयुक्त उपक्रम के लेखे .

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाहों की सही एवं न्यायोचित स्थिति प्रकट करते हों. इसमें वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपनी लेखा परीक्षा इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है.

4. किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनो के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये बैंक की तैयारी और समेकित वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर, न कि बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करने के उद्देश्य से, विचार करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य , हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है .

सम्मति

6. हमारे मत एवं हमारी उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं समूह के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा पद्धति के अनुकूल सही एवं न्यायोचित स्थिति देते हैं :

   a. यथा 31 मार्च, 2014 को बैंक के क्रिया कलापों के समेकित तुलन पत्र के संबंध में

   b. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के संबंध में, एवं

   c. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकद प्रवाहों के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण के संबंध में .

जोर दिये जाने वाले मामले

7. अपने मत को किसी प्रकार हलका किये बिना, हम अनुसूची 18 के "खातों पर नोट" के निम्न नोट पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

   a. ए एस 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 के आधार पर ₹ 338 करोड़ (विगत वर्ष ₹676 करोड़) तक बैंक के पेंशन दायित्व को आस्थगन करने के संबंध में नोट संख्या 10.2 .

   b. ए एस 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 के आधार पर ₹ 65करोड़ (विगत वर्ष ₹ 130 करोड़) तक बैंक के अतिरिक्त ग्रेच्युटी दायित्व को आस्थगन करने के संबंध में नोट संख्या 10.3.

c. नोट क्रमांक.14.2 जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक . DBOD.BP.BC/77/21.04.018/2013-14 दिनांकित 20 दिसम्बर,2013 के आधार पर, आय कर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत 31 मार्च,2013 को विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर दायित्व के निर्माण हेतु व्यय के लेखे के प्रकार का वर्णन करता है.

अन्य मामले

8. वित्तीय विवरण जिनका लेखा परीक्षण हमने नही किया है :

(i) दो घरेलू सहायक कम्पनी, जिनके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2014 को कुल सम्पत्ति ₹44.86 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹11.13 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बर्हिप्रवाह राशि ₹27.51 करोड़ परिलक्षित होता है.

(ii) एक संयुक्त उपक्रम, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च,2014 को कुल सम्पत्ति ₹4908.97 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹1589.12 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बर्हिप्रवाह राशि ₹39.56 करोड़ परिलक्षित होता है एवं

(iii) एक एसोसियेट, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च,2014 को कुल सम्पत्ति ₹7693.36 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹607.64 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बर्हिप्रवाह राशि ₹42.88 करोड़ परिलक्षित होता है एवं

(iv) एक अन्तर्राष्ट्रीय सहायक कम्पनी, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2014 को कुल सम्पत्ति ₹235.74करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹212.14 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बर्हिप्रवाह राशि ₹224.68 करोड़ परिलक्षित होता है. उक्त सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण संबंधित स्थानीय सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है.इन वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएएपी की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया गया है.

इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है, एवं हमारा मत अन्य पूरी तरह से लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है. इस मामले में हमारा मत योग्य नही है.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 002783एस

(एस. रामास्वामी)
भागीदार (एम.संख्या 025918)

कृते एसजीसीओ एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 112081डब्ल्यू

(के.वी.एस. श्याम सुंदर)
भागीदार (एम.संख्या 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार (एम.संख्या.090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 109574डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार (एम.संख्या.037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार (एम.संख्या 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

स्थान: मुम्बई
तारीख : 8 मई, 2014

31 मार्च 2014 का समेकित तुलन-पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1	7,413,063	7,077,942
आरक्षित और आधिक्य	2	180,040,107	167,223,921
अल्पमत हिस्सेदारी	2ए	191,687	297,883
जमाराशियां	3	2,976,510,614	2,636,815,532
उधार	4	293,162,277	237,968,845
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	92,826,851	79,735,082
जोड़		**3,550,144,600**	**3,129,119,205**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	6	184,199,793	107,632,205
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	49,006,588	54,479,814
निवेश	8	946,363,538	818,083,116
अग्रिम	9	2,291,046,698	2,081,024,291
अचल आस्तियां	10	26,233,935	24,954,035
अन्य आस्तियां	11	53,294,048	42,945,744
जोड़		**3,550,144,600**	**3,129,119,205**
अनुषंगी दायित्व	12	1,955,241,640	3,245,952,368
संग्रहण के लिए बिल		124,757,066	62,522,423
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महाप्रबंधक	**(राकेश सेठी)** कार्यपालक निदेशक	**(के. सुब्रह्मण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस के जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(अरुण तिवारी)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक	**(दीपक सिंघल)** निदेशक	**(जगमोहन शर्मा)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक	**(एस के मिश्रा)** निदेशक	
(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक	**(डी. चटर्जी)** निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	31.3.2014 को समाप्त वर्ष	31.3.2013 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	293,935,340	251,685,293
अन्य आय	14	31,407,328	28,680,402
कुल		**325,342,668**	**280,365,695**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	214,667,236	175,753,802
परिचालन व्यय	16	58,760,832	49,054,662
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		35,219,017	34,245,751
कुल		**308,647,085**	**259,054,215**
III. वर्ष का शुद्ध लाभ		16,695,583	21,311,480
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		4,074	6,128
कुल		**16,699,657**	**21,317,608**
लाभ / हानि में असोसिएट का हिस्सा		171,703	146,835
अल्पसंख्यक शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ /हानि		16,871,360	21,464,443
घटाया अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा		(106,196)	(107,527)
समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ / हानि		**16,765,164**	**21,571,970**
IV. विनियोजन			
कानूनी आरक्षित को अंतरण		5,088,610	6,480,000
पूंजी आरक्षित को अंतरण		171,809	542,320
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		6,654,058	7,026,559
प्रस्तावित लाभांश		2,521,225	4,774,354
लाभांश कर		445,460	827,436
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		1,780,000	1,820,000
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षित मे अंतरण		0	2,877
पीएनसीपीएस पर लाभांश हेतु प्रावधान		99,900	94,350
लाभ व हानि लेखे में शेष		4,102	4,074
कुल		**16,765,164**	**21,571,970**
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाईल्यूटेड)		27.56	38.44

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं.

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महाप्रबंधक	**(राकेश सेठी)** कार्यपालक निदेशक	**(के. सुब्रह्मण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस के जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(अरुण तिवारी)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक	**(दीपक सिंघल)** निदेशक	**(जगमोहन शर्मा)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक	**(एस के मिश्रा)** निदेशक	
(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक	**(डी. चटर्जी)** निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

31 मार्च 2014 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
सूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत :		
₹ 10 प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	**30,000,000**	**30,000,000**
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :		
i. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 37,89,71,753 इक्विटी शेयर केंद्रीय सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 34,54,59,689 इक्विटी शेयर)	3,789,718	3,454,597
ii. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 25,13,34,520 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 25,13,34,520 इक्विटी शेयर)	2,513,345	2,513,345
III. शास्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर	1,110,000	1,110,000
कुल	**7,413,063**	**7,077,942**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां & अधिशेष :		
I. कानूनी आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	50,830,000	44,350,000
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,088,610	6,480,000
	55,918,610	50,830,000
II. ए) पूंजी आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7,590,730	7,048,410
वर्ष के दौरान वृद्धि	171,809	542,320
	7,762,539	7,590,730
II. बी) समेकन पर पूंजी आरक्षित	2,130,058	569,500
III. शेयर प्रीमियम :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	28,858,687	18,192,279
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,658,363	10,666,408
	33,517,050	28,858,687
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,957,577	15,338,271
वर्ष के दौरान कमी	364,204	380,694
	14,593,373	14,957,577
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :		
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	43,210,476	36,286,865
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,654,058	7,026,974
वर्ष के दौरान कमी	7,205,900	103,363
कुल	42,658,634	43,210,476
ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	21,200,000	19,380,000
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,780,000	1,820,000
	22,980,000	21,200,000
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,877	0
वर्ष के दौरान वृद्धि	472,864	2,877
	475,741	2,877
VI. लाभ-हानि खाते में शेष		
लाभ-हानि खाते में शेष	4,102	4,074
कुल	180,040,107	167,223,921
अनुसूची 2 ए- अल्पमत शेयर :		
मुख्य अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तारीख को अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा	588,245	588,245
बाद में हुई वृद्धि / कमी	(396,558)	(290,362)
तुलन पत्र की तारीख को अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा	**191,687**	**297,883**

31 मार्च 2014 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
I. मांग जमाराशि		
i) बैंकों से	7,899,358	9,328,445
ii) अन्यों से	219,072,883	231,777,035
	226,972,241	241,105,480
II. बचत बैंक जमाराशियां	650,977,053	574,966,537
	650,977,053	574,966,537
III. मियादी जमाराशियां		
i) बैंकों से	112,409,311	108,765,593
ii) अन्यों से	1,986,152,009	1,711,977,922
	2,098,561,320	1,820,743,515
कुल	2,976,510,614	2,636,815,532
भारतस्थित शाखाओं की जमाराशियां	2,927,871,590	2,609,183,212
भारत के बाहर स्थित शाखाओ की जमाराशियां	48,639,024	27,632,320
कुल	**2,976,510,614**	**2,636,815,532**
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
I. शाश्वत बांड	10,396,100	10,396,100
II. अपर टियर II पूंजी	22,500,000	22,500,000
III. लोअर टियरr II पूंजी	52,500,000	35,000,000
बी) भारत में उधार		
I. भारतीय रिज़र्व बैंक	15,250,000	21,252,700
II. अन्य बैंक	0	2,000,000
III. अन्य संस्थायें एवं एजेंसियां	12,929,141	1,461,394
सी) भारत से बाहर उधार	179,587,036	145,358,651
कुल	**293,162,277**	**237,968,845**
उपरोक्त I & II में प्रतिभूत उधार शामिल हैं.	1,339,121	1,339,121
अनुसूची 5 - अन्य देयतायें और प्रावधान :		
I. देय बिल	13,560,138	12,227,242
II. उपचित ब्याज	8,841,308	8,372,023
VI. आस्थगित कर देयतायें	6,796,082	321,019
VII. अन्य(प्रावधान सहित)	63,629,323	58,814,798
कुल	**92,826,851**	**79,735,082**
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष :		
I. धारित नकदी	7,849,563	7,755,815
(इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में	176,350,230	99,876,390
कुल	**184,199,793**	**107,632,205**

31 मार्च 2014 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I. भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	668,272	1,203,625
बी) अन्य जमाखातों में	8,829,451	12,194,405
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
कुल	9,497,723	13,398,030
i) ए) चालू खातों में	6,874,789	6,003,697
बी) अन्य जमाखातों में	32,634,076	35,078,087
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	39,508,865	41,081,784
कुल	**49,006,588**	**54,479,814**
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	699,319,716	619,492,638
ii) अन्य अनुमोदित अनुभूतियां	528,253	528,253
iii) शेयर	13,559,518	13,651,299
iv) डिबेंचर एवं बाँड	116,990,507	63,927,694
v) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1,356,364	1,548,476
vi) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	3,910,991	11,921,944
- जमा प्रमाणपत्र	5,924,293	31,914,559
- म्युचुअल फंड	10,228,032	9,311,918
- आरआईडीएफ	90,994,086	64,741,371
- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	1,497,172	360,945
कुल	944,308,932	817,399,097
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां(स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित.)	0	571491
i) शेयर	4032	4032
iii) अन्य निवेश (बाँड)	2050574	108496
कुल	2054606	684019
कुल	**946,363,538**	**818,083,116**
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	948768776	813817779
मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	4459844	3581318
निबल मूल्य	944308932	817399097
ii) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य/निबल मूल्य	2054606	684019
मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
	2054606	684019
कुल	**946363538**	**818083116**

31 मार्च 2014 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

		यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
अनुसूची 9 - अग्रिम			
I.	i) खरीदे और भुनाये गये बिल	53,248,483	65,825,482
	ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,108,325,273	1,048,463,155
	iii) मीयादी ऋण	1,129,472,941	966,735,654
	कुल	**2,291,046,697**	**2,081,024,291**
II.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	1,921,663,649	1,657,034,303
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	114,997,046	127,175,062
	iii) अप्रतिभूत	254,386,003	296,814,926
	कुल	2,291,046,698	2,081,024,291
ए.	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	650,858,380	553,603,600
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	168,922,543	202,314,391
	iii) बैंक	38,923,363	61,813,734
	iv) अन्य	1,261,376,025	1,134,014,543
	कुल	2,120,080,311	1,951,746,268
बी.	**भारत से बाहर अग्रिम**		
	i) बैंकों से देय	51,202,064	61,170,292
	ii) अन्यों से देय		
	ए) खरीदे एवं भुनाये गये बिल		3,245,049
	बी) सिंडीकेट ऋण		50,376,482
	सी) अन्य	119,764,323	14,486,200
	कुल	**170,966,387**	**129,278,023**
	कुल	**2,291,046,698**	**2,081,024,291**
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां			
ए.	**मूर्त अस्तियां**		
	I. परिसर		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	23,225,175	22,006,721
	वर्ष के दौरान वृद्धि	426,629	1,218,454
		23,651,804	23,225,175
	घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	**5,456,401**	**4,908,637**
	कुल	**18,195,403**	**18,316,538**
	II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	128,716	85,918
	वर्ष के दौरान वृद्धि	516,875	285,958
	वर्ष के दौरान कमी	623,357	243,160
	कुल	22,234	128,716
	III. भूमि		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	134,097	30,972
	वर्ष के दौरान वृद्धि	364,200	103,125
		498,297	134,097
	वर्ष के दौरान कमी	24,532	23,385
	कुल	473,765	110,712
	IV. अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)		
	ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	265,352	265,352
	घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	265,352	265,352
	कुल	0	0

31 मार्च 2014 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
बी) अन्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	16,401,818	14,728,907
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,660,559	1,930,000
वर्ष के दौरान कमी	313,157	257,089
	18,749,220	16,401,818
घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	11,658,624	10,317,571
कुल	7,090,596	6,084,247
बी. अमूर्त अस्तियां		
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,348,053	1,153,546
वर्ष के दौरान वृद्धि	456,483	194,507
	1,804,536	1,348,053
आज की तारीख तक परिशोधन	1,352,599	1,034,231
कुल	451,937	313,822
कुल	**26,233,935**	**24,954,035**
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :		
I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निबल)	11,318,579	10,370,315
II. उपचित ब्याज	23,857,768	18,474,150
III. संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	1,567	(2,722,944)
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	26,133	24,522
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	390	390
VI. आस्थगित कर आस्तियां	14,739	0
VII. अन्य	18,074,872	16,799,311
कुल	**53,294,048**	**42,945,744**
अनुसूची 12 - अनुषंगी देयतायें :		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35,991,576	34,912,835
II. अंशत: संदत्त निवेशों के लिये देयतायें	5,920	5,920
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें	1,482,332,111	2,844,077,459
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
i) भारत में	226,257,305	179,985,613
ii) भारत से बाहर	1,380,624	4,614,139
V. स्वीकृतियां,पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें	203,600,004	177,244,776
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	5,674,100	4,889,100
ii) अन्य	0	222,526
कुल	**1,955,241,640**	**3,245,952,368**

31 मार्च 2014 के समेकित लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में सूचियां

(000' को छोड़कर)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 -अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	217,403,558	191,404,620
II. निवेशों पर आय	73,145,930	57,148,616
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1,785,325	1,986,070
IV. अन्य	1,600,527	1,145,987
कुल	293,935,340	251,685,293
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन,विनिमय और दलाली	4,386,965	3,565,416
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	5,166,623	5,080,554
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	25,104	(17,010)
V. विनिमय संव्यवहारों से लाभ-निवल	7,436,062	5,598,770
VI. विविध आय	14,392,574	14,452,672
कुल	**31,407,328**	**28,680,402**
अनुसूची 15 -व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	198,359,404	165,447,908
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	5,313,290	2,742,379
III. अन्य	10,994,542	7,563,515
कुल	**214,667,236**	**175,753,802**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	33,476,619	27,939,435
II. किराया , कर और प्रकाश	3,881,200	3,296,665
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	458,937	447,841
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	624,418	776,308
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	1,978,831	1,555,082
VI. निदेशकों की फीस,भत्ते एवं व्यय	16,304	13,265
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	5,671	5,963
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	330,403	213,017
IX. विधि प्रभार	177,855	165,816
X. डाक खर्च,तार एवं टेलीफोन आदि	723,818	623,636
XI. मरम्मत और रखरखाव	953,854	803,935
XII. बीमा	2,775,528	2,175,552
XIII. अन्य खर्च	13,357,394	11,038,147
कुल	**58,760,832**	**49,054,662**

वर्ष 2013-2014 के लेखाओं की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. लेखा पद्धति

संलग्न वित्तीय विवरण बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के तहत निधारित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्रयुक्त बैंक की लेखांकन तथा रिपोर्टिंग नीतियों में, जहाँ तक लागू हो, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात हैं/ सारवान हैं.

3. समूहन का आधार

3.1 3 सहायक कंपनियां, 1 एसोसिएट व 1 संयक्त उपक्रम के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किये गये हैं :

i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (पेरेंट)

ii) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-21 "समेकित विवरण" के अनुसार पेरेंट और उसके सहायक कंपनियों से उनके लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर अंतर-समूह लेनदेनों, अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने और एकरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों को लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़कर मिलाये गए हैं.

iii) एसोसिएट कंपनियों में निवेश का लेखांकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 "संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार ईक्विटी विधि के अंतर्गत किया गया है.

iv) संयुक्त उपक्रमों का समेकन - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 27 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार" यथानुपात समेकन किया गया है.

3.2 जहां सहायक कंपनियों, एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों द्वारा एकरूप लेकांकन पद्धति का पालन नहीं किया गया है वहां समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन इसलिये नहीं किये गये हैं क्योंकि प्रबंधन के विचार से ये समायोजन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं.

3.3 समूह के सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों की इक्विटी में समूह के हिस्से के अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में गुडविल/पूंजी आरक्षित माना गया है.

3.4 समेकित सहायक कम्पनियों की निवल आस्ति में अल्पमत हिस्सेदारी में:

i) जिस तारीख को सहायक कम्पनी में निवेश किया गया है, उस तारीख की अल्पांश हिस्सेदारी सम्बन्धी शेयर की राशि, तथा

ii) प्रमुख-सहायक सम्बन्ध स्थापित होने की तारीख से आरक्षित राजस्व/हानि तथा ईक्विटी के संचरण में अल्पांश हिस्सेदारी, सहायक कम्पनियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हिस्सेदारी शामिल है.

4. राजस्व की पहचान

4.1 बैंकिंग कंपनियां

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय का लेखांकन सामान्यत: उपचय आधार पर किया गया है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है. वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत आस्तियों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड आदि पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

iv) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/ शोधन के समय ही प्राप्त मानी जाएगी.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन निरंतर प्राप्ति आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया जाएगा.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहीं लाभांश की गणना उपचित आधार पर की जाएगी.

4.2 गैर बैंकिंग संस्थाएं :

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर निकालकर) देय होने पर आय माना गया है. सहयोगी इकाइयां सृजित किये जाने पर सम्बद्ध (linked) कारोबार के लिए, प्रीमियम की पहचान की जाती है . टॉप-अप प्रिमियम को एक प्रीमियम माना गया है. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय, उन पालिसियों के पुन: बहाल होने पर माना जाता है. पुनर्बीमा कराने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय माना जाता है जिस अवधि के लिये पुनर्बीमा प्रीमियम दिया गया हो

ii) **सम्बद्ध निधियों से आय :**

सम्बद्ध निधियों से आय जिसमें प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि शामिल होते हैं, जारी पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से वसूल किए जाते हैं.

iii) **पुनर्बीमा प्रीमियम:**

अर्पित पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ समझौते या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय हिसाब में ली जाती है. अर्पित पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम से कम कर लिया जाता है.

iv) **प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :**

पॉलिसी लाभ सहित प्रदत्त लाभ एवं दावा निपटान लागतें, यदि कोई हों, मृत्यु, अनुवृद्धि एवं अभ्यर्पण दावे सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण एवं अभ्यर्पण संबंधित स्कीमों में तब हिसाब में लिए जाते हैं जब सहयोगी इकाइयां रद्द हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों के अनुसार उसी अवधि में हिसाब में ली जाती हैं.

v) **अधिग्रहण लागत :**

अधिग्रहण लागत वे लागत हैं जो बीमा संविदाओं के अधिग्रहण के साथ परिवर्तित होती हैं और मूल रूप से उनसे ही संबंधित होती हैं तथा उसी अवधि के व्यय में आती हैं जिसमें ये खर्च की गयी हों.

vi) **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :**

बीमांकिक दायित्व चालू जीवन पॉलिसियों एवं उन पॉलिसियों के लिए लागू होता है जिनके प्रीमियम बंद हो गए हैं परंतु देयता विद्यमान है. इसका निर्धारण स्वीकृत बीमांकिक पद्धति, बीमा अधिनियम 1938 की अपेक्षाएं, इरडा के विनियमों और भारतीय बीमांकिक संस्थान के निबंधनों के अनुसार सकल बीमा विधि का प्रयोग करके और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रिमियम विधि का प्रयोग करके नियत बीमांकिक द्वारा किया जाता है.

आस्ति प्रबंधन

i) म्यूचुअल फंड योजनाओं में कंपनी द्वारा किये गये निवेश को कम करने के बाद, औसत दैनिक आस्तियों के प्रतिशत के हिसाब से सेवा-कर कम कर, निवेश प्रबंधन शुल्क मान्य किया जाता है लेकिन यह सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 तथा बाद के संशोधनो में दी गई सीमा से अधिक न हो.

ii) ग्राहकों से हुई संविदा की शर्तों के अनुसार निवेश सलाहकार शुल्क, उपचय के आधार पर हिसाब में लिये जाते हैं.

iii) ब्याज आय संव्यवहार के लिए लागू दर के अनुसार समय अनुपात प्रणाली के हिसाब से आय में ली जाती है.

iv) लाभांश आय, प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर हिसाब में ली जाती है.

5. **निवेश**

i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुसार निवेश को तीन श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र व बांड

ड़) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश, और

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न तीन श्रेणियों में भी बांटा गया है

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएफ)

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया गया है.

ए) i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर.

अंकित मूल्य से ऊपर अधिग्रहण लागत का आधिक्य परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित होता है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन संवहन लागत पर किया गया है.

iii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन संवहन लागत पर किया गया है.

इन निवेशों में किसी प्रकार के स्थाई प्रकृति के ह्रास के लिये प्रावधान किया जाता है.

बी) i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड .	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) . दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कपनी के अनुसार
iv.	अधिमानी शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं

v.	डिबेंचर/बांडस	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड (एम एफ)	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों, तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू. 1/-प्रति वीसीएफ पर्
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर्

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया गया है.
- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में
  - यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर
  - यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर
- इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.
- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की जाती है.

vii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि की ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है.

सी) डेरिवेटिव संविदा

वह ब्याज दर स्वैप जिससे वित्तीय लेखे में पदनामित स्वैप के साथ आस्ति या देयता का बाजार मूल्य अथवा निचली लागत या बाजार मूल्य पर ब्याज के संवहन आस्ति या देयता को छोडकर उपचित आधार पर लेखा किया जाता है . स्वैप की समाप्ति पर स्वैप के शेष संविदागत जीवन या आस्ति/देयता के शेष जीवन दोनों में जो कम हो, के अनुसार अर्जन अथवा हानि का निर्धारण किया जाता है.

i) ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को परिवर्तनों सहित वित्तीय लेखे में दर्ज करने के बाद बाजार में अंकित किया जाता है.

ii) विकल्प संविदा के मामले में, समय समय पर आय ,प्रीमियम, छूट के अभिनिर्धारण के लिये भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोशियेसन (फेडाई) द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

6. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणयों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) अग्रिमों का उल्लेख विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों को घटाकर प्रति चक्रीय प्रावधान बफर ,पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास के लिये प्रावधान तथा गैंर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट /निर्यात गारंटी निगम से प्राप्त तथा विविध/दावा में रखे गये वसूल न हुए ब्याज के बाद किया जाता है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयतायें तथा प्रावधान' में रखा जाता है तथा तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया जाता है तथा निवल एनपीए एवं निवल अग्रिमों की गणना में इसे शामिल नहीं किया जाता है.

7. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो)समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है. इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसी आस्ति से भविष्य में लाभ होता है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उनमें से घटाया जाता है.

ii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया.

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां - फर्नीचर और फिटिंग्स - इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रांग रूम आदि - परिवहन वाहन - यू. पी. एस. उपकरण	 10% 15% 20% 33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर

iii) एप्पलीकेशन सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के अधीन पूंजीकृत करके संबद्ध किया गया है .कम्प्यूटरों पर मूल्य ह्रास कम्प्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न भाग है तथा एटीएम पर मूल्य ह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया जाता है.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टा आस्ति पर ह्रास एवं पट्टे पर ली गयी भूमि सुधार को पट्टे की मूल अवधि के संदर्भ में निर्धारित दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया जाता है.

viii) भारत से बाहर और सहायक कंपनियों/एसोसियेटों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, संबंधित देश / उद्योग की नियामक आवश्यकताओं / प्रचलित प्रथाओं के अनुसार लगाया गया है.

8. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्ष की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, होती है. उपयोग मूल्य पता करने के लिए, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ जाती है या कम हो जाती है. लेकिन हानि कम होने के बाद, संवहन लागत उस लागत से अधिक नहीं होगी जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

अग्रिमों एवं निवेश के लिए प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधान का उपयोग नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

10. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई माना गया है.

11. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि " में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) **आय पहचान :** आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) **आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :** आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक हों, के अनुसार किए गए हैं.

iii) **अचल आस्तियां और मूल्यह्रास**

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

Iv आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है.

v आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

vi सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि " में संचित रखा गया है.

12 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. भविष्य निधि अंशदान की राशि, अंशदान देय होने पर, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि को देय अंशदान के अतिरिक्त बैंक की कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है.

ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है.

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती लोगों के लिए नई पेंश योजना नामक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस सीमित अंशदान तक होती है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है.

विदेशी कायालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों को लीज अवधि पर लीज भुगतान करने के लिए परिशोधन किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति /नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों के संबंध में बैंक के देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर कम किये गये अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ते संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है.

16. कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

18. शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में नामे लखे जाते हैं.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1 बैंक (पेरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कम्पनियों का वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार से है- :

सहायक कम्पनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2014 को बैंक (पेरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा.लि.	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	51%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि.	यूनाईटेड किंगडम	100%

2 समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं :

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	26%

3 समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%

4 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उपक्रमों औ उसोसिएटों के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं, वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं जिस अवधि यथा, 31 मार्च 2014, के वित्तीय विवरण बैंक (पैरेंट) के हैं.

5 देशी एसोसिएट/सहायक कम्पनियों के मामले में, पेरेंट बैंक और एसोसिएट/सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाई गई अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/सहायक कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर नहीं किये गये हैं क्योंकि राशियां बहुत कम हैं.

6 समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दाई इची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि., केबीसी असेट मैनेजमेंट, यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा.लि., यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि. और काशी गोमती संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

7 उचंत खाता. विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य की प्रगति सतत जारी है.

प्रबंधन के विचार से अंतिम समाधान के लंबित रहने का लेखों पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है.

8 आयकर

पेरेंट बैंक मानता है कि इसके खातों में आयकर के लिये किया गया प्रावधान पर्याप्त है.

9 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों अतिरिक्त जानकारियां इस प्रकार से हैं :

9.1 ए. बेसल II के अनुसार पूंजी

क्रम	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	ला.न.	ला.न.
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	8.18	8.26
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.74	3.20
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.92	11.46
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	60.13	57.89
vi)	एकत्र की गई इक्विटी पूंजी की राशि (सीआरएआर) (%)	33.51	46.25
vii)	एकत्र की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; (₹ करोड़ में)		
	जिसमें से पीएनसीपीएस :	शून्य	शून्य
	पीडीआई :	शून्य	शून्य
viii	एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि ; (₹ करोड़ में)	2000	800
	जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : (₹ करोड़ में)	2000	800
	वरीयता शेयर पूंजी लिखत: [शाश्वत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) / मोचनयोग्य गैर संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनयोग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)]		

बी. बेसल III के अनुसार पूंजी

क्रम	विवरण	31.03.2014
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.28
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.64
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.25
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	10.89
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	60.13
vi)	एकत्र की गई इक्विटी पूंजी की राशि	33.51
vii)	एकत्र की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; (₹ करोड़ में)	
	जिसमें से पीएनसीपीएस :	शून्य
	पीडीआई :	शून्य
viii	एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि ; (₹ करोड़ में)	2000
	जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : (₹ करोड़ में)	2000
	वरीयता शेयर पूंजी लिखत: [शाश्वत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) / मोचनयोग्य गैर संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनयोग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)]	

* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशार्निदेशों के अनुसार बैंक को प्रभावी तिथि 01.04.2013 से बेसल III के आधार पर सीआरएआर की अभिकलन अनिवार्य है.

9.2 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों और आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	2013-14	2012-13
निवेश पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	87.85	197.46
एनपीए के लिये प्रावधान	2106.17	1555.52
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान	308.87	220.76
आयकर (आईटी) के लिये प्रावधान आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	370.79	906.31
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं :		
- शिफ्टिंग हानि	109.97	16.87
- पुनर्संरचित अग्रिम	254.69	240.23
- अन्य	283.56	287.62
जोड़	**3521.90**	**3424.77**

9.3 काऊंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर / फ्लोटिंग प्रावधान (पेरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
01.03.2013 को प्रारंभिक शेष	763.00	763.00
लेखा वर्ष में किया गया अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
लेखा वर्ष में ड्रॉडाउन की गई राशि	251.79	शून्य
31.03.2014 को लेखा बंदी शेष	**511.21**	**763.00**

भारिबैं द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक डीबीओडी नं बीपी.95/2104.048/2013-14 दिनांक 7 फरवरी 2014 द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन पर लेखा वर्ष के दौरान ₹251.79 करोड़ का ड्रॉडाऊन किया गया.

10 लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ -2013-14 (पेरेंट बैंक)

	विवरण	2013-14		2012-13	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**				
	पिछली डिस्काऊंट दर	8.50	8.50	8.50	9.00
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00	8.70	8.00	8.00
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00	4.00	4.00	4.00
	पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	चालू डिस्काऊंट दर	9.33	9.27	8.50	8.50
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00	8.70	8.00	8.70
	चालू वेतन वृद्धि	5.00	5.00	4.00	4.00
	चालू एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परर्वितन दर्शानेवाली सारिणी** :				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	1,000.86	5,991.02	990.55	5,259.03
	ब्याल लागत	82.64	509.62	81.85	477.34
	चालू सेवा लागत	44.92	194.81	37.99	193.33
	पिछली सेवा लागत(परिशेधित निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पछिली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी से अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी को अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	78.89	369.04	21.60	358.42
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,060.13	6,683.81	1,000.86	5,991.02

	विवरण	2013-14		2012-13	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
iii)	**योजना अस्तियों के उचित मूल्य की सारिणी :**				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,037.22	4,774.08	861.28	4,020.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	87.02	522.50	83.50	372.28
	अंशदान	124.17	1,422.06	248.00	782
	अन्य कम्पनियों से अंतरित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनियों को अंतरित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	वर्ष के अंता में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,081.23	6,104.73	1,037.22	4,774.08
	अभिात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(98.90)	(602.28)	(46.02)	(461.51)
iv)	**संक्रमणकालीन देयताओं की पहचान :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गईं संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	87.02	522.50	83.50	372.28
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	67.02	289.27	59.07	269.18
vi)	**आय विवरण में पहचाने गये व्यय** :				
	चालू सेवा लागत	44.92	194.81	37.99	193.33
	ब्याज लागत	82.64	509.62	81.85	477.34
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिालाभ	(87.02)	(522.50)	(83.50)	(372.28)
	पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधित)	65.00	338.00	65.00	253.00
	पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमाकिक लाभ या हानि	98.90	602.28	46.02	461.51
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
vii)	**तुलन पत्र समाधान :**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(166.36)	540.94	(65.73)	225.03
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
	अन्य कम्पनियों से अंतरण (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(124.17)	(1,422.06)	(248.00)	(782.00)
	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	(86.10)	241.08	(166.36)	455.94

विवरण		2013-14		2012-13	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
viii)	**अन्य विवरण :**				
	उपदान सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये 15 दिन के वेतन की दर पर देय है बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000/- या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	चालू वर्ष में लेखांकित बीमांकिक लाभ / हानि				
	कम्पनी की सलाह पर वेतन बढ़ौतरी की गई जो कि कम्रचारियों की पद्दौन्नति और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक व्यवहार के अनुरूप है.				
	सदस्यों की संख्या	33,945	23,163	31,783.00	24,739.00
	वेतन प्रति माह	126.03	98.59	109.22	92.37
	अगले वर्ष के लिये अंशदान	शून्य	319.43	शून्य	299.28
ix)	**आस्तियों का संवर्ग :**				
	भारत सरकार आस्तियां	151.48	473.15	शून्य	शून्य
	कॉर्पोरेट बांड	337.99	1,584.16	शून्य	शून्य
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार.	357.44	2,011.48	शून्य	शून्य
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	24.96	28.60	1,037.22	4,774.08
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	209.36	2,007.33	शून्य	शून्य
	जोड़	**1,081.23**	**6,104.73**	**1,037.22**	**4,774.08**

योजना में अधिशेष / घाटा :	**उपदान योजना**				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
वर्ष के अंत में देयता	1,060.13	1,000.86	990.55	894.93	518.27
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,081.23	1,037.22	861.28	873.05	767.36
अंतर	21.10	36.36	(129.27)	(21.88)	249.09
अज्ञात गत सेवा लागत	65.00	130.00	195.00	260.00	शून्य
अज्ञात संक्रमण देयता राशि जिसकी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई है.	86.10	166.36	65.73	238.12	249.09

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**उपदान योजना**				
अनुभव समायोजन	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	123.74	21.60	95.09	145.69	(136.76)
योजना आस्तयों पर (हानि) प्रतिलाभ	(20.00)	(24.43)	(0.80)	(4.15)	(1.73)

योजना में अधिदेय / घाटा :	**पेंशन**				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
वर्ष के अंत में देयता	6,683.81	5,991.02	5,259.03	4,771.82	1,359.12
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,104.73	4,774.08	4,020.00	2,513.69	1,158.11
अंतर	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)	(2258.13)	(201.01)
अज्ञात गत सेवा लागत	338.00	761.00	1014.17	1352.17	शून्य
अज्ञात संक्रमण देयता राशि जिसकी तुलन पत्र में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई है.	(241.08)	(455.94)	(224.86)	(905.96)	(201.01)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायेजन	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	661.38	251.18	511.13	367.19	118.58
योजना आस्तियों पर (लाभ) / हानि	(233.23)	(103.10)	(145.15)	(15.87)	(11.52)

10.1 वर्ष के दौरान विभिनन दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिये किये गये प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य दीर्घकलिक लाभ	2013-14	2012-13
	पेंशन	1122	1013
	अवकाश नकदीकरण	43	31
	अवकाश किराया रियायत	शून्य	शून्य
	बीमारी अवकाश	शून्य	(37)

10.2 भारिबैं के परिपत्र क्रम. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुपालन में अतिरिक्त पेंशन निधि देयता के पांचवें हिस्से ₹ 338.00 करोड़ को सेवारत कर्मचारियों के लिये, जिन्होंने पेंशन विकल्प को चुना है, 2013-14 में लाभ हानि खाते को अगामी वर्ष में प्रभारित किये जाने के लिये ₹ 338.00 करोड़ को आगे ले जाते हुए, प्रभारित किया है

10.3 उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन में अतिरिक्त उपदान देयता के पांचवें हिस्से को, जो उपदान सीमा के ₹ 3.5 लाख से ₹ 10 लाख हो जाने पर उद्भूत हुई है, कुल राशि ₹ 65.00 करोड़ को 2013-14 में लाभ हानि खाते को, बैलेंस राशि ₹ 65.00 करोड़ अगले वर्ष प्रभारित करने के लिये आगे ले जाने के साथ प्रभारित किया गया है

11 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

11.1 क्षेत्रवार कारोबार :

(₹ लाख में)

क्षेत्रवार कारोबार		स्टैंडअलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(समीक्षित)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**							
1	ट्रेजरी परिचालन	210557	217313	195765	851580	687271	851580	687271
2	खुदरा बैंकिग परिचालन	270837	250243	323096	903475	918312	903475	918312
3	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	353872	349580	227406	1430105	1141110	1430105	1141110
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	9424	6212	8645	33130	32243	33130	32243
5	गैंर निर्धारित	0	0	0	0	0	36333	35984
	योग	**844691**	**823348**	**754912**	**3218290**	**2778936**	**3254623**	**2814920**
	अंतर क्षेत्र राजस्व घटायें	**200**	**331**	**4853**	**1196**	**11263**	**1196**	**11263**
	कुल राजस्व	**844491**	**823017**	**750059**	**3217093**	**2767673**	**3253427**	**2803657**
(बी	**क्षेत्रवार परिणाम**							
1	ट्रेजरी परिचालन	32565	54816	33368	114560	92460	114560	92460
2	खुदरा बैंकिग परिचालन	22080	33780	82703	84564	159864	84564	159864
3	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	-19299	-26390	-18286	-8549	36275	-8549	36275
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	4572	2917	5125	16309	17830	16309	17830
5	गैंर निर्धारित	0	0	0	0	0	-2665	-2678
	कर से पूर्व कुल लाभ	**39917**	**65123**	**102910**	**206883**	**306429**	**204218**	**303751**
(सी)	आयकर	-17971	30229	23972	37264	90636	37264	90636

क्षेत्रवार कारोबार		स्टैंडअलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(समीक्षित)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**57888**	**34894**	**78938**	**169620**	**215793**	**166955**	**213115**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**							
1	ट्रेजरी परिचालन	11844908	11553228	9949680	11844908	9949680	11844908	9949680
2	खुदरा बैंकिग परिचालन	8759732	8284406	7177392	8759732	7177392	8759732	7177392
3	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	14442144	14228096	13755828	14442144	13755828	14442144	13755828
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0	0	0	0	0	0
5	गैंर निर्धारित	328169	317655	303181	328169	303181	454662	408292
	योग	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501446**	**31291192**
(f)	**क्षेत्रवार देयताएं**							
1	ट्रेजरी परिचालन	11215487	10974693	9394235	11215487	9394235	11215487	9394235
2	खुदरा बैंकिग परिचालन	8341491	7909435	6809684	8341491	6809684	8341491	6809684
3	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	13752591	13584100	13051096	13752591	13051096	13752591	13051096
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0	0	0	0	0	0
5	गैंर निर्धारित	217849	138306	201447	217849	201447	317345	293159
6	पूंजी, आरक्षित एवं अधिशेष	1847536	1776851	1729619	1847536	1729619	1874532	1743019
	योग	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501445**	**31291192**

नोट :

i) बैंक, चार क्षेत्रों यथा, ट्रेजरी, खुदरा, कॉर्पोरेट/ थोक और अन्य बैंकिंग परिचालनों में कार्य करता है. इन क्षेत्रों की, उत्पादों एवं सेवाओं की प्रकृति एवं जोखिम, लक्षित ग्राहक प्रोफाईल, संस्थागत संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एएस-17 के अनुसार पहचान की गई है. बैंक ने कारोबारी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिये विदेशी विनिमय शाखाओं के एएस-17 में निर्धारित राजस्व अन्य मापदण्ड , एएस-17 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं में हैं और अत: बैंक के पास रिपोर्टयोग्य केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है.

ii) सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिया गया है.

iii) पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक है पुन:वर्गीकृत / पुन:समूहन किया गया है.

12 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पेरेंट बैंक)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची

a) एसोसिएट

पेरेंट बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया गया है, यथा, काशी गोमती संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.

b) लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लियेनिम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के रूप में चिन्हित किया है :

i.	श्री डी.सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,	30.11.2013 तक
ii.	श्री अरूण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,	26.12.2013 से.
iii.	श्री एस.के.जैन, कार्यपालक निदेशक,	01.09.2011 से.
iv.	श्री के.सुब्रह्मणयम, कार्यपालक निदेशक,	21.01.2013 से
v.	श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक,	05.08.2013 से
vi.	श्री एस.एस.मुंदड़ा, कार्यपालक निदेशक,	21.01.2013 से

12.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़.में)

मदें/संबंधित पार्टी	एसोसिएट/संयुक्त उपक्रम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी	कुल
उधारी	400.00	शून्य	शून्य	400.00
जमाराशियां	3016.98	शून्य	शून्य	3016.98
जमाओं का स्थानन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	200.00	शून्य	शून्य	200.00
निवेश	27.81	शून्य	शून्य	27.81
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपभोग की गई पट्टेदारी/एचपी व्यवस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपलब्ध कराई गईं पट्टेदारी/एचपी व्यवस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय की गई अचल आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रय की गईं अचल आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	288.79	शून्य	शून्य	288.79
प्राप्त ब्याज	1.47	शून्य	शून्य	1.47
सेवाओं का दिया जाना	16.95	शून्य	शून्य	16.95
सेवाओं का प्राप्त किया जाना	24.95	शून्य	शून्य	24.95
प्रबंधक संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.23	#0.22
कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.50	#0.38
योग	**0.73**	**0.60**

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान की गई ₹ 0.06 करोड़ एवं ₹ 0.08 करोड़ की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

13 लेखा मानक - 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखा मानक 20 के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

क्रम	विवरण		31.03.2014	31.03.2013
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	27.56	38.44
ii	इक्विटी शेयरधारकों के लिये कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ	(₹ करोड़ में)	1669.56	2121.71
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या करोड़ में	60.59	55.19
iv	प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹	10.00	10.00

14 लेखा मानक 22 - आयकर की गणना

बैंक ने लेखा मानक 22 के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है तद्नुसार आस्तगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. 31.03.2014 को आस्तगित आस्ति और आस्तगित देयताओं के घटकों पर कर प्रभाव निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
	आस्तगित कर आस्तियां		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	276.42	237.10
2	कर्मचारी लाभ	325.83	261.54
3	निवेशों पर पिछले वर्षों में दावा किये गये मूल्यह्रास जिन्हें इस वर्ष के दौरान बेचा गया.	3.83	18.11
4	अवकाश नकदीकरण	34.82	19.47
5	अन्य प्रवधानों के खाते	212.65	-
6	असमान्य हानि और कर जमाएं खाते	1.98	
	योग	**855.53**	**536.22**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में ह्रास पर प्रावधान	52.06	81.92
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	33.05	28.88
3	प्रतिभतियों पर उपचित ब्याज	667.46	457.11
4	धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	781.09	
	योग	**1,533.66**	**567.91**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**-**	**-**
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**678.13**	**31.69**

14.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिये किये गये प्रावधानों की राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आय कर के लिये प्रावधान (आस्थगित कर एवं सम्पत्ति कर देयता सहित)	623.76	906.36

14.2 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अनुसरण में बैंक ने आय कर अधिनियम 1961 के सेक्शन 36(1)(viii) के अंतर्गत आस्थगित कर देयता का सृजन किया है. जैसा भारिबैं के उक्त परिपत्र में अपेक्षित है, 31 मार्च 2013 को विशेष आरक्षित पर डीटीएल के कारण ₹ 720.59 करोड़ की राशि का व्यय पूर्व में लाभ हानि खाते को प्रभारित नहीं किया गया था, को अब सीधे आरक्षित से समायोजित किया गया है. यदि इस राशि को भारत में सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धन्तों के अनुसार लाभ हानि को नामें किया जाता तो लाभ की राशि ₹ 720.59 करोड़ से नीचे आ जाती. इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में वर्ष के लिए ₹60.50 करोड़ के डीटीएल का सृजन किया गया है.

15 पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रूप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(वी एम काथवटे) उप महाप्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महाप्रबंधक	**(राकेश सेठी)** कार्यपालक निदेशक	**(के. सुब्रह्मण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस के जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(अरुण तिवारी)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मोहम्मद मुस्तफा) निदेशक	**(दीपक सिंघल)** निदेशक	**(जगमोहन शर्मा)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक	**(एस के मिश्रा)** निदेशक	
(सुश्री अनुसुईया शर्मा) निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक	**(डी. चटर्जी)** निदेशक		

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख म)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014	समाप्त वार्ष 31.03.2013
ए	**परिचालन कार्यो से नकदी प्रवाह :**		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	204064	303773
	के लिए समायोजन	**204064**	303773
	अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	19788	15551
	निवेश आस्तियों पर मूल्य ह्रास	19783	21433
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	236086	179575
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	58114	53746
	अन्य प्रावधान	939	-2877
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	-251	170
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	23587	6981
	उप कुल	**562109**	**578352**
	के लिए समायोजन		
	जमाराशि में वृद्धि / (कमी)	3396951	4090504
	उधार में वृद्धि / (कमी)	34650	138104
	अन्य देयताओं और प्रावधानों वृद्धि / (कमी)	41370	-21451
	निवेश में वृद्धि / (कमी)	-1302587	-1891884
	अग्रिम में वृद्धि / (कमी)	-2336310	-3201609
	अन्य आस्तिया में वृद्धि / (कमी)	-63675	-9501
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	-75499	-107051
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**257009**	**-424536**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल आस्तियों की खरीद	-38014	-34890
	अचल आस्तियों की बिक्री	1715	574
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**-36299**	**-34316**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	इक्विटी शेयर जारी करने से आगम	3352	4624
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	46583	106664
	आईपीडीआई, गौण बांड और अप्पर टियर II बांड जारी करने से आगम	517283	450637
	लाभांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लाभांश सहित)	-76984	-52337
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**490235**	**509588**
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**710944**	**50736**
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1621120**	**1570384**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (डी + ई)	**2332064**	**1621120**

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख म)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014	समाप्त वार्ष 31.03.2013
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1076322	1163369
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	544798	407015
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1621120**	**1570384**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1841998	1076322
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	490066	544798
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	**2332064**	**1621120**

(राकेश सेठी)	**(के. सुब्रमण्यम)**	**(एस.के.जैन)**	**(अरुण तिवारी)**
(कार्यपालक निदेशक)	(कार्यपालक निदेशक)	(कार्यपालक निदेशक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों ने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये बैक के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है.यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 8 मई,2014 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र आधारित और उसके अनुरुप है.

कृते प्राईस पैट एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 002783एस

(एस रामास्वामी)
भागीदार(एम न. 025918)

कृते एस जी सी ओ एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 112081डब्ल्यू

(के. वी. एस. श्यामसुंदर)
भागीदार(एम न. 015747)

कृते ज़िंदल एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000844एन

(अखिल ज़िंदल)
भागीदार(एम न. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 109574डब्ल्यू

(विपुल कुमार चौकसी)
भागीदार(एम न. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम न. 086956)

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण क्र. 314010 ई

(एच के दत्ता)
भागीदार(एम न. 012208)

मुंबई,
दिनांक : 8 मई, 2014.

जोखिम प्रबंधन

बॉसल III के अंतर्गत प्रकटन- पूंजी नियमन â पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बॉसल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार बैंकों के लिए बॉसल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर 3 प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar14.pdf

वर्ष 2013-14 की कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग-ए- कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी. जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में था. मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन् 1921 में किया गया था. पिछले 94 वर्षों में बैंक ने लगातार लाभ अर्जित किया है जो इस बात का प्रतीक है कि बैंक द्वारा बिना अवसर गंवाये विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाता है. उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देते समय बैंक का ध्यान कारोबारी गुणात्मक विकास पर केंद्रित रहता है तथा साथ ही आस्ति गुणवत्ता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है. इससे मुख्य कारोबारी पैरामीटरों पर बैंक का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होता रहा है. इस समय बैंक की कुल शाखायें 3871 हैं जो पिछले वर्ष 3511 की संख्या से अधिक हैं. बैंक के 6429 ए टी एम हैं. बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय पूर्ण शाखायें हैं- पहली डी आई एफ सी दुबई में तथा दूसरी हांग-कांग में. इसके अलावा शंघाई, बीजिंग, अबूधाबी, सिडनी तथा लंदन में पांच प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं. बैंक में कुल स्टाफ संख्या 33806 है जो बैंक के मूल्यों को ध्यान में रखते हुये कार्यरत हैं.

बैंक मुख्य रूप से अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवायें प्रदान कर रहा है. बैंक के अधिकांश उत्पाद एवं सेवाओं को मुख्यत: निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं:-

1. जमाराशियां
2. ऋण एवं अग्रिम तथा
3. विप्रेषण एवं संग्रहण

बैंक की गतिविधियां सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियां) 2008 "समूह के - वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां" के एक्टीविटी कोड -6419 के अंतर्गत आती हैं. तकनीक को अपनाने में बैंक अग्रणी रहा है तथा इसकी शत-प्रतिशत शाखायें कम्प्यूटराईज़्ड हो चुकी हैं. बैंक ने सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया है तथा नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ रखा है. बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन से किया जाता है.

बैंक के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है:-

बैंक की कारपोरेट पहचान संख्या(सी आई एन)	लागू नहीं
पंजीकृत पता	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग,नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.
वेबसाईट	http://www.unionbankofindia.co.in
ई-मेल आई डी	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष	2013-14

अनुभाग बी-कंपनी के वित्तीय विवरण

सबंधित वर्ष के वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:-

पेडअप कैपिटल (भारतीय रुपये में)	630 करोड़
कुल जमाराशियां (भारतीय रुपये में)	297675 करोड़
कुल अग्रिम (भारतीय रुपये में)	234332 करोड़
कर के बाद लाभ (भारतीय रुपये में)	1696 करोड़
कर के बाद प्राप्त लाभ में से सी एस आर पर खर्च का प्रतिशत	0.22%

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

यूनियन बैंक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपने कारोबारी मॉडल में सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है. बैंक द्वारा **यूनियन बैंक सामाजिक फाउंडेशन** नामक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से सबंधित क्रियाकलापों को संचालित करता है. इस ट्रस्ट के माध्यम से बैंक विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से लोगों को सक्षम बना रहा है.

बैंक ने सी एस आर में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल ₹3.77 करोड़ खर्च किये हैं जो वर्ष 2012-13 के ₹ 75.55 लाख से चार गुना अधिक है. इनमें से कुछ प्रयास पर्यावरण संरक्षण तथा स्थायी विकास से संबधित थे. प्रसंगवश यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बैंक ने सी एस आर के अपने खर्चों में से 31.02% पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के गांवों में सोलर लाईटों तथा चेन्नै में बधिर बच्चों के स्कूल को प्रदान करने में खर्च किये हैं. बैंक द्वारा सी एस आर के क्षेत्र में किये गये कुछ चुनिंदा प्रयासों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- यूनियन आदर्श ग्राम योजना में कम्प्यूटर लैब की स्थापना.
- तमिलनाडु के रानीपेट में मोबाईल क्लीनिक की उपलब्धता.
- मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों के स्कूल के लिये मूलभूत ढांचे को उपलब्ध कराना.
- अलुवा(केरल) के जिला अस्पताल में दो डाईलिसिस मशीनों का दान.
- बेंगलुरु में वृद्धाश्रम के लिये वाहन का दान.
- आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये स्कूल बसों का दान.
- पणजी(गोवा) में कूड़ा प्रबंधन वाहन का दान.
- वाराणसी के निकट एक गाँव में सार्वजनिक शौचालय तथा पानी की टंकी का प्रावधान.
- उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांवों में 100 हैंडपंपों का दान.
- जयपुर के निकट के गांव के एक स्कूल में वाटर फिल्टर का दान.
- आज़मगढ़ के जुदाखुर्द के एक स्कूल में शौचालय संबंधी सुविधायें.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत यूनियन बैंक ने उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिला मऊ में फातिमा अस्पताल को एक एम्बुलेंस दान में प्रदान की.

अनुभाग सी- अन्य ब्यौरे:

बैंक की दो सब्सीडियरी हैं- "यूनियन के बी सी आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड" तथा यूनियन के बी सी ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड." बैंक का एक संयुक्त उपक्रम स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड है तथा एक सहयोगी - काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है. बैंक की सब्सीडियरी उत्तरदायी रूप से कारोबार करती हैं तथा बैंक के कारोबारी भागीदारों से भी यही अपेक्षा की जाती है. बैंक अपनी सब्सीडियरी तथा कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथावश्यक ज्ञान तथा सहयोग प्रदान करता है.

अनुभाग डी- बी आर संबंधी सूचना

कारोबारी उत्तरदायित्व संबंधी गवर्नेंस

कारोबारी दायित्व से संबंधित नीति / नीतियों की अनुपालना हेतु जिम्मेदार निदेशक

डी आई एन नंबर	05103064
नाम	एस के जैन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

कारोबारी उत्तरदायित्व के प्रमुख के ब्यौरे:

डी आई एन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	देबज्योति गुप्ता
पदनाम	महाप्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई.
दूरभाष	022-22896600
ई मेल आई डी	dgupta@unionbankofindia.com

कारोबारी उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट के विषय में:

बी आर रिपोर्ट प्रकाशित करने का यूनियन बैंक का यह दूसरा वर्ष है. चूंकि यह एक विनियामक आवश्यकता है, अत: इसे हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित किया जायेगा.वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन स्थायी विकास तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठक तिमाही आधार पर आयोजित होती है. किंतु आगे से, कार्यनिष्पादन के बाहरी मूल्यांकन हेतु यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जायेगा जो आवधिक अंतराल पर अपना कार्य करेगी.

बैंक की **बी आर** हमारे निम्नलिखित वेबसाईट पर देखी जा सकती है:-

http://www.unionbankofindia.co.in

Home page>

About Us>

Sustainable development

सिद्धांतवार (एन वी जी के अनुसार) बी आर पॉलिसी/पॉलिसियां

क्र.	प्रश्न	सिद्धांतवार(एन वी जी के अनुसार) बी आर पॉलिसी/पॉलिसियां								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्या सिद्धांतों हेतु आपकी कोई पॉलिसी/पॉलिसियां है?	जी हां								
2.	क्या पॉलिसी संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार की जाती है?	जी हाँ								
3.	क्या आपकी पॉलिसी किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं? यदि हाँ तो विनिर्दिष्ट (करें)	जी हाँ, बैंक की स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कारोबारी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी किये गये राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4.	क्या नीति का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है? यदि हाँ तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी ई ओ/सक्षम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होती है?	जी हाँ								
5.	नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये क्या निदेशक मंडल की कोई समिति/निदेशक या कोई अधिकारी है?	जी हाँ								
6.	इस नीति को ऑनलाईन देखने के लिये लिंक बतायें	http://www.unionbankofindia.co.in Home page>About Us> Sustainable development								
7.	क्या नीति को औपचारिक रूप से आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है?	जी हाँ, पॉलिसी वेब साईट पर अपलोड की गई है. तथापि पॉलिसी के संबंध में जागरुकता लाने के लिये भविष्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे.								
8.	क्या पॉलिसी लागू करने के लिये इन-हाउस व्यवस्था है?	जी हाँ								
9.	क्या बैंक में स्टेकहोल्डरों की पॉलिसी संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली है?	जी हां								
10.	क्या पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया गया है?	वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन स्थायी विकास तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठक तिमाही आधार पर आयोजित होती है. किंतु आगे से, कार्यनिष्पादन के बाहरी मूल्यांकन हेतु यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जायेगा जो आवधिक अंतराल पर अपना कार्य करेगी.								

अनुभाग इ- सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन:

सिद्धांत 1- सुदृढ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रति बैंक का नज़रिया सिद्धांतों पर आधारित है. इस कारण से ही बैंक वह सुदृढ़ तथा प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित कर पाता है जिसे निवेशकों द्वारा भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है. कॉरपोरेट गवर्नेंस हेतु बैंक के निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा एक आचार संहिता भी उपलब्ध कराई गई है. यह संहिता उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जिनसे मार्गदर्शित होकर बैंक अपने बहुसंयोजक स्टेकहोल्डरों,सरकार,मीडिया,विनियामक एजेंसियों तथा उस हर घटक के साथ, जिससे बैंक जुड़ा हुआ है, के साथ अपना दैनंदिन कारोबार करता है. यह संहिता इस बात को दर्शाती है कि बैंक आम जनता के धन का मात्र ट्रस्टी एवं अभिरक्षक है तथा अपने ऊपर किये जाने वाले जनता के विश्वास एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है और बैंक को भविष्य में भी जनता का यह विश्वास तथा भरोसा बनाये रखना होगा. यह संहिता निम्नलिखित अपेक्षायें और आशायें करती है:-

- वैयक्तिक एवं व्यवसायिक संबंधों के बीच में होने वाले वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परस्पर विरोधों को पारदर्शी नैतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करने के दौरान ईमानदारी व नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का अनुपालन.
- सरकार तथा विनियामनक एजेंसियों के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में पूर्ण,निष्पक्ष,परिशुद्ध,तर्कसंगत,समयबद्ध तथा अर्थपूर्ण घोषणा.
- अपने ऊपर लागू कानूनों,नियमों और विनियमों का अनुपालन.
- बैंक की आस्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग एवं त्रुटिपूर्ण उपयोग को रोकना.
- बैंक के भीतर तथा बाहर उच्चस्तरीय गोपनीयता एवं सदव्यवहार.
- बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है.

बैंक के सभी अधिकारी / कर्मचारियों पर निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:-

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) विनियम 1976.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976.
- द्विपक्षीय समझौता/भारतीय बैंक संघ के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंधन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/संघों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट
- स्थायी विकास एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति.

विगत वर्षों के दौरान बैंक को इसकी अच्छी कॉरपोरेट नीतियों के लिये बहुत सारे प्रतिष्ठा-पत्र एवं सम्मान मिले हैं. कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुईं और उनका निस्तारण भी किया गया. इस समय कोई भी शिकायत लंबित नहीं है क्योंकि किसी शिकायत में तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई थी.

सिद्धांत 2- टिकाऊ उत्पाद एवं सेवायें.

बैंक की कारोबारी नीतियां चयनित क्षेत्रों में बैंक के कारोबार को संगठित करने,कोर एवं खुदरा कारोबार पर केंद्रित करने,सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास करने, प्रणालियों और नियंत्रण को मजबूत बनाने की ओर केंद्रित हैं. बैंक की रणनीतियुक्त अवस्थिति,नयी तकनीक के साथ अपने ग्राहकों तक पहुंच के नये तरीके इज़ाद करना तथा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना- आदि वरीयतायें हैं जिन पर प्रमुख रूप से बैंक द्वारा जोर दिया जा रहा है. देश के विकास के भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े-छोटे संघटकों, एम एस एम ई,निर्यात, व्यापार,कृषि, मूलभूत ढांचे या वैयक्तिक संवर्ग आदि- विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार अग्रिम प्रदान करता है. बैंक वित्तीय वंचन से प्रभावित संवर्गों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने के लिये सार्थक प्रयास करने में अग्रणी रहा है. बैंक द्वारा किये इन प्रयासों को बैंक की वेबसाईट पर देखा जा सकता है.

मोबाईल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने में यूनियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक रहा है. इस सुविधा से बैंक के ग्राहक चलते-चलते भी निधियों का अंतरण कर सकते हैं. यह समय की बचत के साथ-साथ निधियों के अंतरण की लागत को भी कम करता है.

बैंक द्वारा कुछ ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद भी लाये गये हैं जो विकलांगों के लिये तो लाभदायक हैं ही किंतु पर्यावरण संरक्षण तथा समाज की भलाई से भी जुड़े हैं. इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

1. दृष्टि बाधित लोगों के लिये ए टी एम- बैंक द्वारा इस प्रकार के 1066 ए टी एम लगाये गये हैं. इनमें से कुछ का प्रयोग तो व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्ति भी कर सकते हैं.

   बैंक देश में **बोलते ए टी एम** लगाने में अग्रणी रहा है. ये ए टी एम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को आवाज़ के द्वारा निर्देशित कर संव्यवहार करने में सक्षम बनाता है इसीलिये इसे **बोलता ए टी एम** कहा जाता है. इस ए टी एम का डिज़ाईन इस प्रकार का होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी व्हील चेयर पर अंदर जाकर अपने संव्यवहार कर सकता है.

2. कृषि तथा सहायक गतिविधियों के लिये ऊर्जा के नवीकरण हेतु कृषि उपकरण खरीदने हेतु कृषकों को ऋण देना-वाटर पंप से वाटर पंपिंग करने

हेतु सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटों में उपयोग हेतु सोलर वाटर हीटरों को यथावश्यक एक्सेसरीज़ के साथ लगाने, कम डी सी लोड तथा एल ई डी लाईटों के लिये सोलर लाईटिंग सिस्टम लगाने के लिये कृषकों को ऋण देना.

3. पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में **बायोमैट्रिक ए टी एम** की स्थापना.

   बैंक के ए टी एम केवल नकदी देने की मशीनें ही नहीं हैं बल्कि ये निधि विप्रेषण का कार्य भी करते हैं जैसे: एन ई एफ टी, आई एम पी एस तथा यूनियन ई-कैश जो मोबाईल आधारित उत्पाद है और जो मोबाईल ऑथेंटिकेशन के आधार पर ए टी एम से नकदी आहरण करने में सक्षम बनाता है. एक ओर जहां बैंक अपने कारोबारी परिचालनों के लिये ऊर्जा, पानी तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करता है, वहीं दूसरी ओर बैंक द्वारा इन सबके बचत के प्रयास भी किये जा रहे हैं तथा भविष्य में इन संसाधनों के खर्च में निरंतर कमी आने की संभावना है. पुराने रिकार्ड के कागज़ों के पुराना/छिद्रयुक्त होने पर उसे रिसाईक्लिंग के लिये कागज़ उद्योग को बेचने हेतु बैंक की एक सुनियोजित नीति है. उपरोक्त प्रक्रिया में रिसाईक्लिंग तथा निकलने वाले कूड़े का प्रतिशत 10 से अधिक है.

   बैंक अपने उपभोग के लिये यथासंभव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सामान खरीदता है. सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है तथा इस संवर्ग के उन सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों पर भरोसा करता है जो सरल, तत्काल तथा अपने दैनिक बैंकिंग संव्यवहारों में पारदर्शिता रखते हों.

सिद्धांत 3- कर्मचारी कल्याण

प्रशिक्षित, अभिप्रेरित तथा उत्पादक कर्मचारी ही बैंक की सबसे बड़ी आस्ति है. इसे ही ध्यान में रखते हुये बैंक ने उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाते हुये कारोबारी तथा मानव संसाधन रणनीतियों के समामेलन से एच आर ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रारंभ की थी. इसी ट्रांसफार्मेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया, जॉब-क्लैरिटी के साथ हरेक की भूमिका को परिभाषित एवं कलमबंद किया गया. इसे फीडबैक की सुविधा के साथ इंटरानेट पर अपलोड भी किया गया है. एच आर द्वारा निम्नलिखित का कार्यान्वयन किया गया है:-

1. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण परफार्मेन्स मैनेजमेंट सिस्टम(पीएमएस).
2. पीपुल सॉफ्ट के नये मोड्यूल **यूनियन परिवार** को मूल्यांकन प्रणाली के एकीकरण एवं ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण के हेतु से विकसित किया गया. जनबल आयोजना को वैज्ञानिक तरीके से संगणित करके इस आवश्यकता का आकलन किया गया.
3. बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना पर भी अमल किया जा रहा है तथा नेतृत्व की श्रृंखला को जारी रखने के लिये भी प्रयासरत है.

बैंक में आकर्षक पदोन्नति नीति है जिसमें योग्य कर्मचारियों के आगे बढ़ने के लिये बैंक की फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसी भी शामिल है. इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को विस्तृत अनुभव उपलब्ध कराना तथा पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित करना एवं बैंक में कर्मचारियों का कैरियर आगे बढ़ाना है.

बैंक अपने स्टाफ को ऐसी सुविधायें तथा लाभ भी प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन बनाये रख सकें. स्टाफ की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा देश भर में कई अस्पतालों से टाई-अप योजना के माध्यम से अस्पतालीकरण की योजना लागू की गई है. इन अस्पतालों में स्टाफ भर्ती हो सकते हैं तथा अपना इलाज करा सकते हैं. इस चिकित्सा का बिल सीधे बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है. यदि बिल उक्त स्टाफ की पात्रता से अधिक होता है तो उक्त की वसूली बाद में उससे की जाती है. तथापि स्टाफ एक्स-ग्रेशिया भुगतान के लिये भी आवेदन कर सकते हैं. बैंक की 24 कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- कैंटीन सब्सिडी,शिक्षा,चिकित्सा और अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त स्टाफ तथा अन्य कल्याणकारी उपाय.

स्टाफ के लिये अन्य उपायों में स्वास्थ्य शिविर,बैंक के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन,हिन्दी दिवस का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, गणतंत्र दिवस का आयोजन तथा स्टाफ एवं उनके बच्चों की उत्कृष्टता को पहचानने और स्वीकारने के लिये खेल,शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सिल्वर जुबली अवार्ड्स आदि शामिल हैं. 31 मार्च 2014 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 33806 थी जिसमें से 7020 महिलायें तथा 437 विकलांग स्टाफ थे. इस वर्ष के दौरान बैंक द्वारा संविदा के आधार पर 128 कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसरों की भर्ती की गई है.

मानवाधिकारों के लिये आदर

बैंक अपने कारोबार तथा प्रभावक्षेत्र में मानवाधिकारों का समादर तथा उनके अनुसार कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है. बैंक कभी भी बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम या जबरन श्रम में संलिप्त नहीं रहा है और न ही किसी रिर्पोटिंग वर्ष में किसी स्टेकहोल्डर ने इससे संबंधित शिकायत की है. बैंक ने कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण समिति का भी गठन किया है तथा किसी भी प्रकार की संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिये पर्याप्त शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाया है. बैंक अपने स्टाफ द्वारा समूह/एसोसियेशन बनाने के अधिकारों का आदर करता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ उठा सकें. बैंक में कई कर्मचारी एसोसियेशन बनी हुई हैं जिनमें से बैंक अधिसंख्यक बहुमत वाली एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करता है. 31 मार्च 2014 को बैंक के 31043 स्टाफ(अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर) 91.83% विभिन्न एसोसियेशन के सदस्य रहे हैं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये बैंक द्वारा महाप्रबंधक पद के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ यह संपर्क अधिकारी तिमाही आधार पर बैठक करता है तथा उनके कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करता है.

औद्योगिक स्तर पर वेतन समझौता

वेतन संबंधी वार्तालाप बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों के साथ सामूहिक समझौते के माध्यम से उचित मांगों को स्वीकार किया जाता है. यह वेतन पुनरीक्षण 5 वर्षों तक मान्य होता है.

प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल का विकास

प्रशिक्षण कार्य को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा समग्र रूप से सारे बैंक के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है ताकि बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा से संबंधित तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी कर सके. एक ज्ञानार्जन करने वाली संस्था के रूप में बैंक समसामयिक जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल को बढ़ाने तथा पुनरीक्षित करने के प्रयास करता है तथा अभिवृत्तियों में सुधार करता है. बैंक का प्रशिक्षण मिशन है:- व्यक्ति तथा बैंक दोनों के विकास के लिये निरंतर सीखने की कला को बढ़ावा देना. बैंक का प्रयास है कि उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ कॉलेज, बेंगलुरु

स्टाफ को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना तथा उक्त प्रशिक्षण का संस्थागत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की एक विशेषता है. हाउस-कीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण कर उसे पूरा किया जाता है. अपने स्टाफ सदस्यों को मौलिक कार्यों में कुशल बनाने तथा वैयक्तिक जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी रखने में सक्षम बनाने का सुनिश्चयन करने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है. किसी भी कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में- संस्था में प्रवेश से लेकर सेवानिवृति तक- प्रशिक्षण का कार्य बैंक की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था बेंगलुरु तथा देशभर में फैले 7 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों-अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुड़गाँव, लखनऊ तथा पवई(मुंबई) में स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है. संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नयी मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय स्तरो में भी लोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं. स्टाफ को अद्यतन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बाहरी और आंतरिक संकाय सदस्यों की व्यवस्था भी की जाती है. पात्र मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेशों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है.

वर्ष 1997 में बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिये विदेशी सलाहकारी कंपनियों की मदद से अपने प्रशिक्षण-तंत्र में नई तकनीकों को शामिल किया. अब यह मानक बन गई हैं तथा प्रशिक्षण तंत्र द्वारा नवोन्मेषी तकनीकें को अपनाये जाने से विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान हमारे प्रशिक्षण तंत्र को प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से देश भर में प्रतिष्ठित **गोल्डेन पीकॉक अवार्ड** भी शामिल है. यह हमारे बैंक को सर्वश्रेठ प्रशिक्षण तंत्र के लिये वर्ष 1998, 2005, 2007, 2011 तथा 2012 में लगातार प्राप्त हुआ है

वर्ष 2013-14 के दौरान दिये गये प्रशिक्षण के ब्यौरे

कैडर	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
कुशल	22173
अकुशल	5481
कुल	**27654**

सिद्धांत 4-स्टेकहोल्डरों से संपर्क;

यूनियन बैंक इस तथ्य में विश्वास रखता है कि स्टेकहोल्डरों के साथ लगातार संपर्क बनाये रखने से मुख्य बिंदुओं, प्रवृत्तियों तथा अवसरों की जानकारी होती रहती है जो बैंक को तदनुसार अपने उत्पाद और सेवायें डिज़ाईन करने में सहायता करती है और परिणामस्वरूप बैंक अपने कारोबारी तरीकों को लगातार बेहतर बनाता रहता है. बैंक अपने स्टेकहोल्डर को उस व्यक्ति के रूप में देखता है जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है. इस प्रभाव के कारण ही कोई स्टेकहोलडर प्राईमरी,सेकेंडरी या की स्टेकहोल्डर कहलाता है.

प्राईमरी स्टेकहोल्डरों में स्टाफ और ग्राहक आदि शामिल होते हैं. किंतु प्राईमरी स्टेकहोल्डर्स का इन दोनों ही श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है. सेकेंडरी स्टेकहोल्डरों में स्थानीय कम्युनिटीज़, आपूर्तिकर्ता, एन जी ओ,

इंडस्ट्री एसोसियेशन आदि शामिल होते हैं किंतु यह श्रेणी भी यहीं तक सीमित नहीं है. 'की' स्टेकहोल्डर में शेयरधारक, प्रोमोटर तथा विनियामक इकाईयां शामिल होती है. बैंक विभिन्न संप्रेषण माध्यमों से अपने सभी स्टेक होल्डरों से औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से संपर्क में रहता है.

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की है तथा उन्हें विशेष उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है. स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक,एम एस एम ई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है. इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है जिनके विवरण बैंक की कॉरपोरेट वेबसाईट पर उपलब्ध है.

बैंक के की स्टेकहोल्डर निम्नानुसार हैं:-

ग्राहक

बैंक का ध्यान अपने सभी संपर्क साधनों पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित रहता है फिर वह चाहे शाखा हो, ए टी एम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाईल बैंकिंग हो या फिर कॉल सेंटर हो. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये उनके साथ लगातार संपर्क स्थापित करते हुए बैंक द्वारा ग्राहक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है.
- शिकायतियों को प्रचारकों में परिवर्तित करने के लिये स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.
- ग्राहकों को प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने नये उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करना. विगत हाल ही में बैंक को शाखा संप्रेषण तथा विपणन के लिये **ए बी सी आई (एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया)** पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- ग्राहकों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिये 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना
- शाखा, क्षेत्रीय तथा कॉरपोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर ग्राहक बैठकें आयोजित करना. इस मंच का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों को अपने उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, **के वाई सी** जैसे नये पहलुओं की जानकारी देने, इंटरनेट बैंकिंग करते समय सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिये करता है. ऐसी बैठकों में बैंक के तिमाही कार्यनिष्पादन की जानकारी भी ग्राहकों को दी जाती है.
- बैंक द्वारा ग्राहकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिये कस्टमर केयर युनिट की स्थापना की है. यह युनिट बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रणालीबद्ध तरीके से फीडबैक का विश्लेषण भी करती है. इस इकाई से इंटरनेट बैंकिंग तथा ए टी एम के पिन की अप्राप्ति संबंधी शिकायतों में बहुत कमी आई है. कस्टमर केयर युनिट शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि का स्तर भी जांचती है.
- **यूनियन एक्सपीरियंस:** बैंक की 3800 से अधिक शाखायें ग्राहक संपर्क का मुख्य केंद्र हैं. ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये बैंक ने रूपांतरण की एक प्रक्रिया शुरु की है तथा बैंक की बहुत सी शाखायें **यूनियन एक्सपीरियंस** के मॉडल में रूपांतरित की जा रही हैं. इस मॉडल में लगभग 65 प्रतिशत स्टाफ ग्राहकों के सीधे संपर्क में रहता है. जबकि पहले यह प्रतिशत 35 ही था. इन शाखाओं के स्टाफ को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल और त्वरित वित्तीय समाधान प्रस्तुत करवाने का प्रशिक्षण दिया गया है.

कर्मचारी

- बैंक की गृह-पत्रिका **यूनियन धारा** , स्टाफ सदस्यों को एक सूत्र में पिरोने,उनको उनके दायित्वों का बोध कराने, सृजनात्मकता को निखार देने तथा निष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच संवाद का उत्कृष्ट साधन बनी हुई है. यूनियन धारा **ए बी सी आई** से लगातार पुरस्कृत होती आ रही है. पिछले वर्ष भी यूनियन धारा को ए बी सी आई के 50वें पुरस्कार समारोह में **मैग्ज़ीन ऑफ द इयर** के अतिरिक्त 7 अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया.
- सभी कर्मचारियों को बैंक के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से सभी नीतियों, दिशानिर्देशों,कोडों तथा आंतरिक संप्रेषणों को उपलब्ध कराया गया है.
- बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक समय समय पर क्षेत्रों / शाखाओं का दौरा करते रहते हैं.

निवेशक

- बैंक सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रत्येक तिमाही का संक्षिप्त तुलन पत्र तथा कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें प्रकाशित करता है.
- बैंक अपने शेयरधारकों को अर्धवार्षिक आधार पर बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में सूचित करता है.
- तिमाही आधार पर बैंक निवेशकों तथा विश्लेषकों की बैठक भी आयोजित करता है.

समाज

- बैंक सरकार तथा अन्य बैंकों से लगातार संपर्क बनाये रखता है तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में सुधार लाने के उद्देश्य से औद्योगिक स्तर के मुख्य तथा विभिन्न नीतियों के निर्माण में भी सक्रियता से प्रतिभागिता करता है.
- बैंक ने 210 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने हेतु गोद लिया है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक आवधिक रूप से इन गाँवों का दौरा करते हैं तथा ग्रामीणों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सुनिश्चयन करते हैं.

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रयासों को सराहा गया है तथा बैंक को वर्ष 2010-11 हेतु प्रतिष्ठित इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया है. **खुदरा बैंकिंग** पर हिन्दी पुस्तक का प्रकाशन, ए टी एम से संबंधित **मैं हूँ न** हिन्दी कॉमिक बुक का प्रकाशन, वित्तीय समावेशन पर प्रस्तावित एनीमेशन फिल्म का निर्माण कुछ ऐसे उपाय हैं जो बैंक द्वारा बड़ी संख्या के हिन्दी भाषी कृषकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिये किये गये हैं.

बैंक की वेबसाईट भी सभी स्टेकहोल्डरों के साथ संप्रेषण का एक जरिया है.

सिद्धांत 5- मानवाधिकारों का सम्मान

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में, बैंक केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के बारे में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों, निदेशों का न केवल अक्षरश: पालन करता है बल्कि व्यवहार में भी उन्हें अपनाता है. बैंक की एस डी और सी एस आर नीति यह दर्शाती है कि बैंक मानवाधिकारों का आदर करेगा तथा इनके बारे में स्टेक होल्डरों के बीच सामान्य जागरुकता को बढ़ायेगा. बैंक अपने कारोबारी भागीदारों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं, बिज़नेस कॉरेसपोंडेंस आदि से अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें तथा उनके उल्लंघन से बचें. बैंक द्वारा रिर्पोटिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई.

सिद्धांत 6- पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में स्वयमेव प्रदूषण तथा उत्सर्जन के मामले में पर्यावरण संरक्षण के सापेक्ष क्रियाशील है. बैंक ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये सक्रिय कदम उठाये हैं. कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिये बैंक द्वारा लेड वाली प्रकाश व्यवस्था, एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के संरक्षण वाली गैस का उपयोग, कम ऊर्जा की खपत करने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग, नयी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा जैसे गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि अनेक कदम उठाये गये हैं. हाँलांकि अंतिम रूप से हुये लाभ की गणना अभी नहीं की जा सकी है किंतु ऊर्जा संबंधी बिलों में उक्त प्रयासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है. इन प्रयासों को आगे भी लगातार जारी रखा जायेगा.

बैंक सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से ए टी एम की ऊष्मा संबंधी आवश्यकताओं के लिये तथा प्रशिक्षण केंद्रों में कर रहा है. बैंक परिसरों में लगी प्रकाश-व्यवस्थायें तथा एयर कंडीशनर ऊर्जा की बचत के लिये स्टार रेटेड हैं. एयर कंडीशनरों में उपयोग की जाने वाली रेफ्रीजेरेंट गैस (आर-407 सी) कार्बन के उत्सर्जन को कम करती है.

बैंक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उठाये गये कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- ऊर्जा की बचत वाले सी एफ एल तथा लेड फिटिंग्स का उपयोग.
- लेड वाले साईनेज़ का संस्थापन.
- बैंक परिसर में वर्षा के जल का भंडारण, जो भूजल के स्तर को बढ़ाता और उसका संरक्षण करता है.
- सभी उपकरणों में बिजली के समान प्रवाह के लिये **बसबार ट्रंकिंग सिस्टम** जैसे किफायती एवं सुरक्षित प्रणाली का उपयोग. अभी हाल ही में बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिसर के एक्सटर्नल ईलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नवीकरण किया गया है और नये **बसबार ट्रंकिंग सिस्टम** को लगाया गया है. हर मंजिल के बिजली आपूर्ति को मापा गया तथा **बेस्ट** से प्राप्त बिल के साथ उसकी तुलना की गई. ऊर्जा के उपभोग पर कुल बचत 14.21 प्रतिशत हुई जबकि बिजली के बिल में पिछले वर्ष की तुलना में 12.63 प्रतिशत की कमी आई.
- प्रौद्योगिकी केंद्र, पवई परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित डाटा सेंटर पर लगे बिजली के उपकरण तथा एयर कंडीशनर बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण हैं. सूक्ष्म एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं तथा इको-फ्रेंडली गैस से युक्त हैं. दूसरी ओर यू पी एस/केबिनों/ बैटरी रूम को ठंडा करने के लिये वैरियेंट रेफ्रीजेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. बिजली की कुल बचत 7 प्रतिशत हुई तथा ऊर्जा के बिल में 6 प्रतिशत की कमी आई.
- प्रकाश तथा एयर कंडीशनरों पर नियंत्रण के लिये केबिनों में ऑक्यूपेंसी सेन्सर लगाये गये हैं.
- भवनों में वास्तुकला के माध्यम से दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है.

सिद्धांत 7- सार्वजनिक कल्याण

बैंक निम्नलिखित वित्तीय तथा औद्योगिक व्यापार चैम्बरों/संघों का सदस्य है:

- भारतीय बैंक संघ(आई बी ए)
- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स (आई आई बी एफ)
- द एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(एसोचैम)
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(एफ आई सी सी आई)
- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी आई आई)

ग्राहक सेवा में सुधार के दृष्टिकोण से बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य इकाइयों के सदस्य नामित किये जाते हैं.

ट्रेड चैम्बर तथा इंडस्ट्री एसोसियेशनों के मंच से ही बैंक आम जनता के लिये सार्वजनिक नीतियों की वकालत करता है. इन अधिकारियों के साथ बैंक अन्य चैनलों से भी संपर्क में रहता है तथा कानून तथा विनियमन संबंधी उन आम नीतियों को आकार देने का प्रयास करता है जो इसके कारोबार तथा कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं. नीति निर्माण के मामले में बैंक वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है.

सिद्धांत 8- समग्र विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमज़ोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पर्याप्त अग्रिम सुविधायें उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संसाधनों से उपलब्ध कराती है. बैंक ने वर्ष 2013-16 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज़न है:- वंचितों तक उचित लागत पर वित्तीय सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना .

31 मार्च 2014 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कर लीं थीं:-

- बैंक ने 10076 बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट की नियुक्ति करके इस मॉडल के द्वारा 33055 बैंकिंग से वंचित/न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं से युक्त गाँवों तक अपनी पहुंच बनाई है.
- बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल के द्वारा बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से 131 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते खोले गये हैं तथा इन ग्राहकों से बैंक ने ₹231 करोड़ की जमाराशियां जुटाई हैं.
- ग्रामीण एवं शहरी निर्धन वर्गों को आकस्मिक अग्रिम के रूप में सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना. बैंक बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है.
- बैंक ने बायोमैट्रिक कार्ड आधारित सूक्ष्म ऋण उत्पाद "प्रगति" महिलाओं के ज्वाईंट लायबिलिटी ग्रुप के लिये जारी किया है. वर्ष के दौरान इस योजना में 33330 महिला लाभार्थियों को कुल ₹217.40 करोड़ के ऋण वितरित किये.
- बैंक का टाई-अप प्रोजेक्ट श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डेवलपमेंटप्रोजेक्ट नामक एन जी ओ से है जो महिलाओं के स्व सहायता समूहों को वित्तीयन करता है. स्वयं सहायता समूह रोजगार के सृजन तथा ग्रामीणों की आय हेतु मुख्य रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान ₹401.62 करोड़ 35273 स्वयं सहायता समूहों को वितरित किये गये थे. वर्तमान में इस मद में बकाया शेष ₹594.68 करोड़ है. यह प्रोजेक्ट बेलगाम, बेंगलुरु, मेंगलोर तथा कोझीकोड़ क्षेत्रों में लागू है.
- एन ई एफ टी के प्लेटफार्म से छोटी निधियों के अंतरबैंक विप्रेषण की सुविधा बायोमैट्रिक में भी उपलब्ध कराई गई है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹ 214 करोड़ के 15.58 लाख विप्रेषणों की सुविधा प्रदान की गई.इस माध्यम से कारोबार बढ़ाने के लिये रियल टाईम निधि अंतरण की सुविधा वाला नया उत्पाद भी डिज़ाईन किया जा रहा है.

  यूनियन बैंक मनी ऐसा उत्पाद है जो शहरी प्रवासी श्रमिकों को अपने गाँवों में निवास कर रहे संबंधियों को मोबाईल तकनीक से धन के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है. यह उत्पाद पहले अल्फा मनी सर्विसेज़ लि. के द्वारा प्रदान किया जा रहा था किंतु अब इस सुविधा को यूनियन बैंक मनी के बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट के रूप में मेसर्स ओबोपे लिमिटेड के द्वारा दी जा रही है.

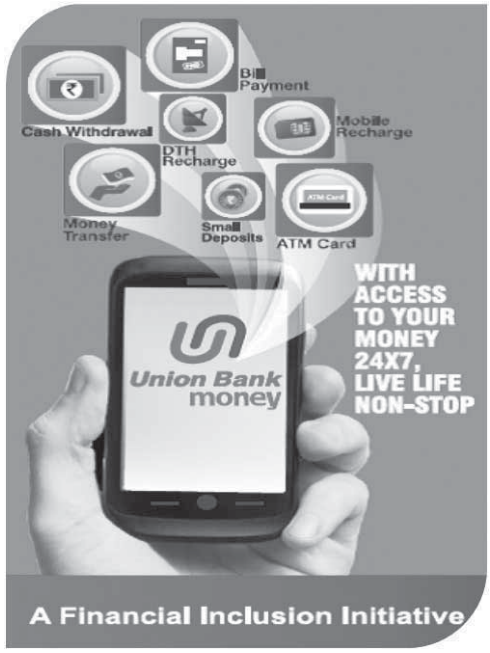

वित्तीय साक्षरता

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 8 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये. इस प्रकार बैंक के एफ एल सी सी की संख्या कुल मिलाकर 24 हो गई. ये केंद्र वंचित लोगों को उन वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराते हैं जो बैंक द्वारा उन्हें दी जा सकती है. बैंक की ग्रामीण शाखायें अपने सेवाक्षेत्रों में माह में एक बार वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करती हैं. बैंक के 202 ग्राम ज्ञान केंद्र हैं जो बैंकिंग उत्पादों तथा कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी देते हैं.

यूनियन आदर्श ग्राम योजना

देश के प्रति कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बैंक ने यूनियन आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है. इस योजना के तहत इस वर्ष देश भर में 60 गाँवों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु गोद लिया है. इस योजना में अबतक ऐसे गाँवों की संख्या 210 हो गई है.

- यूनियन आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य हमारी ग्रामीण तथा अर्ध- शहरी शाखाओं के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिछड़े गाँवों को गोद लेना तथा इन गाँवों में समग्र विकास के द्वारा इन्हें जिले के आदर्श गाँवों के रूप में विकसित करना है.
- योजना के तहत गाँव में की जाने वाले मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित हैं-

i. होनहार बालिकाओं को गोद लेना तथा कक्षा 12 तक की उनकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता करना

ii. सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्टर उपलब्ध करवा कर पीने हेतु स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना

iii. सोलर लैम्पों के द्वारा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था

iv. विद्यार्थियों को सोलर लालटेन उपलब्ध कराना

v. सरकारी स्कूलों में बेंचें और पंखे प्रदान करना

- योजना में बैंक के सहयोग से और भी कई ऐसी गतिविधियां शामिल है जो गाँव के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्र/राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जाती हैं.
- पूरे गाँव को शतप्रतिशत बैंकिंग आदतों वाले गाँव में परिवर्तित करने के अतिरिक्त बैंक का ध्यान इस बात के सुनिश्चयन पर भी रहता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गाँव के विकास के लिये आबंटित राशि परिणामदायक तरीकों से उपयोग की जाये.
- यूनियन आदर्श ग्राम योजना के तहत बैंक का प्रयास गाँव को स्थायी विकास के लिये हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है.
- इस वर्ष से सभी ग्रामीण शाखाओं को सलाह दी गई है कि प्रत्येक शाखा कम से कम एक गाँव को यूनियन आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले.

अग्रणी बैंक योजना

बैंक देश के चार राज्यों में स्थित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. इन जिलों में बैंक न केवल लगातार अपनी शाखायें बढ़ा रहा है और सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर रहा है बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ जिला अग्रिम योजना के लिये भी काम करता है. इससे जिला अग्रिम योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण में सहायता मिलती है.

बैंक के 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी हैं जहां ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिये प्रशिक्षण तथा कौशल अद्यतनीकरण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं. बैंक चार चयनित पिछड़े जिलों में महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता दे रहा है.

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने नारेंगी शाखा से असम रूरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रशिक्षित व्यवसायियों को सूक्ष्म वित्तीयन किया.

डी बी टी(डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) डिस्बर्समेंट

सरकार द्वारा प्रथम चरण में 43 जिलों में डी बी टी योजना दिनांक 01 जनवरी 2013 से क्रियान्वित की थी तथा दूसरे चरण में इसे 01 जुलाई 2013 से 78 अतिरिक्त जिलों में क्रियान्वित कर दिया गया. वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने प्रायोजक बैंक के रूप में ₹272.89 लाख 18,185 खातों में विप्रेषित किये हैं. प्राप्तकर्ता बैंक के रूप में बैंक ने ₹14275.70 लाख विभिन्न शाखाओं के 2174880 लाभार्थी खातों में प्राप्त किये हैं.

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी, लखनऊ में एक ऋण मेले के दौरान एक स्कूली छात्रा को साईकिल प्रदान करते हुये.

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी ने लखनऊ में एक ऋण मेले के दौरान स्कूली छात्रों को स्कूल बैग तथा नोट बुक्स वितरित किये.

डी बी टी एल(एल पी जी के लिये डायरेक्ट बेनेफिट) ट्रांसफर

भारत सरकार ने भारत के 289 जिलों में एल पी जी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे उनके खातों में जमा करना प्रारंभ किया है. यह योजना बैंक के केरल स्थित अग्रणी जिलों एर्णाकुलम और इडुकी में 01.09.2013 से लागू कर दी गई है. मध्यप्रदेश के रीवा जिले में यह योजना 01.01.2014 से लागू की गई. 31 मार्च 2014 को इस योजना की प्रगति निम्नानुसार है:-

डी बी टी एल II	एर्णाकुलम	इडुकी	रींवा
एल पी जी कनेक्शन धारकों की संख्या	9,14,034	2,34,513	1,37,288
ओ एम सी से प्राप्त फार्मों की संख्या	1441	शून्य	शून्य
इनमें से जिनमें सीडिंग की गई	1441	शून्य	शून्य
सीडिंग का प्रतिशत	100	शून्य	शून्य
सभी बैंकों से सीधे सीडिंग अनुरोध प्राप्त	6,24,886	1,52,205	30,532
इनमें से सीडिंग की गई	6,24,886	1,52,205	30,532
सीडिंग का प्रतिशत	100	100	100
टोटल एल पी जी लाभार्थियों के सीडिंग का प्रतिशत	68.50	64.90	22.24

इस वर्ष के नये प्रयास

वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिये उनके घर उपलब्ध कराये जाने के लिये बैंक ने इस वर्ष दो नये

उत्पाद शुरु किये हैं:-

1. **मोबाईल वैन बैंकिंग**-विभिन्न राज्यों के सुदूर गाँवों में लोगों के घरों पर बैंकिंग प्रदान करने के लिये बैंक द्वारा 20 मोबाईल वैन का अनुमोदन किया गया. बैंक द्वारा नये वित्त वर्ष में इन मोबाईल वैनों को चालू कर दिया जायेगा.

मोबाईल वैन बैंकिंग

2. **केयोस्क बैंकिंग**- बैंक द्वारा **सी एस सी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड** के साथ विभिन्न स्थानों पर कियोस्क बैंकिंग प्रारंभ करने के लिये एक समझौता किया गया है. इस योजना में, गाँवों के इन कियोस्कों पर, जो पहले से ही राज्य तथा केंद्र सरकारों को सुविधायें दे रहे हैं जैसे बिजली बिलों का भुगतान, संपत्ति कर का भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमान पत्रों को जारी करने, भू/राजस्व के रिकार्ड को जारी करने आदि की सुविधायें दे रहे हैं, वे खाता खोलने, खातों में नकदी जमा करने तथा आहरण तथा अन्य मौलिक बैंकिंग सुविधायें भी प्रदान करेंगें. फिलहाल यह परियोजना पायलट बेसिस पर आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में चलाई जा रही है किंतु यह आगे अन्य केंद्रों में भी प्रारंभ की जायेगी.

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार

बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में नवोन्मेषी तकनीक लाने के लिये **आई डी बी आर टी** से आई टी एक्सीलेंस स्पेशल अवार्ड प्राप्त हुआ. बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु वित्त वर्ष 2013-14 में जीते गये कुछ पुरस्कार:

- स्कॉच ग्रुप से वित्तीय समावेशन हेतु किये गये नवोन्मेषी तकनीकी प्रयासों के लिये स्कॉच कन्सल्टेंसी द्वारा दिनांक 03.09.2013 को आयोजित 33 वें शिखर सम्मेलन में **दी आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड** प्राप्त. बैंक को यह पुरस्कार देश भर के सार्वजनिक, निजी व सरकारी क्षेत्रों की संस्थाओं में से मिला है.
- अक्तूबर 2013 में **फाइनेन्शियल इन्क्ल्यूजन एंड पेमेंट सिस्टम्स** की **ग्लोबल कॉन्फ्रेंस** में बैंक को **फाइनेन्शियल इन्क्ल्यूजन टेक्नॉलॉजी इनीशियेटिव अवार्ड** प्राप्त हुआ. टेक्नॉलॉजी इनीशियेटिव्स में बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड सिस्टम, एफ आई गेटवे और सेंट्रलाईज़्ड बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन सिस्टम, आधारयुक्त भुगतान प्रणाली, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, कियोस्क बैंकिंग एप्लीकेशन, आधार कार्डधारकों का जनसांख्यिकीय सत्यापन, आधार सीडिंग तथा डी बी टी शामिल हैं.

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय बैंक संघ से बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड प्राप्त करते हुये.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 6 आई बी ए (भारतीय बैंक संघ) बैंकिंग टेक्नॉलॉजी पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्राप्त हुये हैं:-

- **विजेता-** बेस्ट पेमेंट इनीशियेटिव्स
- **उपविजेता-**
  - बेस्ट टेक्नॉलॉजी बैंक ऑफ द इयर
  - बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी
  - बेस्ट यूज़ ऑफ मोबीलिटी टेक्नॉलॉजी बेस्ड इंटरनेट बैंक

बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक फाइनेन्शियल इन्क्ल्यूजन एंड पेमेंट सिस्टम्स की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बैंक के लिये फाइनेन्शियल इन्क्ल्यूजन टेक्नॉलॉजी इनीशियेटिव अवार्ड प्राप्त करते हुये.

बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक सी डी एस में शतप्रतिशत एन एच जी लिंकेज के लिये स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुये.

सिद्धांत 9- ग्राहक केंद्रीकरण

बैंक बी सी एस बी आई द्वारा निर्देशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है,अपनी सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली अपनाता है. इस मद में बैंक के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:-

1. **ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता लाने के प्रयास:** वर्ष 2012 में ग्राहक सेवा पर केंद्रित **यूनियन एक्सपीरियंस** के ब्रांड-नाम से नया शाखा मॉडल लाया गया. इस मॉडल में बैंक की 310 शाखायें हैं जिनसे ग्राहक सेवा का स्तर भी बढ़ा है.

304वीं यूनियन एक्सपीरियंस शाखा के रूप में सरोजनी नगर शाखा, लखनऊ का शुभारंभ करते हुये बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी.

2. कॉल-सेंटर, ए टी एम तथा अन्य वैकल्पिक चैनलों को व्यवस्थित करना: बैंक के ए टी एम न केवल नकदी प्रदान करते हैं बल्कि म्युचुअल फंड में निवेश की सुविधा भी देते हैं और आयकर भुगतान,मोबाईल टॉप-अप जैसे अन्य उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं. इस प्रकार ये अधिकतम सेवा सुविधा का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं. इसीलिये इन्हें **संपूर्ण ए टी एम** का नाम दिया गया है. आज बैंक के 6429 ए टी एम हैं जिनमें से 1066 बोलते ए टी एम हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराते हैं.

3. गैर-ग्राहक संबंधी गतिविधियों का लखनऊ तथा मुंबई स्थित नेशनल प्रोसेसिंग सेंटरों पर केंद्रीयकरण

4. **विश्वस्तरीय कस्टमर केयर युनिट का निर्माण-**शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिये बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों की उन शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करते हैं जो 30 दिनों तक लंबित रह जाती हैं . साथ ही वे मामले भी ये देखते हैं, जिनमें बैंक द्वारा लिये गये निर्णय से ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं.

5. ग्राहक शिकायतों को प्रभावी एवं त्वरित रूप से निपटाने तथा ग्राहकों की शिकायतों के मामलों में उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करते हुए, नोडल एजेंसी के रुप मे ग्राहक सेवा यूनिट की स्थापना की गई थी. ग्राहक सेवा यूनिट से शिकायत निवारण प्रणाली में बडा परिवर्तन हुआ हैं.

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95
2	Interest Expenses/AWF	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55
3	Interest Spread/AWF	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40
4	Non-Interest Income/AWF	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86
5	Operating Expenses/AWF	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67
6	Cost Income Ratio	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24
7	Gross (Operating) Profit/AWF	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59
8	Net Profit/AWF	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52
9	Return on Net Worth	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99
10	Return on Terminal Assets	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48
11	Return on Average Assets	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52
12	Yield on Advances	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53
13	Cost of Deposits	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39
15	Credit - Deposit Ratio	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36
17	Capital Adequacy Ratio	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89
	Tier I	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13
	Tier II	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	Employees (Number)	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806
2	Branches (Number)	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02
6	Business per branch (Rs in Crore) *	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44
9	Earnings per Share (in Rupees)	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99
10	Book Value per Share (in Rupees)	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Friday, 27th June, 2014 at 11.00 a.m. at Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai-400020 to transact the following business:-

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2014 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2013-14.

Special Business:

Item No. 3

To Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to the Government of India (GoI)

To consider and if thought fit to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to

a) create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 /- each into 5472563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto ₹ 111 crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price is 28th May, 2014."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, to finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or anyone of the Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 4

To Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("the Act"), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank's Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by the Government of India ("GOI"), the Reserve Bank of India ("RBI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares

of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/or Central Government and/or RBI as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred and Eighty Six Crore Only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT

a) the relevant date for determination of price of equity shares or such other securities, shall be the date of the meeting at which the Board decides to open the proposed issue of equity shares, or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time;

b) the Bank in pursuant to proviso to Regulation 85 (1) of ICDR Regulations is authorised to offer shares at a discount of not more than five percent on the aforesaid floor price.

c) the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of this Resolution approving the proposed issue or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalisation and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the equity shares are to be issued and allotted, number of equity shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilisation of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to engage/appoint the Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such equity shares on the stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to form a Committee of Directors or delegate all or any of its powers to any Director(s) or Committee of Directors/ Chairman and Managing Director/Executive Directors/ Company Secretary/other person authorised by the Board to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorised to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of equity shares including but not limited to:

(a) Approving the draft/final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;

(b) Approving the issue price, the number of equity shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of equity share;

(c) Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of equity shares;

(d) Opening such bank accounts as may be required for the offering;

(e) To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;

(f) To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;

(g) Making applications for listing of the equity shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 28.05.2014

NOTES:

1) **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the Special Business of the meeting is annexed hereto.

2) **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m., on Saturday, 21st June, 2014.

3) **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m., on Saturday, 21st June, 2014.

The proxy form if any executed by such authorised representative will be effective provided the same is deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 21st June, 2014 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorised representative as per provisions of the Regulations as amended from time to time.

4) **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance Slip-cum-Entry Pass at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

5) **BOOK CLOSURE**

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 21st June, 2014 to Friday, 27th June, 2014 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders' entitlement to dividend, if declared at the Annual General Meeting.

6) **PAYMENT OF DIVIDEND**

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 27th June, 2014 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on 20th June, 2014 and the dividend shall be paid on 8th July, 2014.

7) **TRANSFERS**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent only for effecting the transfer.

8) **DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS/DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):**

The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the shareholders through Direct Credit to Union Bank Account/National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt credit of the dividend amounts through Direct Credit to Union Bank Account/NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish/update their Bank Mandate details to/ with the Investor Services Cell of the Bank or to/with the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (10) below on or before 23rd June, 2014.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants.

The Format for providing Bank details is annexed to this report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

9) **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite format of Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

10) **CHANGE OF ADDRESS/BANK PARTICULARS /BANK ACCOUNT MANDATE**

(a) For Shareholders Holding Shares in Physical Form:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and/or Bank particulars, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
MUMBAI- 400 093.

(b) For Shareholders Holding Shares in Demat Form:

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and Bank Mandate/details only to their Depository Participant(S).

11) RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

12) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

13) COPIES OF ANNUAL REPORT

Shareholders / Proxy holders / representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

14) INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

15) E-Voting

The Bank is pleased to provide E-Voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of 12th Annual General Meeting of the Bank. The Bank has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practicing Company Secretary or failing her Ms. Aparna Gadgil, Practicing Company Secretary as the Scrutiniser for conducting the E-Voting process in a fair and transparent manner. E-Voting is optional. The E-Voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 23rd May, 2014.The instructions for members for voting electronically are as under:-

(A) In case of shareholders receiving e-mail:

i) If you are holding shares in a Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used for the same demat account.

ii) Log on to the E-Voting website www.evotingindia.com

iii) Click on “Shareholders” tab to cast your votes.

iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "140526002" EVSN along with “UNION BANK OF INDIA”(Company Name) from the drop down menu and click on “SUBMIT”

v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by the Income Tax Department when prompted by the system while E-Voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: UNIONBK026 in the PAN field.

\# Please enter any one of the details in order to login.

vi After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # $ %& *). Kindly note, that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting of resolutions

for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for E-Voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.

xi) After selecting the Resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

(C) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutiniser to verify the vote.

(D) The voting period begins from 10.00 a.m. on Saturday, June 21st, 2014 and ends at 5.00 p.m. on Monday, June 23rd, 2014. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date (record date) of 23rd May, 2014, may cast their vote electronically. The E-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(E) In case you have any queries or issues regarding E-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and E-Voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

(F) The link for E-Voting will also be made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in

16) **POLL AT MEETING**

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order a poll in respect of both the items. The poll will be conducted and supervised by Scrutinisers to be appointed for the purpose. After conclusion of the poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The results of the poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Explanatory Statement

Item No.3

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a. **Objects of the Preferential Issue**

Approval of the shareholders for conversion of ₹ 111 crore PNCPS to Equity has already been sought from the shareholders in the EGM held on 14.12.2013. However, the same has so far not been converted due to want of final approval of the Government on the issue. In view of the considerable time gap from the previous approval taken in the EGM held on 14th December, 2013 resulting in a variation in the pricing, fresh approval of the shareholders is being sought to convert PNCPS to equity for further strengthening the Core Equity Tier I Capital.

The entire proposed equity capital of ₹ 111 crore would be utilised to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. This entire preferential issue of ₹ 111 crore will be subscribed by the Government of India. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is around ₹ 202.83 considering that the Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 28th May, 2014.

b. Shareholding Pattern before and after the issue :

Sl. No.	Category	Before the Issue (As of 23rd May, 2014)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding				
1	Promoters				
	Government of India	378971753	60.13	384444316	60.47
	Foreign Promoters				
2	Persons acting in concert				
	Sub Total	**378971753**	**60.13**	**384444316**	**60.47**
B.	Non –Promoter's Holding				
3	Institutional Investors				
a	Mutual Funds and UTI	34500269	5.47	34500269	5.43
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/State Govt. Institutions/ Non-government Institutions)	68953213	10.94	68953213	10.85
c	FII's	60989670	9.68	60989670	9.59
	Sub Total	**164443152**	**26.09**	**164443152**	**25.87**
4	Others				
a	Private Corporate Bodies	32568992	5.17	32568992	5.12
b	Indian Public	53666177	8.51	53666177	8.44
c	NRIs/OCBs	656199	0.10	656199	0.10
d	Any Others				
	Sub Total	**86891368**	**13.78**	**86891368**	**13.66**
	Grand Total	**630306273**	**100.00**	**635778836**	**100.00**

c. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

d. As the entire preferential issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

e. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India in respect of allotment of shares on preferential basis would be as under:

	Government of India	
	No. of Shares	**Percentage to capital**
Pre-issue	378971753	60.13
Post-issue	384444316	60.47

f. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

g. All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

h. The entire pre-preferential holding of the Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.

i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the General Meeting.

j. All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l. Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various Stock Exchanges in India where the Bank's equity shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up equity shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

m. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

n. The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend passing of the special resolutions mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested personally in this agenda of the meeting.

Item No.4

a) **Objects of the Qualified Institutional Placement**

Approval of the Share holders for raising of QIP upto ₹ 1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred and Eighty Six Crore Only) has already been sought from the shareholders in the EGM held on 14th December, 2013. However, due to unfavorable market conditions the same could not be raised till now. With a view to extend the validity of the approval up to 26th June, 2015 as against the present validity up to 13th December, 2014, fresh approval of the shareholders is being sought.

To augment resources and fund future expansion of the Bank, continuous capital is required to be infused. Accordingly, the Bank is contemplating issue of shares by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers. The issue would be made in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations.

It is proposed to raise upto ₹ 1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred and Eighty Six Crore only) by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers. The Resolution enables the Board to raise capital within a period of one year from passing of this Resolution at such time (s) and in such tranche (s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilised to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 28.05.2014

Directors' Report

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 95th Annual Report of the Bank for the financial year 2013-14 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2013-14.

1. Business

1.1. Focused approach towards enhanced customer service and network expansion helped your Bank surpass ₹ 5,00,000 crore mark in total business. It increased by ₹ 56,334 crore to ₹ 5,32,007 crore, as of March 31, 2014, showing an annual growth rate of 11.8 per cent.

1.2. Total deposits increased to ₹ 2,97,675 crore, as of March 31, 2014 from ₹ 2,63,762 crore in the previous year, recording an annual growth of 12.9 per cent. During the year, the focus of the Bank remained on enhancing low cost current and savings deposits (CASA) along with containing high cost deposits. The share of CASA in total deposits as on March 31 2014 stood at 29.5 per cent. Credit portfolio increased by 10.6 per cent to ₹ 2,34,332 crore as on March 31, 2014 from ₹ 2,11,911 crore as on March 31, 2013. The credit growth was mainly contributed by the retail, agriculture and micro, small & medium enterprises (MSME) sectors. This also helped the Bank in achieving priority sector targets equivalent to 40.4 per cent of adjusted net bank credit (ANBC) while benchmark stipulated by the Reserve Bank of India is 40 per cent.

2. Revenue and Expenditure

2.1. Your Bank's total income increased by 16.2 per cent to ₹ 32,171 crore during financial year (FY) 2013-14 from ₹ 27,677 crore in the previous year. The interest income grew by 16.8 per cent to ₹ 29,349 crore. Other income of the Bank stood at ₹ 2,822 crore, registering an annual growth of 10.6 per cent. Within other income, core fee based income increased by 15.0 per cent during the year and stood at ₹ 1,635 crore.

2.2. The interest expenses increased by 22.1 per cent for the year ended March 31, 2014 to ₹ 21,470 crore as from ₹ 17,582 crore in previous year. Operating expenses of the Bank increased by 21.5 per cent, thus taking the total expenses to ₹ 26,953 crore.

2.3. The following is the income statement of your Bank for the year 2013-14:

Table-1: Income Statement

(₹ crore)

Particulars	2013-14	2012-13	Annual Growth	
			Absolute	%
Interest Income	29349	25125	4224	16.8
Interest Expended	21470	17582	3888	22.1
Net Interest Income	7879	7543	336	4.5
Other Income	2822	2552	270	10.6
w/w Core fee based income	1635	1421	214	15.0
Total Income	32171	27677	4494	16.2
Operating Expenses	5483	4512	971	21.5
w/w Establishment Expenses	3308	2755	553	20.1
Operating Profit	5218	5583	-365	-6.5
Provisions	3522	3425	97	2.8
Net Profit	1696	2158	-462	-21.4
Earnings Per Share (₹)	28	39	-11	-28.0

3. Spread

3.1. The banking industry witnessed hardening of interest rates during FY 2013-14 due to a contractionary monetary policy stance of the Reserve Bank of India (RBI) in its fight against inflation. In this backdrop of rising policy rates coupled with tight liquidity conditions, the term deposit rates remained high. However, helped by judicious planning for resources, your Bank was able to restrict cost of deposits to 7.4 per cent, same as in the previous year. The yield on advances stood at 10.5 per cent. The net interest income stood at ₹ 7,879 crore in FY 2013-14, recording an annual growth of 4.5 per cent.

3.2. Yield on investments was 7.5 per cent for FY 2013-14 as against 7.4 per cent for FY 2012-13. Yield on funds of the Bank stood at 9.0 per cent for FY 2013-14 as against 9.2 per cent recorded during FY 2012-13.

Table-2: Spread

(per cent)

Parameters	2013-14	2012-13
Yield on Advances	10.5	11.1
Cost of Deposits	7.4	7.4
Yield on Funds	9.0	9.2
Cost of Funds	6.5	6.4
Net Interest Margin	2.6	3.0

4. Provisions and Contingencies

4.1. The allocations for provisions and contingencies for the year 2013-14 amounted to ₹ 3,522 crore compared to ₹ 3,425 crore for FY 2012-13.

4.2. The provisions for non performing assets stood at ₹ 2,106 crore during 2013-14 compared to ₹ 1556 crore in the previous year. The provision for standard assets was ₹ 310 crore compared to ₹ 222 crore in the previous

year. There was accelerated provision on restructured standard advances during the year as per regulatory prescriptions.

5. Profitability & Ratios

5.1. Operating profit of the Bank for the year 2013-14 stood at ₹ 5,218 crore. Net Profit for FY 2013-14 stood at ₹ 1,696 crore.

5.2. Return on equity stood at 10.0 per cent as of March 31, 2014. Bank's net worth improved to ₹ 16,979 crore during FY 2013-14 from ₹15,777 crore in the previous year. Thus, book value per share increased from ₹ 264.4 during FY 2012-13 to ₹ 269.4 for FY 2013-14. The earnings per share stood at ₹ 28 as on March 31, 2014 compared to ₹ 39 in the previous year.

5.3. The following are the key productivity ratios of your Bank as on March 31, 2014.

Table 3: Productivity Ratios

Parameters	FY 2013-14	FY 2012-13	Annual Growth
Average Business Per Employee (₹ crore)	13.8	12.2	13.3%
Average Business Per Branch (₹ crore)	120.2	110.1	9.2%
Net Profit Per Employee (₹ lakh)	5.0	6.8	-26.1%
Net Profit per Branch (₹ lakh)	43.8	61.5	-28.7%

6. Dividend

6.1. In view of overall performance of the Bank and the objective of rewarding shareholders with cash dividends while retaining capital to maintain a healthy capital adequacy ratio (CAR) to support future growth, the Board of Directors has recommended a final dividend of 13 per cent for the year 2013-14, in addition to interim dividend of 27 per cent declared during the year. Thus, the total dividend for the year will be 40 per cent, i.e. ₹ 4 per equity share compared to 80 per cent declared in the previous year. The dividend payout ratio (excluding dividend tax) comes to 14.9 per cent compared to 22.1 per cent in the previous year.

7. Rating & Capital Raising

7.1. The ratings given by various credit rating agencies for Bank's Tier I & Tier II capital instruments point to the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and these instruments carry lowest credit risk.

Table 4: Rating

Rating Agency	Perpetual Bonds	Upper Tier II Bonds	Lower Tier II Bonds	Tier II (Basel III compliant)
CRISIL	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
ICRA	ICRA AA	-	ICRA AA+	-
CARE	CARE AA+	CARE AAA	CARE AAA	-
FITCH	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)	-
Brickwork	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA	-

7.2. **Issuer Credit Ratings:** International credit rating agencies have re-affirmed the Bank's long term issuer credit rating, which are equivalent to county's sovereign rating grade. S&P assigns rating of 'BBB-' while Moody's rating for the Bank is 'Baa3'. These ratings denote that the Bank has adequate capacity to meet its financial commitments.

7.3. **Capital Infusion by the Government of India during FY 2013-14:** Your Bank has allotted, on preferential basis, 3,35,12,064 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹139.20 to Government of India. Consequently, the Government's shareholding in the Bank increased from 57.9 per cent to 60.1 per cent. On account of this preferential issue to the Government of India, Bank's equity capital increased by ₹ 500 crore. Also, Bank's paid up capital increased to ₹ 630 crore from ₹ 597 crore while ₹ 466.5 crore was added to share premium reserves.

7.4. **Basel III compliant Tier 2 Bonds:** On November 22, 2013, the Bank raised capital of ₹ 2,000 crore by issue of Basel III compliant unsecured redeemable non-convertible Tier 2 Bonds. The Bonds, having a tenor of 10 years, are rated 'AAA/Stable' by CRISIL and carry a coupon of 9.8 per cent.

8. Capital Adequacy Ratio

8.1. Capital Adequacy Ratio (CAR), as per Basel III norms, stood at 10.8 per cent as on March 31, 2014. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 7.2 per cent as on March 31, 2014, well above regulatory minimum requirement of 5 per cent. Tier I CAR stood at 7.5 per cent and Tier-2 at 3.3 per cent. Basel III norms in India are effective from April 1, 2013 and, therefore, these numbers are not comparable with the previous year.

Table 5: Capital Adequacy Ratios as per Basel III	
	(₹ crore)
Parameters	**FY 2013-14**
Total Risk Weighted Assets	229207
Capital Fund	24751
Tier-I Capital	17272
CAR-Basel-III	10.8%
CET I	7.2%
Tier-I	7.5%
Tier-2	3.3%

9. Awards & Accolades

9.1. During the year, your Bank received wide recognition and several awards for its performance and initiatives in multiple domains.

9.2. Your Bank won the 'MSME Banking Excellence Awards-2013', conferred by 'The Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises'. Your Bank bagged special award under Institute of Development and Research in Banking Technology (IDBRT), 'IT Excellence Award' for innovative technologies introduced in financial inclusion project.

9.3. The Bank received the 'Order of Merit' Awards from SKOCH Group for implementation of financial inclusion initiative under the category of 'Unique Technology Initiative' during the 33rd Skoch Summit, conducted by SKOCH Consultancy at Delhi.

9.4. Your Bank was also presented 'Financial Inclusion Technology Initiative' award in the 'Global Conference on Financial Inclusion & Payment Systems' held at New Delhi. The award recognized Bank's initiatives in the areas of biometric smart card system, FI gateway & centralized bio-metric authentication system, AADHAAR enabled payment system, AADHAAR payment bridge system, kiosk banking application, demographic verification of Aadhaar holders, AADHAAR seeding and Direct Benefit Transfer.

9.5. The Bank won the Indian Banks' Association's (IBA) Technology Award under 'Best Payment Initiatives' category. The Bank was runner-up in IBA Technology awards under the categories of 'Best Technology Bank of the year, 'Use of Mobility Technology' and 'Internet Banking'.

9.6. Your Bank also received the 'e-INDIA' award under the category of Green IT Initiatives for its business process re-engineering (BPR) initiative which enhances the customer experience by improving customer service and cutting operational costs.

10. Directors

10.1. The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2013-14:

10.1.1. Shri Arun Tiwari was nominated on the Board by the Government under sub-section 3 (a) of section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 on December 26, 2013 as the Chairman & Managing Director in place of Shri D. Sarkar whose term ended by superannuation on November 30, 2013;

10.1.2. Shri Rakesh Sethi was nominated as Executive Director on the Board by the Government under sub-section (3) (a) of section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. August 5, 2013.

10.1.3. Shri Mohammad Mustafa, presently Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, was nominated by the Government as a non-whole time director under sub section 3 (b) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. September 30, 2013 in place of Dr. Achintan Bhattacharya whose term ended by superannuation on September 30, 2013.

10.1.4. Shri Deepak Singhal, Principal Chief General Manager and Regional Director of the Reserve Bank of India, was nominated by the Government as the RBI Nominee Director under sub section 3 (c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970/1980 on May 31, 2013 in place of Shri Chandan Sinha.

10.1.5. Shri Jag Mohan Sharma was nominated as part-time Non-official Director under Chartered Accountant category by the Government of India under sub-section 9 (3)(g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970/1980 on December 5, 2013, in place of Shri B. M. Sharma whose term ended on April 15, 2013.

10.1.6. Shri S.K. Misra and Sushri Anusuiya Sharma were nominated as part time non-official Directors by the Central Government under sub section 3 (h) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. April 11, 2013 and May 6, 2013 respectively.

10.1.7. After March 31, 2014 Shri B.N. Bhattacharjee, Officer Nominee Director has completed his term as Director on May 3, 2014. Further, Shri N. Shankar, Workmen Employee Director's resignation has been accepted by Government vide its letter dated April 30, 2014.

10.1.8. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Shri D. Sarkar, Dr. Achintan Bhattacharya, Shri Chandan Sinha, Shri B. M. Sharma, Shri B. N. Bhattacharjee and Shri N.Shankar.

11. Directors' Responsibility Statement

11.1. The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014:

11.1.1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

11.1.2. The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

11.1.3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended, March 31, 2014.

11.1.4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and

11.1.5. The accounts have been prepared on going concern basis.

12. Corporate Governance:

12.1. The Board of the Bank is committed to adopt good corporate governance practices in letter and spirit. A detailed report on corporate governance is given in a separate section of the Annual Report. The corporate governance report for financial year 2013-14 has no audit qualifications.

13. Corporate Social Responsibility (CSR)

13.1. Your Bank has taken a number of initiatives to discharge its corporate social responsibility by addressing some of the socio-economic deprivations faced by the unreached or underprivileged.

13.2. The Bank has set up 202 Village Knowledge Centres (VKCs) across the country. Each VKC assists in overall development of the village by coordinating with various developmental agencies/government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides, etc.

13.3. 'Union Adarsh Gram Yojana' is a unique innovative project under which Bank has adopted 210 villages across the country. In these adopted villages, various developmental activities are being undertaken, like, providing safe drinking water, sanitation and solar lamps.

13.4. On International Women's Day, i.e. March 8, 2014, Bank's 14 lead districts adopted 210 girl children to support them for completing their education till class XII, and 994 saplings were planted at prominent places.

13.5. Your Bank patronizes 14 Rural Self Employment Training Institutes (R-SETIs) and 24 Financial Literacy and Credit Counseling Centers (FLCCs) across the country. During the year, 1,406 training programs were conducted through these facilities, under which 38,975 persons received training and 25,593 beneficiaries have been settled with employment.

13.6. During the year, 2013-14, Bank spent a total of ₹ 17.8 crore by way of donation. This included ₹ 2 crore under the Chief Minister's Relief fund for the calamity affected states of Uttarakhand and Odisha. The *Union Bank Social Foundation,* a trust set up by the Bank, is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives. During the year, ₹ 15 crore was allocated to the trust for its activities.

14. Acknowledgement

14.1. The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board also thanks Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board would like to express its appreciation to each employee of the Bank for their dedicated service.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Dated: 19.05.2014

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

1.1. Global activity is on recovery track with advanced economies (AEs) fine-tuning debt & deficit levels to augur a jobs-driven-recovery. Global growth, which showed signs of pick-up in early 2013, became broader gradually. Banks and financial institutions are gradually becoming stronger, though balance-sheet effects still have held up growth. With activity stabilizing and fiscal consolidation slowing in the AEs, investors are now less worried about debt sustainability. Although full recovery is seen still a year or two away, the key central banks have started pressing normalization levers of monetary policy.

1.2. Emerging market and developing economies (EMDEs) witnessed the consequent play of global linkage effects through trade, finance and confidence channels. Beginning FY 2013-14, in May 2013, the US Federal Reserve first signaled a possible reduction of monthly bond purchasing, popularly known as 'tapering' of stimulus. The EMDE markets suffered a capital flight to advanced economies as risk adjusted return got thinner. The yield on 10 year US treasury paper rose by 70-100 basis points between early May 2013 and early July 2013. Consequent erosion of the return differentials of EMDE assets vis-à-vis the US treasury paper, made FIIs turn net sellers in these markets. EMDEs, particularly those with large twin deficits viz. current account deficit and fiscal deficit, suffered sharp depreciation in the exchange rate, inviting unconventional responses by the policymakers. The Fed postponing 'tapering' in September 2013, however, yielded some time for the EMDEs to prepare for the eventual tapering in future. To their credit, when the Fed actually effected reducing its monthly bond purchases in December 2013 policy, the EMDEs had made encouraging gains on improving their domestic macros such that the 'tapering' was accepted by markets rather positively. Further, given 'tapering' also signaled a sustained pick-up in advanced economies, EMDEs have sensed increased demand for exports. Financial environment, however, is likely to remain challenging as the AEs gradually complete the normalization of monetary policy in 2014-15.

1.3. Global activity is expected to improve further in 2014-15, largely on account of recovery in the advanced economies. International Monetary Fund (IMF), in its April 2014 issue of World Economic Outlook, projects global output growth to be slightly higher in 2014, at around 3.7 per cent, rising to 3.9 per cent in 2015. Growth in the United States is expected to be 2.8 per cent in 2014, up from 1.9 per cent in 2013 and 3 per cent for 2015. The euro area is turning the corner from recession to recovery. Growth is projected to strengthen to 1.2 per cent in 2014 and 1.5 per cent in 2015, but the recovery is likely to be uneven. Growth in China rebounded strongly in the second half of 2013, largely due to acceleration in investment. This surge is expected to be temporary, in part because of policy measures aimed at slowing credit growth and raising the cost of capital. Growth in China is thus expected to moderate slightly, to remain around 7.5 per cent in 2014-15.

2. Domestic Economy

2.1. India has had another sub-potential growth year in financial year (FY) 2013-14. As per the advanced estimates of the Central Statistics Office, India's annual gross domestic product (GDP) growth is estimated at 4.9 per cent during FY 2013-14 as compared to 4.5 per cent noted during FY 2012-13. Agriculture & Allied, Industry (including construction) and Services noted annual growth of 4.6 per cent, 0.7 per cent and 6.9 per cent respectively during FY 2013-14 as against 1.4 per cent, 1.0 per cent, and 7.0 per cent respectively during FY 2012-13. Services continued to be growth driver in FY 2013-14. Within services, 'trade, hotels, transport and communication' sectors remain the worst hit of slowdown (3.5 per cent annual growth as against growth of 5.1 per cent in the previous year). The sectors, 'financing, insurance, real estate and business services' and 'community, social and personal services' noted a growth rate of 11.2 per cent and 7.4 per cent respectively during FY 2013-14 as against 10.9 per cent and 5.3 per cent respectively during FY 2012-13.

Chart-1: Sector wise contribution to GDP

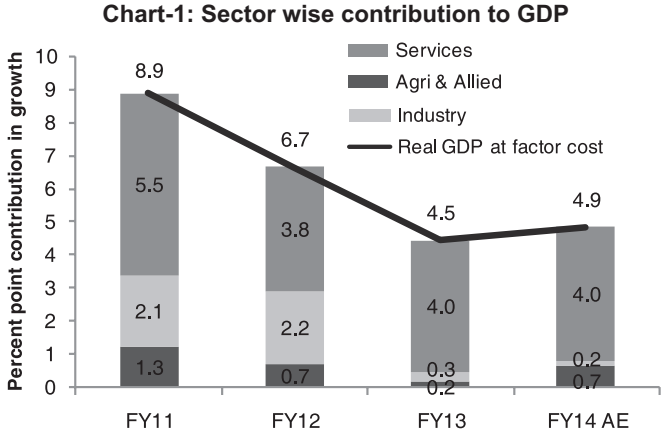

2.2. On expenditure based estimation, the slowdown hit consumption which decelerated to 4.4 per cent in FY 2013-14 as against 5.2 per cent growth noted during FY 2012-13. Within consumption, the private expenditure and Government expenditure noted growth of 4.1 per cent and 5.5 per cent respectively in FY 2013-14 as against 5.0 per cent and 6.2 per cent respectively during FY 2012-13. Investments meanwhile stayed flat. Government efforts to control gold imports reflected in contraction in Valuables (declined 3.6 per cent). External sector however buoyed demand as net exports shrank in the period.

2.3. **Inflation:** Weak demand conditions in economy, stabilizing currency, slower increase in minimum support price (MSP) of food crops, and better harvest in a normal monsoon year have brought disinflationary pressures in economy. Wholesale price index (WPI) based build up inflation rate in the FY 2013-14 was 5.7 per cent. However, firming up of Core inflation suggests cost-push spiral risks building up in economy. Retail level inflation, as measured by consumer price index (CPI) meanwhile, remained sticky at about 10 per cent for most of FY 2013-14, though moderated to average 8.4 per cent in Q4 FY 2013-14.

Chart-2: Contribution in CPI Inflation

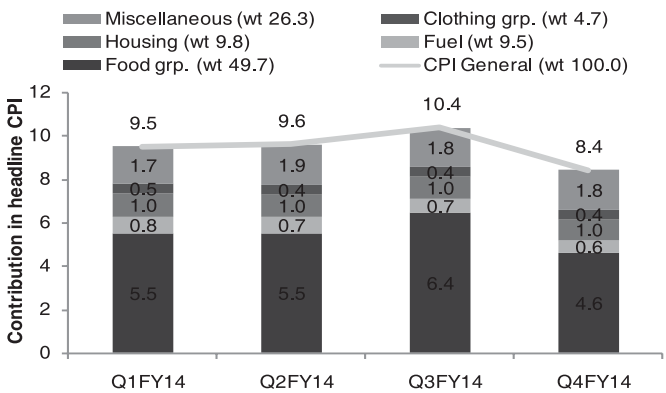

2.4. **Liquidity Conditions:** Barring the market gyrations witnessed in July-September, 2013, which warranted deliberate liquidity tightening by the RBI in order to check speculative attacks on Rupee, liquidity situation remained within acceptable deficit levels from the RBI's perspective. Term repo facility together with the foreign currency non-resident (FCNR) deposits scheme helped steadying the resource mobilization from banks to match incremental demand of loans. Though liquidity tightness reflected in positive spike of call rate spread over repo rate, overnight money market rates continued to remain in the target range, viz. +/-1 per cent spread over Repo, implying liquidity was effectively managed through open market operations (OMOs) and term Repos conducted by the RBI during second half of 2013-14.

Chart-3: Call rate spread over Repo rate

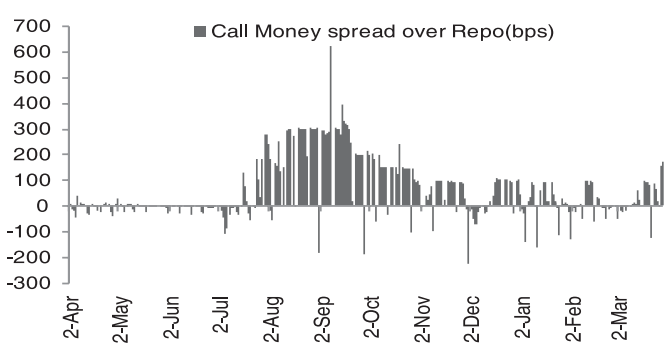

2.5. **Banking Aggregates**

2.5.1. As on March 21, 2014, annual growth in M3 noted at 13.5 per cent. Meanwhile, scheduled commercial banks' (SCBs') deposits and advances grew by 14.6 per cent and 14.3 per cent, respectively. SCBs' investment in SLR securities noted 10.7 per cent annual growth. Spurt in deposits growth is also reflective of banks raising FCNR deposits to benefit from the RBI swap facility that confined to November 30, 2013.

2.5.2. Non-food bank credit increased by 14.3 per cent as on March 2014 as compared with the increase of 13.5 per cent in March 2013. Credit to agriculture and allied activities increased by 13.5 per cent while credit to industry increased by 13.1 per cent in March 2014. Deceleration in credit growth was observed in respect of mining and quarrying, textiles, wood and wood products, petroleum and coal products, chemical and chemical products, glass and glassware, cement and cement products, basic metals, engineering, gems and jewellery and infrastructure. Credit to the services sector increased by 16.1 per cent in March 2014. Personal loans increased by 15.5 per cent in March 2014.

Chart-4: Banking Aggregates - Annual Growth

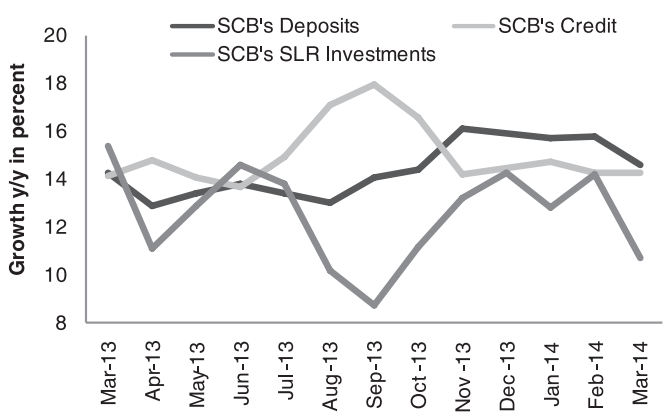

2.6. **External Sector**

2.6.1. Merchandise exports stood at USD 312.4 billion during FY 2013-14, registering a growth of 4.0 per cent over the same period last year. Meanwhile, imports stood at USD 450.9 billion registering a negative growth of 8.1 per cent over the same period last year. Oil imports during FY 2013-14 were valued at USD 167.6 billion which was 2.2 per cent higher over FY 2012-13. Gold & silver imports stood at USD 33.4 billion which was USD 22.4 billion lower than the FY 2012-13 level, reflecting the policy measures taken by the Government. Accordingly, the trade deficit for FY 2013-14 stood at USD 138.6 billion which was lower than USD 190.3 billion trade deficit during FY 2012-13.

Chart-5: Trade Growth

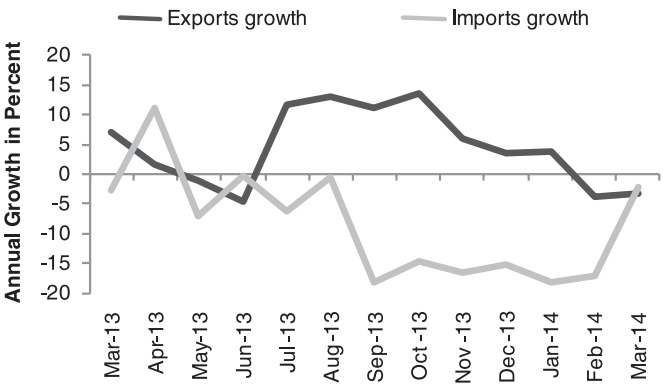

2.6.2. With India's forex cover to imports rising to above 8 months and CAD seen at half of the level a year ago, Indian currency has turned more stable and predictable. Rupee ended the fiscal year 2013-14 at 60.10/US$ with 10.5 per cent loss against US$ on annual basis, recouping from its all time low on August 28, 2013 (68.85/US$).

2.7. **Markets**

2.7.1. Markets surged on improving investor confidence about a decisive and stable polity outcome in General Elections 2014. Sentiments also gained with external and fiscal balances showing improvement. Sensex and Nifty ended FY 2013-14 with 18.8 per cent and 18.0 per cent annual gains respectively. Sectoral index, Bankex stood 3.8 per cent higher over the level year ago. However, commodities benchmark, MCXComdex posted 11.8 per cent gains in FY 2013-14. Indian markets have benefitted of the up-turn in global macros even as the domestic recovery remained slow and gradual. In two months period, i.e. February-March 2014, markets noted 9 per cent gains. Banking sector stocks meanwhile, gained about 25 per cent. IMF forecasts India's growth in real GDP at market prices rising to 5.4 per cent in fiscal year 2014-15 in India.

Chart-6: Performance of Markets

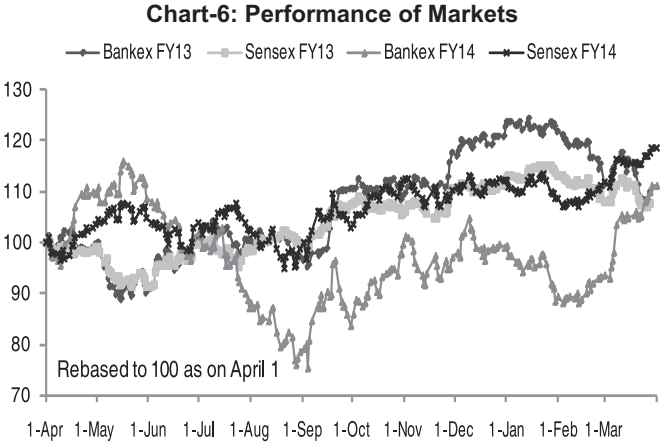

Overview of the Performance of the Bank

3. **New Initiatives**: Your Bank has set for itself a mission to emerge as the leading retail bank in customer service excellence. During the year 2013-14 your Bank launched various initiatives to work its way up in the customer preference.

3.1. Your Bank introduced 'Union Family Scheme' addressing the banking needs of the entire family. Grouping the accounts benefits the customers in terms of better personalization of product & deeper relationships with the Bank.

3.2. A new product 'Union Progress' for micro enterprises was introduced in March 2014 giving added benefits to the borrower. The threshold limit of the margin of the product ranges from 5 per cent to 15 per cent. All the eligible cases under the scheme are mandatorily covered under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). Bank absorbs the entire guarantee fee (1 per cent) payable to CGTMSE in respect of our borrower covered under the guarantee scheme. No processing fee is charged for limits up to ₹ 10 lakh, while a nominal processing fee of ₹ 1,000 is payable for limits above ₹ 10 lakh.

3.3. During the year, the Bank has brought disbursement of all the Central Government pensions under Central Pension Processing Centers (CPPC). Disbursements of telecom, railway and postal pensions have been centralized. The Bank now has 90,000 pension accounts under centralized system of disbursement.

3.4. Further extending banking facilities to the unbanked and under banked population your Bank has come up with the concept of 'Mobile Van Banking'. 20 mobile vans shall be deployed in various states so that the people at remote villages may access banking services at their doorstep.

3.5. Your Bank has entered into an agreement with 'CSC e-Governance India Ltd'. for launching kiosk banking at various places. Under the scheme the kiosks, which are already providing state/central government services such as electricity bill payment, property tax payment, issue of birth/death certificates, issue of land/revenue records etc. at village levels, will also provide banking services such as opening of accounts, deposit/withdrawal from the accounts and other basic banking facilities. This project has been launched on pilot basis in Andhra Pradesh and Kerala and is going to be live at many centers shortly.

3.6. The Bank has taken the lead in appointing the 'Internal Ombudsman' for addressing the customer grievances in a focused way. The purpose of creating this post is to ensure quick redressal of grievances and prevention of escalation to 'The Banking Ombudsman'. The Internal Ombudsman has started functioning from August 2013.

3.7. Your Bank has successfully deployed the Fund Transfer Pricing and Profitability Management Modules of Oracle's Financial Services Analytical Application (OFSAA) with the assistance of M/s. HCL Technologies Ltd. This is the first implementation of Oracle's 5.6 version of OFSAA in India. From April 2013, the Bank has moved over to a more robust and scientific transfer pricing mechanism called 'Matched Fund Transfer Pricing System' from the existing gross basis concept where a single rate was fixed for all assets and another rate for all liabilities. This new system enabled account wise transfer pricing of all assets and liabilities based on the tenor, re-pricing and cash flow characteristics and would also enable centralization of interest rate risk at the Central Funding Unit. The Matched Fund Transfer Pricing System would help in better management of interest rate risk and margins.

4. Resources Management: The global deposit of the Bank increased by 12.9 per cent from ₹ 2, 63,762 crore as on March 31, 2013 to ₹ 2, 97,675 crore as on March 31,2014 showing an absolute accretion of ₹ 33,913 crore. CASA portfolio increased by ₹ 6,166 crore from ₹ 81,635 crore as on March 31, 2013 to ₹ 87,801 crore as on March 31, 2014 showing a growth of 7.6 per cent. The share of CASA to total deposit stood at 29.5 per cent.

Table 6: Resource Mobilization

(₹ crore)

Parameter	FY 2014	FY 2013	Annual Growth	
			Absolute	%
Total Deposit	297675	263762	33913	12.9
CASA Deposit	87801	81635	6166	7.6
Term Deposit	209874	182127	27747	15.2

5. Credit Management: Gross advances of the Bank increased to ₹ 2,34,332 crore as of March 31, 2014, recording annual growth of 10.6 per cent during the last financial year 2013-14. *RAM* (retail, agriculture and MSME) sectors continue to be Bank's focus as these provide stable and consistent growth opportunities for the economy, too; these sectors contribute significant share in employment, exports and overall growth. *RAM* sectors contribute 44.3 per cent of domestic advances as on March 31, 2014, higher than 37.4 per cent as on March 31, 2013.

Table 7: Advances

(₹ crore)

Parameter	FY 2014	FY 2013	Annual Growth	
			Absolute	%
Gross Advances	234332	211911	22421	10.6
Retail Advances	24931	19560	5371	27.5
Agriculture Advances	25614	20224	5390	26.7
MSME Advances	45372	34699	10673	30.8
Mid & Large Corporate Advances	113976	110002	3974	3.6

6. Retail Lending

6.1. The Bank's retail lending portfolio saw an impressive growth of 27.5 per cent during the year, from ₹ 19,560 crore as on March 31, 2013 to ₹ 24,931 crore as on March 31, 2014. Retail loans as per cent to domestic advances increased from 9.8 per cent as on March 31, 2013 to 11.5 per cent as on March 31, 2014.

Table 8: Retail Loans

(₹ crore)

Schemes	2013-14	2012-13	Annual Growth	
			Absolute	%
Home Loans	15424	12366	3058	24.7
Auto Loans	2199	1704	495	29.0
Education Loans	2219	2046	173	8.5
Mortgage Loans	3732	2335	1397	59.8
Others	1357	1109	248	22.4
Total Retail Loans	24931	19560	5371	27.5

6.2. The Bank's 'Union Personal' (personal loan) and 'Union Mortgage' (loan against property) schemes were modified on key parameters, including pricing. The pricing structure under the 'Union Home' scheme was also revised. Currently each scheme offers loans at very attractive terms and conditions. The Bank opened 4 new Union Loan Points (ULPs), the special retail lending branch, at Allahabad, Agra, Haldwani and Tirupathi. This takes the total number of ULPs to 61 across the country.

7. Agriculture Lending

7.1. Agriculture is one of the thrust areas for the Bank. The Bank has formulated various area specific schemes for financing under agriculture and allied sectors like poultry, sugarcane, tobacco growers, green house etc, along with reintroducing the value added schemes like RuPay Kisan Credit Cards, 'Union Agri Service', scheme for financing dealers of inputs, agriculture machineries & implements, scheme for cotton ginners, scheme for construction of rural godowns. Agriculture advance increased by ₹ 5,390 crore registering a growth of 26.7 per cent. As on March 31, 2014, Bank's agricultural advances stood at ₹ 25,614 crore covering 18.1 lakh borrowers. Lending to direct agriculture contributes a major share in agricultural advances; the direct agriculture advances recorded an annual growth of 29.1 per cent. During the financial year, 2.5 lakh new farmers were added to the Bank's fold and 1.9 lakh additional Kisan Credit Cards (KCC) were issued with credit facility of over ₹ 2,636 crore. During FY 2013-14, total disbursement of ₹ 16,548 crore was made under Special Agriculture Credit Plan (SACP) registering an increase of 12.0 per cent over FY 2012-13.

8. Micro, Small & Medium Enterprises

8.1. MSME continues to be our area of focus. During the year, your Bank has ensured enhancement in the base of MSME clientele and hassle-free flow of credit to this sector by assuring quick turnaround time (TAT), credit

delivery at affordable prices and customized products as per the requirements of the clients. While the Bank has large network for reaching out to MSME clientele across the country, in order to have special focus your bank has 700 dedicated business banking branches (BBBs) for credit delivery to MSMEs and 20 SARALs (Central Processing Centres) for speedy appraisal and sanction of MSME loans. These BBBs & SARALs have been established in potential centres across the country, so as to accelerate delivery of credit to MSMEs and for quicker decisions on sanction of loans to MSMEs, which is critical for MSME growth. During FY 2013-14, the Bank has increased the number of BBBs from 350 to 700 and number of SARALs from 19 to 20 for better credit appraisal, ensuring lower TAT and for increasing the focus on the core segment of micro & small advances (MSE). As a result, Bank's MSME portfolio stood at ₹ 45,372 crore registering an annual growth of 30.8 per cent at the end of the FY 2013-14. The share of the MSME lending constituted 20.9 per cent of the Bank's domestic advances.

8.2. **Micro & Small Enterprises:** Micro & Small Enterprises constitute 72 per cent of the total MSME portfolio. During the Financial Year 2013-14, Bank has reduced its interest rates for MSE advances by 25 basis point (bps) to 150 bps. Your Bank has also conducted a series of mega credit campaigns for canvassing accounts of micro enterprises across all the branches in the country during the last fiscal. With greater thrust on coverage of MSE loans under CGTMSE, the Bank covered more than 14,000 MSE loans under the 'Collateral Free Loan' scheme during FY 2013-14. Of the 388 SME Clusters identified by United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) & Ministry of MSME, your Bank has presence in 387 clusters. MSE Rehabilitation Cell has been established in each of our Regional Offices for timely detection & monitoring of sick units and to provide necessary rehabilitation to sick but viable units. Further, for canvassing new business of corporates with a turnover between ₹ 100 crore to ₹ 500 crore, your Bank has opened a total of 21 new Mid-Corporate Branches across major centres of the country as on March 31, 2014. MSE portfolio stood at ₹ 32,622 crore, as on March 31, 2014, registering a growth of 33.2 per cent.

9. Priority Sectors

9.1. As per RBI's new guidelines issued on May 15, 2014, it has been decided to include the outstanding deposits placed by scheduled commercial banks under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) and certain other funds established with NABARD, on account of their shortfall in lending to priority sector as part of indirect agriculture under priority sector classification. The outstanding deposits under the above funds with NABARD as on preceding March 31st will form part of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). These guidelines are applicable with effect from March 31, 2014. Thus, the numbers shown here have been adjusted accordingly.

9.2. Priority sector advances registered a growth of 40.6 per cent and stood at ₹ 79,869 crore as on March 31, 2014 constituting 40.4 per cent of the ANBC.

Table 9 : Priority Sector Lending

(₹ crore)

Schemes	2013-14	2012-13	Annual Growth	
			Absolute	%
Adjusted Net Bank* Credit	197646	163636	34010	20.8
Priority Sector*	79869	56809	23060	40.6
As % to ANBC	40.4	34.7	569 bps	
Agriculture*	28769	20224	8545	42.3
As % to ANBC	14.6	12.4	220 bps	
Direct Agriculture	19875	15395	4480	29.1
As % to ANBC	10.1	9.4	65 bps	

*Note: *Numbers for 2013-14 include eligible outstanding deposits under RIDF & other funds, as per RBI's revised norms issued on May 15, 2014. Thus, these numbers are not strictly comparable to 2012-13.*

9.3. **Weaker Section:** Bank's finance to weaker section has improved from ₹ 15,023 crore to ₹ 20,334 crore, registering a growth of 35.4 per cent to reach a level of 10.3 per cent of ANBC against benchmark of 10 per cent set by GOI/RBI.

9.4. **Women Beneficiaries:** With a view to encourage entrepreneurs amongst the women and to make them self sufficient, Bank is providing credit to women. The Bank has financed 7.7 lakh women beneficiaries, and outstanding loans to women beneficiaries have improved from ₹ 9,053 crore to ₹ 11,657 crore i.e. 5.9 per cent of ANBC against benchmark of 5 per cent set by GOI/RBI.

9.5. **Minority Communities*:*** In line with Government of India directive on welfare of minority communities, the Bank has been extending finance to the minority communities. During FY 2013-14, Bank has financed ₹ 2,991 crore to the 86,118 minority community borrowers. The total outstanding to minority community stood at ₹ 8,280 crore, registering an annual growth of 56.6 per cent.

10. Corporate Credit

10.1. The mid and large corporate credit portfolio of the Bank is well diversified. While corporate can avail facilities from branches across India, the Bank has 9 dedicated IFBs (Industrial Finance Branches) at important centers, viz; Mumbai, New Delhi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Pune and Bangalore. The advances portfolio of 9 IFBs constitute nearly 60 per cent of Bank's total mid and large corporate loans. These IFBs report directly to large corporate vertical at central office. The Large Corporate Vertical initiative was taken to ensure faster movement of the proposals of corporate clients, providing industry specific specialized services and

introduce 'Corporate Relationship Manager (CRM)' model. The credit proposals at Large Corporate Vertical are processed at the respective industry desk. Industry reports are prepared on various sectors to guide the branches for taking exposures/enhancing exposures in potential industry/sector.

Table 10: Mid and Large Corporate Advances

(₹ crore)

Particulars	2013-14	2012-13	Growth	
			Absolute	%
Mid & Large Corporate Advances	113976	110002	3974	3.6
w/w 9 IFBs Advances	73496	71121	2375	3.3

11. Treasury

11.1. The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income, derivatives products, equity and other alternate asset classes. Treasury is equipped with a state-of-the-art dealing room with all facilities to extend all types of treasury services to its clients spread across the country.

11.2. The gross investment portfolio of the Bank stood at ₹ 94,169 crore as of March 2014 as against ₹ 81,189 crore as of March 2013, registering annual growth of 16.0 per cent. The investment portfolio comprises investments made in Government securities, state development loans and other approved securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and non-SLR investments like equity shares, corporate debentures, PSU bonds, commercial papers, certificate of deposits, mutual funds, venture capital funds, subsidiaries and joint ventures.

11.3. The average yield on investment, as of March-2014 was 7.5 per cent against 7.4 per cent as of March-2013. Average yield on interest bearing securities as of March-2014 was 7.9 per cent against 7.7 per cent for the last year. During FY 2013-14, Treasury profits on sale of investment and exchange earnings were ₹ 486 crore and ₹ 461 crore respectively.

12. Domestic Foreign Business & International Banking

12.1. **Domestic Business:** The export credit stood at ₹ 10,041 crore as on March 31, 2014 compared to ₹ 8,917 crore as on March 31, 2013 registering an annual growth of 12.6 per cent. During the year Bank had categorized four branches as authorized dealing branches for undertaking trade finance and to make forex services accessible locally to more customers. Additional sixteen such branches are proposed to be categorized as authorized dealing branches during 2014-15. An NRI back-office has been set up for opening of NRI accounts sourced by Overseas Relationship Managers (ORMs) from Gulf Cooperation Council (GCC) countries for expediting the account opening process of NRI customers from overseas centres. Global Travel card co-branded with American Express has been introduced. The Bank's NRI deposits increased by 66.2 per cent during the year to ₹ 15,899 crore as on March 31, 2014 from ₹ 9,564 crore as on March 31, 2013. The non-interest income from forex business was ₹ 227 crore for FY 2013-14 as against ₹ 172 crore in FY 2012-13 registering an annual growth of 32 per cent.

12.2. **Overseas Business**: The total business of the Bank from overseas operations at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and Hong Kong branches increased by 28.9 per cent over the year to USD 3,746 million as on March 31, 2014.

Table 11: Overseas Operations

(USD million)

Particulars	FY 2013-14	FY 2012-13	Annual Growth	
			Absolute	per cent
Overseas Deposits	812	509	303	59.5
Overseas Advances	2935	2398	537	22.4
Total Overseas Business	3746	2907	839	28.9

12.3. The Bank's second foreign branch at DIFC, Dubai, has achieved breakeven in its first year of operation. For FY 2014-15, Bank proposes to operationalize two foreign branches at Sydney (Australia) and Antwerp (Belgium) and one overseas subsidiary at London (UK) to further strengthen its global footprint. The Bank already has representative offices at Shanghai (China), Abu Dhabi (UAE), Beijing (China) and Sydney (Australia).

13. Financial Inclusion

13.1. Lack of financial services has considerable impact on the conditions of the people as well as economic health of the country. Financial exclusion is a symptom as well as the cause of poverty to a large extent. Families dwelling in unbanked areas find it difficult to save and to plan financially for the future. The unbanked are largely cut-off from the savings as also sources of credit both for short and long term. Your Bank has been pioneer in taking initiatives for ensuring access to financial services, for economically disadvantaged segments of the society and vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups, at an affordable cost. Your Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2013-16, approved by the Board, with a vision "to reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an 'ongoing basis" thereby to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal financial institutions".

13.2. Bank has extended its reach to 33055 unbanked / marginally banked villages by providing basic banking services through business correspondent model (BCM) by appointing 10076 BCs in these villages. Over 131 lakh Financial Inclusion (FI) customers' accounts were acquired over bio-metric cards under BCM and ₹ 231 crore of deposit was mobilized. Micro-loans are being

extended to the rural as well as urban population with limited financial means, as emergency credit and to promote economic activity among the group. Your Bank also provides micro insurance at a nominal premium. Through 'Pragati', a specially devised micro-loan product launched over bio-metric cards, for Joint Liability Groups formed by women, Bank has disbursed ₹ 217 crore to 33,330 women beneficiaries. The total amount outstanding as on March 31, 2014 under the scheme is ₹ 122 crore.

13.3. **Remittances:** Micro remittance facility for migrants, extended using biometric card technology, is now also made available for inter-bank transactions using NEFT platform. During the financial year, Bank facilitated 15.6 lakh remittances amounting to about ₹ 214 crore. A new remittance product with attractive features is being launched on real time basis to increase business under this scheme. Your Bank also has an active remittance product, 'Union Bank Money' based on mobile technology specially designed for urban migrant labour for remitting their money to relatives at their native villages.

13.4. **Financial Literacy:** While undertaking various financial inclusion initiatives, the Bank appreciates that it is necessary to create awareness about usage/benefits of financial services offered by Bank rather than mere providing access to these services. Taking this learning in its stride, the Bank has opened 8 financial literacy and counseling centers (FLCCs) during the year taking the total FLCCs of your Bank to 24. These centers provide the basic financial learning to un-privileged customers so that they can make a more informed decision with respect to asset allocation and do not fall prey to unhealthy tactics of the local moneylenders. Your Bank is having 202 Village Knowledge Centers (VKC) which disseminate banking knowledge apart from the development in the field of agriculture.

13.5. **Union Adarsh Gram Yojna:** As a part of its commitment to the nation, the Bank has launched "*Union Adarsh Gram Yojna" (UAGY)* under its Corporate Social Responsibility (CSR) project by adopting 60 villages across the nation this year for their all round socio-economic development, taking total villages under UAGY to 210. The objective of scheme is to adopt backward villages coming under the command area of our rural and semi-urban branches and to develop these villages in integrated manner as a model village in the district. The scope of the scheme extends to several activities through involvement of the Bank in various social economic development programs, launched by the Central, State Governments and Local Self Government bodies. Under the scheme, meritorious girl children are adopted by helping them financially to complete their studies up to class XII. Basic amenities like water filters, benches, fans and solar lamps are provided to the students at government schools. Under Union Adarsh Gram Yojana, the Bank's endeavor is to make the villages self-sufficient and self-sustaining in every aspect. From 2014-15, it has been advised that all the rural branches shall adopt one village under UAGY.

13.6. **Direct Benefit Transfer (DBT) Disbursement:** DBT has been implemented in 43 districts under phase I w.e.f. January 1, 2013, and extended in 78 more districts w.e.f. July 1, 2013 (Phase II). Of these, your Bank is having presence in 113 districts. During the year 2013-14, the Bank as Sponsor Bank has remitted ₹ 273 lakh involving 18,185 accounts. As a destination bank, your Bank received ₹ 14,276 lakh to the credit of 21,74,880 beneficiary accounts maintained at various branches.

13.6.1. **Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL):** The Government of India is implementing direct credit of subsidy in the accounts of LPG beneficiaries in 289 districts all over India. The scheme is also being implemented in our lead districts of Ernakulam and Idukki in Kerala w.e.f. September 1, 2013, and Rewa in Madhya Pradesh w.e.f. January 1, 2014. The progress of the scheme in the above mentioned three districts as of March 31, 2014 is as under.

Table 12: Progress of DBTL in lead Districts

DBTL II	Ernakulam	Idukki	Rewa
Number of LPG connection holders	914034	234513	137288
No. of forms received from OMCs	1441	NIL	NIL
Out of this seeding done	1441	NIL	NIL
Percentage of seeding	100	NIL	NIL
Direct seeding requests received from all banks	624886	152205	30532
Out of this seeding done	624886	152205	30532
Percentage of seeding	100	100	100
Percentage of seeding of total LPG Beneficiaries	68.4	64.9	22.2

13.7. **Self Help Groups:** The scheme of Micro Credit through Self Help Group (SHG) has been an effective instrument for lifting the poor above the level of poverty. During the year, Bank formed about 42,000 SHGs and credit linked 35,000 SHGs. As of March 31, 2014, outstanding to SHGs stood at ₹ 1,250 crore. Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs (WSHG). As per the directives of The Ministry of Finance, the Bank is implementing the WSHG scheme for women empowerment in 4 identified districts of the country viz. Rewa, Sidhi, Chandauli and Jaunpur. SHGs are primarily engaged in agriculture and various allied activities to generate gainful employment & income for villagers. During the year, 2013-14, an amount of ₹ 402 crore was disbursed to 35,273 SHGs with present outstanding of ₹ 595 crore. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode regions.

13.8. **Lead Bank Scheme:** Bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 states. The Bank has a network of 602 branches in these lead districts. In FY 2013-14, Bank's deposits in the lead districts increased to ₹ 25,976 crore and advance to ₹ 8,942 crore compared to ₹ 24,515 crore and ₹ 7,568 crore under deposits and advances respectively in the previous year.

Table 13: Lead Districts	
Lead Districts	State
Azamgarh, Sant Ravidas Nagar(Bhadohi), Chandauli, Ghazipur, Jaunpur, Mau, Varanasi	Uttar Pradesh
Khagaria, Samastipur	Bihar
Rewa, Sidhi, Singrauli	Madhya Pradesh
Ernakulam, Idukki	Kerala

13.9. **Rural Self Employment Training Institute (RSETI):** With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, Bank has established 14 RSETIs in as many districts where the Bank has lead bank responsibility. Up to March 31, 2014 these RSETIs have conducted 1,406 training programmes imparting training to 38,975 candidates. Out of the trained candidates, 25,593 candidates have been settled with gainful employment with a settlement rate of 66 per cent. One of the RSETIs, Perumbavoor was felicitated for securing "AA" grade in the grading exercise conducted by the Ministry of Rural Development (MoRD).

13.10. **Regional Rural Banks (RRBs):** At present, Union Bank of India is sponsoring 1 RRB, viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has a network of 414 CBS branches spread over 8 districts of eastern Uttar Pradesh namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) and Ambedkar Nagar. Total business of KGSGB has crossed ₹ 9,000 crore mark and stood at ₹ 9042 crore with a growth of 12 per cent as on March 31, 2014. The deposits stood at ₹ 6,932 crore, within which CASA was 63 per cent. Advances stood ₹ 2,110 crore out of which priority sector advances contributed 72 per cent, while agriculture advances contributed 43 per cent. In addition to the above, KGSGB is continuously progressing in the technology front. During FY 2013-14, 22 ATMs have been installed; taking the tally to 23 ATMs, including a 'Talking ATM', thus a new milestone in the history of RRB has been established. KGSGB has introduced ATM-enabled KCC for the benefit of farmers. RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system has been introduced. KGSGB is also in the process of introducing mobile banking shortly. At present SMS alert for regular transactions and SMS banking facility are provided by the Bank.

14. Asset Quality Management

14.1. Gross Non-performing Assets (GNPA), as a ratio of gross advances, stood at 4.1 per cent as of March 31, 2014 as against 3.0 per cent as of March 31, 2013. Net NPA to net advances ratio stood at 2.3 per cent as against 1.6 per cent during the comparable period. Provision coverage ratio stood at 59.9 per cent as of March 31, 2014 as against 65.2 per cent as of March 31, 2013.

14.2. Asset quality remained an area of concern for the banking sector during 2013-14. Accretion to NPA is attributable to sectoral downturn in power, energy, real estate, iron & steel, services and other sectors.

Table-14: Movement of NPA	
	(₹ crore)
Particulars	FY 2013-14
Gross NPAs (Opening)	6314
Additions	5478
Less, reductions	2228
(I) Upgradation	551
(II) Recoveries	765
(III) Write-off	912
Gross NPAs (Closing)	9564
Net NPAs	
- Opening	3353
- Closing	5340

14.3. The break-up of sectoral NPA is given as under:

Table-15: Sectoral NPA as per cent to sectoral advances (%)		
Sectors	FY 2014	FY 2013
Agriculture & allied activities	6.2	7.3
Industry	4.8	3.2
Retail	2.0	2.9
Services	1.2	1.8

14.4. Your Bank issued notices to 2,822 defaulting borrowers involving dues of ₹ 1,604 crore during FY 2013-14 under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESIA), 2002. One-Time Settlement (OTS) was approved in 628 cases, resulting in a recovery of ₹ 108 crore. Further, assets worth ₹ 780 crore were seized in 651 cases and the Bank recovered an amount of ₹ 152 crore by sale of properties.

14.5. The Bank has 10 Asset Recovery Branches (ARBs) across the country to have focused attention on high value NPAs. These ARBs could recover ₹ 100 crore during FY 2013-14. Big borrowal accounts in NPA category are reviewed at regular intervals by Controlling Offices at different levels. NPA position of the Bank is also reviewed at quarterly intervals by the Board. Soft collection capability is being built not only to enhance recovery but also to contain NPAs. With a view to maintaining healthy asset quality and to control NPAs, the services of Collection Contact Center were extended both to Bangalore and Chennai Zones during the year.

15. Restructured Accounts

15.1. Amount outstanding under standard restructured advances as of March 31, 2014 was ₹ 12,353 crore, which is 5.3 per cent of advances of the Bank. NPA outstanding under restructured advances was ₹ 3,080 crore as of March 31, 2014.

16. Choice of Channels

16.1. Your Bank offers a choice of channels to customers. These include traditional branch network, ATMs, mobile banking, internet banking as well as call centre.

16.2. Your Bank has a well spread network of branches in India. During the year number of domestic branches increased by 360 to 3869 branches. During the year, 30 per cent of branches were opened in unbanked centers, well above the threshold limit of 25 per cent as prescribed by the RBI. Also more than 90 per cent of the newly opened branched were in rural and semi urban areas. Your Bank also opened its 1st branch at Imphal in the state of Manipur, thus extending its presence in all the states of India. Currently your Bank has two foreign branches at Dubai and Hongkong.

16.3. Additional 1826 ATMs were opened during the year thus increasing the ATM network to 6429 as on March 31, 2014, from 4603 ATMs in the previous year. The ratio of ATM to branches further improved to 1.66 as of March 31, 2014 from 1.31 as on March 31, 2013. The network of talking ATMs launched last year has increase to 1000 plus as of end-March 2014.

Table 16: Network

	Mar-14	13-Mar
Total Branches	3871	3511
- Overseas Branches	2	2
ATMs	6429	4603
- Talking ATMs	1066	100
ATM to branch ratio	1.66	1.31

16.4. There is increasing preference of the customers towards alternate channels which reflects in the increasing number of transactions shifting to electronic mode. The percentage of electronic transactions increased from 60 per cent in March 2013 to 62 per cent in March 2014.

16.5. ATMs and Cards: Your Bank has a wide network of 6429 ATMs pan India and 135 lakh Debit cards as on March 31, 2014. During 2013-14, Bank introduced series of remittance products such as NEFT, IMPS, card to card transfer on ATM. The Bank has also introduced Platinum credit card to its existing VISA credit card variants and implemented Loyalty program for debit and credit card holders. Customer can enjoy the privilege of earning reward points on all transactions made through Bank's Debit & Credit Cards at POS and E-Commerce outlets. Your Bank participated as an issuing bank in Punjab Government Foodgrain Supply Payment Ecosystem developed on National Payment Corporation of India (NPCI) platform and issued Rupay based cards for collecting payments.

Chart 7: Card Base and Transactions through Cards

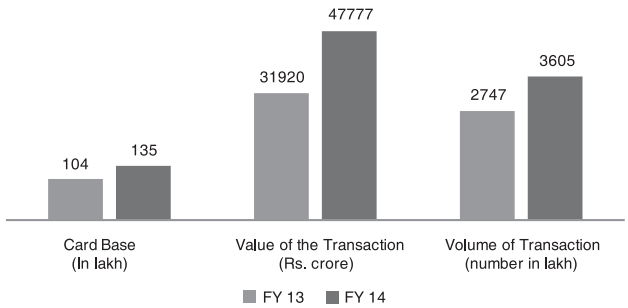

16.6. Internet and Mobile Banking: Enhancing the security of the electronic channels of the Bank has been the primary theme during the last year. The Bank has launched mobile banking application for iPhone /iPad users. The IMPS service that enables customers to make inter-bank fund transfers through mobile on real time basis is now available on all three channels viz. ATM, Mobile Banking and Internet Banking. The IMPS P2A (Person to Account) transfer through both Internet Banking and Mobile Application has also been enabled. Also, the Bank has implemented payment gateway solutions on college/ university portals to collect fee payments.

Chart 8: User Base of Alternate Channels

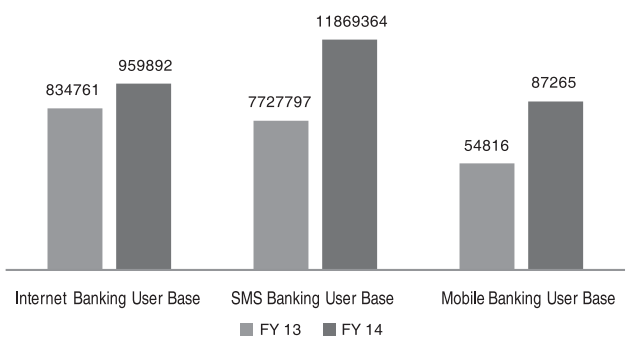

16.7. In line with the growth in electronic transactions, your Bank consistently achieved increase in income from alternate channels as shown below:

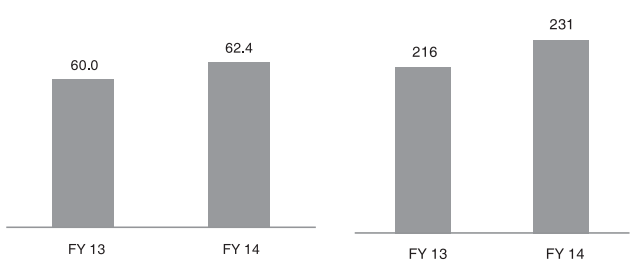

17. Transaction Banking

17.1. Currency Chest: At present, the Bank has 64 Currency Chests and is in the process of opening a Currency Chest at Shirdi and Agra. Your Bank has completed the exercise of providing Note Sorting Machines to 1226 branches having average receipts of more than ₹ 50 lakh per day. The Bank has also installed 50 Coin Vending Machines (CVMs) in various branches across the country.

17.2. Cash Management Services (CMS): Your Bank caters to the specific corporate requirements of the clients towards the receivables & payables management at a high speed, with minimal cost, supported by a customised MIS. The CMS Division mobilized 104 new connections under various CMS products and earned a total income of ₹ 21 crore registering a turnover of ₹ 56,066 crore during FY 2013-14. Under the CMS payment hub almost 3 lakh payments per month worth ₹ 540 crore are given effect, which includes salary payment of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) payments, and payments of Living Wage Ordinance (LWO). All Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) payments under Enterprise Resource Planning (ERP), for entire Maharashtra are carried out by CMS and BSNL payments for other states like Gujarat, Tamil Nadu etc have lined up, which when materialized can provide considerable float and fees. The virtual account services for catering inward NEFT/RTGS is tested and is set to start for Lions Club International, Delhi Development Authority (DDA), Kerala Building and Other Construction Worker Welfare Board (KBOCWWB) etc which will add valuable CASA to the Bank. Your Bank is also set to launch National Automated Clearing House (NACH) services as part of CMS collections for Non Banking Financial Companies (NBFCs) as a sponsor bank.

17.3. Merchant Banking: Bank has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility for applying in Public Issues through Internet Banking and also extended the facility of registration of applicant and their details. Bank obtained the permanent registration for Merchant Banker and Banker to issue activities and has been handling payment and collection assignments of corporate clients/PSUs.

18. Third Party Product Distribution

18.1. Under its retail products, your Bank also provides a spread of 'Third Party Products'. The Bank offers to customers the life insurance products of its joint venture, Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company. For the non-life insurance products, the Bank has a tie-up with New India Assurance Co. Ltd. During the financial year, 2013-14, your Bank introduced health insurance products in association with the Religare Health Insurance Company Ltd. The Bank also offers mutual fund products to customers as an agent of its subsidiary, Union KBC Asset Management Company Limited. The commission income earned by the Bank from sale of insurance & mutual funds during the year increased by 26 per cent to ₹ 42.2 crore as of March 31, 2014.

19. Information Technology

19.1. The Banking industry has gone through many changes and the structure of the industry is continuously evolving with the rapid development in Information Technology. Your Bank has proactively adopted innovative technologies and processes to serve the changing customer requirements and to ensure efficient and accessible services to the customer through Branch Network, ATMs, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking and Call centers.

19.2. Along with the initiatives taken under Core Banking Solutions (CBS), the Bank has implemented other supporting systems such as Kiosk Banking Application for providing banking services to Financial Inclusion customers through Common Service Centers (CSC) Agent. Account opening form has been upgraded with the E-KYC. A two factor authentication has been implemented by the introduction of mobile OTP (one time password) for secure transactions through Internet Banking. Further to enhance the security of transactions happening in the branches, your Bank has implemented Bio-metric Authentication Solution in Core Banking for all the CBS users.

19.3. During the year 2013-14, the Bank has undergone significant developments in providing electronic services via various delivery channels namely IMPS P2A in Internet Banking, Online PPF through Internet Banking, EuroPay, MasterCard and Visa (EMV) card issuance to customers, Missed call facility for balance enquiry, SMS Banking facility for RRB (Kashi Gomti Samyukt Gramin Bank). Yours is the first bank to launch Interbank Card-to-Card balance transfer. An online portal for donations for Prime Minister Relief Fund and various other religious organizations has been made available. Your Bank has introduced SMS alerts for loan installment due, deposit maturity, birthday wishes messages to the customers, etc. The facility to accept Aadhaar Seeding request through various channels (ATM, Internet Banking, and Corporate Website & SMS) and seeding into CBS after demographic verification with UIDAI has been enabled. Also the account opening process has been improved by introducing workflow to reduce TAT. As part of Business Continuity Planning & Disaster Recovery Management strategy, the Bank has successfully completed live switch-over and switch-back drills for critical applications, thus enhancing Bank's readiness in responding to emergency situations.

20. Risk Management

20.1. Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk

appetite and regulatory framework. The Bank constantly endeavours to ensure that business function partners with the risk management function to derive value and the available capital is optimally utilized.

20.2. The Bank addresses the Credit, Market and Operational Risk through appropriate policies, organization structure, risk measurement techniques, adequate systems, procedures monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates with its risk appetite framework.

20.3. Risk Management is a Board driven function in the Bank with the 'Supervisory Committee of the Board on Risk Management and ALM' at the apex level supported by operational level committees of top executive for managing various risks. Appropriate structure, policies and review processes are in place in the area of risk management.

20.4. **Credit Risk**

20.4.1. Credit Risk Management Committee oversees the credit risk function in the Bank. Credit Risk Policies, Credit Approving Authority, Prudential Exposures Limits, Risk Rating System, Risk Based Pricing, Portfolio Management are the various instruments for management of credit risk.

20.4.2. The Bank has standardized and well-defined approval processes for all advances. It adopts a Committee Approach for credit sanctions and has Credit Approval Committees at various levels. It has comprehensive internal rating models and scoring models for retail exposures. Entire credit portfolio of the Bank is subject to internal credit rating. Bank has credit rating migration and default probability data for more than 10 years.

20.4.3. It continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

20.5. **Market Risk**

20.5.1. Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Policy aid the management in mitigating the market risk in the banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The Committee meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. The Bank ensures proactive liquidity management, creates stress scenarios and has a contingency liquidity plan in place. The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. Bank has an independent mid-office positioned in Treasury which reports to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limits fixed and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PVO1, Duration, Defeasance Period, etc.

20.6. **Operational Risk**

20.6.1. Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational Risk. The Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank guidelines. All new products introduced by the Bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Variation in existing products as well as outsourcing activities is also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last eight years and it is analysed for taking corrective measures so that these losses incurred do not recur.

20.6.2. As a good corporate governance measure, the Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect its staff, assets and interest of the customers.

20.7. **Progress under Basel–II**

20.7.1. The Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework under Basel-II w.e.f March 2009. While the Bank, to start with, has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk, the initiatives so far undertaken are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel-II accord.

20.7.2. With regard to credit risk, Bank has already complied with the requirements for advanced approaches in the areas of (a) Risk Policy making, (b) implementation of credit risk strategies & necessary guidelines, (c) Credit rating/scoring of loans, (d) Portfolio management & reporting, (e) Industry researches, (f) Credit risk stress testing etc. The officials from credit risk management are members in the loan sanctioning committees of the Bank at various levels to represent the risk concerns.

20.7.3. An Internal Rating Based (IRB) Module, which enables two dimensional obligor and facility rating, has been implemented and all accounts are now rated only through

the system. The Bank has also set up a centralized rating pool with respect to corporate borrowers to improve the rating quality, create robust rating data and for better administration of rating models. In order to estimate credit risk components viz. probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD) & maturity (M) the Bank has already put in place necessary framework and is in the process of compiling the data.

20.7.4. In the area of operational risk, Bank has started the process of putting in place a Risk and Control Self-Assessment (RCSA) framework and groundwork for development of Key Risk Indicators (KRI) is also on. Steps have also been initiated to upgrade the existing systems and practices to migrate to Advances approaches. The Bank has already applied to the Reserve Bank of India for migrating to the standardized approach for Operational Risk.

20.7.5. With regard to market risk, the Bank computes the value at risk (VaR) for all trading portfolios, which provides valuable insights into risk profile of the Bank's exposure. It has applied to Reserve Bank of India for migrating to internal models approach for market risk.

20.7.6. The Bank has also developed a framework for quantifying the Pillar-2 risks and has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework in line with the RBI guidelines, which is being validated by external agencies.

20.7.7. The Bank has been forerunner among public sector banks in enhancing its performance evaluation system. It has implemented a robust and scientific fund transfer pricing system i.e. matched fund transfer pricing system and is implementing a profitability management module which will enable measurement of profitability under various dimensions.

20.8. **Implementation of Basel – III**

20.8.1. The Bank has been proactively conducting internal assessment of adequacy of capital, liquidity ratios and leverage ratios in accordance with Basel-III standards. It has been participating in the Quantitative Impact Study (QIS) carried out by RBI to assess the impact of Basel III guidelines since 2010. The disclosure norms under Basel-III are also being complied with. Bank's capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements. Projections of Capital Adequacy as per Basel III guidelines are also carried out as a part of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and avenues for capital raising are also evaluated and planned. The Bank expects to make a smooth transition to Basel-III standards, as per RBI's timelines.

20.9. **KYC-AML**

20.9.1. The Bank has taken various measures to strengthen KYC-AML (Know Your Customer-Anti-money laundering) compliance. A revised account opening form with additional features for customer profiling and a KYC checklist has been developed. Interview & customer due diligence form are revised to cover additional information. Efforts are being made to ensure customer profiling, risk categorization in all accounts. Filling up of KYC menu details has been made mandatory. Notices are issued in vernacular languages and also given advertisement in local newspaper requesting account holders to contact base branch for updating KYC details. Special training sessions and workshops on KYC-AML are conducted and one session on KYC-AML is introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the Bank. Letters are issued to branches/ currency chest for detection and timely reporting of counterfeit currency notes. The Bank has acquired money laundering software (AMLock) to generate alerts to facilitate detection of suspicious transactions and submission of suspicious transaction report (STR), non-profit organization transaction report (NTR), counterfeit currency report (CCR), and cash transaction report (CTR) on electronic mode to Financial Intelligence Unit, India (FIU-Ind). The Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

21. Compliance Function

21.1. A robust compliance system is in place with a well documented Compliance Policy that outlines the compliance philosophy of the Bank. The focus of compliance function is on bank-wide adherence to regulation compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other codes prescribed/ suggested by self regulatory organizations, Government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

21.2. The compliance policy is reviewed annually. The role & responsibility as regards compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. A well established reporting system also exists to ensure compliance of regulatory and statutory compliance through self certification process by which compliance certificate is submitted by branches to the higher offices. This system is also in place for verticals in Central Office. The Audit Committee of the Board and the Board are apprised at monthly / quarterly intervals about important communications received from RBI/MOF/SEBI etc & status of compliance thereon. A comprehensive database on various compliance related issues is being developed.

22. Human Resources Management

22.1. **Manpower strength**: The total manpower of the Bank, as on March 31, 2014, stood at 33,806. The following are the details of category of employees.

Table 17: Category of employees

Category	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees, Of which	18158	9325	6323	33806
Scheduled Castes (SCs)	3175	1885	2413	7473
Scheduled Tribes (STs)	1253	545	552	2350
Other Backward Classes (OBCs)	3649	2145	1507	7301
Persons with Disability (PWD)	185	152	88	425
Ex-Servicemen	159	616	801	1576
Women	3620	2564	836	7020

22.2. **Recruitments**: The Bank recruited 3,736 employees comprising 1,561 Probationary Officers, 496 Specialist Officers, 1,612 Clerks and 67 Subordinate Staff during 2013-14.

22.3. **Reservation policy:** The Bank continues to have regular dialogues with the various SC/ST and OBC Welfare Associations in the Bank and the platform was fully utilized to redress the grievances of the various reserved category employees, including issues concerning policy matters. Reservations, relaxations and concessions were extended to the various reserved categories as per the extant Government guidelines.

22.4. **Training:** The Bank is committed to nurturing its human resources in order to attain sustainable higher trajectory growth by effectively addressing the quality of the services provided. The changing requirements of both the organization and individuals, arising out of achievement of business objectives, large scale recruitments, succession planning, etc. entail need-based training programmes. The Staff College and seven training centers across the country continue to impart training in key areas. The Bank imparted training to 27,654 employees under 777 calendar programmes, 52 workshops and 229 locational programmes during the year 2013-14.

22.5. **Performance Management:** The Bank has adopted a balanced approach to attain growth and development thereby leveraging its human assets in order to achieve continuous excellence on the business front. A complete revamping of the Performance Management System (PMS) has been undertaken for making the same more transparent and objective. This system will be further stabilized in 2014-15 with a focus on time-line discipline. As per Government guidelines, a mechanism for representation has been made available on-line. The representations received for PMS 2012-13 have addressed by a 3 member committee across various regions and central office.

23. **Industrial Relations:** The Industrial relations scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority trade unions and resolving all the contentious issues. Cases involving disciplinary matters were disposed of speedily in the most judicious manner with a human face.

24. **Official Language:** During the year 2013-14 the Bank took various measures to promote use of Official Language in the Bank like publication of Hindi book on 'NPA Prabandhan-Vividh Aayam', publication of comics in Hindi 'Banda Hazir Hai' on customer service, organizing online Hindi competition on Rajbhasha and banking for executives and staff members respectively to motivate them to use official language in their routine activities. A Hindi animation film 'Jini Aur Char dost' and cartoon film on 'Surakshit Bhavishya Va Khushhali' were produced to create banking awareness amongst children specially in rural areas. The Bank also organized orientation training programme for newly recruited official language officers. The Bank was awarded second prize under 'Indira Gandhi Rajbhasha Shield' for FY 2011-12 as also First, Third and Fourth prize for linguistic regions B, A and C respectively under the 'Reserve Bank Rajbhasha Shield 2011-12' for excellent use of Official Language in the Bank.

25. **Security:** During the year 2013-14 under review, the Security Division made concerted efforts to enhance the level of security in the Bank by strengthening the security infrastructure, imparting training and carrying out extensive security inspections to improve the security standard of the branches. Security arrangements in 1324 branches were inspected by the Security Officers. As part of our thrust on electronic surveillance, closed circuit television (CCTV) systems were installed in 792 additional branches and anti-burglary alarm systems were installed in 611 additional branches. Emphasis was laid on security awareness among the staff members. Accordingly short training capsules on 'Security and Fire Safety' were conducted by the security officers in 1029 branches. 887 armed guards underwent refresher training programmes, which included live firing practice.

26. Internal Audit

26.1. In terms of the guidelines issued by the Ministry of Finance (MoF) and requirements on risk-based Internal Audit, your Bank has put in place a well-defined Internal Audit Policy and Concurrent Audit Policy for 2013-14. Considering the needs, the Risk Based Internal Audit (RBIA) Policy was modified and a maiden Management Audit Policy for 2014-15 was also formulated, duly approved by the Board.

26.2. During the year 2013-14, audit of 3285 branches was conducted. Besides this, audit of 91 Foreign Exchange Dealing branches, 47 Service branches, 128 Currency Chests, Management Audit of 61 Regional Offices, 10 Field General Manager's Office, 12 Central Office Departments and 1 RRB was also undertaken. The pending leakage of income as at end March 2014 was ₹

2.3 crore compared to ₹ 4.7 crore as at end March 2013. There has also been a considerable decline in number of branches with 'High' Control Risk from 144 during FY 2012-13 to 15 during FY 2013-14. There has also been a steep decline in number of pending special reports.

26.3. The Audit Committee of the Board of Directors met 8 times during the year 2013-14. It perused the audit reports and made suggestions for improving operating efficiency and strengthening the systems and control.

26.4. As per the guidelines of the Ministry, concurrent Audit should cover 70 per cent of the deposits and advances of the Bank. As of end March 2014, your Bank's concurrent Audit covered 65 per cent of deposits and 81 per cent of advances i.e. 72 per cent of the business of the Bank.

26.5. The Bank has been adopting technology in a big way and installed many information systems to support our business strategy / goals. In order to safeguard the critical information systems from various vulnerabilities, external /internal threats, audit of all Information systems was carried out for the year 2013-14 by an outsourced vendor along with the Bank's IS Audit team. The audit observations were duly complied by the Bank to ensure the integrity and confidentiality of the data and to provide uninterrupted availability of systems to the users. The IS Audit of the various branches of the Bank was conducted by the Bank's internal audit team.

26.6. Based on the guidelines of the Ministry, your Bank has put in place a 2 tier Offsite Monitoring structure (OMC) viz. Central Offsite Monitoring Cell and Regional Offsite Monitoring Cells at all ROs. The OMC will give early warning signals on omissions, deviations and lapses with regard to transactions carried out at branches. Accordingly the OMCs are analysing the alerts on daily basis to find out suspicious / irregular transactions which are followed up with the branches for timely rectification.

27. Vigilance

27.1. Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organization as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of operations. An elaborate and well structured vigilance system has been put in place, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. The Bank's thrust is on Preventive Vigilance, as it helps in checking occurrence of frauds, achieve growth and profitability. Accordingly, a number of interactive sessions with field functionaries were arranged so as to create necessary awareness of systems and procedures and to sensitize them about the pitfalls of non-compliance. 499 such Preventive Vigilance visits were made to various offices of the Bank during the year 2013-2014. Moreover, regular interactions with Field GMs and Regional Heads have been held to make them aware of the irregularities observed during 'Preventive Vigilance' visits so as to assist them in supervision of Branches under their jurisdiction more effectively. To strengthen the Preventive Vigilance Awareness on an ongoing basis, Staff Training College, Bangalore and Staff Training Centres across the country have started one session exclusively on Preventive Vigilance Awareness before commencing any training programme. Further, a mechanism of Preventive Vigilance Committees (PVCs) has been put in place at Branches / other offices with a view to educating the operating staff for curbing the non-observance of the laid down procedures or other malpractices in order to inculcate and nurture a culture of alertness at the ground level. This initiative will go a long way in minimizing the deviancy at the operating level. An element of incentivisation has also been introduced in the "Whistle Blower Policy". Genuine informants will be given due weightage at the time of promotion and placements as and when applicable without disclosing their identity. Revised policy is being popularized in the Bank to encourage the whistle blowing action as a tool to prevent the frauds etc.

27.2. Improvements in systems and procedures are suggested regularly with a view to either plugging possible loopholes or improve effectiveness. As a proactive vigilance measure, we are trying to build up the technological capacity in the Bank to counter new kind of frauds that are likely to happen in future.

28. Outlook

28.1. Current business cycle is expected to take a turn towards revival during current financial year. Economic growth in India is expected to rise in FY 2014-15 by a percentage point over its level in FY 2013-14. Inflation, at both retail and wholesale levels, has come off from the previous year highs. More importantly, inflation excluding food and fuel items, i.e. core inflation, has been within comfortable levels for last one year at wholesale levels and is seen gradually declining at retail levels, too. This projects a benign outlook on interest rate scenario this year. Decisive mandate in General Elections 2014 has further added positives to this outlook. India's gains on reducing twin deficits, i.e. fiscal deficit and current account deficit, are seen making room for more conducive policy response to growth.

28.2. Union Bank of India has set its sight on recouping profitability. The Bank's return on assets (ROA) is presently about half of its potential based on the current capabilities. Some of this decline is indeed cyclical, and will recover in line with recovery in economy. The focus will be on improving efficiencies through orienting advances mix in favour of *RAM* (retail, agriculture and MSME) sectors for improved yield on advances, encouraging fee-based income by leveraging unified market team, network and bouquet of products and services,[harnessing diversified branch presence (with 61 per cent branches in rural & semi-urban areas) for low cost resource mobilization] and containing stress on asset quality. The Bank is poised to record a better performance during 2014-15, with focus on efficiency, quality growth, profitability and building capital strengths.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1. Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels. Thus, enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As on 31.03.2014, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and three Executive Directors appointed by the Government of India besides eleven part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.2 The responsibilities of the Board includes formulation of policies, new initiatives, performance review and control & sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by a structured agenda. The agenda along with the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording Minutes of the Proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded in the respective minutes book. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus.

3.4. Follow-up Mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board/Sub Committee of the Board at the next meeting.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of Corporate Governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like;

- Procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- Relation with shareholders and customers
- Disclosures to public at large
- Corporate social responsibility and
- Other miscellaneous issues viz, code of conduct, insider trading, staff matters, vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 19 Board Meetings were held on the following dates: -

23rd April, 2013	31st October, 2013
8th May, 2013	16th November, 2013
9th May, 2013	29th November, 2013
5th June, 2013	8th January, 2014
8th July, 2013	30th January, 2014
31st July, 2013	31st January, 2014
1st August, 2013	8th March, 2014
3rd September, 2013	8th March, 2014 (Strategy Meet)
28th September, 2013	27th March, 2014
30th October, 2013	

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, number of other Board Committees, where he is a member or Chairman during the year, details of shareholding and directorship of other companies/ corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2013-14

Name of the Director & Category	DOB/Age (years)	Qualification	No. of Board Meetings Held During their Tenure	Meetings Attended	Member of Board Committees	Share-holding	Other Director-ship
Shri Arun Tiwari CMD (Executive) $	01.07.57 57 years	M. S. (Chemistry)	6	6	CAC-I, MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), SCMF, STCB, CSCB, HR, ESV by PSBs, RMC	Nil	1
Shri D. Sarkar CMD (Executive) #	03.11.53 60 years	M.Com, FCA, CAIIB	13	13	CAC-I, MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), SCMF, STCB, CSCB, HR, ESV by PSBs, RMC	Nil	3
Shri S.K.Jain Executive Director (Executive)	05.05.54 59 years	BSC (Hons), MA (Eco), CAIIB	19	19	CAC, MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB, CSCB, HR, IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	1
Shri K.Subrahmanyam Executive Director (Executive)	15.07.55 58 years	B.Com.(Hons), CAIIB (I)	19	19	CAC, MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB, CSCB, HR, IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	2
Shri Rakesh Sethi Executive Director (Executive) $	28.06.56 58 years	B. Com, LLB, Diploma in Personnel Management	11	10	CAC, MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB, CSCB, HR, IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	Nil
Mohammad Mustafa Government Nominee (Non-executive) $	15.08.68 45 years	Post Graduation, M. A. Philosophy,IAS	10	5	ACB and MCM	Nil	Nil
Dr. A Bhattacharya Government Nominee (Non-executive) #	30.09.53 60 years	PHD in Economics, M Phil in Public Administration, LLB	9	7	ACB, SCR & ALM, DPC, DPC (V), SCMF, NCB, RCB, HR, RMC	Nil	Nil
Shri Deepak Singhal RBI Nominee (Non-executive) $	21.01.59 55 years	MBA CAIIB	16	14	MCM, ACB, DPC, DPC(V), RCB	Nil	Nil
Shri Chandan Sinha RBI Nominee (Non-executive) #	15.08.57 56 years	MSC, MBA, CAIIB	3	3	MCM, ACB, DPC, DPC(V), RCB	Nil	Nil
Shri Jag Mohan Sharma Chartered Accountant Director (Non-Executive) $	29.10.49 64 years	B Com (Hons.), FCA	6	6	MCM, ACB	Nil	Nil
Shri B.M.Sharma Chartered Accountant Director (Non-executive) #	15.07.56 57 years	FCA	-	-	MCM, ACB, SCR & ALM, STCB, NCB, IT, ESV by PSBs	Nil	Nil
Shri B.N.Bhattacharjee Officer Employee (Non-executive)	31.05.54 59 years	BA, LLB-I	19	19	MCM, CSCB,SCR & ALM, STCB	19	Nil

Name of the Director & Category	DOB/Age (years)	Qualification	No. of Board Meetings Held During their Tenure	Meetings Attended	Member of Board Committees	Share-holding	Other Director-ship
Shri N. Shankar Workmen Employee (Non-Executive)	20.05.58 55 years	B.Sc., ICWA	19	19	MCM, CSCB, SIGC	Nil	Nil
Dr. Atul Agarwal Part Time Non-Official (Non-Executive) @	02.08.60 53 years	B.Com.,LLB, FCA, ISA(ICAI), Ph.D	19	15	MCM, ACB, SIGC, CSCB, IT, RCB, NCB, ESV by PSBs	300	Nil
Shri Shri Kant Misra Part Time Non-Official (Non-Executive) $	08.03.55 59 years	B. Com, CA	19	15	NCB, SCR&ALM, MCM	Nil	Nil
Sushri Anusuiya Sharma Part Time Non-Official (Non-Executive) $	15.06.48 65 years	M. A, B.Ed, LLB	18	15	MCM, SIGC	Nil	Nil
Dr. R.H.Dholakia Shareholder (Non-Executive)	02.04.53 61 years	Ph.D in Economics	19	12	MCM, HR, CSCB	200	3
Shri G.K.Lath Shareholder (Non-Executive) $	20.08.52 61 years	B.Com., FCA	19	15	MCM, CSCB, SCMF, STCB, ACB	100	Nil
Shri D.Chatterji Shareholder (Non-Executive)	23.08.48 65 years	B.Com. (Hons.),CA	19	15	MCM, RCB, SCR & ALM, IT Strategy	200	10

$ New Directors Inducted

Shri Arun Tiwari nominated by the Government of India on the Board w.e.f. 26.12.2013 in place of Shri D.Sarkar whose term ended on 30.11.2013

Shri Jag Mohan Sharma nominated by the Government of India on the Board w.e.f. 05.12.2013 as Chartered Accountant-Director in place of Shri B. M. Sharma whose term ended on 15.04.2013

Mohammad Mustafa nominated by the Government of India on the Board w.e.f. 30.09.2013 in place of Dr. A. Bhattacharya whose term ended on 30.09.2013

Shri Rakesh Sethi Nominated by the Government of India on the Board w.e.f 05.08.2013 as Executive Director

Shri Deepak Singhal nominated on the Board w.e.f. 31.05.2013 in place of Shri Chandan Sinha whose term ended on 31.05.2013

Shri Shri Kant Mishra nominated by the Government of India on the Board w.e.f. 11.04.2013 as part time Non-official Director

Sushri Anusuiya Sharma nominated by the Government of India on the Board w.e.f. 06.05.2013 as part time Non-official Director

@ Chairman of ACB

\# Directors who completed their tenure

CAC - Credit Approval Committee
MCM – Management Committee of the Board
ACB – Audit Committee of the Board
SCR&ALM – Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SIGC - Shareholders/Investors Grievance Committee of the Board
DPC - Directors' Promotion Committee
DPC (V) - Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance
STCB - Share Transfer Committee of the Board
SCMF - Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs.1 crore and above
CSCB – Customer Service Committee of the Board

RCB - Remuneration Committee of the Board
NCB - Nomination Committee of the Board
HR - Sub Committee of the Board for HR issues
IT - IT Strategy Committee of the Board
RMC - Recovery Management Committee of the Board
ESV by PSBs - Election of Shareholders Voting by Public Sector Banks

3.8 Committee Membership of Directors

Shri S.K.Jain, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/Investor Grievance Committee outside the Bank as under:

- Union KBC AMC Pvt. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri K. Subrahmanyam, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/Investor Grievance Committee outside the Bank as under:

- Star Union Dai-ichi-Life Insurance Co. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri D.Chatterji, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/Investor Grievance Committee outside the Bank as under:

1. Hindusthan National Glass & Industries Ltd.- Member, Audit Committee
2. West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.- Chairman, Audit Committee
3. Peerless Financial Services Ltd.- Chairman, Audit Committee
4. TRF Limited.- Chairman, Audit Committee
5. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.- Member, Audit Committee
6. The Calcutta Stock Exchange Ltd., Member, Audit Committee

Dr. R.H.Dholakia, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/Investor Grievance Committee outside the Bank as under:

1. State Trading Corporation Ltd.- Member, Audit Committee.
2. Adani Enterprises Ltd.- Member, Audit Committee.

3.9 Inter se Relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2013-14 is as under:-

Profile of Directors inducted in the Board after 31st March, 2013.

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	57 years	Shri Arun Tiwari assumed the Office of the Chairman and Managing Director of the Bank on 26th December, 2013. Born on 1st July, 1957, Shri Tiwari is an M.Sc (Chemistry) and has also completed a course in Computer Programming. Shri Arun Tiwari started his career in Bank of Baroda as a Probationary Officer in 1979. He has worked in almost all the key segments of Banking in various capacities – at Branches, Zonal Office, and at Corporate Office as General Manager – MSME & Wealth Management, Whole-sale Banking. His tenure in the Bank spanned various geographies of the country and overseas centers at Kuala Lumpur and Singapore as Chief Executive of the respective territories. Shri Tiwari also headed Greater Mumbai Zone of Bank of Baroda, in the rank of General Manager. On his elevation as Executive Director, Shri Tiwari assumed the Office of Executive Director at Allahabad Bank from 18.06.2012 and handled the portfolios of CREDIT, Credit Monitoring, HR, IT, Risk Management, Finance & Accounts, Inspection, Vigilance and Branch Expansion & Support Services. Under aegis of the World Bank, Shri Tiwari did a Study Assignment in USA and Europe for export oriented Small Scale Industries in India. He has undergone many trainings and courses at various prestigeous institutes, like Arthur D'Little, Boston, USA, Kellog School of Management, Northwestern University, Chicago, Indian School of Business, Hyderabad, NIBM, Pune, Bankers' Training College, Mumbai, Indian Institute of Technology, Mumbai etc. He was a Director on the board of All Bank Finance Ltd. Presently, he is one of the Directors on the Board of General Insurance Corporation of India (GIC).	26.12.2013	30.06.2017 i.e. date of his attaining superannuation or until further orders whichever is earlier	1

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	58 years	Shri Rakesh Sethi, born on 28.06.1956, is a B.Com, LLB and Diploma holder in Personnel Management. He is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. He has vast experience of 35 years in various facets of banking with Bank of India. He has been a branch head of very large/ exceptionally large and foreign branches of Bank of India and has worked extensively in the Credit Department at Regional Office/Zonal Office of the Bank. He was also the Zonal Manager, Chandigarh Zone covering branches of Himachal Pradesh, Haryana and Chandigarh. As a General Manager, he headed the National Banking - South, comprising all the six zones of Southern India having 565 branches. He also headed the Retail Banking division and Marketing Department at the Head Office and has been a member of various committees including ALCO, CORM, Investment Committee of the Bank. Shri Sethi has worked at different centers in India including Faridabad, Karnal, Chandigarh, Patiala, Indore, Jabalpur, New Delhi, Mumbai, Goa and Chennai. Over and above his domestic banking experience, Shri Sethi has had three foreign postings to his credit at Jersey - Channel Islands, Zambia and lastly as General Manager and Chief Executive of European operations of Bank of India. During his tenure in Bank of India, his core areas have been Retail/MSME and International Banking with a focus on increasing the bank's share in the overall customers' wealth. He likes touring different places in India & Abroad. He was elevated to the position of Executive Director of Union Bank of India on 5th August, 2013, and since then, he has been overseeing operations in the Treasury, both domestic and forex, Retail Banking & Marketing, Transaction Banking & Third Party Products Distribution; Personal Banking & Operations; Government Business with emphasis on outreach and customer service, Corporate Communications - to promote both product and corporate image, Central Audit & Inspection Department with focus on control aspects, policy formulation relating to credit loans, retail, collateral etc.	05.08.2013	30.06.2016 i.e. date of his attaining superannuation or until further orders whichever is earlier	Nil
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	45 years	Mr. Mohammad Mustafa has been appointed as Government Nominee Director of the Board of the Bank w.e.f 30th September, 2013. Mr. Mohammad Mustafa joined IAS in year 1995. He belongs to the Uttar Pradesh cadre. He did his Masters in Philosophy. Besides serving as Joint Magistrate and Chief Development Officers in many districts, he has served as Collector and District Magistrate of Kanpur, Pratapgarh, Rampur, Fatehpur and Balrampur. He has also served in various capacities in the Department of Secondary Education, Higher Education, Social Welfare, Minorities Welfare, Housing & Urban Development, Health& Family Welfare, Science & Technology, Entertainment Tax, Commercial Tax etc. He joined Department of Financial Services as Director in September, 2012. Prior to his nomination in the Union Bank of India, he had been a Government nominee Director in Andhra Bank.	30.09.2013	Until further orders	Nil
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee	55 years	Shri Deepak Singhal is the Regional Director of New Delhi office of the Reserve Bank of India. Prior to the current assignment, he was Chief General Manager in-charge looking after the Department of Banking Operations and Development of the RBI at Mumbai. He has vast experience as a central banker of the country. He has earlier headed the Premises Department and Human Resource Development Department at Central Office. Shri Singhal has served on several important working groups/committees of the Basel Committee on Bank Supervision, BIS and Reserve Bank of India. He graduated from Allahabad University in 1977. He also acquired his MBA from the same University in 1979, as also CAIIB during the course of his career in the RBI.	31.05.2013	Until further orders	Nil
Shri Jag Mohan Sharma, Chartered Accountant Category	64 years	Shri Jagmohan Sharma from New Delhi has done his B.Com (Hons) from Delhi University and is a practicing Chartered Accountant with more than 33 years of experience. In the last 33 years, he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution, Punjab National Bank under CDR cell of RBI. Besides above, he was instrumental in creating Punjab National Bank Employees Welfare Trust for the welfare of existing as well as retired employees under Corporate Social Responsibility. He has also established the Punjab National Bank Centenary welfare Trust for the welfare of the members of Punjab National Bank. He has widely travelled in India and abroad.	05.12.2013	Three years from the date of appointment or until further orders whichever is earlier	Nil

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Shri Kant Misra, Part Time Non-Official Director	59 years	Shri S.K.Misra born on 8th March,1955 is a practicing Chartered Accountant since 1978. At present he is the proprietor of M/s S K N & Associates, having its head office at New Delhi. Mr. Misra was also a partner in M/s Chaturvedi & Co from the year 1982 till December, 2012. During his professional career of more than 35 years, he has handled various assignments of Statutory Audit (including Central Statutory Audit of various Nationalised Banks and Life Insurance Companies), Internal/Management Audit of various big business groups like Balrampur Chini, Times of India, Shaw Wallace, Advance Group of Industries, Vikas Telecom etc., Project Financing, Management Consultancy, preparation of accounting manuals for electronic media and real estate and hospitality companies, Expert opinion in Company Law and Income Tax matters, Financial due diligence, Idea Validation & Project feasibility reports and mergers and acquisitions. He has travelled around the globe to acquire and strengthen his knowledge and capabilities. He has gained specialisation in financial planning of real estate and hospitality projects. Shri Misra was also Honorary Secretary of Backward Area Industries Development Association. He is a member of Working Committee of Sanatan Dharam Mahamandal.	11.04.2013	10.04.2016 or until further orders whichever is earlier	Nil
Sushri Anusuiya Sharma (Part Time Non Official Director)	65 years	Central Government nominated Sushri Anusuiya Sharma as a part-time non-official director on the Board of Directors of Union Bank of India for a period of three years. She is M.A, B.Ed and LLB. Sushri Sharma, born in a freedom fighter family, has an active political background and has been a member of AICC, PCC , UPCC etc. She also has an active Trade Union background and is holding various posts like Member, General Secretary, resident etc of various Trade Union Committee/Unions. She has also been a member of various Government Committees besides having participated in seminars, both nationally and internationally.	06.05.2013	Three years from the date of notification of her appointment or until further orders whichever is earlier	**Nil**

3.11 Annual General Meeting:

The Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Wednesday 26th June, 2013 where the following directors were present:

1. Shri D.Sarkar - Chairman & Managing Director
2. Shri S. K.Jain - Executive Director
3. Shri K. Subrahmanyam - Executive Director
4. Shri B. N. Bhattacharjee - Officer Employee Representative Director
5. Dr. Atul Agrawal - Part Time Non-official Director, Chairman - Audit Committee & Chairman - Shareholders'/Investors Grievance Committee
6. Shri Gopal Krishan Lath - Shareholder Director
7. Dr. R. H. Dholakia - Shareholder Director

4 COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of the Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of the Board of Directors (ACB) has been constituted with seven Directors viz. Executive Directors, Nominees of the Government of India & Reserve Bank of India and two non-official non-executive Directors of which one is a Chartered Accountant, Dr. Atul Agarwal, Independent Non-official Director and a Chartered Accountant chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee of the Board reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI on 10.11.2010. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialised and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-

- Inter-branch adjustment accounts
- Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
- Arrears in balancing of books at various branches
- Frauds
- All other major areas of housekeeping.

3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalisation of annual/semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, management discussion and analysis and quarterly and annual financial results of the Bank.
6. ACB reviews the mechanism for whistle blower annually.
7. Review of all financial policies of the Bank.
8. Major accounting entries based on exercise of judgment by management.
9. Qualifications, if any, in draft Audit Report.
10. Significant adjustments arising out of audit, compliance with Accounting Standards.
11. Going Concern Assumption.
12. Default in payment to depositors, shareholders (dividend) & creditors. (Where there is delay in payment.)

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 10 times during the year 2013-14 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Atul Agarwal, Chairman ACB	10	10
Shri S.K.Jain,ED	10	10
Shri K.Subrahmanyam, ED	10	10
Shri Rakesh Sethi,ED	7	6
Mohammad Mustafa, Government Nominee	6	2
Dr. A Bhattacharya, Government Nominee	4	3
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee	8	8
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	2	1
Shri Jag Mohan Sharma, Director(CA Category)	4	4
Shri G. K. Lath, Part Time Non Official Director	7	7

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1. Composition:

Pursuant to the amendments made by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970 and further amendment upto 29th June, 2007, the Management Committee of the Board now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI Nominee Director, a Chartered Accountant Director nominated by the Central Government under Section 9(3)(g) who functions as regular member of the Committee and three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, the Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

4.2.3. Attendance of MCB Meetings

During the year 2013-14, 26 meetings of Management Committee of the Board were held and attendance details are as under:-

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri Arun Tiwari, CMD	9	9
Shri D. Sarkar, CMD	15	15
Shri S.K.Jain, ED	26	25
Shri K.Subrahmanyam, ED	26	25
Shri Rakesh Sethi, ED	19	17
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee	23	18
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	3	2
Shri Jagmohan Sharma, Director (C.A. Category)	11	11
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	13	13
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director	12	11
Dr. Atul Agarwal, Non–Official Director	6	6
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	3	1
Shri G.K.Lath, Shareholder Director	9	6
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	14	12
Shri S. K Mishra, Part Time Non Official Director	11	10
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non official Director	10	9

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1. Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and three Non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2 Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3 Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held four meetings during the year 2013-14 and the attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri Arun Tiwari, CMD	2	2
Shri D.Sarkar, CMD	2	2
Shri S.K.Jain, ED	4	3
Shri K.Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	3	3
Mohammad Mustafa, Government Nominee Director	2	-
Dr. A. Bhattacharya, Government Nominee Director	2	2
Dr. Atul Agrawal, Part time Non Official Director	4	3
Shri B.N.Bhattacharjee, Workmen Employee Director	4	4
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	4	3
Shri S K Mishra, Part Time Non-Official Director	3	3

4.4 Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC)

4.4.1 Composition:

The Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board consists of Executive Directors and Three Non-Executive Directors. The Chairman of the Committee is Dr. Atul Agarwal a Non-Executive Director.

4.4.2 Functions:

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, a Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends etc.

4.4.3 Attendance of SIGC

The Committee has held four meetings during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Dr Atul Agarwal, (Chairman of SIGC)	4	4
Shri S.K.Jain, ED	4	4
Shri K.Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	3	3
Shri N Shankar, Workmen Employee Director	4	4
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	3	3

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2014 *vis-à-vis* 31.03.2013 is as under:-

		For F.Y. ended 31.03.2014	For F.Y. ended 31.03.2013
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	1,377	1,027
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	1,377	1,027
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Ms. Neha Agrawal, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director and/or Executive Directors, General Manager(MDO), and Chief Law Officer.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc. and met 35 times.

4.6 Special Committee of the Board of Directors for Monitoring Cases of Fraud of ₹ 1.00 Crore and Above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.04. At present, the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with the following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major functions of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated the perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI/Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held three meetings during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman)	2	2
Shri S.K.Jain, ED	3	3
Shri K.Subrahmanyam, ED	3	3
Shri Rakesh Sethi, ED	2	2
Mohammad Mustafa, Government Nominee Director	1	1
Dr. A Bhattacharya, Government Nominee Director	2	2
Shri G.K.Lath, Shareholder Director	3	3

4.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. It was constituted in terms of the Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August, 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of ten members as under:

- Chairman & Managing Director/Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.
- Three Non-Executive Directors.
- Government Nominee Director is a permanent member.
- Two representatives of Customers as special invitees.

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalise and simplify them and to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.
- To oversee the functioning of the Adhoc Committee of the **Bank including compliance with recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Service (CPPAPS) set up by** the Reserve Bank of India.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held four meetings during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri Arun Tiwari, CMD	1	1
Shri D.Sarkar, CMD	3	3
Shri S.K.Jain, ED	4	4
Shri K.Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	3	3
Mohammad Mustafa, Government Nominee Director	2	-
Dr. A. Bhattacharya, Government Nominee Director	2	2
Shri N.Shankar, Workmen Employee Director	4	4
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director.	4	4
Dr.Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	4	4
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	4	3
Shri G.K. Lath, Shareholder Director	4	4

4.8 Remuneration Committee of the Board (RCB)

The Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GOI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met once during the year 2013-14 and the attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr.A.Bhattacharya, Government Nominee (Chairman RCB)	1	1
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	1
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	1	1

4.9 Nomination Committee of the Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (as amended in 2006), the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. RBI has issued circular DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 on 'Fit and Proper' criteria for elected directors on the Boards of Nationalised Banks.

Banks are required to constitute a Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Three Non-Executive Independent Directors.

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected director.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met once during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Dr. A. Bhattacharya, Govt. Nominee Director (Chairman NCB)	1	1
Shri Shri Kant Mishra, Part Time Non Official Director.	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director.	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection/non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The Committee met once during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri D.Sarkar, CMD	1	1
Dr. A.Bhattacharya, Government Nominee Director	1	1
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	1	1

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these Committee meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held four meetings during the year 2013-14 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, CMD	1	1
Shri D.Sarkar, CMD	2	2
Mohammad Mustafa, Government Nominee Director	2	1
Dr. A.Bhattacharya, Government Nominee Director	2	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	4	4

4.12 HR Committee of Directors

4.12.1 Composition

The Committee consists of Chairman and Managing Director and/or Executive Directors and any two Directors.

4.12.2 Functions:

To oversee and review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, procedures and structures to attract and groom the right talent.
2. Development of performance management system covering all the staff in the Bank
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
   - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies in line with the Bank's strategy and market realities.
   - Reward and incentives
   - Promotions
   - Deployment
4. Training
   - Specialist business skills training
   - General retaining/reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

4.12.3 Attendance of HR Committee of Directors

The Committee has held three meetings during the year 2013-2014 and the attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, CMD	1	1
Shri D.Sarkar, CMD	2	2
Shri S.K.Jain, ED	3	2
Shri K.Subrahmanyam, ED	3	3
Shri Rakesh Sethi,ED	2	2
Mohammad Mustafa, Government Nominee	2	1
Dr.A.Bhattacharya, Government Nominee Director	1	1
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	3	3

4.13 IT Strategy Committee of Directors

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of the IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board.

4.13.1 Composition

The Committee consists of:

- Executive Directors,
- Two Independent Directors - one of whom will be the Chairman of the meeting,
- Outside IT Expert,
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

4.13.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organisational structure complements the business model and its direction
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining the bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks and controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.

4.13.3 Attendance of IT Strategy Committee of Directors

The Committee has held six meetings during the year 2013-2014 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Atul Agarwal, Director (Chairman IT Strategy)	6	6
Shri S.K.Jain, ED	6	6
Shri K.Subrahmanyam, ED	6	6
Shri Rakesh Sethi, ED	3	3
Shri D. Chatterjee, Shareholder Director	6	4

4.14. Committee of the Board to Decide on Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks (ESV by PSBs)

The Government of India who is a major shareholder does not participate in the election process as specified by notification of Ministry of Finance vide its letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012. As such the ministry has advised the Banks to constitute a Committee of the Board headed by CMD to carefully consider all factors like qualification, experience, profile and background of various candidates and take decisions on supporting the candidates in the election, Furthermore, in case of an election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of expertise required in various field would also be taken into account. The communication further states that the Committee would not include the Government or the RBI Nominee Directors.

4.14.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two other members as may be nominated by the Board.

4.14.2 Functions:

Terms of Reference - Consider all factors including qualification, experience, profile and background of various candidates and take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of an election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

4.14.3 Attendance of Committee of the Board to Decide on Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks.

The meeting is required to be convened as and when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2013-14.

4.15. Recovery Management Committee (RMC)

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per GOI communication no. F.No.7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012 on the above subject on 27.11.2012.

It has also been stated that Public Sector Banks (PSBs) should constitute a Board level Sub-Committee consisting of CMD, EDs and GOI Nominee Director to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

4.15.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Director(s)
- Government of India Nominee Director

4.15.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

4.15.3 Attendance of Recovery Management Committee

The Committee has held five meetings during the year 2013-2014 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, CMD	2	2
Shri D.Sarkar CMD	3	3
Shri S.K.Jain, ED	5	5
Shri K.Subrahmanyam, ED	5	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Government Nominee Director	3	3
Dr. A. Bhattacharya, Government Nominee Director	2	2

4.16. Credit Approval Committee-I (CAC)

As per the provisions contained in the Ministry of Finance, Department of Financial Services Gazette Notification No. SO.2736 (E) dated 5th December, 2011 the Board in its meeting held on 24.01.2012 has approved the constitution of Credit Approval Committee at the Central Office. CAC (Credit Approval Committee-I) is operational with effect from April, 2012.

4.16.1 Constitution:

The composition of CAC is as under;

- Chairman & Managing Director (Mandatory)
- Executive Directors (at least one Mandatory)
- General Managers - Credit
- General Manager - Financial Planning & Investors Relations (CFO)
- General Manager - Risk Management (Mandatory)

4.16.2 Functions:

Sanctioning of Credit proposals, Funded/Non Funded Loan Compromise/write off proposals

4.16.3 Attendance of Credit Approval Committee-I

The Committee has held 35 meetings during the year 2013-2014 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings Held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri Arun Tiwari, CMD	10	10
Shri D.Sarkar, CMD	25	25
Shri S.K.Jain, ED	35	34
Shri K.Subrahmanyam, ED	35	31
Shri Rakesh Sethi, ED	23	19
Attendees by Designation		
GM (RMD)	35	35
CFO	35	31
GMs (Credit)	35	34

5. GENERAL BODY MEETINGS:

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last three years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Ninth Annual General Meeting	29th June, 2011 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	20th March, 2012 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Extraordinary General Meeting	26th June, 2012 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Tenth Annual General Meeting	26th June, 2012 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	16th March, 2013 at 10.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Eleventh Annual General Meeting	26th June, 2013 at 3.30 p.m	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	14th December, 2013 at 10 a.m	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the Extraordinary General Meetings are as under:

5.1 Extraordinary General Meeting held on 20th March, 2012.

Special resolutions:

a) to create, offer, issue and allot up to 1,43,11,631 (One Crore Forty Three Lakh Eleven Thousand Six Hundred Thirty One) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 355 crore (Rupees Three Hundred Fifty Five Crore Only) on preferential basis to Government of India and

b) to create, offer, issue and allot up to 2,62,16,620 (Two Crore Sixty Two Lakh Sixteen Thousand Six Hundred Twenty) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(4) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 650.30 crore (Rupees Six Hundred Fifty Crore and Thirty Lakh Only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC).

Pursuant to the above resolution the Bank had received application money only from LIC and 2,62,16,620 shares have been issued and allotted to LIC of India on 30th March, 2012.

5.2 Extraordinary General Meeting held on 16th March, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)

To create, offer, issue and allot up to 4,62,45,174 (Four Crore Sixty Two Lakh Forty Five Thousand One Hundred Seventy Four) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 240.89 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 1,114 crore (Rupees One Thousand One Hundred Fourteen Crore) on preferential basis to GOI.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹.1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from GOI and 4,62,45,174 shares have been issued and allotted to GOI on 21st March, 2013.

The Second Resolution was for extending the time for another one year enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilised to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

5.3 Extraordinary General Meeting held on 14th December, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)

a) To create, offer, issue and allot up to 3,35,12,064 (Three Crore Thirty Five Lakh Twelve Thousand Sixty Four only) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 149.20 including premium of ₹139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 500 crore (Rupees Five Hundred Crore only) on preferential basis to GOI.

b) To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹10 each into 74,39,678 (Seventy Four Lakh Thirty Nine Thousand Six Hundred Seventy Eight) equity shares of ₹10/- each at an conversion price of ₹149.20 including premium of ₹139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 111 crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only)on preferential basis to GOI.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from GOI and 3,35,12,064 equity shares have been issued and allotted to GOI on 21st December, 2013.

For Conversion of PNCPS, the Bank is yet to receive necessary approval from GOI and the same would be acted upon accordingly.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorising the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilised to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank**.** So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The Chairman & Managing Director & Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with

the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director *vis-à-vis* the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review the Bank has increased its equity capital by way of allotment of 3,35,12,064 equity shares of ₹.10/-each to Government of India on preferential basis.

The Bank issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.2 of the report.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long-term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Financial Express (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website- www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence in different parts of the country with a network of 3,871 Branches (including two Overseas Branches) as on 31st March, 2014.

8.2 The Bank's equity shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The annual listing fee for the financial year 2014-15 has been paid to the Stock Exchanges before/on 30th April, 2014.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31st March, 2014 are as under:

SERIES	Size (Rs. in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10YRS STEP UPTO 9.95 AFTER 10TH YR	INE692A09118
X-IIND TRANCHE UPPER TIER –II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UPTO 9.45 AFTER 10TH YR	INE692A09126
XI – LOWER TIER – II, –Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI–IInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UP TO 10 YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10THYR	INE692A09142

SERIES	Size (Rs. in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15% UP TO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERISED	INE692A09191
XIV-A PERPETUAL	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.35 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.15 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55 UPTO 10YRS STEP UP TO 9.05 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED.	INE692A09225
XV-A Upper Tier II	500	28.06.2010	15YEARS 28.06.2025	8.48 UP TO 10UYS STEP UP TO 8.98 FROM 11TH YR , IF CALL OPTION NOT EXCERCISED	INE692A09233
XVI-B Lower Tier II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	INE692A09241
XVII-A	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80 ANNUALLY	INE692A09266
TOTAL	**8540**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2014-15 to the Stock Exchange before/on 30th April 2014.

8.3 Dividend

In addition to the interim dividend of 27% already declared in the Board Meeting dated 8th January, 2014, the Board of Bank in the meeting held on 8th May, 2014 has recommended total dividend for the Year 2013-14 at 40 % i.e. Rs. 4.00 per share.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	8th May, 2014
Date, Time & Venue of AGM	27th June, 2014 at 11:00 a.m at Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai-400020
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 31th May, 2014
Dates of Book Closure	21st June 2014 to 27th June 2014
Date of payment of dividend	8th July, 2014

8.4.2 Financial Calendar

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2014-15 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending 30th June 2014	25th July, 2014
For the quarter ending 30th September, 2014	28th October, 2014
For the quarter ending 31st December, 2014	27th January, 2014
For the year ending 31st March, 2015	8th May, 2015

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the period of one month from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters.

Share Transfer and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Datamatics Financial Services Ltd., Mumbai. The shareholders may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the Registrar & Transfer Agent at the following address. The Bank has also established Investor Services Division at their Head Office, Mumbai. The shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint/grievances. investorservices@unionbankofindia.com is the designated e-mail ID in terms of clause 47 (f) of the listing agreement.

Registrar & Transfer Agent
Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Crosslane, MIDC, Marol,
Andheri (E),
Mumbai-400 093.
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 28213404
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Investor Services Division
Union Bank of India
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.
Tel-(022) 22896643/36
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the Bank has placed a list of frequently asked questions about investor services like change of details, transfer/ transmission and issue of duplicate shares/dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other Communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance

ii. Claiming unpaid dividends and updation of bank details/Dividend Mandate Form

iii. Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

8.6 Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692 A01016.** Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialised in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in an easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form are held by the shareholders as of 31.03.2014 are as under:-

	No. of Shareholders	No. of Shares	% Shareholding
Physical	63,330	1,41,04,916	2.24
Demat			
NSDL	1,06,532	21,99,64,990	34.90
CDSL	69,096	39,62,36,367	62.86
Total	**2,38,958**	**63,03,06,273**	**100.00**

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant/Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service/Direct Credit to Union Bank Account

SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distribution of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors, wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on the payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank **(www.unionbankofindia.co.in)** and is also enclosed in this Annual Report as well.

Shareholders are requested to update their correct and complete account number with the Registrar & Transfer Agent of the Bank or Depository Participant (DP) as the case may be for smooth credit of dividend amount to their accounts. In case of non availability of correct and complete account number, the Bank has to issue physical dividend warrants printing therein account details as provided by the shareholders.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)
April '13	247.8	204.75	3,546,025	247.90	204.50	29,771,918
May '13	255.00	216.65	4,456,714	255.00	216.50	38,073,109
June '13	224.10	176.40	5,202,022	224.00	176.25	26,112,167
July '13	193.5	118.35	7,575,725	193.00	118.55	53,427,093
August '13	134.00	97.10	11,678,476	134.15	97.00	74,689,058
September'13	142.4	100.15	15,738,148	142.30	100.00	93,729,666
October '13	125.00	108.25	15,893,144	125.00	108.05	89,893,490
November '13	142.70	115.25	19,818,439	142.70	115.10	111,223,732
December '13	134.15	114.50	13,282,220	134.40	114.35	90,793,077
January '14	136.00	103.35	12,793,504	136.00	103.05	76,281,147
February '14	109.00	100.60	6,760,549	109.05	100.50	43,983,569
March '14	138.50	101.55	10,966,868	138.60	101.30	81,793,764
As on 31.03.2014 Closing Price	₹ 137.20			₹ 137.40		
Market Capitalisation	₹ 8,647.80 crore			₹ 8,660.41 crore		

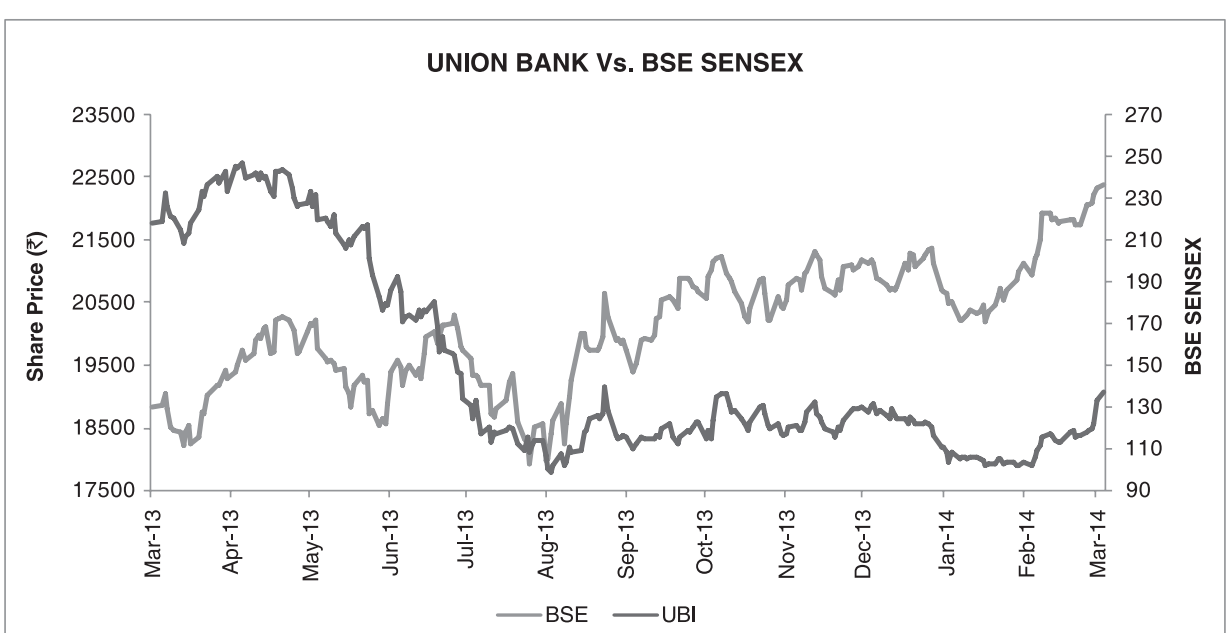

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 37.90 crore shares aggregating to ₹.378.97 crore in the total issued capital of ₹.630.31 crore. The distribution of shareholding as of 31.03.2013 and as of 31.03.2014 is as under:

Shareholding	As of 31/03/2013				As of 31/03/2014			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
upto 500	188,821	90.05	27,141,516	4.55	213,156	89.20	30,611,515	4.86
501 to 1000	16,320	7.78	10,699,065	1.79	18,899	7.91	12,771,381	2.03
1001 to 2000	3,018	1.44	4,121,551	0.69	4,296	1.80	6,052,568	0.96
2001 to 3000	580	0.28	1,420,883	0.24	1,015	0.42	2,545,714	0.40
3001 to 4000	184	0.09	645785	0.11	387	0.17	1373764	0.22
4001 to 5000	105	0.05	488479	0.08	246	0.10	1145975	0.18
5001 to 10000	220	0.10	1590924	0.27	415	0.17	2946654	0.47
10001 & above	443	0.21	550686006	92.27	544	0.23	572858702	90.88
Total	**209691**	**100.00**	**596794209**	**100.00**	**238958**	**100.00**	**630306273**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹ 10/-. The Bank has also issued Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) to the extent of ₹ 111/- crore to the Government of India.

8.10 Shareholding Pattern

The shareholding pattern of the Bank's shares as of 31.03.2013 and as of 31.03.2014 was as follows:-

Category of shareholder	As of 31/03/2013		As of 31/03/2014	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Government of India	34,54,59,689	57.89	37,89,71,753	60.13
Non-Residents (FIIs/OCBs/NRIs)	6,36,03,403	10.66	5,41,30,826	8.59
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	7,01,52,974	11.75	7,02,67,222	11.15
Mutual Funds/UTI	3,74,83,056	6.28	3,45,05,926	5.47
Domestic Companies/Private Corporate Bodies/Trusts	3,24,21,665	5.43	3,31,54,868	5.26
Resident Individuals	4,76,73,422	7.99	5,92,75,678	9.40
Total	**59,67,94,209**	**100.00**	**63,03,06,273**	**100.00**

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2014 is as follows:

Sr. No.	Name	No. of shares	% to Capital
1.	PRESIDENT OF INDIA	378971753	60.13
2.	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	47134525	7.48
3.	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	14928590	2.37
4.	LIC OF INDIA MONEY PLUS GROWTH FUND	6547690	1.04
5.	BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD.	6403064	1.02
6.	MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPANA S.A. S.V.	5655288	0.90
7.	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID – CAP OPPORTUNITIES FUND	5500000	0.87
8.	HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED - HDFC TOP 200 FUND	4977000	0.79
9.	LIC OF INDIA MARKET PLUS 1 GROWTH FUND	4650577	0.73
10.	ICICI PRUDENTIAL DISCOVERY FUND	4623227	0.73
	TOTAL	479391714	76.06

8.11 Unclaimed/Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said Fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said Fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Final Dividend 2006-07	20%	27.07.2014
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017
Dividend for 2010-11	80%	08.08.2018
Dividend for 2011-12	80%	06.08.2019
Dividend for 2012-13	80%	29.07.2020
Interim Dividend 2013-14	27%	11.02.2021

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank **(www.unionbankofindia.co.in)**

8.12 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006, but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2013 lying in Demat Suspense Account	235	29130
Shareholders approached for transfer during the financial year 2013-14	2	349
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2013-14	2	349
Balance as on 31.03.2014 lying in Demat Suspense Account	233	28781

The voting rights on above mentioned 28,781 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Clause 5A-II of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares in physical form, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during the IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2013 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2013-14	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2013-14	N.A.	N.A.
Balance as on 31.03.2014 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. Extent of Compliance with Non-mandatory Requirements of Listing Agreement

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1 (a)	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Government of India, hence, the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
1 (b)	Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company.	In terms of clause 9 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the tenure of Elected Directors is fixed as three years with further re-election for another period of three years, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years as against maximum number of nine years stipulated by the clause, hence the same is **complied with**.
2	**Remuneration Committee**	The Bank has formed a Remuneration Committee in terms of the Government of India, the Ministry of Finance, the Department of Economic Affairs (Banking Division) letter no. F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 9th March, 2007 to look into performance linked incentive payable to whole-time Directors of the Bank. The Committee comprises of four directors all of whom are non-executive directors. Hence **complied with.**
3	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in the last six months, may be sent to each household of shareholders.	**Complied with**.
4	**Audit Qualification** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence **complied with**.
5.	**Training of the Board members**	The Bank has been updating the Board Members on latest developments through various in-house presentations. Besides the in-house presentation, during the year 2013-14, the Bank had nominated its Directors for Conference for Non-Official Directors on the Board of Commercial Bank organised by the Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)and Excellence Enablers. Hence, the requirement is **complied with**.
6	**Mechanism for evaluating non-executive Board Members**	Composition of the Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Hence this clause is **not applicable**.
7	**Whistle Blower Policy**	The Bank has a Whistle Blower Policy in place and the functioning of the same is reviewed by the Audit Committee annually. Hence, **complied with**.

10. <u>DECLARATION OF CODE OF CONDUCT</u>

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2013-14.

For Union Bank of India

(Shri Arun Tiwari)
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai

Date: 08.05.2014

To

The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: **Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2013-14) and that to the best of our knowledge and belief:

   (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

   (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(Mayank Mehta)
General Manager & CFO

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 8h May, 2014

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2014 as stipulated in Clause – 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders/Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Union Bank of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of UNION BANK OF INDIA(the 'Bank') as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 19 branches, 1 Treasury Branch and 18 Regional offices audited by us and 1575 branches including 2 foreign branches, 46 service branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 2277 branches, 109 offices/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.08 per cent of advances, 31.14 per cent of deposits, 5.24 per cent of interest income and 27.37per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirements of the Reserve Bank of India, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and recognised accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors'judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31stMarch 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to following notes of Schedule 18 'Notes to Accounts':

   a. Note No.5.13.1 regarding deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹338 crore(previous year -₹676 crore) pursuant to the Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011 to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits.

   b. Note No.5.13.2 regarding deferment of additional gratuity liability to the extent of ₹65crore (previous year - ₹130crore) pursuant to the Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 9thFebruary, 2011 to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits.

   c. Note No.4.6.3 which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March 2013, pursuant to Reserve Bank of India circular no.DBOD.BP.BC/77/21.04.018/2013-14 dated 20thDecember 2013.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
Capital And Liabilities			
Capital	1	**7,41,30,63**	7,07,79,42
Reserves And Surplus	2	**1,77,34,05,16**	1,65,88,39,45
Deposits	3	**29,76,75,63,97**	26,37,61,57,30
Borrowings	4	**2,93,16,61,77**	2,37,97,27,45
Other Liabilities And Provisions	5	**83,13,28,70**	72,78,73,14
Total		**35,37,80,90,23**	31,21,33,76,76
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	**1,84,19,67,74**	1,07,62,91,77
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	**46,53,19,47**	54,47,47,14
Investments	8	**9,37,23,18,39**	8,08,30,44,56
Advances	9	**22,91,04,42,66**	20,81,02,18,60
Fixed Assets	10	**26,08,46,85**	24,79,00,71
Other Assets	11	**52,71,95,12**	45,11,73,98
Total		**35,37,80,90,23**	31,21,33,76,76
Contingent Liabilities	12	**19,55,24,16,41**	32,45,95,23,68
Bills For Collection		**1,24,75,70,66**	62,52,24,23
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules Referred to above form an Integral part of the Balance Sheet

(V. M. KATHAVATE) Dy. General Manager
(MAYANK MEHTA) General Manager
(RAKESH SETHI) Executive Director
(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director
(S. K. JAIN) Executive Director
(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA) Director
(DEEPAK SINGHAL) Director
(JAG MOHAN SHARMA) Director
(DR.ATUL AGARWAL) Director
(S.K.MISRA) Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director
(G. K. LATH) Director
(D. CHATTERJI) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2014	Year Ended 31.3.2013
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	**2,93,49,39,42**	2,51,24,70,07
	Other Income	14	**28,21,54,04**	25,52,02,69
	Total		**3,21,70,93,46**	2,76,76,72,76
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	**2,14,70,06,91**	1,75,81,86,36
	Operating Expenses	16	**54,82,76,05**	45,12,16,46
	Provisions And Contingencies		**35,21,90,17**	34,24,77,11
	Total		**3,04,74,73,13**	2,55,18,79,93
III.	**Net Profit For The Year**		**16,96,20,33**	21,57,92,83
	Add : Profit Brougth Forward		**40,74**	61,28
	Total		**16,96,61,07**	21,58,54,11
IV.	**Appropriations**			
	Transfer To Statutory Reserve		**5,08,86,10**	6,48,00,00
	Transfer To Capital Reserve		**17,18,09**	54,23,20
	Transfer To Revenue And Other Reserves		**6,85,50,00**	7,04,00,00
	Proposed Dividend		**2,52,12,26**	4,77,43,54
	Provision For Div. On PNCPS		**9,99,00**	9,43,50
	Dividend Tax		**44,54,60**	82,74,36
	Transfer To Foreign Currency Translation Reserve		**0**	28,77
	Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(viii)]		**1,78,00,00**	1,82,00,00
	Balance In Profit And Loss Account		**41,02**	40,74
	Total		**16,96,61,07**	21,58,54,11
	Earnings Per Share (Basic And Diluted)		**27.99**	38.93

The Schedules Referred to above form an Integral part of the Profit and Loss Account

(V. M. KATHAVATE) Dy. General Manager
(MAYANK MEHTA) General Manager
(RAKESH SETHI) Executive Director
(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director
(S. K. JAIN) Executive Director
(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA) Director
(DEEPAK SINGHAL) Director
(JAG MOHAN SHARMA) Director
(DR.ATUL AGARWAL) Director
(S.K.MISRA) Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director
(G. K. LATH) Director
(D. CHATTERJI) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	**30,00,00,00**	30,00,00,00
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 37,89,71,753 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Prev.Year 34,54,59,689 Equity Shares)	**3,78,97,18**	3,45,45,97
ii. 25,13,34,520 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Prev.Year 25,13,34,520 Equity Shares)	**2,51,33,45**	2,51,33,45
III. Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares	**1,11,00,00**	1,11,00,00
TOTAL	**7,41,30,63**	7,07,79,42
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
As per last Balance Sheet	**50,83,00,00**	44,35,00,00
Addition during the year	**50,88,610**	6,48,00,00
	55,91,86,10	50,83,00,00
II. Capital Reserve :		
As per last Balance Sheet	**7,59,07,31**	7,04,84,10
Addition during the year	**17,18,09**	54,23,20
	7,76,25,40	7,59,07,30
III. Share Premium :		
As per last Balance Sheet	**28,85,86,87**	18,19,22,79
Addition during the year	**4,65,83,63**	10,66,64,08
	33,51,70,50	28,85,86,87
IV. Revaluation Reserve :		
As per last Balance Sheet	**14,95,75,77**	15,33,82,71
Deduction during the year	**36,42,04**	38,06,94
	14,59,33,73	14,95,75,77
V. Revenue and other Reserves :		
i) Revenue and other Reserves :		
As per last Balance Sheet	**42,44,00,00**	35,40,00,00
Addition during the year	**6,85,50,00**	7,04,00,00
Deduction during the year (Refer Schedule 18, Note no. 4.6.3)	**7,20,59,00**	-
Total	**42,08,91,00**	42,44,00,00
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)		
As per last Balance Sheet	**21,20,00,00**	19,38,00,00
Addition during the year	**1,78,00,00**	1,82,00,00
	22,98,00,00	21,20,00,00
iii) Foreign Currency Translation Reserve		
As per last Balance Sheet	**28,77**	28,77
Addition during the year	**47,28,64**	-
	47,57,41	28,77
VI. Balance in Profit and Loss Account		
Balance in Profit and Loss Account	**41,02**	40,74
TOTAL	**1,77,34,05,16**	1,65,88,39,45

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**7,89,93,59**	9,32,84,45
ii) From Others	**2,19,12,90,72**	2,32,05,44,49
	2,27,02,84,31	2,41,38,28,94
II. Savings Bank Deposits	**6,50,97,70,53**	5,74,96,65,37
	6,50,97,70,53	5,74,96,65,37
III. Term Deposits		
i) From Banks	**1,12,40,93,11**	1,08,76,55,93
ii) From Others	**19,86,34,16,02**	17,12,50,07,06
	20,98,75,09,13	18,21,26,62,99
TOTAL	**29,76,75,63,97**	26,37,61,57,30
Deposits of branches in India	**29,28,11,73,73**	26,09,98,34,11
Deposits of branches outside India	**48,63,90,24**	27,63,23,19
TOTAL	**29,76,75,63,97**	26,37,61,57,30
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :		
A) Borrowings : Capital Instruments		
I. Perpetual Bonds	**10,40,00,00**	10,40,00,00
II. Upper Tier II Capital	**22,50,00,00**	22,50,00,00
III. Lower Tier II Capital	**52,50,00,00**	35,00,00,00
B) Borrowings in India		
I. Reserve Bank of India	**15,25,00,00**	21,25,27,00
II. Other Banks	**-**	2,00,00,00
III. Other Institutions and agencies	**12,92,91,41**	1,46,13,94
C) Borrowings Outside India	**1,79,58,70,36**	1,45,35,86,51
TOTAL	**2,93,16,61,77**	2,37,97,27,45
Secured Borrowings included in I & II above	**1,33,66,22**	1,33,91,21
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills payable	**13,56,01,38**	12,22,72,41
II. Interest Accrued	**8,84,53,91**	8,39,01,48
VI. Deferred Tax Liability	**6,79,33,51**	31,68,51
VII. Others(including provisions)	**53,93,39,90**	51,85,30,74
TOTAL	**83,13,28,70**	72,78,73,14
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in hand		
(including foreign currency notes)	**7,84,65,44**	7,75,27,87
II. Balances with Reserve Bank of India		
In current Account	**1,76,35,02,30**	99,87,63,90
TOTAL	**1,84,19,67,74**	1,07,62,91,77
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. Balances with banks in India		
i) a) In Current Accounts	**44,15,82**	1,19,85,25
b) In Other Deposit Accounts	**8,82,94,51**	12,19,44,05
ii) Money at Call and short notice	**-**	-
TOTAL	**9,27,10,33**	13,39,29,30
II. Outside India		
i) In Current Accounts	**6,87,47,89**	6,00,36,97
ii) In other Deposit Accounts	**30,38,61,25**	35,07,80,87
TOTAL	**37,26,09,14**	41,08,17,84
TOTAL	**46,53,19,47**	54,47,47,14

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

			As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :				
I.	Investments in India			
	i)	Government Securities	**6,97,47,18,65**	6,17,64,47,87
	ii)	Other approved securities	**-**	-
	iii)	Shares	**9,75,35,04**	9,84,52,85
	iv)	Debentures and Bonds	**1,15,65,47,76**	62,58,80,64
	v)	Subsidiaries and joint ventures	**3,74,71,26**	1,29,43,76
	vi)	Others		
		- Commercial Paper	**2,07,57,28**	11,92,19,44
		- Certificates of Deposits	**4,15,08,98**	30,19,92,75
		- Mutual Funds	**9,83,20,77**	9,02,43,90
		- R I D F	**90,99,40,86**	64,74,13,71
		- Security Receipt by ARCIL	**1,49,71,73**	36,09,45
		TOTAL	**9,35,17,72,33**	8,07,62,04,37
II.	Investments outside India			
	i)	Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	**-**	57,14,91
	i)	Shares	**40,32**	40,32
	iii)	Other investments (Bonds)	**2,05,05,74**	10,84,96
		TOTAL	**2,05,46,06**	68,40,19
		TOTAL	**9,37,23,18,39**	8,08,30,44,56
III.	i)	Investments in India		
		Gross Value	**9,39,63,70,76**	8,11,20,17,55
		Provision for Depreciation	**4,45,98,43**	3,58,13,18
		Net Value	**9,35,17,72,33**	8,07,62,04,37
	ii)	Investments outside India		
		Gross Value/Net Value	**2,05,46,06**	68,40,19
		Provision for Depreciation	**-**	-
			2,05,46,06	68,40,19
		TOTAL	**9,37,23,18,39**	8,08,30,44,56
SCHEDULE 9 - ADVANCES				
I.	i)	Bills purchased and discounted	**53,24,84,83**	65,82,54,82
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**11,08,32,52,73**	10,48,46,31,55
	iii)	Term Loans	**11,29,47,05,10**	9,66,73,32,23
		TOTAL	**22,91,04,42,66**	20,81,02,18,60
II.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**19,21,66,12,17**	16,57,03,18,72
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**1,14,99,70,46**	1,27,17,50,62
	iii)	Unsecured	**2,54,38,60,03**	2,96,81,49,26
		TOTAL	**22,91,04,42,66**	20,81,02,18,60
A.	Advances in India			
	i)	Priority Sector	**6,96,54,20,70**	5,53,60,36,00
	ii)	Public Sector	**1,52,83,77,83**	2,02,31,43,91
	iii)	Banks	**54,96,29,30**	61,81,37,34
	iv)	Others	**12,12,95,44,14**	11,34,01,21,12
		TOTAL	**21,17,29,71,97**	19,51,74,38,37

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
B. Advances Outside India		
i) Due From Banks	**52,81,53,83**	61,17,02,92
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	**6,04,65,84**	3,24,50,49
b) Syndicated loans	**90,69,87,64**	50,37,64,82
c) Others	**24,18,63,38**	14,48,62,00
TOTAL	**1,73,74,70,69**	1,29,27,80,23
TOTAL	**22,91,04,42,66**	20,81,02,18,60
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
A. TANGIBLE ASSETS		
I. Premises		
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**23,22,51,75**	22,00,67,22
Additions during the year	**42,70,21**	1,21,84,53
	23,65,21,96	23,22,51,75
Less: Depreciation to date	**5,45,64,01**	4,90,86,37
TOTAL	**18,19,57,95**	18,31,65,38
II. Capital Work in Progress		
At cost as per last Balance Sheet	**11,53,81**	3,60,98
Additions during the year	**50,63,21**	27,26,23
Deductions during the year	**61,31,96**	19,33,40
TOTAL	**85,06**	11,53,81
III. Land		
At cost as per last Balance Sheet	**13,40,97**	3,09,72
Additions during the year	**36,42,00**	10,31,25
	49,82,97	13,40,97
Less : Depreciation to date	**2,45,32**	2,33,85
TOTAL	**47,37,65**	11,07,12
IV. Other Fixed Assets		
(including Furniture and Fixtures)		
a) Assets given on lease		
At cost as per last Balance Sheet	**26,53,52**	26,53,52
Less: Depreciation to date	**26,53,52**	26,53,52
TOTAL	**-**	-
b) Others		
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**16,26,23,28**	14,65,54,62
Additions during the year	**2,60,09,46**	1,87,00,86
Deductions during the year	**25,36,44**	26,32,20
	18,60,96,30	16,26,23,28
Less: Depreciation to date	**11,57,81,44**	10,24,44,63
TOTAL	**7,03,14,86**	6,01,78,65
B. INTANGIBLE ASSETS		
Computer Software		
At cost as per last Balance Sheet	**1,24,15,63**	1,10,99,29
Additions during the year	**39,88,97**	13,16,34
	1,64,04,60	1,24,15,63
Amortisation till date	**1,26,53,27**	1,01,19,88
TOTAL	**37,51,33**	22,95,75
TOTAL	**26,08,46,85**	24,79,00,71

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-office adjustments (net)	**11,31,85,79**	10,37,03,14
II. Interest accrued	**23,76,24,82**	18,38,31,16
III. Stationery and stamps	**2,61,32**	2,45,22
IV. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	**3,89**	3,89
V. Others	**17,61,19,30**	16,33,90,57
TOTAL	**52,71,95,12**	45,11,73,98
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	**35,99,15,76**	34,91,28,35
II. Liability for partly paid investments	**59,20**	59,20
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**14,82,33,21,11**	28,44,07,74,59
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	**2,26,25,73,05**	1,79,98,56,13
ii) Outside India	**1,38,06,25**	4,61,41,39
V. Acceptances, endorsements and other obligations	**2,03,60,00,04**	1,77,24,47,76
VI. Other items for which the bank is contingently liable		
i) Disputed Tax demands under appeals	**5,67,41,00**	4,88,91,00
ii) Others	**0**	22,25,26
TOTAL	**19,55,24,16,41**	32,45,95,23,68

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2014	Year Ended 31.3.2013
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/discount on advances/bills	**2,17,40,35,58**	1,91,40,46,20
II. Income on investments	**72,70,45,32**	56,71,03,30
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	**1,78,53,25**	1,98,60,70
IV. Others	**1,60,05,27**	1,14,59,87
TOTAL	**2,93,49,39,42**	2,51,24,70,07
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**4,46,99,42**	3,64,04,63
II. Profit on sale of investments - net	**4,85,72,00**	4,77,26,87
IV. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	**2,57,53**	-1,69,25
V. Profit on exchange transactions - net	**7,43,60,62**	5,59,87,70
VI. Miscellaneous Income	**11,42,64,47**	11,52,52,74
TOTAL	**28,21,54,04**	25,52,02,69

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2014	Year Ended 31.3.2013
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	**1,98,39,25,14**	1,65,51,23,97
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**5,31,32,90**	2,74,23,79
III. Others	**10,99,48,87**	7,56,38,60
TOTAL	**2,14,70,06,91**	1,75,81,86,36
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	**33,07,76,76**	27,55,01,22
II. Rent, taxes and lighting	**3,81,38,03**	3,22,94,12
III. Printing and stationery	**45,26,84**	44,02,69
IV. Advertisement and publicity	**55,29,08**	71,63,35
V. Depreciation on Bank's property	**1,93,77,95**	1,50,91,74
VI. Directors' fees, allowances and expenses	**1,51,34**	1,21,44
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	**56,71**	59,63
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**32,91,96**	21,18,85
IX. Law Charges	**16,08,87**	14,94,57
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**70,91,43**	60,77,85
XI. Repairs and maintenance	**94,46,02**	79,46,48
XII. Insurance	**2,83,45,07**	2,17,46,93
XIII. Other expenditure	**9,99,35,99**	7,71,97,59
TOTAL	**54,82,76,05**	45,12,16,46

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2013-2014

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3 Revenue Recognition

i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4 Cash Flow Statements

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

5 Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost. The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount, it is not recognized as income.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss Account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.

iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,
  - ➢ If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
  - ➢ If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

  The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

c) Derivative Contracts

The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6 Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer, provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Fund Trust (CGFT)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

7 Fixed Assets and Depreciation

i) Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

8 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a Policy for creation and utilization of Counter cyclical provisioning buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

10 Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary and Non Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Units as per RBI guidelines.

11 Accounting for Non–Integral foreign operations

Offshore Banking Units (OBU) and Foreign Branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU)

i. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

ii. Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

iv) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

vi) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12 Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund is a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss Account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss Account.

New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operations and (d) Other Banking Operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earnings Per Share

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year-end.

16 Taxation

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium Account.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH /BANK TRANSACTIONS

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2 INVESTMENTS

i) Profit on sale of investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 37.18 crores has been taken to the Profit and Loss Account initially and thereafter an amount of ₹ 17.18 crores has been appropriated to Capital Reserve net of taxes.

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.5 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹115.68 crore (previous year ₹86.27 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹1,251.84 crore (previous year ₹1,282.50 crore).

3 ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

3.1 A. Capital as per Basel II

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	Nil	Nil
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	8.13	8.23
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	3.76	3.22
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.89	11.45
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	60.13	57.89
vi)	Amount of equity capital raised (₹ in crore)	33.51	46.25
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; (₹ in crore)		
	of which PNCPS :	Nil	Nil
	PDI :	Nil	Nil
Viii	Amount of Tier 2 capital raised ; (₹ in crore)	2000	800
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	2000	800
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]		

As per RBI guidelines Bank is required to compute CRAR based on Basel III norms w.e.f.1.04.2013.

B. Capital as per Basel III

Sr. No	Particulars	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.18
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	7.54
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	3.26
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.80
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	60.13
vi)	Amount of equity capital raised (₹ in crore)	33.51
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; (₹ in crore)	
	of which PNCPS :	NIL
	PDI :	NIL
viii	Amount of Tier 2 capital raised ; (₹ in crore)	2000
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	2000
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	

3.2 **Investments**

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	Value of Investments		
i)	Gross Value o f Investments	94,169.09	81,188.58
	(a) In India	93,963.63	81,120.18
	(b) Outside India	205.46	68.40
ii)	Provisions for Depreciation	446.58	358.13
	(a) In India	445.98	358.13
	(b) Outside India	0.60	-
iii)	Net Value of Investments	93,722.11	80,830.45
	(a) In India	93,517.25	80,762.05
	(b) Outside India	204.86	68.40
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	358.13	160.67
ii)	Add: Provisions made during the year	437.56	243.96
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	349.11	46.50
iv)	Closing balance	446.58	358.13

3.2.1 **REPO Transactions (In face value terms)**

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2014
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	5.00	2,330.76	46.33	Nil
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
B	Securities purchased under reverse repo				
i)	Government securities	5.00	4,127.43	356.34	Nil
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

3.2.2 **Non-SLR Investment Portfolio**

i. Issuer composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	3,915.17	2,681.08	Nil	0.58	0.58
ii)	FIs	12,622.42	10,133.17	Nil	Nil	Nil
iii)	Banks	1,178.93	653.75	Nil	Nil	2.00
iv)	Private Corporate	4,798.79	2,468.42	229.02	1.13	24.85
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	358.75	358.75	Nil	Nil	Nil
vi)	Others	1,264.72	616.84	Nil	14.52	14.52
vii)	Provision held towards depreciation	(383.79)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	**23,754.99**	**16,912.01**	**229.02**	**16.23**	**41.95**

Particulars	31.03.2014
Shares	975.35
Debentures and Bonds	11,565.48
Subsidiaries and Joint Ventures	358.75
Others	10,855.40
TOTAL	**23,754.98**

* Investment of ₹ 15.96 crores in subsidiaries and Joint ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes the Bank's investment in shares of Regional Rural Bank which are SLR investments.

ii. Non performing Non-SLR investments

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance	47.63	77.08
Additions during the year	179.47	23.82
Reductions during the year	8.24	53.27
Closing balance	218.86	47.63
Total provisions held	**74.04**	**44.33**

3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2013-14 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2013-14, the Bank has carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors aggregating to ₹ 6,226.45 crore and ₹ 6,244.78 crore being face value and book value respectively. In compliance with RBI guidelines No. DBOD.No. BP.92/21.04.141/2012-13 dated May 15, 2013 on HTM category wherein the maximum cap of 25% of DTL for investment held in HTM category to be reduced to 23% of DTL by March 2014 in phased manner. Bank on July 9, 2013 transferred securities from HTM to AFS category aggregating ₹ 5,297.00 crore (face value) and ₹ 5,338.26 crore (book value). Further on September 23, 2013 the Bank had shifted securities from AFS to HTM category aggregating ₹ 7,526.58 crore (face value) and ₹ 7,668.72 crore (book value) as per RBI circular No. RBI/2013-14/198 DBOD.BP.BC. No.41/21.04.141/2013-14 dated August 23, 2013 at the price of July 15, 2013. The Bank has sold securities to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions having book value of ₹1,447.26 crore.

Hong Kong Branch has transferred an amount of ₹ 11.98 crore (face value ₹ 11.98 crore) from HTM category to AFS category as per RBI guidelines mentioned above.

3.3 Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	The notional principal of swap agreements	10,514.54	5,868.59
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	7.89	9.51
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	(-)11.62	105.84

Note:

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlyings for hedge transactions are on accrual basis.

IV. Interest rate swap for USD was taken on MTN raised by the bank in four tranches.

V. Cross Currency Swap Payables and Receivables for MTN raised by the Bank.

3.3.2 **Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	Amount (Buy)	Amount (Sell)
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) IRF	3,105.06	2,205.50
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE

a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives Group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank traded in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is trading & Clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), United Stock Exchange (USE) & MCX Stock Exchange (MCX-SX), on their Currency Derivative segment as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading as well as trading on behalf of its customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office - Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per the Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk Management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The Bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits. These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are Mark to Market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to Counterparty banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

Sr. NO	Particulars	31.03.2014 Currency Derivatives	31.03.2014 Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
a	For hedging	2,074.73	6,689.80
b	For trading	148.56	1,750.00
ii)	Marked to Market Positions (1)		
a	Asset (+)	131.07	8.72
b	Liability (-)	(3.0472)	(21.55)
iii)	Credit Exposure (2)	4.53	19.90
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a	On hedging derivatives	Nil	2.47
b	On trading derivatives	Nil	3.63
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
1	Maximum		
	a. On hedging	Nil	7.03
	b. On trading	Nil	5.47
2	Minimum		
	a. On hedging	Nil	1.73
	b. On trading	Nil	0.06

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

3.4 **Asset Quality**

3.4.1 **Non Performing Assets**

(₹ in crore)

Sr.No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.33	1.61
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	6,313.83	5,449.86
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	5,459.44	3,957.38
	(c) Increase in balance of existing NPA	19.49	16.37
	Sub-total (A)	11,792.76	9,423.61
	(d) Less:-		
	(i) Up-gradations	551.01	734.07
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	765.44	1,246.87
	(iii) Technical/Prudential Write-offs	841.72	1,053.80
	(iv) Write-offs other than (iii) above	70.85	75.04
	Sub-total (B)	2,229.02	3,109.78
	(e) Closing balance (A-B)	9,563.74	6,313.83
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	3,353.37	3,025.03
	(b) Additions during the year	3,273.26	2,348.22
	(c) Reduction during the year	1,286.38	2,019.88
	(d) Closing Balance	5,340.25	3,353.37
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(a) Opening balance	2,960.46	2,424.83
	(b) Provisions made during the year	2,205.67	1,625.53
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	942.64	1,089.90
	(d) Closing balance	4,223.49	2,960.46

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs.

Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/recoveries in suit filed accounts and held pending adjustment of ₹65.58 crore (Previous Year ₹58.23 crore) and ₹33.09 crore (Previous Year ₹65.58 crore) respectively.

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sl. No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2013 (Opening Figures)	No. of Borrowers	44	3	7	0	54	1203	301	9760	396	11660	16474	2031	31236	1393	51134	17721	2335	41003	1789	62848
		Amount Outstanding	3146.25	51.06	298.07	0.00	3495.38	2025.67	283.28	220.93	6.71	2536.59	4575.07	425.78	564.91	27.98	5593.74	9746.99	760.12	1083.91	34.69	11625.71
		Provision there on	585.34	10.78	39.63	0.00	635.75	62.79	9.14	6.68	0.50	79.11	174.67	5.96	29.43	0.79	210.85	822.80	25.88	75.74	1.29	925.71
2	Fresh Restructuring during the FY 2013-14	No. of Borrowers	15	0	0	0	15	25	0	0	0	25	58	2	0	0	60	94	4	0	0	98
		Amount Outstanding	2564.44	0	0	0	2564.44	296.50	0	0	0	296.50	1931.40	345.02	0	0	2276.42	4688.54	448.82	0	0	5137.36
		Provision there on	288.15	0	0	0	288.15	3.99	0	0	0	3.99	88.71	7.25	0	0	95.96	380.85	7.25	0	0	388.10
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2013-14	No. of Borrowers	2				2	51				51	609				609	662				662
		Amount Outstanding	105.69				105.69	29.62				29.62	165.20				165.20	300.51				300.51
		Provision there on	14.13				14.13	0.29				0.29	3.71				3.71	18.13				18.13
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 13-14 and hence need not be shown as restrucutred standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	16				16	55				55	239				239	310				310
		Amount Outstanding	1544.16				1544.16	459.02				459.02	896.95				896.95	2878.20				2878.20
		Provision there on	357.21				357.21	6.69				6.69	20.79				20.79	384.69				384.69
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 13-14	No. of Borrowers		8	2	0	7		93	113	3	209		1002	5	1	1007		1103	120	4	1227
		Amount Outstanding		708.59	175.15	0	679.78		171.07	79.00	0.01	250.08		1147	0.24	0.01	1108.30		2026.90	254.39	0.02	2281.31
		Provision there on		76.46	0	0	76.46		5.43	1.02	0	6.45		26	0.02	0	25.70		107.57	1.04	0	108.61
6	Write-offs of restructured accounts during the FY13-14	No. of Borrowers	0	0	3	0	3	0	0	1	0	1	0	0	3		3	0	0	7	0	7
		Amount Outstanding	0	0	81.36	0	81.36	0	0	18.27	0	18.27	0	0	42.87		42.87	0	0	142.50	0	142.50
7	Restructured Accounts as on March 31, 2014 (Closing figures)	No. of Borrowers	22	7	2	0	31	88	103	8838	340	9369	575	757	28292	1341	30965	681	867	37132	1681	40361
		Amount Outstanding	2631.49	635.01	39.79	0	3306.29	908.23	222.82	393.04	40.64	1564.73	8813.13	1071.16	651.63	25.76	10561.68	12352.85	1928.99	1084.46	66.40	15432.70
		Provision there on	353.74	94.42	9.72	0	457.88	41.70	9.57	13.27	1.98	66.52	238.59	17.43	28.73	1.65	286.40	634.03	121.42	51.72	3.63	810.80

3.4.3 Technical Write-offs

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	3,325.68	2,557.33
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	841.72	1,053.80
iii)	Sub-total (A)	4,167.40	3,611.13
iv)	Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	502.59	285.45
v)	Closing balance (A-B)	3,664.81	3,325.68

3.4.4 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	No. of accounts	21	1
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC a) NPA Account b) Written-off account	 107.08 Nil	 Nil Nil
iii)	Aggregate consideration a) NPA Account b) Written-off account	 133.50 82.00	 17.00 Nil
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value. a) NPA Account b) Written-off account	 26.42 82.00	 17.00 Nil

3.4.5 Details of non performing financial assets purchased /sold

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	a. No. of accounts purchased during the year b. Aggregate outstanding	 Nil Nil	 Nil Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year b. Aggregate outstanding	 Nil Nil	 Nil Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

3.4.6 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.3.2013
Provision towards Standard Assets	309.92	220.76

3.4.6.1 The Bank has made additional provision of 2% over and above the prescribed guidelines of RBI amounting to ₹ 75.18 crore on certain category of Standard Advances (such as loans for consumer durables, education loans, loans through credit cards and other personal loans) up to 31-12-2013. As per the revised provision policy of the Bank, such additional provision on Standard Advances has been discontinued from the quarter ended 31-3-2014. Had the Bank continued its policy of making additional provision, Profit for the quarter/year ended 31-3-2014 would have been lower by ₹ 2.43 crore.

3.5 Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.95	9.19
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.86	0.93
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.59	2.04
iv)	Return on Assets	0.52	0.79
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	13.76	12.15
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.05	0.07

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on 31.03.2014

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Invest-ments	Borrow-ings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	4,422.70	3,574.93	575.88	1,518.61	2,214.45	2,859.23
2-7 days	12,511.58	2174.00	671.12	1,012.75	430.51	1,138.54
8-14 days	3,554.37	2,427.83	325.04	3,183.47	384.37	3,386.21
15 to 28 days	4,853.29	9,606.22	644.74	2,557.37	2,952.45	3,110.56
29 days to 3 months	28,471.88	25,077.87	1,188.88	2,529.14	9,425.43	3,975.83
Over 3 months & up to 6 months	18,630.60	13,965.30	530.26	6,114.87	8,821.84	7,465.00
Over 6 months & up to 1 year	34,476.62	43,415.89	4,816.82	2,238.85	2,306.56	4,671.26
Over 1 year & up to 3 years	60,539.79	82,746.74	16,971.24	2,577.84	3,853.48	5,289.63
Over 3 years & up to 5 years	21,755.62	26,127.42	22,269.23	1,463.73	468.47	924.45
Over 5 years	108,459.18	19,988.22	45,729.97	6,090.00	92.27	446.63
Total	297,675.63	229,104.43	93,723.19	29,316.62	30949.83	33267.33

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2014	31.03.2013
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - Of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector.	20,492.14 11,689.98	16,319.53 10,809.14
ii)	Commercial Real Estate - Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	5,370.03	3,545.43
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	7,565.63	6,063.83
	Total Exposure to Real Estate Sector	**33,427.80**	**25,928.79**

3.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	772.49	794.03
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	9.42	1.83
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	1.98	8.03
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	60.11	126.69
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	580.01	727.55
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	6.62	0.10
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	Nil	3.20
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	479.35	488.47
	Total exposure to Capital Market	**1,909.98**	**2,149.90**

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹188.89 crore for 2012-13 and ₹ 144.02 crore for 2013-14.

3.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2014	Provision held as at March 31,2014	Exposure (net) as at March 31,2013	Provision held as at March 31,2013
Insignificant	5,264.53	Nil	6,565.47	Nil
Low	2,259.37	Nil	1,685.26	Nil
Moderate	546.82	Nil	399.63	Nil
High	7.31	Nil	0.91	Nil
Very High	203.14	Nil	0.07	Nil
Restricted	Nil	Nil	Nil	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	**8,281.17**	Nil	**8,651.34**	Nil

As per Country Risk Policy, Bank has used ECGC classification for the Trade Exposure in India and S&P rating for Hong Kong and Dubai Branch & other than Trade Exposure in India. The latest country risk classification published by ECGC is the basis for limit allocation for the year 2013-14. However, sub-limits have been fixed within the same for Non Trade and foreign branch related transaction, taking into consideration the Rating as per Standard & Poor's, which is lower than the ECGC rating. The sub limit fixed is 20% of the total limit in case the Standard & Poor's rating is adverse than the ECGC rating.

The exposures taken on various countries are well within the limits allocated to them based on Bank's Capital Funds. Hence the provisioning for country-risk is not required as per prevailing guidelines of 1% of total assets.

3.7.4 i) Details of Single Borrower Limit (SBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

Sr. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.14	Position as % of Capital Fund
Nil						

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.

ii) Details of Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(₹ In crore)

Sr. No.	Name of the borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Board Sanction Details	Position as on 31.03.14 (₹)	Position as % of Capital Fund
Nil							

\# Group Exposure Limit – 40%

For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%

\# 5% additional exposure can be taken with the permission of the Board

3.7.5 Unsecured Advances: Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road / Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular NO. DBOD.BP.BC.No.83/08.12.014/2012-13 dated 18th March, 2013

3.8 Disclosure of Penalties imposed by RBI. : ₹ 13.25 lacs.

4 Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Account.

4.1 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition.

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3 (iii) of Schedule 17 of Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

4.2 **Accounting Standard 15 – Employee Benefits :**

4.2.1 **Defined Benefit Plans – Employee's Pension Plan and Gratuity Plan:**

4.2.1.1 The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2014. The disclosure is as under:

	Particulars	2013-14		2012-13	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**				
	Discount Rate Prev.	8.50	8.50	8.50	9.00
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.70	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	9.33	9.27	8.50	8.50
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation :**				
	Liability at the beginning of the year	1,000.86	5,991.02	990.55	5,259.03
	Interest Cost	82.64	509.62	81.85	477.34
	Current Service Cost	44.92	194.81	37.99	193.33
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	78.89	369.04	21.60	358.42
	Liability at the end of the year	1,060.13	6,683.81	1,000.86	5,991.02
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,037.22	4,774.08	861.28	4,020.00
	Expected return on Plan Assets	87.02	522.50	83.50	372.28
	Contributions	124.17	1,422.06	248.00	782
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,081.23	6,104.73	1,037.22	4,774.08
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(98.90)	(602.28)	(46.02)	(461.51)
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	87.02	522.50	83.50	372.28
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	Actual return on Plan Assets	67.02	289.27	59.07	269.18
vi)	**Expenses recognized in the Income Statement:**				
	Current Service Cost	44.92	194.81	37.99	193.33
	Interest Cost	82.64	509.62	81.85	477.34
	Expected Return on Plan Assets	(87.02)	(522.50)	(83.50)	(372.28)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	65.00	338.00	65.00	253.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	98.90	602.28	46.02	461.51
	Expenses Recognized in P & L	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91

	Particulars	2013-14		2012-13	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
vii)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(166.36)	540.94	(65.73)	225.03
	Expenses as above	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(124.17)	(1,422.06)	(248.00)	(782.00)
	Amount recognized in Balance Sheet	(86.10)	241.08	(166.36)	455.94
viii)	**Other Details :**				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	33,945	23,163	31,783.00	24,739.00
	Salary Per Month	126.03	98.59	109.22	92.37
	Contribution for next year	Nil	319.43	Nil	299.28
ix)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	151.48	473.15	Nil	Nil
	Corporate Bonds	337.99	1584.16	Nil	Nil
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	357.44	2011.48	Nil	Nil
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	24.96	28.60	1,037.22	4,774.08
	Insurer Managed Funds	209.36	2007.33	Nil	Nil
	Total	1,081.23	6,104.73	1,037.22	4,774.08

Surplus/Deficit in the Plan:	**Gratuity Plan**				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
Liability at the end of the year	1060.13	1000.86	990.55	894.93	518.27
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1081.23	1037.22	861.28	873.05	767.36
Difference	21.10	36.36	(129.27)	(21.88)	249.09
Unrecognized Past Service Cost	65.00	130.00	195.00	260.00	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	86.10	166.36	65.73	238.12	249.09

Amount recognized in the Balance-Sheet	**Gratuity Plan**				
Experience Adjustment	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
On plan liability (Gain) / Loss	123.74	21.60	95.09	145.69	(136.76)
On plan Assets (Loss) / Gain	(20.00)	(24.43)	(0.80)	(4.15)	(1.73)

Surplus/Deficit in the Plan:	**Pension**				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
Liability at the end of the year	6,683.81	5,991.02	5,259.03	4,771.82	1,359.12
Fair value of Plan Assets at the end of the year	6,104.73	4,774.08	4,020.00	2,513.69	1,158.11
Difference	(579.08)	(1,216.94)	(1,239.03)	(2,258.13)	(201.01)
Unrecognized Past Service Cost	338.00	761.00	1,014.17	1,352.17	Nil
Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(241.08)	(455.94)	(224.86)	(905.96)	(201.01)

Amount recognized in the Balance-Sheet	**Pension**				
Experience Adjustment	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
On plan liability /Gain / (Loss)	661.38	251.18	511.13	367.19	118.58
On plan Assets (Loss) /Gain	(233.23)	(103.10)	(145.15)	(15.87)	(11.52)

4.2.2 **Defined Contribution Plan:**

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after August 1, 2010. The scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2013-14, the Bank has contributed ₹ 28.55 crore (Previous Year ₹ 16.53 crore).

4.2.3 **Other Long Term Employee Benefits:**

4.2.3.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	2013-14	2012-13
1	Pension	1122	1013
2	Leave Encashment	43	31
3	Leave Travel Concession	Nil	Nil
4	Sick Leave	Nil	(37)

4.3 **SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17**

4.3.1 **Business Segments:**

(₹ in lacs)

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
(a)	**Segment Revenue**							
1	Treasury Operations	210557	217313	195765	851580	687271	851580	687271
2	Retail Banking Operations	270837	250243	323096	903475	918312	903475	918312
3	Corporate / Wholesale Banking	353872	349580	227406	1430105	1141110	1430105	1141110
4	Other Banking Operations	9424	6212	8645	33130	32243	33130	32243
5	Unallocated	0	0	0	0	0	36333	35984
	Total	**844691**	**823348**	**754912**	**3218290**	**2778936**	**3254623**	**2814920**
	Less Inter-segment Revenue	**200**	**331**	**4853**	**1196**	**11263**	**1196**	**11263**
	Total Revenue	**844491**	**823017**	**750059**	**3217093**	**2767673**	**3253427**	**2803657**
(b)	**Segment Results**							
1	Treasury Operations	32565	54816	33368	114560	92460	114560	92460
2	Retail Banking Operations	22080	33780	82703	84564	159864	84564	159864
3	Corporate / Wholesale Banking	-19299	-26390	-18286	-8549	36275	-8549	36275
4	Other Banking Operations	4572	2917	5125	16309	17830	16309	17830
5	Unallocated	0	0	0	0	0	-2665	-2678
	Total Profit before Tax	**39917**	**65123**	**102910**	**206883**	**306429**	**204218**	**303751**
(c)	Income Tax	-17971	30229	23972	37264	90636	37264	90636
(d)	**Net Profit**	**57888**	**34894**	**78938**	**169620**	**215793**	**166955**	**213115**
(e)	**Segment Assets**							
1	Treasury Operations	11844908	11553228	9949680	11844908	9949680	11844908	9949680
2	Retail Banking Operations	8759732	8284406	7177392	8759732	7177392	8759732	7177392
3	Corporate / Wholesale Banking	14442144	14228096	13755828	14442144	13755828	14442144	13755828
4	Other Banking Operations	0	0	0	0	0	0	0
5	Unallocated Assets	328169	317655	303181	328169	303181	454662	408292
	Total	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501446**	**31291192**
(f)	Segment Liabilities							
1	Treasury Operations	11215487	10974693	9394235	11215487	9394235	11215487	9394235
2	Retail Banking Operations	8341491	7909435	6809684	8341491	6809684	8341491	6809684
3	Corporate / Wholesale Banking	13752591	13584100	13051096	13752591	13051096	13752591	13051096
4	Other Banking Operations	0	0	0	0	0	0	0
5	Unallocated Liabilities	217849	138306	201447	217849	201447	317345	293159
6	Capital, Reserves & Surplus	1847536	1776851	1729619	1847536	1729619	1874532	1743019
	Total	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501445**	**31291192**

Notes:

1. *The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.*
2. *Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.*
3. *Figures of previous period have been reclassified/regrouped wherever necessary.*

4.4 **Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures.**

4.4.1 **List of Related Parties:**

a) Subsidiaries:

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

Union Bank of India (UK) Ltd.

b) Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

c) Associate:

Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank.

d) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director upto 30.11.2013.

ii. Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director from 26.12.2013.

iii. Shri S.K.Jain, Executive Director from 01.09.2011.

iv. Shri K. Subrahmanyam, Executive Director from 21.01.2013.

v. Shri Rakesh Sethi, Executive Director from 05.08.2013.

vi. Shri S. S. Mundra Executive Director upto 21.01.2013

4.4.1.1 **Transactions with Related Parties**

(₹ In crore)

Items/Related Party	Subsidiaries	Associates/ Joint Ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings	Nil	400.00	Nil	Nil`	400.00
Deposits	16.45	3019.45	Nil	Nil	3035.90
Placement of deposits	Nil		Nil	Nil	Nil
Advances	Nil	200.0	Nil	Nil	200.00
Investments	245.28	28.20	Nil	Nil	273.48
Non-funded commitments	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements availed	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements provided	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sale of fixed assets	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest paid	Nil	288.81	Nil	Nil	288.81
Interest received	2.83	16.46	Nil	Nil	19.29
Rendering of services	Nil	22.91	Nil	Nil	22.91
Receiving of services	1.08	33.71	Nil	Nil	34.79
Management contracts	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.1.2 **Parties with whom transactions were entered into during the year**

In terms of paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

4.4.2 Key Management Personnel

(₹ in crore)

Particulars	2013–14	2012-13
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.23	#0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.50	#0.38
Total	**0.73**	**0.60**

Includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.08 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the previous years.

4.5 **Accounting Standard 20 – Earnings per Share**

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earnings per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Sr. No.	Particulars		31.03.2014	31.03.2013
I	Basic and Diluted EPS	₹	27.99	38.93
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders	₹ in crore	1,696.20	2,148.49
iii	Weighted Average number of equity shares	No. in crore	60.59	55.19
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

4.6 **Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

4.6.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2014 are as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	276.42	237.10
2	Employee Benefits	325.83	261.54
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	3.83	18.11
4	Leave Encashment	34.82	19.47
5	On account of other provisions	212.65	Nil
	Total	**853.55**	**536.22**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	52.06	81.92
2	Depreciation on Fixed Assets	32.28	28.88
3	Accrued interest on securities	667.46	457.11
4	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	781.09	Nil
	Total	1,532.89	567.91
	Net Deferred Tax Asset	Nil	Nil
	Net Deferred Tax Liability	679.34	31.69

4.6.2 **Amount of Provisions made for Income-tax during the year:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	623.76	906.36

4.6.3 "Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) circular N.DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013, the Bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the expenditure amounting to ₹ 720.59 crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit & Loss Account has now been adjusted directly from the reserve. Had this amount been charged to Profit and Loss Account in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India, the amount of the Profit for the year had been lower by ₹ 720.59 crore. Further, DTL of ₹ 60.50 crore on the Special Reserve for the year has been created in the year-ended March 31, 2014."

4.7 **Accounting Standard 28**

In the opinion of the management, there is no indication for impairment during the year with regard to the assets to which Accounting Standard 28 applies.

4.8 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(i) to (vi) are dependent upon, the outcome of court/ arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

5 **Additional Disclosures**

5.1 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	2013-14	2012-13
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	87.85	197.46
Provision towards NPA	2,106.17	1,555.52
Provision towards Standard Assets	308.87	220.76
Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax liability (DTL)	370.79	906.31
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	109.97	16.87
- Restructured Advances	254.69	240.23
- Others	283.56	287.62
TOTAL	3,521.90	3,424.77

5.2 Counter cyclical provisioning buffer / floating provision

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
i)	Opening Balance as on 01.04.2013	763.00	763.00
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year #	251.79	Nil
iv)	Closing balance as on 31.03.2014	511.21	763.00

Bank has drawn down for ₹ 251.79 crore during the year, with the approval of the Board, as permitted by RBI vide their circular No.DBOD NO.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 7th February, 2014.

5.3 Draw Down from Reserves

Bank has made drawn down ₹0.03 crore during the year to honour claims received in respect of unreconciled credit entries in Inter Branch Account up to March 31, 1999 (RBI Circular No. DBS.CO.SMC.NO 8825/22.09.001/2005-06 dated 20th December, 2005).

5.4 Disclosure of complaints

A Customer Complaints

Sr. No	Particulars	No.
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1,478
(b)	No. of complaints received during the year	121,546
(c)	No. of complaints redressed during the year	122,246
(d)	**No. of complaints pending at the end of the year**	**778**

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	No.
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	560
(b)	No. of complaints received during the year	93,163
(c)	No. of complaints redressed during the year	93,170
(d)	**No. of complaints pending at the end of the year**	**553**

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	No.
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	389
(b)	No. of complaints received during the year	62,839
(c)	No. of complaints redressed during the year	62,894
(d)	**No. of complaints pending at the end of the year**	**334**

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	No.
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	9
(c)	No. of Awards implemented during the year	10
(d)	**No. of unimplemented Awards at the end of the year**	**Nil**

5.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Letter of Comfort issued in earlier years and outstanding as on 01.04.2013	3,815.51
Add : Letter of Comfort issued during the year	12,890.41
Less : Letter of Comfort expired during the year.	12,627.92
Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2014	**4,078.00**

5.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Provision Coverage Ratio as on 31.03.2014 is 59.98%. Any excess provision held over the stipulated Provision Coverage Ratio (PCR) would be held under "Countercyclical Provisioning Buffer account" as per the extant RBI guidelines.

5.7 Disclosure of – Bancassurance Business

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	Amount
	For selling life insurance policies	29.37
	For selling non life insurance policies	7.29
	Others (specify)	Nil

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	40,722.39
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	13.68

5.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	20,379.68
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	8.69

5.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total Exposures of twenty largest borrowers/ customers	56,738.15
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	24.19

5.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposures to top four NPA accounts	1159.49

5.9 Sector-wise NPAs

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector (31.03.2014)
1	Agriculture & allied activities	6.22
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	4.80
3	Services	1.23
4	Personal Loans	8.75

5.10 Movement of NPA

(₹ in crore)

Gross NPA as on 1st April 2013 (Opening Balance)	6,313.83
Additions (Fresh NPAs) during the year	5,459.44
Increase in balance of existing NPA	19.49
Sub-total (A)	11,792.76
Less:-	
(i) Up-gradations	551.01
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	765.44
(iii) Write-Offs	912.57
Sub-total (B)	2,229.02
Gross NPA as on 31st March 2014 (closing balance) (A-B)	9,563.74

5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	2013-14
Total Assets	22005.13
Total NPAs	421.68
Total Revenue	724.91

5.12 Off – balance Sheet SPVs

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

5.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities

5.13.1 In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹ 338.00 crore towards serving employees, who have exercised pension option has been charged to Profit & Loss account in 2013-14, with ₹ 338.00 crore carried forward to be charged over the next year.

5.13.2 In accordance with the above circular, one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹ 65.00 crore has also been charged to the Profit and Loss account in 2013-14 with the balance of ₹ 65.00 crore being carried forward to be charged over the next year.

5.14 Disclosure on Remuneration: Not Applicable

5.15 Disclosure relating to Securitization:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	No. / Amount
	No. of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions	NIL
	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank.	
	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on date of balance sheet. a) Off- balance sheet exposures First Loss Others b) On-balance sheet exposures First loss Others	
	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR a) Off- balance sheet exposures i. Exposure to own securitisations First loss Loss ii. Exposure to third party securitisations First loss Others b) On-balance sheet exposures i. Exposure to own securitizations First loss Others ii. Exposure to third party securitizations First loss Others	

5.16 Credit Default Swaps:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2013-14.

6 FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of nine immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 49.35 crores (previous year ₹11.34 crores) in respect of which steps have already been initiated. Land and Buildings revalued as on 31st March, 1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30th November, 2007 at fair market value by approved valuers. The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to ₹456.59 crores as on 31st March, 1995 and ₹1,290.68 crores as on 30th November, 2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 10.22 crores (previous year ₹38.07 crore) attributable thereto has been deducted there from.

7 **FUNDS RAISED RANKING FOR TIER I AND TIER II CAPITAL**

During the year the Bank allotted 3,35,12,064 Equity Shares of ₹10 each to Government of India at a price of ₹149.20 per share, on preferential basis, as approved by the shareholders in an Extra ordinary General Meeting held in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009. The amount received by the bank on this account is ₹500 crores. Consequently, the Government of India shareholding has increased from 57.89% to 60.13%

During the year, the Bank has also raised Tier II capital of ₹ 2000 crore by issue of Basel III compliant unsecured Redeemable Non-Convertible Tier II Bonds.

8 During the year, commission under NREGA receivable from Government of Andhra Pradesh amounting to ₹ 21.66 crore has been recognized as income which was hitherto recognized on realization basis. Accordingly, other income for the year-ended March 31, 2014 is higher by this amount

9 The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

(V. M. KATHAVATE)	**(MAYANK MEHTA)**	**(RAKESH SETHI)**	**(K. SUBRAHMANYAM)**	**(S. K. JAIN)**	**(ARUN TIWARI)**
Dy. General Manager	General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA)	**(DEEPAK SINGHAL)**	**(JAG MOHAN SHARMA)**	**(DR.ATUL AGARWAL)**	**(S.K.MISRA)**
Director	Director	Director	Director	Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA)	**(DR. R. H. DHOLAKIA)**	**(G. K. LATH)**	**(D. CHATTERJI)**
Director	Director	Director	Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI

Date : 8th May, 2014

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit / (Loss) before Tax	206889	306429
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	19378	15092
	Depreciation on investments	19783	21433
	Provision for Non performing assets	236086	179575
	Provision for standard asset	58114	53746
	Other provisions	939	(2877)
	Profit / (Loss) on sale or disposal of Fixed Assets	(258)	169
	Provision for Staff related expenditures	23587	6981
	Sub Total	**564518**	**580548**
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3391407	4089262
	Increase / (Decrease) in Borrowings	34650	138104
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	38053	(46233)
	(Increase) / Decrease in Investments	(1309057)	(1868121)
	(Increase) / Decrease in Advances	(2336311)	(3201585)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(76019)	(7637)
	Direct taxes paid (net of refund)	(75483)	(107051)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**231757**	**(422713)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	(36869)	(34025)
	Sale of Fixed Assets	1126	636
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(35743)**	**(33389)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Proceeds from Issue of Equity Shares	3352	4624
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	46583	106664
	Proceeds from issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds	517283	450676
	Payment of Dividend (Interim & Final Including dividend tax)	(76984)	(52337)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**490234**	**509627**
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**686248**	**53525**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**1621039**	**1567514**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**2307287**	**1621039**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1076292	1163356
	Balances with banks and Money at call	544747	404158
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1621039**	**1567514**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1841968	1076292
	Balances with banks and Money at call	465319	544747
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**2307287**	**1621039**

(RAKESH SETHI)	**(K.SUBRAHMANYAM)**	**(S. K.JAIN)**	**(ARUN TIWARI)**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2014. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 8th May, 2014 to the members.

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors of Union Bank of India

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements (CFS) of UNION BANK OF INDIA (the 'Bank'), its subsidiaries, associates and joint ventures (the 'Group'), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2014, and the consolidated Profit and Loss Account and consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the:

   (i) Accounts of the Bank audited by 6 (six) Joint Auditors,

   (ii) Accounts of the three subsidiaries, one associate and one joint venture audited by other auditors.

Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India and the requirements of Reserve Bank of India (RBI). This includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidation financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of the other auditor on the financial statements of the Group as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   a. In the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2014

   b. In the case of the consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and

   c. In the case of the consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to following notes of Schedule 18 'Notes to Accounts':

   a. Note No.10.2 regarding deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹338 crore (previous year - ₹676 crore) pursuant to the Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011 to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits.

   b. Note No.10.3 regarding deferment of additional gratuity liability to the extent of ₹65 crore (previous year - ₹130 crore) pursuant to the Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011 to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits.

   c. Note No.14.2 which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March 2013, pursuant to Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC/77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013.

Other Matter

8. We have not audited the financial statements of:

   (i) two domestic subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹44.86 crore as at March 31, 2014, total revenues of ₹11.13 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹27.51 crore for the year then ended; and

   (ii) a joint venture, whose financial statements reflect total assets of ₹4908.97 crore as at March 31, 2014, total revenues of ₹1589.12 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹39.56 crore for the year then ended; and

   (iii) a associate, whose financial statements reflect total assets of ₹7693.36 crore as at March 31, 2014, total revenues of ₹607.64 crore on that date and net cash inflows amounting to ₹42.88 crore for the year then ended; and

   (iv) an international subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹235.74 crore as on 31st March, 2014 and total revenue of ₹212.14 crore and cash inflows amounting to ₹224.68 crore for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiary has been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management.

   These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified inrespect of this matter.

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
Capital And Liabilities			
Capital	1	7,413,063	7,077,942
Reserves And Surplus	2	180,040,107	167,223,921
Minority Interest	2A	191,687	297,883
Deposits	3	2,976,510,614	2,636,815,532
Borrowings	4	293,162,277	237,968,845
Other Liabilities And Provisions	5	92,826,851	79,735,082
Total		**3,550,144,600**	**3,129,119,205**
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	184,199,793	107,632,205
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	49,006,588	54,479,814
Investments	8	946,363,538	818,083,116
Advances	9	2,291,046,698	2,081,024,291
Fixed Assets	10	26,233,935	24,954,035
Other Assets	11	53,294,048	42,945,744
Total		**3,550,144,600**	**3,129,119,205**
Contingent Liabilities	12	1,955,241,640	3,245,952,368
Bills For Collection		124,757,066	62,522,423
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules Referred to above form an Integral part of the Balance Sheet

(V. M. KATHAVATE) Dy. General Manager
(MAYANK MEHTA) General Manager
(RAKESH SETHI) Executive Director
(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director
(S. K. JAIN) Executive Director
(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA) Director
(DEEPAK SINGHAL) Director
(JAG MOHAN SHARMA) Director
(DR.ATUL AGARWAL) Director
(S.K.MISRA) Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director
(G. K. LATH) Director
(D. CHATTERJI) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2014	Year Ended 31.3.2013
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	293,935,340	251,685,293
	Other Income	14	31,407,328	28,680,402
	Total		**325,342,668**	**280,365,695**
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	214,667,236	175,753,802
	Operating Expenses	16	58,760,832	49,054,662
	Provisions And Contingencies		35,219,017	34,245,751
	Total		**308,647,085**	**259,054,215**
III.	**Net Profit For The Year**		16,695,583	21,311,480
	Add : Profit Brought Forward		4,074	6,128
	Total		**16,699,657**	**21,317,608**
	Share Of Earning/Loss In Associates		171,703	146,835
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Before Deducting Minorities Interest		16,871,360	21,464,443
	Less: Minority Interest		(106,196)	(107,527)
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Attribulable To The Group		**16,765,164**	**21,571,970**
IV.	**Appropriations**			
	Transfer To Statutory Reserve		5,088,610	6,480,000
	Transfer To Capital Reserve		171,809	542,320
	Transfer To Revenue And Other Reserves		6,654,058	7,026,559
	Proposed Dividend		2,521,225	4,774,354
	Dividend Tax		445,460	827,436
	Transfer To Special Reserve [Sec36(i)(viii)]		1,780,000	1,820,000
	Transfer To Foreign Currency Translation Reserve		0	2,877
	Provision For Div. On PNCPS		99,900	94,350
	Balance In Profit And Loss Account		4,102	4,074
	Total		**16,765,164**	**21,571,970**
	Earnings Per Share (Basic And Diluted)		27.56	38.44

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

(V. M. KATHAVATE) Dy. General Manager
(MAYANK MEHTA) General Manager
(RAKESH SETHI) Executive Director
(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director
(S. K. JAIN) Executive Director
(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA) Director
(DEEPAK SINGHAL) Director
(JAG MOHAN SHARMA) Director
(DR.ATUL AGARWAL) Director
(S.K.MISRA) Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director
(G. K. LATH) Director
(D. CHATTERJI) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	**30,000,000**	30,000,000
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 37,89,71,753 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Prev.Year 34,54,59,689 Equity Shares)	**3,789,718**	3,454,597
ii. 25,13,34,520 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Prev.Year 25,13,34,520 Equity Shares)	**2,513,345**	2,513,345
III. Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares	**1,110,000**	1,110,000
TOTAL	**7,413,063**	7,077,942
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
As per last Balance Sheet	**50,830,000**	44,350,000
Addition during the year	**5,088,610**	6,480,000
	55,918,610	50,830,000
II. A) Capital Reserve :		
As per last Balance Sheet	**7,590,730**	7,048,410
Addition during the year	**171,809**	542,320
	7,762,539	7,590,730
II. B) Capital Reserve On Consolidation	**2,130,058**	569,500
III. Share Premium :		
As per last Balance Sheet	**28,858,687**	18,192,279
Addition during the year	**4,658,363**	10,666,408
	33,517,050	28,858,687
IV. Revaluation Reserve :		
As per last Balance Sheet	**14,957,577**	15,338,271
Deduction during the year	**364,204**	380,694
	14,593,373	14,957,577
V. Revenue and other Reserves :		
i) Revenue and other Reserves :		
As per last Balance Sheet	**43,210,476**	36,286,865
Addition during the year	**6,654,058**	7,026,974
Deduction during the year (Refer Schedule 18, Note no. 14.2)	**7,205,900**	103,363
Total	**42,658,634**	43,210,476
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)		
As per last Balance Sheet	**21,200,000**	19,380,000
Addition during the year	**1,780,000**	1,820,000
	22,980,000	21,200,000
iii) Foreign Currency Translation Reserve		
As per last Balance Sheet	**2,877**	0
Addition during the year	**472,864**	2,877
	475,741	2,877
VI. Balance in Profit and Loss Account		
Balance in Profit and Loss Account	**4,102**	4,074
TOTAL	**180,040,107**	167,223,921

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 2 A- MINORITY INTEREST :		
Minority Interest At The Date On Which The Parent Subsidiary Relation Came Into Existance	**588,245**	588,245
Subsequent Increase/Decrease	**(396,558)**	(290,362)
Minority Interest On The Date Of Balance Sheet	**191,687**	**297,883**
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**7,899,358**	9,328,445
ii) From Others	**219,072,883**	231,777,035
	226,972,241	241,105,480
II. Savings Bank Deposits	**650,977,053**	574,966,537
	650,977,053	574,966,537
III. Term Deposits		
i) From Banks	**112,409,311**	108,765,593
ii) From Others	**1,986,152,009**	1,711,977,922
	2,098,561,320	1,820,743,515
TOTAL	**2,976,510,614**	2,636,815,532
Deposits of branches in India	**2,927,871,590**	2,609,183,212
Deposits of branches outside India	**48,639,024**	27,632,320
TOTAL	**2,976,510,614**	2,636,815,532
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :		
A) Borrowings : Capital Instruments		
I. Perpetual Bonds	**10,396,100**	10,396,100
II. Upper Tier II Capital	**22,500,000**	22,500,000
III. Lower Tier II Capital	**52,500,000**	35,000,000
B) Borrowings in India		
I. Reserve Bank of India	**15,250,000**	21,252,700
II. Other Banks	**0**	2,000,000
III. Other Institutions and agencies	**12,929,141**	1,461,394
C) Borrowings Outside India	**179,587,036**	145,358,651
TOTAL	**293,162,277**	237,968,845
Secured Borrowings included in I & II above	**1,339,121**	1,339,121
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills payable	**13,560,138**	12,227,242
II. Interest Accrued	**8,841,308**	8,372,023
III. Deferred Tax Liability	**6,796,082**	321,019
IV. Others(including provisions)	**63,629,323**	58,814,798
TOTAL	**92,826,851**	79,735,082

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	**7,849,563**	7,755,815
II. Balances with Reserve Bank of India In current Account	**176,350,230**	99,876,390
TOTAL	**184,199,793**	107,632,205
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. Balances with banks in India		
i) a) In Current Accounts	**668,272**	1,203,625
b) In Other Deposit Accounts	**8,829,451**	12,194,405
ii) Money at Call and short notice	**0**	0
TOTAL	**9,497,723**	13,398,030
II. Outside India		
i) In Current Accounts	**6,874,789**	6,003,697
ii) In other Deposit Accounts	**32,634,076**	35,078,087
TOTAL	**39,508,865**	41,081,784
TOTAL	**49,006,588**	54,479,814
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	**699,319,716**	619,492,638
ii) Other approved securities	**528,253**	528,253
iii) Shares	**13,559,518**	13,651,299
iv) Debentures and Bonds	**116,990,507**	63,927,694
v) Subsidiaries and joint ventures	**1,356,364**	1,548,476
vi) Others		
- Commercial Paper	**3,910,991**	11,921,944
- Certificates of Deposits	**5,924,293**	31,914,559
- Mutual Funds	**10,228,032**	9,311,918
- R I D F	**90,994,086**	64,741,371
- Security Receipt by ARCIL	**1,497,172**	360,945
TOTAL	**944,308,932**	817,399,097
II. Investments outside India		
i) Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	**0**	571,491
i) Shares	**4,032**	4,032
iii) Other investments (Bonds)	**2,050,574**	108,496
TOTAL	**2,054,606**	684,019
TOTAL	**946,363,538**	818,083,116
III. i) Investments in India		
Gross Value	**948,768,776**	813,817,779
Provision for Depreciation	**4,459,844**	3,581,318
Net Value	**944,308,932**	817,399,097
ii) Investments outside India		
Gross Value/Net Value	**2,054,606**	684,019
Provision for Depreciation		
	2,054,606	684,019
TOTAL	**946,363,538**	818,083,116

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

			As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
SCHEDULE 9 - ADVANCES				
I.	i)	Bills purchased and discounted	**53,248,483**	65,825,482
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,108,325,273**	1,048,463,155
	iii)	Term Loans	**1,129,472,941**	966,735,654
		TOTAL	**2,291,046,697**	2,081,024,291
II.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**1,921,663,649**	1,657,034,303
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**114,997,046**	127,175,062
	iii)	Unsecured	**254,386,003**	296,814,926
		TOTAL	**2,291,046,698**	2,081,024,291
A.		Advances in India		
	i)	Priority Sector	**650,858,380**	553,603,600
	ii)	Public Sector	**168,922,543**	202,314,391
	iii)	Banks	**38,923,363**	61,813,734
	iv)	Others	**1,261,376,025**	1,134,014,543
		TOTAL	**2,120,080,311**	1,951,746,268
B.		Advances Outside India		
	i)	Due From Banks	**51,202,064**	61,170,292
	ii)	Due from Others		
		a) Bills Purchased and Discounted		3,245,049
		b) Syndicated loans		50,376,482
		c) Others	**119,764,323**	14,486,200
		TOTAL	**170,966,387**	129,278,023
		TOTAL	**2,291,046,698**	2,081,024,291
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
A.		TANGIBLE ASSETS		
	I.	Premises		
		At cost/valuation as per last Balance Sheet	**23,225,175**	22,006,721
		Additions during the year	**426,629**	1,218,454
			23,651,804	23,225,175
		Less: Depreciation to date	**5,456,401**	4,908,637
		TOTAL	**18,195,403**	18,316,538
	II.	Capital Work in Progress		
		At cost as per last Balance Sheet	**128,716**	85,918
		Additions during the year	**516,875**	285,958
		Deductions during the year	**623,357**	243,160
		TOTAL	**22,234**	128,716
	III.	Land		
		At cost as per last Balance Sheet	**134,097**	30,972
		Additions during the year	**364,200**	103,125
			498,297	134,097
		Less : Depreciation to date	**24,532**	23,385
		TOTAL	**473,765**	110,712

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

		As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
IV.	Other Fixed Assets		
	(including Furniture and Fixtures)		
	a) Assets given on lease		
	At cost as per last Balance Sheet	**265,352**	265,352
	Less: Depreciation to date	**265,352**	265,352
	TOTAL	**0**	0
	b) Others		
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**16,401,818**	14,728,907
	Additions during the year	**2,660,559**	1,930,000
	Deductions during the year	**313,157**	257,089
		18,749,220	16,401,818
	Less: Depreciation to date	**11,658,624**	10,317,571
	TOTAL	**7,090,596**	6,084,247
B.	INTANGIBLE ASSETS		
	Computer Software		
	At cost as per last Balance Sheet	**1,348,053**	1,153,546
	Additions during the year	**456,483**	194,507
		1,804,536	1,348,053
	Amortisation till date	**1,352,599**	1,034,231
	TOTAL	**451,937**	313,822
	TOTAL	**26,233,935**	24,954,035
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :			
I.	Inter-office adjustments (net)	**11,318,579**	10,370,315
II.	Interest accrued	**23,857,768**	18,474,150
III.	Tax paid/ Tax deducted at source	**1,567**	(2,722,944)
IV.	Stationery and stamps	**26,133**	24,522
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	**390**	390
VI.	Deferred Tax Assets	**14,739**	0
VII.	Others	**18,074,872**	16,799,311
	TOTAL	**53,294,048**	42,945,744
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :			
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	**35,991,576**	34,912,835
II.	Liability for partly paid investments	**5,920**	5,920
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**1,482,332,111**	2,844,077,459
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents		
	i) In India	**226,257,305**	179,985,613
	ii) Outside India	**1,380,624**	4,614,139
V.	Acceptances, endorsements and other obligations	**203,600,004**	177,244,776
VI.	Other items for which the bank is contingently liable		
	i) Disputed Tax demands under appeals	**5,674,100**	4,889,100
	ii) Others	**0**	222,526
	TOTAL	**1,955,241,640**	3,245,952,368

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2014	Year Ended 31.3.2013
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/discount on advances/bills	**217,403,558**	191,404,620
II. Income on investments	**73,145,930**	57,148,616
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	**1,785,325**	1,986,070
IV. Others	**1,600,527**	1,145,987
TOTAL	**293,935,340**	251,685,293
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**4,386,965**	3,565,416
II. Profit on sale of investments - net	**5,166,623**	5,080,554
III. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	**25,104**	(17,010)
IV. Profit on exchange transactions - net	**7,436,062**	5,598,770
V. Miscellaneous Income	**14,392,574**	14,452,672
TOTAL	**31,407,328**	28,680,402
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	**198,359,404**	165,447,908
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**5,313,290**	2,742,379
III. Others	**10,994,542**	7,563,515
TOTAL	**214,667,236**	175,753,802
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	**33,476,619**	27,939,435
II. Rent, taxes and lighting	**3,881,200**	3,296,665
III. Printing and stationery	**458,937**	447,841
IV. Advertisement and publicity	**624,418**	776,308
V. Depreciation on Bank's property	**1,978,831**	1,555,082
VI. Directors' fees, allowances and expenses	**16,304**	13,265
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	**5,671**	5,963
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**330,403**	213,017
IX. Law Charges	**177,855**	165,816
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**723,818**	623,636
XI. Repairs and maintenance	**953,854**	803,935
XII. Insurance	**2,775,528**	2,175,552
XIII. Other expenditure	**13,357,394**	11,038,147
TOTAL	**58,760,832**	49,054,662

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2013-2014

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 **Accounting Convention**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3 **Basis of consolidation**

3.1 CFS of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).

ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii) Accounting for Investments in 'Associate' under the 'Equity Method' as per Accounting Standard 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iv) Consolidation of Joint Venture – 'Proportionate Consolidation' as per Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" by ICAI.

3.2 Necessary adjustments have not been made in the CFS where uniform accounting policies have not been followed by Subsidiaries and Joint Venture as in the view of the management, the said adjustments are not material in nature.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill/ Capital Reserve.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

ii) The minority share of movements in revenue reserves/loss and equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

4 **Revenue Recognition**

4.1 **Banking entities**

i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4.2 **Non Banking entities**

Life Insurance

i) **Premium Income**

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) **Income from linked funds**

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) **Reinsurance Premium**

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) **Benefits paid (including claims)**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

v) **Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) **Liability for life policies**

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

i) Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii) Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii) Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv) Dividend income is recognized when right to receive is established.

5 **Investments**

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount, it is not recognized as income.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines

v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,
  - If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
  - If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

  The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

c) Derivative Contracts

The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6 **Advances**

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer, provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Fund Trust (CGFT)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

7 **Fixed Assets and Depreciation**

i) Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable cost of bringing the Asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

viii) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries/associates is provided as per regulatory requirements/or prevailing practices of respective country/industry.

8 **Impairment of Assets**

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9 **Counter Cyclical Provisioning Buffer**

The Bank has Policy for creation and utilization of Counter cyclical provisioning buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Reserve Bank of India.

10 **Transactions Involving Foreign Exchange**

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary and Non Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Units as per RBI guidelines.

11 **Accounting for Non–Integral Foreign Operations**

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU)

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

ii) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

iv) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

vi) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12 **Employee Benefits**

Retirement benefits in the form of provident fund is a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss Account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss Account.

New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 **Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operations and (d) Other Banking Operations.

14 **Lease Transactions**

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 **Earnings Per Share**

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year-end.

16 **Taxation**

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17 **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

18 **Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium Account.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS

1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2014
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%
Union Bank of India UK Ltd.	United Kingdom	100%

2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non-Banking)	India	26%

3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank i) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

4 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2014.

5 In case of Domestic Associate/Subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries have not been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries as the amounts being not material.

6 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd., Union Bank of India UK Ltd. and Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2014.

7 Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8 **INCOME TAX**

The Parent Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

9 **ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

1.1 A. Capital as per Basel II

Sr. No	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	NA	NA
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	8.18	8.26
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	3.74	3.20
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.92	11.46
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	60.13	57.89
vi)	Amount of equity capital raised (₹ in crore)	33.51	46.25
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; (₹ in crore)		
	of *which* PNCPS :	NIL	NIL
	PDI :	NIL	NIL
viii	Amount of Tier 2 capital raised ; (₹ in crore)	2000	800
	of *which* Debt capital instruments : (₹ in crore)	2000	800
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]		

B. Capital as per Basel III

Sr. No	Particulars	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.28
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	7.64
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	3.25
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.89
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	60.13
vi)	Amount of equity capital raised (₹ in crore)	33.51
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; (₹ in crore)	
	of *which* PNCPS :	NIL
	PDI :	NIL
viii	Amount of Tier 2 capital raised ; (₹ in crore)	2000
	of *which* Debt capital instruments : (₹ in crore)	2000
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	

* As per RBI guidelines Bank is required to compute CRAR based on Basel III norms w.e.f. 1.04.2013.

9.1 **Provisions & Contingencies**

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	2013-14	2012-13
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	87.85	197.46
Provision towards NPA	2106.17	1555.52
Provision towards Standard Assets	308.87	220.76
Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax liability (DTL)	370.79	906.31
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	109.97	16.87
- Restructured Advances	254.69	240.23
- Others	283.56	287.62
TOTAL	**3521.90**	**3424.77**

9.2 **Counter cyclical provisioning buffer / Floating provision (Parent Bank)**

(₹ in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Opening Balance as on 01.04.2013	763.00	763.00
Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
Amount of drawdown made during the accounting year	251.79	Nil
Closing balance as on 31.03.2014	**511.21**	**763.00**

Bank has drawn down for ₹251.79 crore during the year, with the approval of the Board, as permitted by RBI vide their circular No.DBOD NO.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 7th February, 2014.

10 **Accounting Standard 15 (Revised) – Employee Benefits-2013-14 (Parent Bank)**

	Particulars	2013-14		2012-13	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**				
	Discount Rate Prev.	8.50	8.50	8.50	9.00
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.70	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	9.33	9.27	8.50	8.50
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation** :				
	Liability at the beginning of the year	1,000.86	5,991.02	990.55	5,259.03
	Interest Cost	82.64	509.62	81.85	477.34
	Current Service Cost	44.92	194.81	37.99	193.33
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	78.89	369.04	21.60	358.42
	Liability at the end of the year	1,060.13	6,683.81	1,000.86	5,991.02
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,037.22	4,774.08	861.28	4,020.00
	Expected return on Plan Assets	87.02	522.50	83.50	372.28
	Contributions	124.17	1,422.06	248.00	782.00
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(147.18)	(380.68)	(131.13)	(297.10)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,081.23	6,104.73	1,037.22	4,774.08
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(98.90)	(602.28)	(46.02)	(461.51)

	Particulars	2013-14		2012-13	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	87.02	522.50	83.50	372.28
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(20.00)	(233.23)	(24.43)	(103.10)
	Actual return on Plan Assets	67.02	289.27	59.07	269.18
vi)	**Expenses recognized in the Income Statement**:				
	Current Service Cost	44.92	194.81	37.99	193.33
	Interest Cost	82.64	509.62	81.85	477.34
	Expected Return on Plan Assets	(87.02)	(522.50)	(83.50)	(372.28)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	65.00	338.00	65.00	253.00
	recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	98.90	602.28	46.02	461.51
	Actuarial Gain or Loss	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
	Expenses Recognized in P & L				
vii)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(166.36)	540.94	(65.73)	225.03
	Expenses as above	204.43	1,122.20	147.37	1,012.91
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(124.17)	(1,422.06)	(248.00)	(782.00)
	Amount recognized in Balance Sheet	(86.10)	241.08	(166.36)	455.94
viii)	**Other Details :**				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	33,945	23,163	31,783.00	24,739.00
	Salary Per Month	126.03	98.59	109.22	92.37
	Contribution for next year	Nil	319.43	Nil	299.28
ix)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	151.48	473.15	Nil	Nil
	Corporate Bonds	337.99	1,584.16	Nil	Nil
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	357.44	2,011.48	Nil	Nil
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	24.96	28.60	1,037.22	4,774.08
	Insurer Managed Funds	209.36	2,007.33	Nil	Nil
	Total	**1,081.23**	**6,104.73**	**1,037.22**	**4,774.08**

Surplus/Deficit in the Plan:	**Gratuity Plan**				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
Liability at the end of the year	1,060.13	1,000.86	990.55	894.93	518.27
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,081.23	1,037.22	861.28	873.05	767.36
Difference	21.10	36.36	(129.27)	(21.88)	249.09
Unrecognized Past Service Cost	65.00	130.00	195.00	260.00	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	86.10	166.36	65.73	238.12	249.09

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
On plan liability (Gain) / Loss	123.74	21.60	95.09	145.69	(136.76)
On plan Assets (Loss) / Gain	(20.00)	(24.43)	(0.80)	(4.15)	(1.73)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
Liability at the end of the year	6,683.81	5,991.02	5,259.03	4,771.82	1,359.12
Fair value of Plan Assets at the end of the year	6,104.73	4,774.08	4,020.00	2,513.69	1,158.11
Difference	(579.08)	(1216.94)	(1239.03)	(2258.13)	(201.01)
Unrecognized Past Service Cost	338.00	761.00	1014.17	1352.17	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(241.08)	(455.94)	(224.86)	(905.96)	(201.01)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
On plan liability (Gain) / Loss	661.38	251.18	511.13	367.19	118.58
On plan Assets (Loss) / Gain	(233.23)	(103.10)	(145.15)	(15.87)	(11.52)

10.1 **Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits for the year ended are as follows**

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	2013-14	2012-13
1.	Pension	1122	1013
2.	Leave Encashment	43	31
3.	Leave Travel Concession	Nil	Nil
4.	Sick Leave	Nil	(37)

10.2 In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹ 338.00 crore towards serving employees, who have exercised pension option has been charged to Profit & Loss account in 2013-14, with ₹ 338.00 crore carried forward to be charged over the next year.

10.3 In accordance with the above circular, one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹ 65.00 crore has also been charged to the Profit and Loss account in 2013-14 with the balance of ₹ 65.00 crore being carried forward to be charged over the next year.

11 **SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17**

11.1 **Business Segments:**

(₹ in lacs)

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
(a)	**Segment Revenue**							
1	Treasury Operations	210557	217313	195765	851580	687271	851580	687271
2	Retail Banking Operations	270837	250243	323096	903475	918312	903475	918312
3	Corporate / Wholesale Banking	353872	349580	227406	1430105	1141110	1430105	1141110
4	Other Banking Operations	9424	6212	8645	33130	32243	33130	32243
5	Unallocated	0	0	0	0	0	36333	35984
	Total	**844691**	**823348**	**754912**	**3218290**	**2778936**	**3254623**	**2814920**
	Less Inter-segment Revenue	**200**	**331**	**4853**	**1196**	**11263**	**1196**	**11263**
	Total Revenue	**844491**	**823017**	**750059**	**3217093**	**2767673**	**3253427**	**2803657**
(b)	**Segment Results**							
1	Treasury Operations	32565	54816	33368	114560	92460	114560	92460
2	Retail Banking Operations	22080	33780	82703	84564	159864	84564	159864
3	Corporate / Wholesale Banking	-19299	-26390	-18286	-8549	36275	-8549	36275

	Business Segment	Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.14	31.12.13	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
4	Other Banking Operations	4572	2917	5125	16309	17830	16309	17830
5	Unallocated	0	0	0	0	0	-2665	-2678
	Total Profit before Tax	**39917**	**65123**	**102910**	**206883**	**306429**	**204218**	**303751**
(c)	Income Tax	-17971	30229	23972	37264	90636	37264	90636
(d)	**Net Profit**	**57888**	**34894**	**78938**	**169620**	**215793**	**166955**	**213115**
(e)	**Segment Assets**							
1	Treasury Operations	11844908	11553228	9949680	11844908	9949680	11844908	9949680
2	Retail Banking Operations	8759732	8284406	7177392	8759732	7177392	8759732	7177392
3	Corporate / Wholesale Banking	14442144	14228096	13755828	14442144	13755828	14442144	13755828
4	Other Banking Operations	0	0	0	0	0	0	0
5	Unallocated Assets	328169	317655	303181	328169	303181	454662	408292
	Total	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501446**	**31291192**
(f)	**Segment Liabilities**							
1	Treasury Operations	11215487	10974693	9394235	11215487	9394235	11215487	9394235
2	Retail Banking Operations	8341491	7909435	6809684	8341491	6809684	8341491	6809684
3	Corporate / Wholesale Banking	13752591	13584100	13051096	13752591	13051096	13752591	13051096
4	Other Banking Operations	0	0	0	0	0	0	0
5	Unallocated Liabilities	217849	138306	201447	217849	201447	317345	293159
6	Capital, Reserves & Surplus	1847536	1776851	1729619	1847536	1729619	1874532	1743019
	Total	**35374953**	**34383385**	**31186081**	**35374953**	**31186081**	**35501445**	**31291192**

Notes:

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the Bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

iii) Figure of previous period have been reclassified/regrouped wherever necessary.

12 **Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (Parent Bank)**

12.1 List of Related Parties

a) Associate

Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank.

b) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director upto 30.11.2013.

ii. Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director from 26.12.2013.

iii. Shri S.K.Jain, Executive Director from 01.09.2011.

iv. Shri K. Subrahmanyam, Executive Director from 21.01.2013.

v. Shri Rakesh Sethi, Executive Director from 05.08.2013.

vi. Shri S. S. Mundra Executive Director upto 21.01.2013

12.2 **Transactions with Related Parties**

(₹ In crore)

Items/Related Party	Associates/Joint Ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings	400.00	Nil	Nil	400.00
Deposits	3016.98	Nil	Nil	3016.98
Placement of deposits	Nil	Nil	Nil	Nil
Advances	200.00	Nil	Nil	200.00
Investments	27.81	Nil	Nil	27.81
Non-funded commitments	Nil	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements availed	Nil	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements provided	Nil	Nil	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil	Nil	Nil
Sale of fixed assets	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest paid	288.79	Nil	Nil	288.79
Interest received	1.47	Nil	Nil	1.47
Rendering of services	16.95	Nil	Nil	16.95
Receiving of services	24.95	Nil	Nil	24.95
Management contracts	Nil	Nil	Nil	Nil

12.3**Key Management Personnel**

(₹ in crore)

Particulars	2013–14	2012-13
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.23	#0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.50	#0.38
Total	**0.73**	**0.60**

includes performance linked incentives of ₹0.06 crore and ₹0.08 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the previous year.

13 **Accounting Standard – 20 - Earnings per Share**

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Sr.No.	Particulars		31.03.2014	31.03.2013
i	Basic and Diluted EPS	₹	27.56	38.44
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders	(₹ In crore)	1669.56	2121.71
iii	Weighted Average number of equity shares	No. in crore	60.59	55.19
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

14 **Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2014 are as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	276.42	237.10
2	Employee Benefits	325.83	261.54
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	3.83	18.11
4	Leave Encashment	34.82	19.47
5	On account of other provisions	212.65	-

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
6	On account of unused losses & Tax Credits	1.98	
	Total	**855.53**	**536.22**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	52.06	81.92
2	Depreciation on Fixed Assets	33.05	28.88
3	Accrued interest on securities	667.46	457.11
4	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	781.09	
	Total	**1,533.66**	**567.91**
	Net Deferred Tax Asset	**-**	**-**
	Net Deferred Tax Liability	**678.13**	**31.69**

14.1 **Amount of Provisions made for Income-tax during the year:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	623.76	906.36

14.2 "Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) circular N.DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013, the Bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the expenditure amounting to ₹ 720.59 crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit & Loss Account has now been adjusted directly from the reserve. Had this amount been charged to Profit and Loss Account in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India, the amount of the Profit for the year had been lower by ₹ 720.59 crore. Further, DTL of ₹ 60.50 crore on the Special Reserve for the year has been created in the year-ended March 31, 2014."

15 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

(V. M. KATHAVATE) Dy. General Manager
(MAYANK MEHTA) General Manager
(RAKESH SETHI) Executive Director
(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director
(S. K. JAIN) Executive Director
(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

(MOHAMMAD MUSTAFA) Director
(DEEPAK SINGHAL) Director
(JAG MOHAN SHARMA) Director
(DR.ATUL AGARWAL) Director
(S.K.MISRA) Director

(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director
(G. K. LATH) Director
(D. CHATTERJI) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI

Date : 8th May, 2014

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit / (Loss) before Tax	**204064**	303773
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	19788	15551
	Depreciation on investments	19783	21433
	Provision for Non performing assets	236086	179575
	Provision for standard asset	58114	53746
	Other provisions	939	-2877
	Profit / (Loss) on sale or disposal of Fixed Assets	-251	170
	Provision for Staff related expenditures	23587	6981
	Sub Total	562109	578352
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3396951	4090504
	Increase / (Decrease) in Borrowings	34650	138104
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	41370	-21451
	(Increase) / Decrease in Investments	-1302587	-1891884
	(Increase) / Decrease in Advances	-2336310	-3201609
	(Increase) / Decrease in Other Assets	-63675	-9501
	Direct taxes paid (net of refund)	-75499	-107051
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**257009**	**-424536**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	-38014	-34890
	Sale of Fixed Assets	1715	574
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-36299**	**-34316**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Proceeds from Issue of Equity Shares	3352	4624
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	46583	106664
	Proceeds from issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds	517283	450637
	Payment of Dividend (Interim & Final Including dividend tax)	-76984	-52337
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**490235**	**509588**
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**710944**	**50736**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**1621120**	**1570384**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**2332064**	**1621120**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1076322	1163369
	Balances with banks and Money at call	544798	407015
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1621120**	**1570384**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1841998	1076322
	Balances with banks and Money at call	490066	544798
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**2332064**	**1621120**

(RAKESH SETHI)	**(K.SUBRAHMANYAM)**	**(S. K.JAIN)**	**(ARUN TIWARI)**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2014. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 8th May, 2014 to the members.

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO. 025918)

FOR S G C O & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 112081W

(K V S SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO. 015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO. 090515)

FOR SHAH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 109574W

(VIPUL K CHOKSI)
PARTNER (M.NO. 037606)

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO. 086956)

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO 314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO. 012208)

Place : MUMBAI
Date : 8th May, 2014

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations â Pillar III

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2013; Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar14.pdf

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2013-14

Section A: General Information about the Company

Union Bank of India was established on 11th November, 1919 with its headquarters located in Mumbai. The Head Office building of the Bank in Mumbai was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the Nation in 1921. The Bank's core values of prudent management without ignoring opportunities is reflected in the fact that the Bank has shown uninterrupted profit during all 94 years of its operations. The Bank's focus is on qualitative growth in business while lending to productive sectors and ensuring asset quality is not impaired. This ensures that the Bank's performance in key business parameters improves year after year. The Bank now has 3,871 branches up from 3,511 last year and 6,429 ATMs. The Bank has two full-fledged international branches in DIFC Dubai and Hong Kong and five representative offices in Shanghai, Beijing, Abu Dhabi, Sydney and London. The Bank has a staff strength of 33,806 who also adhere to the Banks values and work towards achieving the Bank's vision.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services broadly falls under three categories:

1. Deposits,
2. Loans and Advances and
3. Remittances and Collections

The Bank's activities are covered under the activity code – 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by the Ministry of Statistics and Program Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and 100% of its branches are computerised. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and 100% of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company:	Not Applicable
Registered Address:	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021
Website:	http://www.unionbankofindia.co.in
E-mail Id:	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported:	2013-14

Section B: Financial Details of the Company

The Bank's financials during the reporting year are as under:

Paid up Capital (INR)	**630 Crore**
Total Deposits (INR)	**2,97,675 Crore**
Total Advances (INR)	**2,34,332 Crore**
Profit After Tax (PAT) (INR)	**1,696 Crore**
Total Spending on CSR as percentage of profit after tax	**0.22 %**

Corporate Social Responsibility:

Union Bank of India is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. ***The Union Bank Social Foundation***, a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

The Bank has more than quadrupled its CSR spend in 2013-14 to ₹ 3.77 crore from ₹ 75.55 lakh in 2012-13. Some of the major initiatives undertaken were on environment protection and sustainable development. It is noteworthy that the Bank spent 31.02% of its CSR spend on providing solar lighting to villages in West Bengal and Uttar Pradesh and for a school for deaf children in Chennai. Some of the other notable projects undertaken by the Bank under CSR included:

- Setting up a computer lab under Union Adarsh Gram Yojana
- Providing a mobile clinic in Ranipet in Tamil Nadu
- Setting up required infrastructure for a school for mentally challenged children
- Donation of two dialysis machines to the District Hospital in Aluva, Kerala
- Donation of a vehicle for an old age home in Bangalore
- Donation of buses to schools for the economically backward children
- Waste Management vehicle for Panaji, Goa
- Community toilet and water tank for a village near Varanasi
- 100 hand pumps for villages in Barabanki District (UP)
- Water filter for a village school near Jaipur
- Sanitation facilities for a school in Judakhurd, Azamgarh

Under Corporate Social Responsibility, Union Bank of India donated an ambulance to Fatima Hospital in the Lead District of Mau in Uttar Pradesh.

Section C: Other Details

The Bank has two subsidiaries (Union KBC Asset Management Company Private Ltd. and Union KBC Trustee Company Private Ltd.), one joint venture (Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.) and one associate (Kashi Gomti Samyut Gramin Bank). The Bank's subsidiaries conduct their business in a responsible manner and the same is expected from the Bank's business partners. The Bank is committed in providing the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

Section D: BR Information

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/ policies:

DIN Number	05103064
Name	S.K. Jain
Designation	Executive Director

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Debajyoti Gupta
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-22896600
e-mail id	dgupta@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

This is the second year that Union Bank is publishing its BR report. As this is a regulatory requirement it will be published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is currently being evaluated by the Sustainable Development and CSR Committee of the Bank which meets on a quarterly basis. However, henceforth in order to have an external evaluation of the performance, it will be evaluated by an external agency at periodic intervals.

The BR report of the Bank can be accessed on our website at the following link:

http://www.unionbankofindia.co.in

Home Page >

About Us >

Sustainable Development

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Do you have a policy/policies for the Principle/s	Yes								
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3	Does the policy conform to any National/International standards? If yes specify? (50 words)	Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/ Appropriate director	Yes, the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director.								
5	Does the company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	http://www.unionbankofindia.co.in Home Page > About Us > Sustainable Development								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes, as the policy is uploaded on the website. However, to further increase awareness of the policy, suitable training programs will be conducted at different levels.								
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Yes								
9	Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	At present the SD&CSR Committee of the Bank is monitoring the BR performance of the Bank at quarterly intervals. However, going forward it will also be evaluated by an external agency at periodic intervals								

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1 - Sound Corporate Governance

The Bank follows a principle-based approach towards corporate governance which ensures the Bank delivers strong and effective governance which is respected by investors. As part of Corporate Governance the Bank has a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management. The Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank operates and conducts its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognises that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of the public at large.

The Code envisages and expects -

- Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.
- Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports are required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.
- Compliance with applicable laws, rules and regulations.
- To address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.
- The highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the Bank.
- The Bank also publishes a Corporate Governance Report with its Annual Report.

The following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976
- The Bipartite Settlement/Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/Officers' Federation
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's good corporate practices have won it several laurels and recognition in the last few years. Some complaints have been received and all of them have been closed. There are no pending complaints as none were substantiated with any evidence.

Principle 2 – Sustainable Products and Services

The Bank's business strategies continue to be aimed at consolidating the Bank's business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & controls. The thrust areas included strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach clients with new technology and deepening customer relations. As a partner in the progress of the country the Bank extends credit for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry or the MSME sector, exports, trade, agriculture, infrastructure or the personal segment. The Bank has been a pioneer in taking meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged, the details of the same can be found on the Bank's corporate website.

The Bank has the distinction of being the first Public Sector Bank to offer Mobile Banking which provides the customer the convenience of transferring funds even while on the move. It also saves time and is a cheaper mode in the transfer of funds.

Some of the innovative products launched by the Bank, especially for persons with disability and those which are environment friendly and benefit the society at large, are as under:

1. **ATMs for Visually Challenged:** The Bank has completed installation of 1,066 such ATMs and some of them are made available for physically challenged persons using wheel chair.

   The Bank has pioneered the concept of '**Talking ATMs**' in India for persons with disabilities. This ATM enables visually challenged persons to do transactions on voice guidance and hence is called 'Talking ATM'. The ATM site is designed in such a manner that a physically challenged person can go inside, even on a wheel chair, and conduct transactions.

2. **Loans to farmers** for purchase of renewable energy equipment for agriculture and allied activities: Scheme to provide loans to farmers to install solar water pumping systems to harness solar energy for pumping water by water pump, solar water heating systems with necessary accessories for usage in Agro Processing Units and solar lighting systems for operating LED lights and small DC loads.

3. **Bio-Metric ATMs** for the rural population in Punjab.

The Bank's ATMs are not just cash dispensation machines but also offers remittance facilities viz. NEFT through ATM, Immediate Payment Service (IMPS), and Union e-Cash - a mobile based funds transfer which facilitates the receiver to draw cash from the ATM based on mobile authentication. While the Bank does consume energy, water and other resources for its business operations, the consumption is relatively less and energy efficient measures are being introduced to reduce the consumption even more. The Bank has a laid down policy for the disposal of old records after perforation and subsequently selling the same to the paper industry for re-cycling. The percentage of recycling of product and waste falls in category above 10%.

The Bank procures most of its consumables through locally based suppliers. The Bank's commitment to small and micro enterprises is enshrined in a code of commitment to the segment which ensures easy, speedy and transparent access to banking services in their daily operations..

Principle 3 – Employee Welfare

A trained, motivated and productive workforce is the Bank's biggest asset. Keeping this in view, the Bank initiated a HR Transformation process with an objective to align HR strategy with the business strategy by benchmarking and adopting the industry's best practices. As a result of transformation exercise, Bank has streamlined various policies, processes & systems and defined, documented roles with job clarity and uploaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has implemented the following:

1. A transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating the Government of India guidelines on the same.
2. A new module in PeopleSoft (Union Parivar) was developed to integrate the new appraisal system for its online submission. Manpower Planning was introduced through a scientific model and calculator for arriving at the assessment of the manpower requirement.
3. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building a leadership pipeline.

The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank also provides facilities & benefits to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. To take care of the medical requirements of its employees the Bank has a hospitalisation scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. Employees can get admission and treatment in these hospitals and the bills are directly settled by the Bank. If the bill amount exceeds the employee's eligibility it is recovered later from him. However, the employees can also apply for ex-gratia amount in respect of such excess amount. The Bank has 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen subsidy, education, medical & hospitalisation, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards for excellence in Education, Sports, Cultural activities etc. As on 31st March, 2014, the Bank had a total of 33,806 employees, out of which 7,020 were women employees and 437 were employees with disabilities. The Bank also engaged 128 Customer Relationship Executives on contractual basis during the reporting year.

Respect for Human Rights

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has never indulged in child labour, forced labour and involuntary labour, and no stakeholder had any complaints regarding the same in the reporting year. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/ associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations, out of which the Bank recognises the ones which have the majority membership of the total strength. As on 31st March, 2014, 31,043 employees accounting for 91.83% of the total employees, including Officers were members of various employee/officer associations including the recognised associations.

Welfare of SC/ST Employees

The Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST welfare. Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognised Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of five years.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multi-channel service outlets and the

employees owning it. As a learning organisation, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous re-skilling and up skilling activities and attitudinal improvements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank". The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train".

Union Bank of India Staff College, Bangalore

Providing need-based training to the staff members and to match it with the organisational needs is one of the strong features of the Bank's training system. The training needs are assessed and catered for all employee cadres, right from a house keeping staff to a top executive. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organisational life cycle of an employee – from entry to exit – is catered by the training system with its Apex college at Bangalore and seven training centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Gurgaon, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, locational programs are conducted at various regional locations depending on the organisational need. With a view to provide up to date training to the staff, judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are deputed to overseas training also.

In the year 1997, The Bank carried out a revamping exercise with the help of some reputed overseas consultants which led to introduction of the latest training techniques. These have now been standardised and the innovative practices followed by the training system resulted in the Bank receiving recognition and awards from reputed institutions across the country including Golden Peacock Training National Award for the best training system in India in 1998, 2005, 2007, 2011 and 2012.

Details of trainings provided during 2013-14:

Cadre	Number of employees trained
Skilled	22,173
Unskilled	5,481
TOTAL	**27,654**

Principle 4 – Stakeholder Engagement

Union Bank believes that ongoing engagement with stakeholders helps identify trends, issues and opportunities which help the Bank design its products and services so that they continuously improve the way they do business. The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.'

Primary 'stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, customers, 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to local communities, suppliers, NGOs, industry associations, and 'Key' stakeholders include shareholders and promoters, regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalised and strives to provide special products/schemes to them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank's key stakeholders are as follows:

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it be a branch, ATM, Internet Banking, mobile banking, call center etc. To continue the aim of achieving excellence in customer service the Bank has taken the following measures:

- Appointed Customer Relationship Officers, whose mandate is to be in constant touch with customers in order to enhance their relationship value.
- Training programs for its staff members to help them convert the complainants to campaigners.
- Educating customers about various new products and services through campaigns in both the print and electronic media. The Bank has in the past received ABCI (Association of Business Communicators of India) award for Marketing and Branch Communication.
- Set up a 24x7 call center to address any queries of the customers.
- Holding quarterly customer meets at the branch, regional and corporate levels. The Bank uses this forum to communicate to its customers, information on the latest product and service offerings as well as important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards while using Internet Banking and to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which replies to all customer communication and also analyses the feedback for systemic improvements. This has helped bring down the number of complaints on non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his complaint.
- **"Union Xperience":** The 3,800 plus branches of the bank are the primary point of interaction with the customers. To enhance the customer experience, the Bank is undergoing a transformation journey and the various branches of the Bank are in the process of implementing a model titled "Union Xperience". In this model, 65% of the staff is directly accessible to the customers as against the earlier percentage of 35%. The staff at these branches has been trained to interact proactively with the customers and provide financial solutions as per the customer specific requirements.

Employees

- The Bank's in-house magazine *Union Dhara* continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating oneness among the staff members and also stimulating their duties, loyalty and creativity. *Union Dhara* has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI). Last year, Union Dhara bagged seven awards along with prestigious "Magazine of the year Award" at the 50th Award Ceremony of ABCI (Association of Business Communicators of India).
- Through the Bank's Intranet portal, all internal policies, guidelines, codes, other internal communication are accessible to all its employees.
- CMD/ED/General Managers from Central Office periodically visit the field/branches.

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.
- The Bank also sends a half-yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.
- The Bank also holds analysts and investors meet on a quarterly basis.

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Government and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of the banking industry in India.
- The Bank has adopted 210 villages to convert them as Adarsh Villages. The Chairman, Managing Director and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

Union Bank of India's various measures to promote the implementation of the Official Language was recognised by it being awarded the prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2010-11. The publication of the Hindi book on retail banking, publication of comics in Hindi, 'Main Hoon Na' on ATM and the proposed animation film on Financial Inclusion are some of the measures taken by the Bank to reach the benefits of banking to the large community of Hindi-speaking farmers and other stakeholders.

The Bank's website is also another tool for effective communication with all the stakeholders.

Principle 5 – Respect for Human Rights

As a responsible corporate entity, the Bank not only follows in letter all the guidelines, instructions, directives issued/notified by the Central/State/Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit. The Bank's SD&CSR policy states that the Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc. to respect human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

Principle 6 – Impact on Environment

As a financial intermediary the Bank by itself is environmentally friendly in terms of emissions and pollution. The Bank has proactively taken several initiatives to reduce its carbon footprint. Constant steps are evolved in reducing the carbon foot prints by utilising LED lighting fixtures, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, utilising energy efficient air-conditioners and utilising non-conventional sources of power like solar energy, wherever new projects are initiated. The ultimate gains at present are not measurable. However, the effects are visible in the energy bills and the endeavor is to rigorously implement the steps in reducing the carbon footprint of the Bank.

The Bank is taking steps towards increasing its use of solar energy primarily for ATM's heating requirements in the Bank as well as in the Training Centers. Also air conditioners and lighting fixtures in Bank's premises are energy efficient and star rated for energy efficiency. The refrigerant gas in the air conditioners (R-407c) used by the Bank reduces its carbon footprint.

Some of the other environment friendly measures introduced by the Bank are:

- Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings.
- Signages installed are with LED.
- Rain water harvesting in the Bank's building has helped in the conservation and recharging of ground water level.
- Employing **Busbar trunking system** to ensure safe and cost efficient flow of power in all kinds of applications. Recently, the Bank has carried out re-engineering of the External Electrical Distribution system of Central Office Building wherein the power supply distribution of floors was done through state of the art Bus Bar Trunking System. The power consumption of each floor was recorded and compared with the bill received from BEST. The overall savings achieved on electrical consumption was 14.21%, whereas the electricity bill was reduced by 12.63% as compared to the previous one.
- Expansion of Data Centre on the third floor Technology Centre, Powai Building wherein the electrical system along with air conditioning system installed is having energy saving capabilities. The precision air conditioning system is based on electronic cooling technology and eco-friendly gas, whereas the variable refrigerant system was incorporated for cooling of UPS/Battery Room. The overall saving achieved in power consumption was 7% and around 6% saving in energy bill.
- Occupancy sensor to control lighting and air conditioning in cabins.
- Maximum usage of daylight by improvement in architectural features in the buildings.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

The Bank is a member of the following financial and industry related trade chambers and associations.

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Confederation of Indian Industry (CII)

Senior executives of the bank are nominated to various committees of the Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service.

It is through platforms, such as trade chambers and industry associations that the Bank does its advocacy for public policy. The Bank also has a channel of communication with the concerned officials to help shape public policy on laws and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank for policy advocacy have primarily been Inclusive growth, Financial Inclusion and Financial Literacy.

Principle 8 – Inclusive Growth

Financial Inclusion is defined by the RBI as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2013-16 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis" thereby to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".

As at 31st March, 2014 the Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

- The Bank has extended its reach to 33,055 unbanked/ marginally banked villages by providing basic banking services through the Business Correspondent Model by appointing 10,076 BCs in these villages;
- 131 lakh FI customer accounts have been acquired over bio-metric cards under the Business Correspondent Model and the bank has mobilised Rs.231 crore deposit through these customers;
- Extending micro-loans as emergency credit and also to promote economic activity among the rural/urban poor. The Bank also provides micro insurance at nominal premium;
- The Bank has launched a specially devised micro-loan product ''Pragati'' over bio-metric cards, for Joint Liability Groups formed by women. During the year, the Bank has disbursed ₹ 217.40 crore to 33,330 women beneficiaries.
- The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) a NGO for financing of Self Help Group (SHGs). SHGs are primarily engaged in agriculture and various allied activities to generate gainful employment and income for villagers. During the year an amount of ₹ 401.62 crore was disbursed to 35,273 SHGs with present outstanding of ₹594.68 crore. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode Regions.
- Micro remittance facility for migrants have been extended using bio-metric card technology is also made available for inter-bank transactions using NEFT platform. During the financial year, Bank facilitated 15.58 lakh remittances amounting to about ₹ 214 crore during the year. A new Remittances product with attractive futures is being launched on real time basis to increase business under this scheme.

Union Bank Money is a remittance product based on mobile technology specially designed for urban migrant labours for remitting the money to their relatives at their native villages. This product was previously implemented by Alpha Money Services Ltd. but now M/S Obopay Ltd. is acting as our Business Correspondent for Union Bank Money.

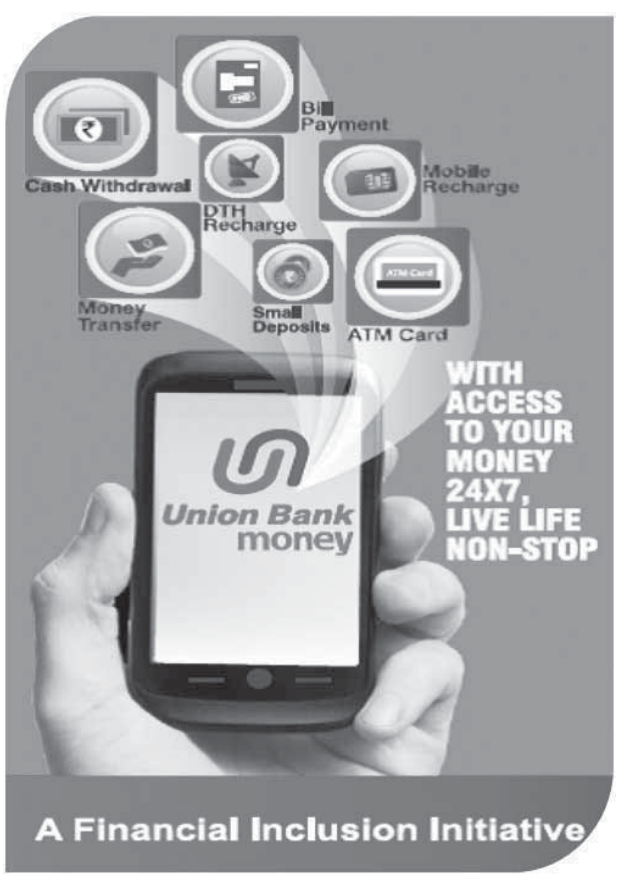

FINANCIAL LITERACY

To create awareness about the usage/benefits of financial services offered by the Bank, eight Financial Literacy Centers (FLCs) have been opened during the year taking the total FLCs of the Bank to 24. These centers spread awareness among the underprivileged about the financial services that a Bank can provide to take an informed decision. The rural branches of the Bank are conducting financial literacy camps in their command area once in a month. The Bank has 202 Village Knowledge Centers (VKC) which disseminate information about banking products as well as the latest developments in the field of agriculture.

UNION ADARSH GRAM YOJNA (UAGY)

As a part of its commitment to the nation, the Bank has launched "Union Adarsh Gram Yojna" under its Corporate Social Responsibility (CSR) project by adopting 60 villages across the nation this year for their all-round socio-economic development, taking the total villages under UAGY to 210.

- The objective of "UNION ADARSH GRAM" is to adopt backward villages coming under the command area of our rural and semi-urban branches and to develop these villages in an integrated manner as model villages in the district.
- Under the scheme the major activities undertaken in the village are:
- (i) Adopting meritorious girl children by helping them financially to complete their studies up to class XII
- (ii) Providing clean drinking water to students by providing water filters at Government schools
- (iii) Street lighting with solar lamps
- (iv) Providing solar lanterns to students
- (v) Providing benches and fans in Government schools.
- The scope of the Scheme extends to several activities through involvement of the Bank in various social economic development programs launched by the Central, State Governments and Local Self Government bodies.
- Apart from converting the entire village to the banking habit, the Bank's focus is to ensure that funds granted to the village development are utilised for bringing about the results envisaged under various Government schemes.
- Under Union Adarsh Gram Yojana, the Bank's endeavor is to make the villages self-sufficient and self-sustaining in every aspect.
- From this year all the rural branches have been advised to adopt one village under UAGY.

LEAD BANK SCHEME

The Bank is proudly fulfilling the Lead bank responsibility in 14 districts spread over four States of the country. In these districts the Bank not only continuously increases its Branches and carries on its normal banking activities but also works with the local government for the District Credit Plan. It helps monitor the progress of the DCP and other government sponsored schemes. The Bank also has 14 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) where rural youth are provided with training and skill upgradation for running their micro enterprises. The Bank is also assisting Women's Self Help Groups (WSHG) in four identified backward districts to empower women.

Union Bank of India sanctioned Finance to Micro Entrepreneurs who are trained by Assam Rural Development Bank at our Narengi Branch

DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT) DISBURSEMENT

The Government's Direct Benefit Transfer (DBT) was implemented in 43 Districts under Phase I w.e.f. 1st January, 2013, extended to 78 more Districts w.e.f. 1st July, 2013 (Phase II). During the year 2013-14, the Bank as Sponsor Bank has remitted ₹ 272.89 lakh involving 18,185 accounts. The Bank as destination bank received ₹ 14,275.70 lakh to the credit of 21,74,880 beneficiary accounts maintained at various branches.

Chairman & Managing Director presenting a bicycle to a student during the loan mela organised at Lucknow

Chairman & Managing Director distributed school bags and note books to students during the loan mela organised at Lucknow

DIRECT BENEFIT TRANSFER FOR LPG (DBTL)

The Government of India is implementing direct credit of subsidy in the accounts of LPG beneficiaries in 289 districts all over India. The scheme is also being implemented in the Bank's lead districts Ernakulam and Idukki in Kerala w.e.f. 01.09.2013 and Rewa in Madhya Pradesh w.e.f. 01.01.2014 and the progress as on 31.03.2014 is as under:

DBTL II	Ernakulam	Idukki	Rewa
Number of LPG connection holders	9,14,034	2,34,513	1,37,288
No. of forms received from OMCs	1,441	NIL	NIL
Out of this seeding done	1,441	NIL	NIL
Percentage of seeding	100 %	NIL	NIL
Direct seeding requests received from all banks	6,24,886	1,52,205	30,532
Out of this seeding done	6,24,886	1,52,205	30,532
Percentage of seeding	100 %	100 %	100 %
Percentage of seeding of total LPG Beneficiaries	**68.50 %**	**64.90 %**	**22.24 %**

NEW INITIATIVES DURING THE YEAR

The Bank has launched two new products during the year to extend banking to the under privileged at their doorstep.

1. **Mobile Van Banking:** 20 mobile vans were approved by the Bank in various states so that people at remote villages can be provided Banking services at their doorstep. The bank would launch these mobile vans in the next fiscal year.

Mobile Van Banking

3. **Kiosk Banking:** The Bank has entered into an agreement with CSC e-Governance India Ltd. for launching kiosk banking at various places. Under the scheme the kiosks which are already facilitating State/Central Government services such as electricity bill payment, property tax payment, issue of Birth/Death certificates, issue of land/revenue records etc. at village levels will also provide facilities such as opening of accounts, deposit/withdrawal from the accounts and other basic banking services. Currently, this project is launched on a pilot basis in Andhra Pradesh and Kerala, but will be extended in other centers shortly.

AWARDS RECEIVED DURING THE YEAR

The Bank bagged special award under IDBRT IT Excellence Award for innovative technologies introduced in Financial Inclusion project.

Some of the awards won by the Bank for FI in FY 2013-14:

- The Order of Merit awards from SKOCH GROUP for implementation of Financial Inclusion Initiative as unique technology initiative in the 33rd Skoch Summit conducted by SKOCH Consultancy on Tuesday, 3rd September, 2013. This Bank won this award from among organisations across India including Public, Private sectors and the Government.
- The Bank was also presented Financial Inclusion Technology Initiative award in the Global Conference on Financial Inclusion & Payment Systems held in October 2013. Technology initiatives include Biometric Smart Card System, FI Gateway & Centralised Bio-metric Authentication System, AADHAAR Enabled Payment System, AADHAAR Payment Bridge System, Kiosk Banking Application, Demographic Verification of Aadhar holders, AADHAAR seeding and Direct Benefit Transfer.

BANKING TECHNOLOGY AWARDS BEING RECEIVED BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR FROM INDIAN BANKS ASSOCIATION.

Union Bank of India also won six IBA (Indian Bank's Association) Banking Technology

Awards under the following categories:

- **Winners**: Best Payment Initiatives
- **Runner Up:**
  - Best Technology Bank of the year
  - Best Risk Management & Security
  - Best use of Mobility Technology
  - Best Internet Bank

BANK'S SENIOR EXECUTIVES RECEIVING THE FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGY INITIATIVE AWARD IN THE GLOBAL CONFERENCE ON FINANCIAL INCLUSION & PAYMENT SYSTEMS

BANK'S SENIOR EXECUTIVE RECEIVING A MOMENTO IN CONNECTION WITH 100 % NHG LINKAGE IN CDS.

Principle 9 – Customer Focus

The Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings and is an effective customer redressal mechanism. Some of the initiatives of the Bank in this are:

1. Initiatives taken to bring about Customer Service Excellence: The bank launched the new branch model focused on customer service under the Brand name **Union Xperience in 2012.** The bank has 310 branches under this model, which has succeeded in raising the level of customer service.

SAROJINI NAGAR BRANCH, LUCKNOW, THE 304TH UNION XPERIENCE BRANCH BEING LANCHED BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

2. Streamlining of Call Centre, ATM, and other Alternate Channel operations: ATMs of the Bank not only dispense cash but also facilitate investment in mutual fund, income tax payment, and mobile top up as other product features, thus making it one of the most effective medium for providing maximum service facility and hence have been named **Sampoorna ATM.** The Bank today has a network of 6,429 ATMs, of which there are 1,066 Talking ATMs, which cater to the visually challenged.

3. Centralisation of non-customer facing liabilities activities to National Processing Centre (NPC) at Mumbai and Lucknow.

4. Building a world class Customer Care Unit: To make the Grievance Redressal Mechanism more customer centric the bank has appointed an Internal Ombudsman who has the authority to look into cases which remain unresolved even after 30 days or if the customer is not satisfied with the bank's decision on his grievance.

5. With a view to address customer grievances in an effective and timely manner, as well as creating a nodal agency for ensuring customer service excellence in matters dealing with customer grievances, the Customer Care Unit was set up. The Customer Care Unit has brought about a monumental change in the grievance Redressal Mechanism.

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस का मैन्डेट फार्म

भविष्य में शीघ्र, सुरक्षित एवं सही लाभांश का भुगतान प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित मैन्डेट फार्म, यदि अब तक न प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रुप में हैं, तो रजिस्ट्रार को और यदि डीमैट / इलेक्ट्रानिक फार्म में हैं, तो डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए).

प्रिय महोदय

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स- खाते में सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश प्राप्त करने का विकल्प**

मेरे / हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान सीधे जमा/ एनईसीएस** के जरिये करें तथा मेरे / हमारे खाते में जमा करें, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
फोलियो क्र. (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ नही हैं)	
डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ हैं)	
ई-मेल आई डी	

ए.	**सीधे जमा (केवल यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए)**	
1.	पूर्ण खाता संख्या (15 अंकों की)	
2.	खाते का नाम (जैसाकि पास बुक में दर्शाया गया है)	
3.	शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	

अथवा

बी.	**राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)**	
1.	बैंक का नाम	
2.	शाखा का नाम एवं पता - शहर के पिन कोड सहित	
3.	बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक	
4.	बैंक / शाखा का 9 अंकों का कोड, जैसाकि बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाया गया हो	
5.	खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता / कैश क्रेडिट खाता - कोड सहित 10/11/13)	
6.	खाता संख्या (जैसी चेक बुक में दर्शायी गई हो)	

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं. यदि अधूरी अथवा गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है अथवा लेनदेन न हो सका, तो मैं जारीकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/ मानूंगी. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली कोई अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को लाभांश वारंट के रुप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

दिनांक::

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(कृपया केवल एक विकल्प चुनें. कृपया उक्त ब्यौरों के सत्यापन के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोप्रति अथवा कोरा रद्द किया चेक संलग्न करें.)**

रजिस्ट्रार का पता : डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
प्लॉट क्र. बी - 5, पार्ट बी, एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

Direct Credit/NECS Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. **{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the *Depository Participant (DP)* if shares are in *demat/ electronic form*}.**

Dear Sirs,

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NECS**

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit/NECS** and credit the same to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail ID	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)	
1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NECS	
1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Telephone No. of the Bank Branch	
4. 9 Digit Code No. of Bank/Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank	
5. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
6. Account No. (as appearing on Cheque book)	

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit/NECS.

Yours Faithfully,

( )

Date: Signature of the First/Sole Shareholder

(Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar: Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.: 022-66712151-60
Fax No.: 022-28213404
E-mail Id: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लोग, अच्छा बैंक Union Bank of India Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

परोक्षी फार्म (फार्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____, शेयरधारक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को अथवा उनके न होने पर

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को **शुक्रवार दिनांक 27 जून, 2014**

को प्रात: 11.00 बजे रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में अपनी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/ करती/करते हूँ/हैं.

दिनांक _____, 2014 को हस्ताक्षरित

कृपया रसीदी टिकट लगाएं

_____
परोक्षी के हस्ताक्षर

_____
प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह,
   - ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
   - सी) निगमित निकाय के मामले में इसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. परोक्षी फार्म निम्नलिखित के साथ
   - ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
   - बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, वार्षिक साधारण बैठक के कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात **शनिवार 21 जून, 2014** को या उससे पूर्व कार्य समाप्ति अर्थात 2.00 बजे तक कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
4. परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत स्टैम्प के बिना वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. परोक्षी के पक्ष में लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक उक्त लिखत से संबंधित वार्षिक साधारण सभा में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We_____resident(s)

of _____in the district of_____in the

state of_____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint

Shri/Smt._____resident of _____in

the district of _____ in the state of _____or failing him / her,

Shri/ Smt. _____resident of_____ in the

district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 12th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Friday, 27th June, 2014 at 11.00 a.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014.

Please Affix Revenue Stamp

_____
Signature of Proxy

_____
Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. on Saturday, 21st June, 2014.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

(नियत स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

दिनांक : शुक्रवार, 27 जून 2014
समय : प्रात: 11.00 बजे
स्थान : **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400-020.

मैं एतदद्वारा बैंक की 12 वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ.

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरुप विधिवत हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

UNION BANK OF INDIA

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: Friday, 27th June, 2014.

Time: 11.00 a.m.

Place: **RAMA WATUMULL AUDITORIUM,** K. C. COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI – 400 020.

I hereby record my presence at the 12th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

UNION BANK OF INDIA

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

EVERY SMALL BUSINESS IDEA HAS A BIGGER POTENTIAL

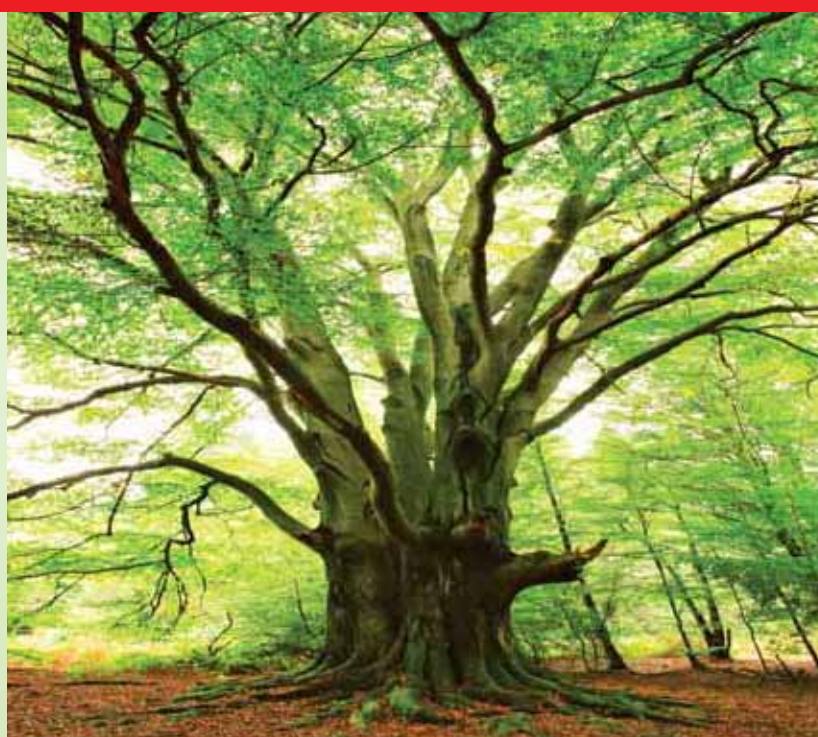

Realise it with Union Bank's

MSE Loans

Hassle-free Loans for Micro & Small Businesses

Attractive Rate of Interest	Collateral-free loans upto Rs.100 lakhs under CGTMSE scheme	Simple, customer-friendly documentation

• 3700+ branch network • Online application and tracking facility
• Area specific cluster schemes launched at attractive interest rates and convenient terms
• Concessional processing charges

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Helpline Numbers: 1800 22 22 44 (Toll Free) 080-2530 0175 (Chargeable)
www.unionbankofindia.co.in

BE TOGETHER
BANK TOGETHER

The family that banks together, enjoys privileges together.

- Free Personal Accident Insurance Cover of ₹ 2 Lakh
- Free NEFT/RTGS/DD/PO
- Free International ATM cum Debit Card
- Free Personalised Multicity Cheque Books
- Free SMS Alerts
- Free Internet Banking Facility

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Printed by : www.westernpress.in

Union Bank of India

Ref: ISD/101/14-15

May 30, 2014

Deputy General Manager,
Corporate Relationships Dept.
The Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001.

Fax no.2272 3121/2272 3719
2272 1072 (9 P.M. TO 9 A.M.)

Dear Sir,

Sub: Union Bank of India's Equity Share
(Scrip Code 532 477)
Notice of Annual General Meeting

In terms of Clause 31 of the Listing Agreement, we forward six copies of Annual Report of the Bank for the year 2013-14, containing the notice for the 12th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank scheduled on 27th June, 2014.

1.	Name of the company	Union Bank of India
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March, 2014
3.	Type of Audit observation	Un-qualified
4.	Frequency of observation	Not applicable

The covering letter of Annual Report as per Format A signed by all the signatories as mentioned in Clause 31 of the Listing Agreement is enclosed herewith for your reference.

For your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

(R. C. Lodha)
General Manager(MDO)

Encl: as above.

निवेशक सेवाएं प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग, मुंबई - 400 021.
टेलीफोन : 022-22896650
फैक्स : 022-22025238
Investor Services Division
Central Office, Union Bank Bhavan
239, Vidhan Bhavan Marg,
Mumbai - 400 021.
Telephone : 022-22896650
Fax : 022-22025238
E-mail Id : investorservices@unionbankofindia.com

FORM - A

Covering letter of the annual audit report to be filed with the stock exchanges

1	Name of the Company/Body Corporate	Union Bank of India
2	Annual financial statements for the year ended	31st March, 2014
3	Type of Audit observation	Un-qualified/Emphasis of Matter
4	Frequency of observation	Not applicable

(MAYANK MEHTA)
GENERAL MANAGER & CFO

(ARUN TIWARI)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

(DR. ATUL AGARWAL)
DIRECTOR AND CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.002783S

(S.RAMASWAMY)
PARTNER (M.NO.025918)

FOR SGCO & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.No.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

FOR J GUPTA & CO
CHARTED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.314010E

(H.K.DATTA)
PARTNER (M.NO.012208)

Place: Mumbai
Date : 8th May, 2014.